राजभाषा भारती

अक्तूबर–दिसम्बर 1983

अंक : 23

রাজভাষা ভারতী

राजभाषा भारती

রাজভাষা ভারতী

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग

गृह मंत्रालय, भारत सरकार

नई दिल्ली

संङ्गच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम् ।
देवा भागं यथा पूर्वेसंजानाना उपासते ।।

ऋग्वेद : मं० 10/सू० 191/2

हे मनुष्यों ! तुम परस्पर मिलकर चलो, परस्पर मिलकर बात करो।
तुम्हारे मन एक समान होकर ज्ञान को प्राप्त करें ।

जिस प्रकार पूर्व विद्वान ज्ञानी-जन सेवनीय प्रभु को जानकर
उसकी उपासना करते आये हैं, वैसे ही तुम भी किया करो ।

इदं अन्धतमं कृत्स्नं जायेत्भुवनत्रयम् ।
यदि शब्दाह् वयं ज्योतिः आसंसारात्न दीप्यते ।।

आचार्य दण्डी

यह सारा का सारा त्रैलोक्य ही घोर अंधकार में डूबा रहता
यदि शब्द के आह्वान की ज्योति समस्त संसार को उद्भासित नहीं कर देती ।

सत्यमेव जयते

राष्ट्रपति
भारत गणतंत्र
PRESIDENT
REPUBLIC OF INDIA
7 अक्तूबर 1983

संदेश

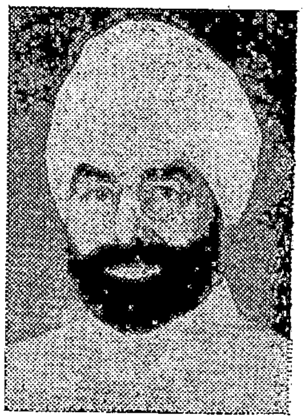

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि दिल्ली में आयोजित तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के अवसर पर राजभाषा विभाग की त्रैमासिक पत्रिका "राजभाषा भारती" का एक विशेषांक प्रकाशित किया जा रहा है ।

मुझे आशा है कि पत्रिका में राजभाषा हिन्दी को लोकप्रिय बनाने और इसके व्यापक प्रयोग के सम्वन्ध में उपयोगी सामग्री प्रस्तुत की जाएगी ।

इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं ।

(जैल सिंह)

उपराष्ट्रपति
भारत
नई दिल्ली
VICE-PRESIDENT
INDIA
NEW DELHI
23, सितम्बर 1983

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि तीसरा विश्व हिन्दी सम्मेलन इस वर्ष अक्तूबर में आयोजित होने जा रहा है।

हमारे देश में बहुत सी भाषाएं हैं। हमने हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया है, क्योंकि इस भाषा को अधिकतर लोग बोलते और समझते हैं। यदि हमने देश में एकता को बनाये रखना है तो हमें हिन्दी भाषा का विकास करना ही होगा जो कि एक साधारण कड़ी है।

साहित्य मानव की अपनी स्वयं की भाषा है। अच्छे साहित्य के लिए शब्दों का जादू और अधिक अनुभव की आवश्यकता है। इस संबंध में तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास और नानक के नाम मेरे सन्मुख हैं। भाषा विचारों के सम्पूर्ण भंडार में जनता को बराबर का हिस्सा देती है। यदि हिन्दी का विकास होना है तो उसमें अन्य भाषाओं के शब्दों को भी अवश्य मिलाना चाहिए। यह वर्ग विशेष की भाषा न होकर साधारण भाषा होनी चाहिए और हिन्दुस्तानी भाषा के इतनी नज़दीक हो जिसे साधारण आदमी भी समझ सके। अन्य देशों के सम्पर्क से, हिन्दी साहित्य को एक नया जीवन मिल सकता है। विश्व सम्मेलन इस प्रकार का जो अब हो रहा है उससे इस दिशा में अधिक सहायता मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि हिन्दी बहुत जल्दी ही अन्तर्राष्ट्रीय कड़ी बन जायेगी।

मैं तीसरे हिन्दी विश्व सम्मेलन की सफलता के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेजता हूं।

(मु० हिदायतुल्लाह)

सत्यमेव जयते

प्रधान मंत्री

संदेश

हिन्दी राष्ट्रीय एकता का एक सशक्त माध्यम है। इसका विकास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से जुड़ा है। इसने समय-समय पर मानवीय शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई और साथ ही मिलजुलकर प्रगति करने की भावना जगाई। मेरी आशा है हिन्दी विश्व-बंधुत्व की भावना फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

मुझे खुशी है कि तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के अवसर पर 'राजभाषा भारती' का एक विशेषांक प्रकाशित किया जा रहा है। इसके सफल प्रकाशन के लिए मेरी शुभकामनाएं।

इन्दिरा गांधी

नई दिल्ली,
10 अक्तूबर 1983

(इन्दिरा गांधी)

गृह मंत्री
भारत
HOME MINISTER
INDIA
नई दिल्ली-110001
30 सितम्बर, 1983

सत्यमेव जयते

संदेश

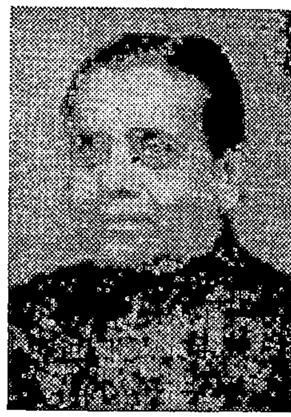

सरकार की यह सुविचारित नीति है कि हिन्दी का प्रयोग धीरे-धीरे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि यह संघ की सरकारी भाषा के रूप में अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राजभाषा विभाग के समग्र पर्यवेक्षण में विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं। सरल हिन्दी का प्रयोग, जिसे हर कोई व्यक्ति आसानी से समझ लेता है, इसका देश के कोने-कोने तक प्रचार और प्रसार करने में सहायक होगा। हिन्दी को समृद्ध बनाने के लिए इसमें अन्य भाषाओं के शब्दों को भी उदारता से अपनाया तथा आत्मसात किया जाना चाहिए। हिन्दी की प्रगति की जिम्मेदारी केवल गृह मंत्रालय की ही नहीं है। इसके लिए सरकार में सभी का सक्रिय सहयोग और दृढ़ निश्चय अपेक्षित है। पुरानी प्रथाओं और प्रचलनों से मुक्त होने और नई भाषा में काम करने के लिए सतत प्रयत्नों की जरूरत है लेकिन यदि इसके लिए दृढ़ निश्चय कर लिया जाए तो हम संवैधानिक दायित्व पूरा करने में सफलता प्राप्त न कर सकें, इसका कोई कारण नहीं दिखाई देता है।

मुझे प्रसन्नता है कि अक्तूबर में तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के अवसर पर 'राजभाषा भारती' का एक विशेषांक प्रकाशित हो रहा है। खुशी के इस अवसर पर हम सब राजभाषा अधिनियम का अक्षरशः अनुपालन करने के लिए अपने प्रयत्नों की गति और तेज करने की प्रतिज्ञा करें।

मैं उक्त विशेषांक के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।

प्रकाश चन्द सेठी

(प्रकाश चन्द सेठी)

सत्यमेव जयते

वित्त मंत्री
भारत
MINISTER OF FINANCE
INDIA
NEW DELHI-110001

संदेश

यह प्रसन्नता का विषय है कि राजभाषा विभाग तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के अवसर पर अपनी त्रैमासिक पत्रिका "राजभाषा भारती" का एक विशेषांक प्रकाशित करने जा रहा है।

हमारे संविधान ने हिन्दी को राजभाषा का स्थान दिया है और केन्द्रीय सरकार के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राजभाषा अधिनियम तथा राजभाषा नियम और इस संबंध में अनेक आदेश जारी किये हैं। यद्यपि भारत अनेक भाषा-भाषियों का देश है, लेकिन इस देश के अधिकांश लोग हिन्दी भाषी हैं। यही कारण है कि हिन्दी को सम्पर्क भाषा का स्थान दिलाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने सभी को साथ लेकर इस कार्य को आगे बढ़ाने की नीति अपनाई है।

त्रैमासिक पत्रिका "राजभाषा भारती" इस दिशा में प्रशंसनीय योगदान कर रही है। मुझे आशा है कि यह पत्रिका हिन्दी के प्रचार कार्य में और अधिक सहायक होगी। "राजभाषा भारती" के विशेषांक के लिए मेरी शुभकामनायें।

(प्रणव मुखर्जी)

सत्यमेव जयते

रक्षा मन्त्री
भारत
MINISTER OF DEFENCE
INDIA
नई दिल्ली
4 अक्तूबर, 1983

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के अवसर पर "राजभाषा भारती" का एक विशेषांक प्रकाशित होने जा रहा है। आशा है कि इस में इस प्रकार की सामग्री का समावेश किया जाएगा जो राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का मार्गदर्शन करेगा तथा इस क्षेत्र में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में सहायक सिद्ध होगा।

विशेषांक की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं।

आर वेंकटरामन

(आर० वेंकटरामन)

रसायन और उर्वरक मंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली-110001

MINISTER OF CHEMICALS
& FERTILIZER
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI-110001

सत्यमेव जयते

6 अक्तूबर, 1983

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के उपलक्ष में राजभाषा विभाग की त्रैमासिक पत्रिका "राजभाषा भारती" का एक विशेषांक प्रकाशित किया जा रहा है। इस पत्रिका में राजभाषा हिन्दी की संवैधानिक एवं कानूनी स्थिति तथा प्रशासकीय आदेशों, अनुदेशों के सन्दर्भ में इसके व्यापक प्रयोग एवं प्रचार के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का विवरण और देश के उच्च कोटि के विद्वानों तथा चिन्तकों के विचार हिन्दी में प्रकाशित किए जाते हैं इससे सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग प्रत्येक क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है। मैं आशा करता हूं कि दूसरी भाषाओं के प्रचलित शब्दों को हिन्दी में सम्मिलित किया जाता रहेगा ताकि इसकी लोकप्रियता बढ़े।

भारत एक विशाल देश है जहां विभिन्न प्रकार की भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं फिर भी यहां के रीति-रिवाज, खान-पान और रहन-सहन एक दूसरे से मिलते-जुलते हैं इसीलिए इसे अनेकता में एकता का प्रतीक माना गया है। इन सबसे जरूरी बात यह है कि इतने बड़े देश के लिए एक सम्पर्क भाषा हो। चूंकि हिन्दी देश के अधिकांश लोगों की जन-सम्पर्क की भाषा है अतः यह जरूरी है कि क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के साथ-साथ हिन्दी के विकास और प्रचार-प्रसार को बढ़ावा दिया जाय। कोई भी देश तब तक अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसकी अपनी कोई भाषा न हो।

"राजभाषा भारती" के माध्यम से इस दिशा में किये जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। मैं उसकी सफलता की कामना करता हूं।

वसंत साठे

(वसंत साठे)

कृषि मंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली-110001
MINISTER OF AGRICULTURE
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI-110001

सत्यमेव जयते

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के आयोजन के अवसर पर 'राजभाषा भारती' का विशेषांक प्रकाशित होने जा रहा है ।

हिन्दी विश्व की महान् तथा सशक्त भाषाओं में से एक है । अगर हिन्दी बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से देखा जाये तो इसका स्थान विश्व की चार प्रमुख भाषाओं में आता है । हमारे देश में तथा विदेशों में करोड़ों व्यक्ति हिन्दी बोलते तथा समझते हैं । इस कारण हिन्दी न केवल राष्ट्रीय वरन् अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है । हिन्दी ने जहां आवश्यकता अनुसार अन्य भाषाओं के शब्दों को अपने में समेट लिया है वहां अपनी व्यापक प्रकृति के अनुरूप विश्व की कई भाषाओं को अपने शब्द प्रदान कर उनकी अभिव्यक्ति को और सुस्पष्ट तथा सुन्दर बनाने में सहायता प्रदान की है ।

भारत एक वहुभाषी देश है और हिन्दी को भारत वासियों ने सम्पर्क तथा राजभाषा के रूप में अपनाया है और इन दोनों ही रूपों में हिन्दी का प्रचलन बढ़ रहा है । देश की सांस्कृतिक एकता तथा साम्प्रदायिक सद्भावना को कायम रखने में हिन्दी भाषा का अभूतपूर्व योगदान रहा है ।

मुझे आशा है कि 'राजभाषा भारती' के इस विशेषांक में संकलित सामग्री पाठकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी ।

इस अवसर पर मेरी शुभकामनाएं ।

(राव वीरेंद्र सिंह)

उद्योग मंत्री
भारत
नई दिल्ली-110011
MINISTER OF INDUSTRY
INDIA
NEW DELHI-110011

सत्यमेव जयते

दिनांक 17 अक्तूबर, 1983

संदेश

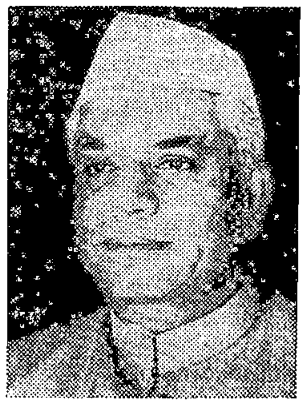

तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के अवसर पर "राजभाषा भारती" का विशेषांक प्रकाशित करने का संकल्प अत्यन्त शुभ ही नहीं अपितु अवसरोचित एवं प्रशंसनीय भी है।

यह पत्रिका अपने 1978 के प्रवेशांक से अव तक राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के लिए सरकारी स्तर पर किए जा रहे प्रयासों की संवाहिका रही है तथा सरकार द्वारा समय-समय पर वनाए गए अधिनियमों, नियमों और अनुदेशों का प्रचार-प्रसार इसके माध्यम से होता है।

आशा है कि यह विशेषांक सरकार एवं राजभाषा विभाग की हिन्दी सम्वन्धी रीति-नीति का परिचायक होने के साथ-साथ हिन्दी जगत के समक्ष आदर्श पत्रिका का प्रतिदर्श उपस्थित कर सकेगा।

सफल सम्पादन एवं प्रकाशन की शुभ कामनाओं सहित।

(नारायण दत्त तिवारी)

सत्यमेव जयते

श्रम और पुनर्वास मंत्री
भारत
नई दिल्ली-110001
MINISTER OF LABOUR
& REHABILITATION
INDIA

25 सितम्बर, 1983

संदेश

यह जानकर मुझे वड़ी प्रसन्नता हुई है कि तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के अवसर पर राजभाषा विभाग अपनी त्रैमासिक पत्रिका "राजभाषा भारती" का एक विशेषांक निकाल रहा है।

"राजभाषा भारती" में राजभाषा हिन्दी के वारे में जो लेख तथा अन्य जानकारी प्रकाशित की जाती है, वह सचमुच काफी लाभदायक होती है। इसलिए मुझे संदेह नहीं है कि तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के अवसर पर प्रकाशित विशेषांक से पाठकों को राजभाषा के वारे में उच्च कोटि के विद्वानों तथा चिंतकों के विचार जानने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा और इससे हिन्दी के प्रचार-प्रसार को वढ़ावा मिलेगा।

मैं "राजभाषा भारती" के विशेषांक की सफलता की कामना करता हूं।

(वीरेन्द्र पाटिल)

सत्यमेव जयते

मंत्री
विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य, भारत
नई दिल्ली-110001
MINISTER OF LAW, JUSTICE
AND COMPANY AFFAIRS, INDIA
NEW DELHI-110001

5 अक्तूबर, 1983

संदेश

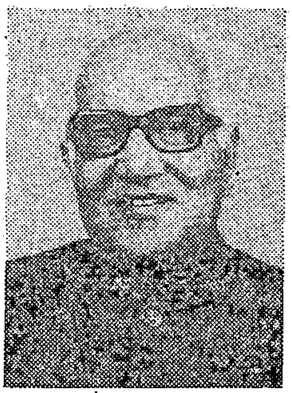

"राजभाषा भारती" ने तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के अवसर पर विशेषांक निकालने का निश्चय किया है जो सर्वथा उचित है। जब पहला विश्व हिन्दी सम्मेलन नागपुर में हुआ था तब से अब तक विधि मंत्रालय ने विधि के क्षेत्र में बहुत प्रगति कर ली है। केन्द्रीय अधिनियम लगभग 14,000 पृष्ठों में हैं। इनमें से लगभग सभी का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ प्रकाशित हो चुका हैं। 1979 में विधि मंत्रालय ने "विधि शब्दावली" का दूसरा संस्करण निकाला था। इस संस्करण में अंग्रेजी में विधि के तकनीकी शब्दों के अर्थ दिए गए थे और साथ ही उनके हिन्दी पर्याय। हिन्दी जगत में इस प्रकाशन का बहुत स्वागत हुआ और शीघ्र ही उसकी सब प्रतियां बिक गईं। विधि मंत्रालय के विधायी विभाग के राजभाषा खंड ने इसका तीसरा संस्करण हाल ही में प्रकाशित किया है। इस योजना के अन्तर्गत चौथे संस्करण का काम भी प्रारम्भ कर दिया गया है। यह प्रयत्न किया जा रहा है कि चौथा संस्करण सभी प्रकार से पूर्ण हो।

न्यायालयों और अधिवक्ताओं को हिन्दी में काम करने के लिए सहायक साहित्य के रूप में अधिनियमों के द्विभाषीय संस्करण विधायी विभाग का राजभाषा खंड प्रकाशित करता है। इस प्रकार प्रकाशित अधिनियमों की संख्या 300 के लगभग है। अधिवक्ताओं में ये संस्करण इतने लोकप्रिय हैं कि इन्हें बार-बार छापने की आवश्यकता पड़ती है। विद्यार्थियों के उपयोग के लिए विधायी विभाग के विधि साहित्य प्रकाशन ने 17 पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित की हैं। डा० पारिख द्वारा लिखी गई पुस्तक Medical Jurisprudence and Toxicology का हिन्दी अनुवाद भी प्रकाशित किया गया है। इस अनुवाद की बहुत प्रशंसा की गई है।

1979 से ही 'उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका' और 'उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका' नाम की दो पत्रिकाएं प्रकाशित की जा रही हैं जिनमें क्रमशः उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालय के निर्णय प्रकाशित किए जाते हैं।

हिन्दी में लिखे गए विधि के श्रेष्ठ ग्रन्थों को भी विधि मंत्रालय पुरस्कार प्रदान करता है। प्रति वर्ष दस-दस हजार के दस पुरस्कार देने की व्यवस्था है। पुरस्कार योजना के आकर्षण से भी दिनों-दिन अच्छी पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं

विधि के क्षेत्र में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए विधि मंत्रालय ने जो कदम उठाए हैं वे प्रारम्भिक हैं। इसी दिशा में आगे भी हमारी कुछ योजनाएं हैं जिन्हें क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है

"राजभाषा भारती" के माध्यम से मुझे यह जानकारी उन पाठकों तक पहुंचाने का जो अवसर दिया गया है, उसके लिए मैं अनुगृहीत हूं

जगन्नाथ कौशल

(जगन्नाथ कौशल)

सत्यमेव जयते

वाणिज्य मंत्री
भारत
MINISTER OF COMMERCE
INDIA
NEW DELHI-110011

4 अक्तूबर, 1983

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि दिल्ली में आयोजित तृतीय विश्व हिन्दी सम्मलन के अवसर पर "राजभाषा भारती" का विशेषांक प्रकाशित किया जा रहा है। मुझे आशा है कि इस विशेषांक में हिन्दी की संवैधानिक स्थिति एवं उसके प्रसार में विभिन्न सरकारी संगठनों के योगदान पर व्यापक रूप से प्रकाश डाला जाएगा।

विशेषांक के सफल प्रकाशन के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

(विश्वनाथ प्रताप सिंह)

मुख्य मंत्री

मध्य प्रदेश शासन
भोपाल, 462004
30 सितम्बर, 1983

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता है कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा द्वारा तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी करेंगी।

हमारे देश में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसे देश के सभी भागों में बोला और समझा जाता है। हिंदी में सभी भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करने की क्षमता भी है। हिंदी भाषा के इस स्वरूप को देखतें हुये ही इसे राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। हिंदी की लोकप्रियता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि अहिंदीभाषी लोग बहुत बड़ी संख्या में हिंदी सीख ही नहीं रहे हैं, वरन उस पर अधिकार प्राप्त कर रहे हैं।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजन से हिंदी के संबंध में भ्रामक धारणायें दूर होंगी और प्रशासनिक कार्यों में उसके प्रयोग को और अधिक व्यापक बनाने के लिये न केवल हिंदीभाषी वरन् अहिंदीभाषी क्षेत्रों के विद्वान व्यावहारिक हल सुझायेंगे

इस अवसर पर "राजभाषा भारती" के विशेषांक के प्रकाशन के लिये शुभकामनायें।

(अर्जुन सिंह)

मुख्य मंत्री, हरियाणा,
चण्डीगढ़

संदेश

यह हर्ष का विषय है कि राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, वर्धा तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में 28, 29 व 30 अक्तूबर को आयोजित कर रही है और इस अवसर पर राजभाषा विभाग की त्रैमासिक पत्रिका "राजभाषा भारती" का विशेषांक प्रकाशित हो रहा है ।

हिन्दी हमारी मातृभाषा एवं राष्ट्र भाषा है । यह भाषा हमारी गौरवमयी संस्कृति एवं परम्पराओं की प्रतीक है । राष्ट्र भाषा में श्रेष्ठ साहित्य की रचना हुई है । महामना मालवीय जी, राजर्षि टण्डन जैसी महान् विभूतियों ने हिन्दी के विकास के लिए अमूल्य योगदान दिया है । हिन्दी को देश में राष्ट्र भाषा का सम्मान तो है ही इसमें विदेशी भी गहरी दिलचस्पी लेते हैं । आशा है कि विश्व हिन्दी सम्मेलन के आयोजन से उन्हें हिन्दी के बारे में नवीन जानकारी मिलेगी और इस भाषा के प्रसार एवं विकास में बड़ा योगदान मिलेगा ।

मैं सम्मेलन एवं विशेषांक प्रकाशन की सफलता के लिए मंगलकामनाएं करता हूं ।

भजनलाल

(भजन लाल)

मुख्य मंत्री, राजस्थान
जयपुर
CHIEF MINISTER OF RAJASTHAN
JAIPUR

11 अक्तूबर 1983

संदेश

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता है कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा द्वारा दिनांक 28 से 30 अक्तूबर, 1983 तक दिल्ली में तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर राजभाषा विभाग की त्रैमासिक पत्रिका "राजभाषा भारती" का एक विशेषांक प्रकाशित किया जा रहा है।

राजभाषा हिन्दी की संवैधानिक एवं कानूनी स्थिति, प्रशासकीय आदेशों, अनुदेशों के संदर्भ में उसके व्यापक प्रयोग की दिशा में उठाये कदमों की हिन्दी क्षेत्र में सराहना हुई है। साथ ही, मैं यह आवश्यक मानता हूं कि हिन्दी को सभी क्षेत्रों में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करने के लिए न केवल इसके प्रयोग में एकरूपता लाई जाये बल्कि समवेत रूप से हम ऐसा वातावरण बनायें कि लोग हिन्दी के प्रयोग को अपना दायित्व एवं आत्म गौरव मानने लगें।

मुझे आशा है, "राजभाषा भारती" का यह विशेषांक इस दृष्टि से अनुपम बन पड़ेगा कि इसमें समाविष्ट सामग्री पाठकों के लिए प्रेरक पथ प्रदर्शक होगी।

मैं आपके सद्प्रयासों की सफलता की कामना करता हूं।

(शिवचरण माथुर)

चन्द्रशेखर सिंह
मुख्य मंत्री
बिहार

पटना
दिनांक 1983

संदेश

यह जानकर प्रसन्नता हुई कि दिनांक 28, 29 एवं 30 अक्तूबर, 1983 को राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, वर्धा द्वारा तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में हो रहा है। सम्मेलन का उद्घाटन हमारे देश की नेता प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा हो रहा है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। हिन्दी भाषा के सम्वर्द्धन और उन्नति में श्रीमती गांधी का उल्लेखनीय एवं प्रभावकारी योगदान रहा है। राजभाषा के रूप में इसका व्यापक प्रचार हो इस दिशा में भी श्रीमती गांधी सतत् प्रयत्नशील रही हैं। केन्द्रीय राजभाषा विभाग की त्रैमासिक पत्रिका 'राजभाषा भारती' का इस अवसर पर एक विशेषांक प्रकाशित करने का निर्णय बहुत ही उपयुक्त है। इसमें संग्रहीत सूचनाओं एवं तथ्यों से राजभाषा के रूप में हिन्दी की उपलब्धि को जानकर और इस दिशा में जो कुछ त्रुटि रह गयी है उसकी पूर्ति के लिये सबों को प्रेरणा मिलेगी।

मैं आपके सम्मेलन की सफलता की कामना करता हूं।

(चन्द्रशेखर सिंह)

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

अक्तूबर--दिसम्बर, '83 विशेषांक वर्ष--6, अंक : 23

उप संपादक
जय पाल सिंह

पत्र व्यवहार का पता :
संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन (प्रथम तल)
खान मार्केट, नई दिल्ली–110003

*

फोन : 698617/617807

पत्रिका में प्रकाशित लेखों की अभिव्यक्ति से राजभाषा विभाग का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

*

(निःशुल्क वितरण के लिए)

विषय-सूची

अपनी बात

1.	राजभाषा हिन्दी—राष्ट्रीय प्रकरण में	—श्री प्रकाश चन्द सेठी, गृह मंत्री	4
2.	हिन्दी को प्रतिष्ठित करने का दायित्व जनता का भी है	—श्री निहार रंजन लस्कर, गृह राज्य मंत्री	6
3.	विदशों में हिन्दी	—डॉ० भोला नाथ तिवारी	9
4.	भारत की राजभाषा नीति	—श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव	13
5.	हिन्दी की समन्वयवादी भूमिका	—श्री मधुकर राव चौधरी	16
6.	विदेशी विद्वानों की दृष्टि में हिन्दी	—डॉ० विजयेन्द्र स्नातक	18
7.	संघ सरकार की राजभाषा नीति एवं उसका कार्यान्वयन	—श्री देवेन्द्र चरण मिश्र	21
8.	हिन्दी का यथार्थ	—डॉ० गोपाल शर्मा	26
9.	राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और राष्ट्रभाषा हिन्दी	—श्री शंकर राव लोढ़े	29
10.	हिन्दी की विधि शब्दावली	—श्री ब्रजकिशोर शर्मा	31
11.	हिन्दी भाषा एवं साहित्य के विकास में दक्षिण की देन	—प्रो० जी० सुन्दर रेड्डी	32
12.	हिन्दी के प्रचार-प्रसार में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय का योगदान	—श्री राजमणि तिवारी	38
13.	हिन्दी का जनपदीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ	—डॉ० रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव	42
14.	हिन्दी अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर	—श्री हरि बाबू कंसल	45
15.	हिन्दी की अन्तर्राष्ट्रीय भूमिका	—डॉ० ललित मोहन बहुगुणा	47
16.	राजभाषा हिन्दी अपना रूप : अपनी समस्यायें	—डॉ० कृष्ण कुमार गोस्वामी	50
17.	विगत यादों के संदर्भ में दिल्ली में आयोजित तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन	—श्री शंकर दयाल सिंह	53
18.	विश्व में हिन्दी प्रचार की अपूर्व संभावना	—श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी	56
19.	हिन्दी राष्ट्रभाषा नीति की कसौटी पर	—श्री मुरारी श्याम वर्मा	58
20.	हिन्दी मंदाकिनी : नए गंगा सागर की ओर	—श्री गोपाल प्रसाद व्यास	61

21. विदेशों में हिन्दी का प्रचार-प्रसार —श्री नारायण कुमार 64

22. हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकें—कुछ प्रमुख निर्णय :

(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 67

(2) वाणिज्य मंत्रालय 69

(3) समाज कल्याण मंत्रालय 73

23. राजभाषा के बढ़ते चरण

(1) नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लि० दिल्ली में हिन्दी दिवस समारोह 78

(2) राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा शील्ड तथा अन्य पुरस्कारों का वितरण समारोह 78

(3) सिकन्दराबाद में राजभाषा संगोष्ठी 79

(4) इलैक्ट्रानिकी विभाग में द्वितीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन 79

24. आदेश-अनुदेश 80

अपनी बात

तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के सुअवसर पर राजभाषा भारती के विशेषांक (23वें अंक) को आपको भेंट करते हुए प्रसन्नता हो रही है। भारत वर्ष में 50 करोड़ से अधिक जनता द्वारा समझी या बोली जाने वाली हिन्दी भाषा प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रगति पथ पर अग्रसर है। मौरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद, भूटान, गुयाना आदि आज ऐसे देश हैं, जहां हिन्दी का न केवल व्यापक प्रयोग है, बल्कि उसके प्रति भावात्मक लगाव भी है। इसी प्रकार दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देश ऐसे हैं, जो हिन्दी के माध्यम से सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रेरणा ग्रहण करते हैं। इनके अतिरिक्त अमरीका, रूस, इंगलैण्ड, जापान, पोलैण्ड, रूमानिया, फ्रांस, चैकोस्लोवाकिया आदि अनेक देशों में अन्य भाषा के रूप में हिन्दी के अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ रही है। आज विश्व के 29 देशों में स्थित लगभग 100 विश्वविद्यालयों एवं भाषा संस्थानों में हिन्दी में अध्ययन-अध्यापन का कार्य चल रहा है।

तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन का लक्ष्य प्रथम और द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलनों की उपलब्धियों को न केवल स्थायित्व प्रदान करना है, अपितु उस ऐतिहासिक प्रक्रिया को गति भी देना है, जो हिन्दी के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय रूप को पुष्ट करती है। यह सम्मेलन एक ओर हिन्दी के माध्यम से भारत तथा अन्य देशों के मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को दृढ़ बनाने और दूसरी ओर 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के संदर्भ में जाति, धर्म, वर्ण और राष्ट्रीयता की संकुचित सीमा से परे प्रेम, सेवा और शांति की एक भाषा के रूप में हिन्दी को प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न करेगा। हमारे राष्ट्रपिता युगप्रवर्तक महात्मा गांधी एवं आधुनिक भारत के स्रष्टा पं० जवाहरलाल नेहरू के स्वप्न पूर्ण रूप से तभी साकार हो सकेंगे और तभी होंगी साकार हमारी सरकार की आकांक्षाएं, जिनके कार्यान्वयन के लिए इस महान देश की 70 करोड़ जनता को आत्मबल समर्पित है।

प्रस्तुत अंक में विभिन्न प्रतिष्ठित विद्वानों के लेख संकलित किए गए हैं, जिनसे राजभाषा हिन्दी के बहुमुखी विकास एवं गतिविधि की झलक मिलती है। आशा है, हमारे सभी पाठकों को यह अंक रुचिकर लगेगा।

भारत सरकार का राजभाषा विभाग विश्व हिन्दी सम्मेलन में भाग लेने आये देश-विदेश के विद्वानों एवं हिन्दी प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करता है।

राजभाषा हिन्दी---राष्ट्रीय प्रकरण में

---श्री प्रकाश चन्द सेठी
गृह मंत्री, भारत सरकार

(26 सितम्बर, 1983 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित तृतीय राजभाषा शील्ड तथा अन्य पुरस्कारों के वितरण समारोह के अवसर पर भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय श्री प्रकाश चन्द सेठी द्वारा दिया गया भाषण)

1981-82 के लिए भारत सरकार के तृतीय राजभाषा शील्ड तथा अन्य पुरस्कारों के वितरण समारोह में भाग लेते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। कुछ मंत्रालयों में हिन्दी की अच्छी प्रगति हुई है जिससे मुझे खुशी है। मुझे आशा है कि इससे हिन्दी में काम करने वालों को प्रेरणा मिलेगी और वे एक नए उत्साह से हिन्दी में काम करेंगे।

जिन मंत्रालयों/विभागों को पुरस्कार दिए गए हैं, उनका हिन्दी संबंधी निष्पादन श्रेष्ठ पाया गया है। निर्धारित मानदण्ड के अनुसार उन्हें पुरस्कार दिए गए हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि वे अपने प्रयास को जारी रखेंगे। जिन मंत्रालयों और विभागों को इस वर्ष पुरस्कार नहीं मिले हैं उनसे मैं आशा करूंगा कि वे अपने प्रयास को और सुदृढ़ बनायें ताकि अगले साल वे भी पुरस्कार पा सकें।

हिन्दी एक समृद्ध और महत्वपूर्ण भाषा है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। यह हमारी मान्यताओं, परम्पराओं, सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई है। देश के अधिकांश क्षेत्रों में और लोगों द्वारा यह बोली और समझी जाती है। इसी लिए यह सम्पर्क और राष्ट्रीय एकता की भाषा मानी गयी और भारत के संविधान निर्माताओं ने इसे केन्द्रीय सरकार की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। समय-समय पर भारत सरकार की ओर से आदेश जारी होते रहे हैं कि सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सरकारी उपक्रमों म हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग हो। राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन की जिम्मेवारी सचिवों तथा विभागाध्यक्षों पर डाली गई तथा यह कहा गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग हो।

भारत सरकार के आदेशों के कार्यान्वयन के लिए, आरम्भ में एक हिन्दी कार्यान्वयन समिति गठित की गई थी, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल किए गए थे। बाद में सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में हिन्दी कार्यान्वयन समितियां गठित की गईं और यह निदेश दिया गया कि इनकी बैठकें हर तिमाही में की जायें। इनका काम सरकारी आदेशों का अनुपालन कराना था।

इसी प्रकार देश के विभिन्न नगरों में 60 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की स्थापना की गई है। नगर के एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी इसके अध्यक्ष होते हैं तथा उस नगर में स्थित सभी केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/सरकारी उपक्रमों के उच्च अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इन बैठकों में अवश्य भाग लें। राजभाषा नीति के अनुपालन में ये समितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें वर्ष में दो बार होती हैं और इसमें राजभाषा विभाग के अधिकारी भी भाग लेते हैं और सभी उपस्थित अधिकारियों का हिन्दी कार्यान्वयन की दिशा में उचित मार्गदर्शन करते हैं। इसके साथ-साथ वे उस नगर में स्थित कार्यालयों का हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी निरीक्षण भी करते हैं। गत वर्ष में काफी संख्या में निरीक्षण हुए हैं और इससे स्थिति काफी हद तक स्पष्ट हुई है। पाई गई कमियों के संबंध में समुचित निदेश दिए गए हैं।

राजभाषा विभाग प्रति वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है तथा सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सरकारी उपक्रमों से यह अपेक्षा रखता है कि उसका उचित रूप से अनुपालन हो।

तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा तथा निरीक्षणों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि **अभी तक हम अपने निर्धारित लक्ष्य से बहुत दूर हैं। इसके लिए हमें निष्ठापूर्वक प्रयत्न करना होगा, तभी इसमें सफलता मिल सकती है।**

सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग तथा इसके कार्यान्वयन का प्रश्न आज बहुत महत्वपूर्ण है। सरकारी आदेशों के होते हुए भी आज राजभाषा अधिनियम तथा अन्य नियमों का पूरी तरह से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। जैसे हम सरकार के अन्य अधिनियमों तथा नियमों का पालन करते हैं वैसे ही राजभाषा अधिनियम तथा इसके नियमों का हमें पालन करना चाहिए।

यह प्रश्न केवल कानून के अनुपालन का नहीं है, इसका संबंध देश की गरिमा से भी है। हिन्दी के प्रयोग का कार्य राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने गौर किया होगा कि सभी विकसित देश अपनी अपनी भाषा में कामकाज करते हैं तभी जनता से उनका सीधा सम्पर्क होता है और विश्व समाज में उनका व्यक्तित्व उभरता है। प्रत्येक गौरवशाली देश की अपनी भाषा होती है---जिस पर उसे गर्व होता है। उसमें कार्य करना सुविधाजनक तो है ही, इसके साथ-साथ पुनीत कार्य

भी है। सभी को अंग्रेजी में काम करने की आदत पड़ गई है। स्वतन्त्रता के 36 वर्ष बाद भी यह प्रवृत्ति छूट नहीं रही है। इसीलिए सरकारी आदेशों के होते हुए भी कर्मचारी हिन्दी में काम करना आरम्भ नहीं कर पाते। आप हिन्दी में काम करना आरम्भ तो करें—धीरे-धीरे यह काम आपसे आप सहज होता जाएगा। झिझक को छोड़कर आगे बढ़ें—मार्ग स्वयं प्रशस्त होता जाएगा। इसमें सभी कर्मचारियों का योगदान अत्यन्त आवश्यक है। ज्यों ज्यों यह भावना पैदा होती जाएगी त्यों त्यों राजभाषा हिन्दी का कार्यान्वियन सहज होता जाएगा।

हिन्दी में काम करने वालों के लिए कई प्रकार की प्रोत्साहन योजनाएं भी हैं। पुरस्कार योजना के अन्तर्गत ठीक प्रकार से लाभ उठाया नहीं जा रहा हैं। सभी सचिवों तथा विभागाध्यक्षों से अपेक्षा की जाती है कि हिन्दी में काम करने वालों के लिए पुरस्कार योजना लागू करें तथा उन्हें प्रोत्साहित करें। इसे और सरल बनाने के लिए एक प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है। शीघ्र ही इसकी स्वीकृति की आशा है।

द्विभाषी टाइपिस्टों तथा आशुलिपिकों को प्रोत्साहन देने की योजना भी 15 अगस्त, 1983 से लागू कर दी गई है। आपको सुनकर खुशी होगी कि योजना आयोग ने राजभाषा विभाग के प्रोग्रामों को योजनागत स्वीकार कर लिया है और इस साल कुछ फण्ड भी स्वीकृत किया गया है। हिन्दी के प्रगामी प्रयोग और प्रोत्साहन से संबंधित सात योजनाओं पर विचार हो रहा है और इनके प्रभावी परिणाम निकलने की आशा है।

हिन्दी के स्वरूप का प्रश्न भी आज महत्वपूर्ण है। इस विषय में कुछ भ्रामक धारणायें भी प्रचलित हैं—भारत सरकार की नीति स्पष्ट है—**राजभाषा हिन्दी सरल, सहज और सुबोध होनी चाहिए, जिसे सब लोग आसानी से समझ लें। अन्य भाषाओं के शब्दों का भी इसमें समावेश होना चाहिए।** भाषा बहते हुए नीर की भांति है। इसका प्रवाह रुकना नहीं चाहिए। **कामकाज की हिन्दी ऐसी होनी चाहिए, जो सभी भाषाओं के प्रचलित शब्दों को अपने में समेटती हुई अबाध गति से आगे बढ़ती जाए।**

हिन्दी के प्रयोग में यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि भाषा बोझिल न हो। अनुवाद का कम से कम सहारा लिया जाना चाहिए। आवश्यक प्रपत्रों में अनुवाद का सहारा लिया जा सकता है परन्तु अन्य कामकाज में मूलरूप से हिन्दी में लिखने की प्रवृत्ति को बढ़ाना चाहिए। तकनीकी अथवा वैज्ञानिक शब्दावली की आड़ में हिन्दी के विकास में बाधा उपस्थित नहीं की जानी चाहिए। यहां पर यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि हिन्दी का अन्य किसी भाषा से विरोध नहीं है। सभी क्षेत्रीय भाषायें अपने अपने क्षेत्र में राजभाषाएं हैं। सरकार उन सभी के लिए सार्थक कदम उठा रही है, **इस संदर्भ में भी हिन्दी को सम्पर्क भाषा की भूमिका निभानी है।**

हिन्दी कार्यान्वियन का कार्य सहज नहीं है। इसके कार्यान्वियन का दायित्व सरकार के किसी एक मंत्रालय का न होकर सभी मंत्रालयों और विभागों का है। आप सब से मेरा अनुरोध है कि राजभाषा नीति के अनुसार हिन्दी कार्यान्वियन के कार्य को बड़ी गम्भीरता से लें तथा सरकारी नियमों का दृढ़ता से अनुपालन कराएं। निष्ठापूर्वक इस कार्य में जुट जाएं। समस्याओं की चिन्ता न करते हुए, साहस, दृढ़ता, निष्ठा से हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमें अवश्य सफलता मिलेगी और हम अपनी मंजिल पर शीघ्र पहुंचेंगे। अन्त में सभी पुरस्कार विजेताओं को फिर से हार्दिक बधाई देते हुए, मैं आप सबों से अनुरोध करता हूं कि अन्य मंत्रालय एवं विभाग तथा केन्द्रीय कार्यालय और उपक्रम सभी इनका अनुसरण करें तथा हिन्दी कार्यान्वियन की प्रक्रिया में सहायक बनें। □□□

माननीय गृहमंत्री श्री प्रकाश चन्द सेठी पूर्ति एवं पुनर्वास मंत्रालय के संयुक्त सचिव को 'राजभाषा शील्ड' प्रदान करते हुए।

"हिन्दी को प्रतिष्ठित करने का दायित्व जनता का भी है"

—श्री निहार रंजन लस्कर,
गृह राज्य मंत्री

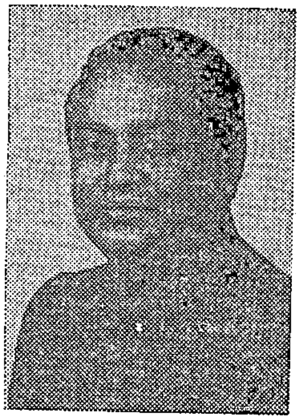

['हिन्दी दिवस' के अवसर पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग में दिया गया भाषण। —संपादक]

हिन्दी दिवस के अवसर पर आपने मुझे इस समारोह का उद्घाटन करने के लिये आमंत्रित किया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हिन्दी साहित्य सम्मेलन लगभग 75 वर्षों से हिन्दी के विकास, प्रचार और प्रसार के कार्यों में लगा हुआ है। इसके माध्यम से वह राष्ट्र और संस्कृति दोनों की ही सेवा करता आ रहा है। वस्तुतः राष्ट्र की समृद्धि में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। भाषा के ही माध्यम से वह अपने को अभिव्यक्त करता है और अपनी कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करता है। शताब्दियों तक यह कार्य संस्कृत भाषा ने किया था और आज हिन्दी इसे पूरा कर रही है। हिन्दी वह भाषा है जिसे हमारे देश की लगभग 70 प्रतिशत से अधिक जनता बोलती और समझती है। इस भाषा में देश की धार्मिक और सांस्कृतिक परम्पराओं को व्यक्त करने की पूरी क्षमता है। इसकी सरलता एवं व्यापकता को देखते हुए ही इसे भारत सरकार की राजभाषा बनाया गया है।

हिन्दी दिवस के अवसर पर आज हमें यह संकल्प लेना है कि देश की संस्कृति और भावनात्मक एकता को बढ़ाने और राष्ट्रीय भावना को सुदृढ़ करने के लिए हमें ईमानदारी के साथ राजभाषा हिन्दी को उसके पद पर सही अर्थों में स्थापित करना है। इस कार्य में जहां रुकावटें आ रही हैं उन्हें सद्भावना और प्रेम से दूर करना है और पूरे देश की जनता को साथ लेकर चलना है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन के कर्णधार स्वर्गीय पंडित मदन मोहन मालवीय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन, डा० राजेन्द्र प्रसाद जैसे मनीषी राष्ट्रभक्त इसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़े थे। आज हमें उनके सपनों को साकार करना है। आज सरकार की ओर से, संसद की ओर से, प्रशासन की ओर से हिन्दी में पर्याप्त काम काज करने पर कोई रोक नहीं है। फिर भी हिन्दी में पर्याप्त काम नहीं हो पा रहा है। जन-जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में यदि आज हिन्दी प्रतिष्ठा नहीं पा रही है तो उसका कारण यह है कि अंग्रेजी में कार्य करने का अभ्यास होने के कारण लोग हिन्दी की तरफ जरूरत के अनुसार नहीं बढ़ पाये हैं।

जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, हिन्दी के विकास, प्रचार-प्रसार और प्रयोग के लिये सक्रियता एवं तत्परता के साथ कार्रवाई की जा रही है। संविधान की हिन्दी सम्बन्धी धाराओं के पालन के लिये सरकार की तरफ से बराबर कोशिश की जा रही है। इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1963 में राजभाषा अधिनियम और वर्ष 1976 में राजभाषा नियम बनाए गए थे। राजभाषा नियमों के अनुसार सारे देश को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है ताकि जिस क्षेत्र में हिन्दी का अधिक प्रचलन है वहां अधिक कार्य किया जा सके और जहां इसका कम प्रचलन है वहां कम कार्य किया जाए तथा जहां अभी तक हिन्दी का अधिक प्रचलन नहीं है, वहां इसका प्रयोग करने के लिए आवश्यक तैयारियां की जाएं। "क" क्षेत्र के अन्तर्गत बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली के राज्य आते हैं। "ख" क्षेत्र में पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात तथा चण्डीगढ़ एवं अण्डमान प्रशासन को रखा गया है। शेष राज्यों को "ग" क्षेत्र में रखा गया है। प्रतिवर्ष वार्षिक कार्यक्रम बनाकर संघ सरकार के कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं। ऐसी व्यवस्था की गई है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से "क" क्षेत्र के राज्यों के साथ हिन्दी में ही पत्र-व्यवहार किया जाए। इन राज्यों को भेजे जाने वाले तार भी कम से कम 25 प्रतिशत देवनागरी में भेजे जाएं। इस प्रकार का भी प्रबन्ध किया गया है कि "क" क्षेत्र में आयोजित भरती परीक्षाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिन्दी का प्रयोग किया जाए और प्रशिक्षण केन्द्रों में भी हिन्दी के माध्यम से प्रशिक्षण देने की कार्रवाई की जाए। हिन्दी में लिखे प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में देना अनिवार्य है और इस आदेश का विभिन्न मंत्रालय पूरी तरह अनुसरण कर रहे हैं। राजभाषा अधिनियम तथा नियमों के अनुसार कुछ सरकारी दस्तावेज जैसे—संकल्प,

सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक रिपोर्टें, करार आदि को हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप से जारी करना अनिवार्य है। इस व्यवस्था का पहले पूरी तरह पालन नहीं हो पा रहा था किन्तु पिछले वर्षों में ऐसी व्यवस्था की गयी है जिससे अब ये सभी दस्तावेज अधिकांशत: दोनों भाषाओं में जारी किए जाने लगे हैं।

हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने में सभी वर्गों के लोगों का सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से जनता के अधिक सम्पर्क में आने वाले 27 मंत्रालयों में हिन्दी सलाहकार समितियां बनाई गई हैं। इन समितियों के अध्यक्ष संबंधित मंत्रालयों के मंत्री होते हैं। इनमें संसद सदस्यों, हिन्दी के विशिष्ठ विद्वानों आदि के अतिरिक्त मंत्रालय के सभी संबंधित एवं अधीनस्थ कार्यालयों, उद्यमों, निगमों आदि के वरिष्ठतम अधिकारी सदस्य के रूप में भाग लेते हैं। हर तीन महीने में इन समितियों की बैठकें होती हैं जिनमें मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के उपायों पर विस्तार से विचार किया जाता है और कार्रवाई की जाती है। पहले ये बैठकें, शीघ्र नहीं हो पाती थीं किन्तु अब ऐसी व्यवस्था की गई है कि इनकी बैठकें निर्धारित समय पर की जाएं और समस्याओं का समाधान निकाला जाए। इनके अतिरिक्त देश भर के 58 बड़े नगरों में, जहां केन्द्रीय सरकार के दस से अधिक कार्यालय हैं, नगर राजभाषा कार्यान्वियन समितियां बनाई गई हैं। इन समिति ों में भी नगर के सभी केन्द्रीय कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होते हैं और निर्धारित समय पर बैठकें करके सामूहिक विचार-विमर्श द्वारा अपने नगर में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने का उपाय करते हैं।

वर्तमान युग विज्ञान का युग है। आज यांत्रिक साधनों की सहायता से सभी कार्य शीघ्र गति से किये जा रहे हैं। हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए भी इन यांत्रिक साधनों का विकास और उपयोग किया जा रहा है। देवनागरी के सामान्य टाइपराइटरों के उत्पादन में तो वृद्धि की ही गई है, हिन्दी के इलैक्ट्रिक टाइपराइटरों, टेलीप्रिन्टरों, कम्प्यूटरों, पता-लेखी मशीनों आदि के उत्पादन पर भी काफी जोर दिया गया है।

सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के लिये कई प्रकार के प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। हिन्दी की परीक्षा पास करने पर वेतन-वृद्धि और नकद पुरस्कार दिए जाते हैं। अभी पिछले महीने में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने वाले आशुलिपिकों और टाइपिस्टों को प्रतिमास क्रमश: रु० 30/- और रु० 20/- प्रोत्साहन पुरस्कार देने की व्यवस्था की गई है। शीघ्र ही मंत्रालयों में एक ऐसी योजना लागू करने का प्रयास है जिससे यदि कोई हिन्दी भाषी कर्मचारी अपने दैनिक कार्य का दो-तिहाई भाग हिन्दी में करता है तो उसके वेतनमान के अनुसार उसे रु० 100/-, रु० 75/- या रु० 50/- का प्रतिमास प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जायेगा। अहिन्दी भाषी कर्मचारियों को यह राशि अपने कार्य का एक-तिहाई भाग हिन्दी में करने पर ही प्राप्त हो जाएगी। आशा है इन प्रोत्साहन योजनाओं के कारण हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने में काफी सहायता मिलेगी।

भारत सरकार के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से कुछ योजनाओं को छठी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है। इसके अन्तर्गत राजभाषा नीति का पालन कराने की मशीनरी को सुदृढ़ करने, हिन्दी शिक्षण योजना का विस्तार करने एवं हिन्दी शिक्षण संस्थान की स्थापना करने, प्रशासनिक साहित्य के अनुवाद कार्य की मात्रा को बढ़ाने, अनुवाद के प्रशिक्षण का समुचित प्रबन्ध करने तथा अनुसंधान से संबंधित योजनाओं को शामिल किया गया है। इन योजनाओं को योजना आयोग द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है और अब इनके वित्तीय पहलू पर विचार करके इन्हें कार्यान्वित करने की कार्रवाई की जा रही है।

हिन्दी का प्रचार और प्रसार भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विश्व के अनेक देशों में भी हो रहा है। आज विश्व के लगभग 90 विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाई जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन इसी वर्ष अक्तूबर मास में आयोजित करने का प्रस्ताव है। आशा है इस प्रकार के सम्मेलनों से न केवल हिन्दी की भाषा के रूप में प्रगति होगी परन्तु उसके व्यावहारिक रूप के विकास में समन्वय करने का अवसर मिलेगा। हमें पूरा विश्वास है कि जैसे हिन्दी हमारे अपने देश में अन्य भाषाओं की बड़ी बहन के रूप में उभरी है, और उसके विकास में देश की समस्त भाषाओं का सहयोग वांछनीय है, उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका विकास अपेक्षित होगा।

यह प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी के प्रयोग में निरन्तर वृद्धि हो रही है। किन्तु अभी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें लम्बा रास्ता तय करना है। इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हिन्दी को सभी क्षेत्रों में प्रतिष्ठित करने का दायित्व सरकार के साथ-साथ जनता का भी है। यदि सार्वजनिक स्तर पर पूरे देश में न सही, हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों में भी हिन्दी का प्रयोग व्यापार, वाणिज्य और सार्वजनिक जीवन में होने लगे तो सरकारी कार्यालय भी इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। उन्हें परस्पर सम्पर्क के लिये हिन्दी में कार्य करना ही होगा और जब हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों में हिन्दी की स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी तो इसका "ख" और "ग" क्षेत्र के राज्यों पर भी व्यापक प्रभाव पड़ेगा और वे भी राष्ट्रीय धारा में सम्मिलित होने के लिए अधिक से अधिक हिन्दी का प्रयोग करेंगे। इस दिशा में हिन्दी प्रेमियों, हिन्दी भाषा-भाषियों, हिन्दी भाषी राज्यों और हिन्दी सेवी संस्थाओं आदि सभी को पहल करनी पड़ेगी। हिन्दी साहित्य सम्मेलन निरन्तर इस कार्य में अग्रणी रहा है। आज के इस अवसर पर जहां मैं आपसे और जनता से अपील

करूंगा कि आप अपने दैनिक कार्य में हिन्दी का प्रयोग बढ़ायें, वहीं हिन्दी साहित्य सम्मेलन से भी अनुरोध करूंगा कि वह सबका सहयोग लेते हुए हिन्दी के विकास, प्रचार और प्रसार की अपनी योजनाओं को अधिक तीव्र गति से लागू करें।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था है। वर्ष 1910 में इसकी स्थापना के बाद से देश के प्रतिष्ठित विद्वानों और राष्ट्रनायकों का इसे सहयोग प्राप्त रहा है। हिन्दी के क्षेत्र में इसकी सेवाएं अविस्मरणीय हैं। इसी मंच के माध्यम से भारतरत्न राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन ने हिन्दी को भारत सरकार की राजभाषा बनाने का सराहनीय कार्य किया है। मैं सम्मेलन के सभापति डा० हरवंश लाल शर्मा, प्रधान मंत्री श्री प्रभात शास्त्री तथा अन्य पदाधिकारियों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे हिन्दी दिवस समारोह का उद्घाटन करने तथा इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया है। □

"......अधिकार प्राप्त लोग प्रायः यह भूल जाते हैं कि अब ऊपर वालों की कृपा से शक्ति का स्राव नीचे नहीं जा रहा है बल्कि साधारण जनता के स्तर से शक्ति ऊर्ध्वगामी होकर बह रही है। कितने दिनों तक जन-शक्ति की उपेक्षा की जायेगी ? बहुत शीघ्र अंग्रेजी साहित्य बालू की भीत की तरह ढह जायेगा। धीरे-धीरे किन्तु निश्चित रूप से देश यह अनुभव करने लगा है कि हर क्षेत्र में हमें स्वावलम्बी होना है, भाषा के क्षेत्र में भी। ऊपर बैठे लोगों को जितनी जल्दी यह बात समझ में आ जाए, उतना ही अच्छा है। मेरा विश्वास है कि बहुत जल्दी ही वह स्थिति आने वाली है कि हिन्दी की उपेक्षा करने वाले स्वयं उपेक्षित हो जाएंगे और इस देश की भाषाएं और उनसे संपर्क बनाए रखने वाली प्रमुख भाषा हिन्दी अपना अधिकार प्राप्त करेगी। अन्तर्राष्ट्रीय मर्यादा उसे अभी ही प्राप्त हो गई है। विश्व-मंच पर राजनीतिक-मर्यादा भी उसे बहुत जल्दी ही प्राप्त होगी। उसको रोका नहीं जा सकता। आशा करनी चाहिए कि इस देश के बुद्धिमान लोग इतिहास विधाता का अंगुलि-निर्देश समझ सकेंगे।"

—आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी
(विश्व भाषा हिन्दी लेख का अंश)

विदेशों में हिन्दी

—डा० भोला नाथ तिवारी
ई 4/23 माडल टाऊन, दिल्ली

'विदेशों में हिंदी' पर जब हम विचार करते हैं तो हमारा ध्यान कई बातों की ओर जाता है। पहली बात तो यह कि विदेशों में हिन्दी कहां-कहां बोली जाती है, दूसरी यह कि भारत के बाहर विभिन्न विश्वविद्यालयों, संस्थानों और संस्थाओं में हिंदी कहां-कहां पढ़ाई जाती है और तीसरे यह कि विदेशों में कहां-कहां से हिंदी की पत्र-पत्रिकाएं निकलती हैं। यहां इन तीनों ही को क्रमशः लिया जा रहा है।

भारत के बाहर हिंदी थोड़े या अधिक लोगों के द्वारा अनेकानेक देशों में बोली जाती है। इस प्रसंग में सबसे पहले हमारा ध्यान मारीशस की ओर जाता है। वहां हिंदी भाषी 'गिरमिटिया मजदूर' के रूप में 1835 में गए थे। इस समय वहां हिंदी बोलने वालों की संख्या कई लाख है तथा उस देश में इन्हीं लोगों का बहुमत है, इसीलिए भारतीय मूल के व्यक्ति ही यहां प्रधानमन्त्री चुने जाते रहे हैं। वहां की हिंदी पर हिंदी बोली 'भोजपुरी' का काफ़ी प्रभाव है, क्योंकि जो लोग वहां गए थे उनमें अधिकांश भोजपुरी क्षेत्र (पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार) के ही थे। साथ ही मारीशस के प्राचीन यूरोपीय शासकों के कारण मारीशस की हिंदी पर फ़्रांसीसी तथा मारीशस की सामान्य भाषा क्रियोल का भी कुछ प्रभाव है। इन प्रभावों के बावजूद वहां के हिंदी लेखकों जैसे अभिमन्यु अनत के उपन्यासों आदि की हिंदी उन प्रभावों से काफ़ी मुक्त है तथा कुछ स्थानीय तत्वों की बात छोड़ दें तो वह काफी मानक है।

इस दृष्टि से मारीशस के बाद हमारा ध्यान फ़ीजी की ओर जाता है। फ़ीजी प्रशांत महासागर का एक देश है, जो छोटे-बड़े अनेक द्वीपों का समूह है। इसकी आबादी पांच लाख से ऊपर है, जिनमें प्रायः पौने तीन लाख लोग (कुल जनसंख्या के 53 प्रतिशत) हिंदी भाषी हैं। इन में ज्यादातर लोग पश्चिमी बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं तथा उनकी भाषा मुख्यतः भोजपुरी है। यों उसमें अवधी के भी तत्व हैं क्योंकि कुछ लोग अवध प्रदेश से भी वहां गए थे। वहां के भारतीय लोगों में कुछ थोड़े लोग गुजरात, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु के भी हैं, जो प्रायः हिंदी भाषियों में ही घुल-मिल गए हैं और प्रायः फ़ीजी हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। इधर आधुनिक भारत के संपर्क से खड़ी बोली का प्रयोग भी वहां काफी बढ़ा है। हिंदी फिल्मों तथा पत्र-पत्रिकाओं ने भी वहां हिंदी प्रचार का काफी कार्य किया है।

पहले हम संकेत कर चुके हैं कि वहां की हिंदी में भोजपुरी तत्व काफी हैं। उदाहरण के लिए "उजला" के लिए "उज्जर", "काला" के लिए "करिया", "सोमवार" के लिए "सोमार", "मंगलवार" के लिए "मंगर", "कल" के लिए "विहान", "चावल" के लिए "चाउर", "गला" के लिए "गटई", "नजदीक" के लिए "नगीच" तथा "बीज" के लिए "बीया" आदि। भोजपुरी का प्रभाव वहां की हिंदी के व्याकरण पर भी पड़ा है। उदाहरण के लिए वहां के लोग "ने" का प्रयोग प्रायः नहीं करते: "हम यह स्कूल में सीखा", "तुम भैया को बताया"। ऐसे ही वहां की हिंदी में लिंगीय शिथिलता भी भोजपुरी प्रभाव है। कुछ अवधी तत्व भी वहां हिंदी के शब्दभंडार में मिलते हैं जैसे "सिर" के लिए "मूड़"। ऐसे ही व्याकरण पर भी प्रभाव है। जैसे "उन लोगों ने ख़रीदा" के लिए "ऊ लोग ख़रीदिन"। यों इधर खड़ी बोली का प्रभाव शब्द-भंडार तथा व्याकरण दोनों में परिवर्तन ला रहा है, और मानक हिंदी का प्रचार वहां बढ़ता जा रहा है।

सूरीनाम दक्षिणी अमरीका का एक तटवर्ती देश है। उसे पहले "डच गुयाना" कहते थे। वहां की जनसंख्या साढ़े चार लाख है, जिनमें आधे लोग भारतवंशी हैं, बाकी आधे में नीग्रो, चीनी, जापानी, रेड इंडियन तथा मलाई गोरे आदि हैं। वहां भारतीय लोग 1873 में गए थे। सूरीनामी भारतीयों में अधिसंख्यक लोग भोजपुरी प्रदेश के हैं, इसीलिए सूरीनामी हिंदी में भोजपुरी का प्राधान्य है। यों उसमें डच तत्व भी हैं, क्योंकि वहां के शासक हालैंड के रहे हैं तथा इसीलिए अब लाखों की संख्या में हिंदी भाषी हालैंड भी पहुंच गए हैं। यों तो पहले वहां की हिंदी मुख्यतः भोजपुरी थी, किंतु अब भारत के संपर्क के कारण खड़ी बोली का भी प्रचार हो गया है, यद्यपि शब्दावली में भोजपुरी तत्व जैसे "घुठना" के लिए "ठेंघुना", "पैर" के लिए "गोड़", "आटा" के लिए "पिसान" तथा "वहां" के लिए "हुवां" अब भी हैं। हिंदी फिल्में भी वहां जाने लगी हैं तथा कई हिंदी पत्र-पत्रिकाएं भी वहां बड़े चाव से पढ़ी जाती हैं। वहां की

हिंदी में प्रयुक्त कुछ डच शब्द "बैठक" के अर्थ में "फ़ेर-ज़ाल" "कबूतर" के लिए "दोइफी" तथा "बनियान" के लिए "बोसरोको" आदि है। सूरीनामी हिंदी को वहां के लोग प्रायः "सरनामी" भी कहते हैं।

गुयाना दक्षिणी अमेरिका का देश है, जहां लगभग 55 प्रतिशत आबादी भारतीय मूल की है। यहां के यूरोपीय अंग्रेज़ी बोलते हैं। नीग्रो क्रियोल (जिसमें अंग्रेजी आधार भाषा है और उसमें नीग्रो लोगों की भाषा पुर्तगाली तथा चीनी के तत्वों का मिश्रण है) बोलते हैं, जिसे वहां प्रायः सभी निवासी समझ-बोल लेते हैं तथा अब यही वहां की सामान्य भाषा है। वहां के भारतीय मूल के लोगों में यों तो कुछ मात्रा में तमिल का भी प्रयोग होता है, किंतु मुख्यतः उनकी भाषा भोजपुरी हिंदी ही है। 1920 तक यह भोजपुरी ही वहां के भारतीय समाज की सामान्य भाषा थी, किंतु उसके बाद राजनीतिक तथा अन्य कारणों से स्थिति बदली और भारतीय समाज में भी क्रियोल का बोलबाला हो गया। यों अब भी वहां भोजपुरी हिंदी है किंतु धीरे-धीरे उसे बोलने और समझने वाले प्रायः कम होते जा रहे हैं। ये लोग अपनी भाषा को "हिंदी" "हिंदुस्तानी" या "टूटलभाखा" ("टूटी भाषा" का भोजपुरी रूपांतर) कहते हैं। वैसे वहां भोजपुरी के साथ-साथ भारत से संपर्क के कारण खड़ी बोली का भी प्रयोग हो रहा है। उदाहरण के लिए पंडित लोग कथा-वार्ता में इसी का प्रयोग अब करने लगे हैं। हिंदी फिल्में वहां अत्यंत लोकप्रिय हैं तथा उनके माध्यम से खड़ी बोली हिंदी वहां अधिकाधिक प्रचलित होती जा रही है। वहां की हिंदी में स्वभावतः अंग्रेज़ी तथा क्रियोल के शब्दों का मिश्रण है, किंतु भोजपुरी शब्द अपेक्षाकृत ज्यादा हैं। उदाहरण के लिए सील-लोरहा (सील-लोढ़ा), नीमक (नमक), हरदी (हल्दी), जोखा (भुर्ता), फुलौरी (पकौड़ी), सिउ (शिव), आजा (दादा), भउजी (भाभी), दुअरपूजा (द्वारपूजा), छूछी (नाक की कील) आदि।

दक्षिणी अमरीका का ही एक दूसरा देश त्रिनिदाद है। 1865 के आसपास यहां 213 भारतीय ले जाए गए थे। अब इनकी संख्या वहां तेरह-चौदह लाख है जिनमें समय-समय पर "होली खेलेंगे रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा" तथा "बंसीवारै बिरज मत जइयो" जैसे लोकगीत आनन्द-विभोर होकर गाए और सुने जाते हैं। यहां अंग्रेज़ी का प्रचार अधिक है अतः यहां की हिंदी उससे काफ़ी प्रभावित है। यहां तक कि उच्चारण भी। जैसे 'चितचोर यशोदा के बाल को ये लोग 'चिटचोर यशोदा के बाल' गाते हैं। ऐसे ही 'तुम' को 'टुम', 'दाता' को "डाटा", 'जगत के तारनहारे' को "जगट के टारनहारे" कहते हैं। कबीर, सूर, मीरा, तुलसी के भजन यहां बहुत लोकप्रिय हैं। यहां भी हिंदी फ़िल्में काफ़ी देखी जाती हैं। त्रिनीदादी हिंदी में भी भोजपुरी तत्व काफ़ी हैं।

सोवियत संघ में ताजिकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान की सीमा पर भी कुछ लोग एक प्रकार की मिश्रित हिंदी बोलते हैं। इस हिंदी का कोई नाम नहीं है, अतः मैंने इस "ताजुज्बेकी"[1] नाम दिया है तथा इसका पूरा विवरण इसी नाम की अपनी पुस्तक में प्रकाशित किया है। ताजुज्बेकी हिंदी पर पंजाबी, पश्तो, ताजिक, उज्बेक तथा रूसी का काफ़ी प्रभाव है, उसका आधार हिंदी ही है, जिसका अनुमान आगे दिए कुछ शब्दों के आधार पर सरलता से लगाया जा सकता है। "एक" को ये लोग "याक", "दो" को "दू", "चार" को "चार", "पांच" को "पंज" तथा "बीस" "विस" और "पौन" को "पउन" कहते हैं। इन लोगों के बड़े-बूढ़े तो यह विशेष हिंदी अच्छी तरह बोल लेते हैं किंतु नई पीढ़ी इसे प्रायः भूल चली है। प्रायः इन लोगों को यह पता नहीं है कि ये हिंदी बोलते हैं। ये अपनी भाषा को प्रायः अफ़गानी कहते हैं। अब ये रूसी, ताजिक और उज्बेक बोलने लगे हैं तथा हिंदी जानने वालों की संख्या कम होती जा रही है। मैंने 1963 में सर्वेक्षण किया था तो इनकी संख्या लगभग पांच हज़ार थी।

दक्षिणी अफ्रीका में कुल चार प्रांत हैं: नेटाल, ट्रांसवाल, केप तथा ओरेंज फ्री स्टेट। इन चारों में अंतिम में तो प्रायः केवल गोरे रहते हैं, किंतु अन्य तीन में मुख्यतः अफ्रीकी तथा भारतीय हैं। भारतीयों में लगभग आधे तो हिंदी भाषी हैं तथा शेष तेलगू, गुजराती तथा तमिल आदि भाषाएं बोलते हैं। भारतीय मूल के लोगों में गुजराती अपनी भाषा के प्रति सर्वाधिक सजग हैं। दक्षिणी अफ्रीका के हिंदी भाषी प्रायः पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार के हैं, अतः उनकी भाषा मूलतः भोजपुरी है तथा वे लोग आपस में औपचारिक अवसरों पर हिंदी तथा अनौपचारिक अवसरों पर भोजपुरी बोलते हैं। ऐसे कुछ अफ्रीकी भी भोजपुरी हिंदी बोलते हैं जिनको अंग्रेज़ी ठीक से नहीं आती। वहां की हिंदी में अंग्रेजी के काफ़ी शब्दों का प्रवेश हो गया है, यहां तक कि संख्यावाचक विशेषणों का भी। उदाहरण के लिए भोजपुरी भाषी प्रायः कहते सुने जाएंगे—

ई त फ़िफ्टी सेंट्स क ह

अर्थात् 'यह तो फ़िफ्टी सेंट्स का है'। ऐसे ही क्रिया विशेषण भी काफ़ी आ गए हैं। संज्ञा तथा विशेषण तो आए ही हैं। कभी-कभी अजीब मिश्रण यहां की हिंदी में मिलता है—

तू प्लीज़ होकर ई काम करना

1. ताजुज्बेकी—डा० भोला नाथ तिवारी, नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1870।

अर्थात् 'आप कृपया यह काम कीजिएगा'। यहां की हिंदी में कई हिंदी शब्दों का अर्थ बिल्कुल ही बदल गया है। जैसे "मस्ती" का अर्थ "शैतानी" है तो "दिल" का अर्थ "तबीयत" है। जैसे "येकर दिल ख़राब ह" का अर्थ है "इसकी तबीयत ख़राब है"।

ये कुछ मुख्य देश थे जहां हिंदी भाषी रहते हैं और जो हिंदी बोलते हैं। कुछ गौण देश जमाइका, बरमा, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, कीनिया, ब्रिटेन, अमेरिका तथा कनाडा आदि हैं, जहां हिंदी भाषी रहते हैं तथा हिंदी बोलते भी हैं।

विदेशों में हिंदी के प्रसंग में इससे आगे चलकर हमारा ध्यान इस बात की ओर जाता है कि विदेशों में हिंदी की पढ़ाई की व्यवस्था कहां-कहां है? ऐसे देशों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। पहला वर्ग जो उन देशों का है जहां हिंदी प्रायः मातृ भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है और दूसरा वर्ग उन देशों का है जहां हिंदी की शिक्षा विदेशी भाषा के रूप में दी जाती है। जहां तक मातृभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण का संबंध है, इसकी व्यवस्था मुख्यतः उन देशों में है जिन पर ऊपर विस्तार से विचार किया गया है अर्थात् मारिशस, फीजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद आदि। अपवाद सोवियत संघ हैं, जहां ताजुज्बेकी-भाषियों को इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाती, और कदाचित् उन लोगों को इसकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वे अब अपनी भाषा छोड़कर सभी दृष्टियों से स्थानीय लोगों में मिलते जा रहे हैं। इस प्रसंग में कुछ देशों में हिंदी शिक्षा -व्यवस्था पर कुछ विस्तार से प्रकाश डालना अयथा न होगा।

त्रिनिदाद में हिंदी-शिक्षण की व्यवस्था कई प्रकार की है। एक तो वहां की सनातन धर्म महासभा, आर्य प्रतिनिधि सभा तथा कबीर पंथ के लगभग पचपन स्कूल हिंदी की शिक्षा देते हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य परिषद् की विभिन्न शाखाओं की ओर से भी हिंदी-शिक्षण की व्यवस्था है। इनके अतिरिक्त वहां दूरदर्शन तथा रेडियो के हिंदी कार्यक्रम भी हिंदी की व्यावहारिक शिक्षा देते हैं। इधर भारतीय उच्चायोग की ओर से भी त्रिनिदाद के अनेक भागों में हिंदी कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं।

गुयाना में भाई परमानंद, महता जैमिनी तथा प्रो० भास्करानंद आदि के प्रयास से हिंदी सीखने का वातावरण बना था। इधर प्रो० उदयनारायण तिवारी के प्रयास से हिंदी प्रचार सभा स्थापित हुई है, जिसकी प्रेरणा से लगभग एक दर्जन पाठशालाएं तथा पुस्तकालय चल रहे हैं। प्रयास यह भी हो रहा है कि स्कूलों में हिंदी शिक्षण की नियमित व्यवस्था हो। सभा ने अब अपनी एकाधिक शाखाएं खोल ली हैं, और हिंदी का भविष्य वहां काफी उज्ज्वल है।

फ़ीजी में हिंदी पठन-पाठन बहुत पहले से हो रहा है। पहले प्रायः यह देखा जाता रहा है कि प्रत्येक पढ़ा-लिखा व्यक्ति अपना कुछ समय निकाल कर लोगों को हिंदी सिखाता रहा है। फिर धीरे-धीरे भारतीय स्कूल खुलते गए तथा उनमें हिंदी-शिक्षण की व्यवस्था होती गई। ईसाई पादरियों ने भी इसमें कुछ सहायता दी। इस समय वहां प्रायः तीन सौ प्राथमिक और तीस माध्यमिक स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाती है। सूवा स्थित टीचर्स कालिजों में भी छात्र-अध्यापकों को हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था है। इनके अतिरिक्त भारतीय हाई कमीशन में भी कक्षाएं लगती रही हैं। यों वहां से उच्च कक्षाओं में हिंदी पढ़ने के लिए लोग भारत भी आते रहे हैं। 1980 से सनातन धर्म सभा के प्रयास से स्पेनी तथा फ्रांसीसी की तरह हिंदी भी विद्यालयों में पढ़ाई जाने लगी है।

मारीशस में हिंदी के प्रचार और शिक्षण के लिए पहले तो वहां के हिंदी-भाषियों को संघर्ष करना पड़ा, किंतु धीरे-धीरे हिंदी को मान्यता मिली और बाद में उस देश के स्वतंत्र होने पर तो वहां हिंदी भाषी नेता ही प्रधान मंत्री होते रहे हैं, जिनकी छत्रछाया में हिंदी-शिक्षण संतोषजनक रूप में चारों ओर चल रहा है। वहां के कुछ लोगों ने भारत में आकर हिंदी में एम०ए० तथा पीएच० डी० भी की है।

सूरीनाम में पहले तो डच के ही शिक्षण की व्यवस्था थी, किंतु सबसे पहले ईसाइयों ने अपने स्कूलों में हिंदी पढ़ानी शुरू की, फिर सनातन धर्म और आर्य समाज संस्थाओं की ओर से हिंदी-शिक्षण की व्यवस्था की गई, जो बहुत संतोषजनक नहीं थी। इधर पं० शिवरत्न ने वहां हिंदी का एक प्रेस खोला है तथा श्री बृहस्पति नारायण ने हिंदी सिखाने के उद्देश्य से हिंदी-डच तथा डच-हिंदी कोश का संपादन किया है तथा हिंदी सीखने-सिखाने के लिए कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित की हैं। यों स्कूलों के स्तर पर अभी भी वहां हिंदी-शिक्षण की व्यवस्था नहीं है, किंतु हिंदी भाषी लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं।

इस वर्ग के अन्य देशों में अभी तक हिंदी शिक्षण की कोई खास व्यवस्था नहीं है। जहां तक विदेशी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाने का संबंध है अमरीका सबसे आगे है। सोवियत संघ दूसरे नम्बर पर है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूमानिया, इटली, जापान तथा चीन में भी इसकी अच्छी व्यवस्था है। सोवियत संघ में तो स्कूल स्तर पर भी इसकी व्यवस्था है; यद्यपि अन्य देशों में केवल कॉलिज या विश्वविद्यालय स्तर पर ही हिंदी-शिक्षण की व्यवस्था है।

जहां-जहां हिन्दी भाषी रहते हैं तथा हिंदी-शिक्षण की व्यवस्था है, भारत से प्रायः हिंदी की पत्र-पत्रिकाएं मंगाई जाती हैं किन्तु कुछ देशों में हिंदी पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन भी होता है। ऐसे देशों को दो वर्गों में रख सकते हैं। पहले वर्ग में सोवियत संघ तथा चीन आते हैं, जहां सरकार की ओर से हिंदी पत्रिकाएं निकलती हैं। सोवियत संघ 'सोवियत संघ' तथा 'सोवियत नारी' हिंदी मासिक निकालता है। ऐसे ही चीन

सरकार 'चीन सचित्र' निकालती है। दूसरे वर्ग में वे देश हैं जहां गैरसरकारी स्तर पर हिंदी पत्र-पत्रिकाएं निकलती हैं। जैसे जापान से 'सर्वोदय' और 'ज्वालामुखी', कनाडा से 'भारती' तथा 'जीवन-ज्योति' इंग्लैण्ड से त्रैमासिकी 'प्रवासिनी'। पहले इंग्लैण्ड से 'अमर दीप' भी एक पत्र निकलता था। इसी वर्ग में मारीशस, फ़ीजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद तथा दक्षिणी अफ्रीका भी आते हैं, जहां से हिंदी पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है या होता रहा है। उदाहरण के लिए मारीशस से पहले 'हिन्दुस्तानी', 'मारिशस आर्य पत्रिका', 'आर्य वीर', 'सनातन धर्म पताका', 'वसंत', आदि पत्रिकाएं निकलती थीं, इधर 'बाल-सखा' (बच्चों की पत्रिका) 'प्रकाश', 'आभा,' 'दर्पण' आदि निकलते रहे हैं।

ऐसे ही फ़ीजी में पहले 'फ़ीजी समाचार', 'वैदिक संदेश', 'किसान' 'दीनबंधु', 'प्रकाश' आदि निकलते थे, इधर 'जयफ़ीजी', 'किसानमित्र', 'फ़ीजी संदेश', 'फ़ीजी वृत्तांत' तथा 'शेख' आदि प्रकाशित होते रहे हैं। सूरीनाम के 'आर्य' 'दिवाकर', 'भारतोदय', 'धर्म प्रकाश', 'प्रेम संदेश', 'शांतिदूत', 'प्रकाश', 'विकास'; गुयाना की 'ज्ञानदा', त्रिनिदाद की 'ज्योति', दक्षिणी अफ्रीका की 'इंडियन ओपिनियन', बरमा की 'आर्य युवक जागृति' आदि उल्लेख्य हैं।

इस तरह कुल मिलाकर विदेशों में हिंदी की स्थिति काफ़ी अच्छी है तथा दिनों-दिन वह और अच्छी होती जा रही है। □□□

"यदि हम अंग्रेजी के आदी नहीं हो गये होते, तो यह समझने में हमें देर नहीं लगती कि अंग्रेजी के शिक्षा का माध्यम होने से हमारी बौद्धिक चेतना जीवन से कट कर दूर हो गयी है, हम अपनी जनता से अलग हो गये हैं, जाति के सर्वश्रेष्ठ दिमागों का विकास रुक गया है और जो विचार हमें अंग्रेजी के माध्यम से मिले, उन्हें हम जनता में फैलाने में नाकामयाब रहे हैं। पिछले साठ वर्षों से हमने विचित्र-विचित्र शब्दों को केवल रटना सीखा है, तथ्यपूर्ण ज्ञान पचाने के बदले हमने शब्दों का उच्चारण सीखा है। जो विरासत हमें अपने बाप-दादों से हासिल हुई, उसके आधार पर नव-निर्माण करने के बदले, हमने उस विरासत को भूलना सीखा है। इस दुर्गति की मिसाल सारी दुनिया के इतिहास में नहीं है। यह तो राष्ट्रीय शोक अथवा ट्रेजेडी का विषय है। आज की पहली और सबसे बड़ी समाज सेवा यह है कि हम अपनी देशी भाषाओं की ओर मुड़ें और हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करें। हमें अपनी सभी प्रादेशिक कार्रवाइयां अपनी-अपनी भाषाओं में चलानी चाहिए तथा हमारी राष्ट्रीय कार्रवाइयों की भाषा हिन्दी होनी चाहिए। जब तक हमारे स्कूल और कालेज विभिन्न देशी भाषाओं में शिक्षा देना आरम्भ नहीं करते, तब तक हमें आराम लेने का अधिकार नहीं है।"

—महात्मा गाँधी
कलकत्ता 27 दिसम्बर, 1917

भारत की राजभाषा नीति

—कृष्ण कुमार श्रीवास्तव
सचिव, राजभाषा विभाग एवं भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार

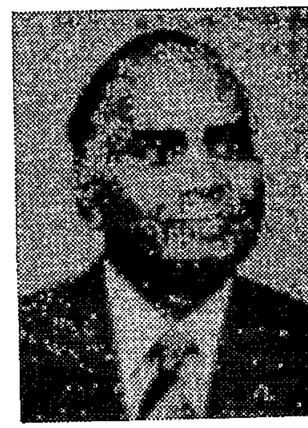

किसी भी स्वाधीन सार्वभौम देश अथवा राष्ट्र का अपना एक व्यक्तित्व होता है। इसी व्यक्तित्व के आधार पर उसका विश्व समाज में स्थान होता है और उसकी भूमिका होती है। यही व्यक्तित्व देश के गौरव का भी आधार होता है। किसी भी देश का व्यक्तित्व उसकी संस्कृति, वेशभूषा, भाषा, कार्यकलाप अथवा आर्थिक विकास पर निर्भर होता है। हमारा देश एक विशाल देश है। इसके एक छोर से दूसरे छोर तक अनेक भिन्नताएं हैं—संस्कृति में, वेशभूषा में, भाषा में तथा अन्य क्षेत्रों में। परन्तु इन भिन्नताओं के होते हुए भी एक स्पष्ट एकता है जिसके आधार पर हम विश्व समाज में अपना स्थान ग्रहण करते हैं। हमारा राष्ट्रीय व्यक्तित्व इसी एकता के आधार पर उभरता है और इसलिए राष्ट्रीय व्यक्तित्व का विशेष महत्व है। इसी दृष्टिकोण से राष्ट्रीय स्तर पर एक अपनी भाषा की आवश्यकता है।

इस प्रसंग में हिन्दी को राजभाषा बनाये जाने के संबंध में भारत के विभिन्न राज्यों के मनीषियों द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख करना चाहूंगा क्योंकि इस बात का महत्व तब तक हृदयंगम नहीं किया जा सकता जब तक इस दिशा में किए गए अनवरत परिश्रम, उद्योग और निष्ठा पर विचार न किया जाए। स्वतंत्रता आन्दोलन के दिनों से ही भारत के राष्ट्रीय नेताओं और कर्णधारों ने यह अनुभव कर लिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति का तब तक कोई महत्व नहीं होगा जब तक देश की अपनी कोई भाषा राष्ट्रभाषा न हो। प्रश्न यह था कि इस विशाल देश में जहां अनेक समृद्ध और प्राचीन भाषाएं प्रचलित हों वहां किस भाषा को राष्ट्रभाषा या राजभाषा का दर्जा दिया जाये। ऊपर से यह समस्या भले ही जटिल मालूम होती हो, किन्तु सारे भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरोने की कामना करने वाले और अखिल भारतीय स्तर पर समस्याओं का समाधान खोजने वाले सभी राष्ट्र-नेता, चाहे वे किसी भी प्रदेश अथवा क्षेत्र के रहे हों, हृदय से इस तथ्य को स्वीकार करते थे कि हिन्दी ही ऐसी भाषा है जिसे देश की राष्ट्रभाषा अथवा राजभाषा का गौरव प्रदान किया जा सकता है। भारत में अनेक प्राचीन भाषाएं हैं। हर-एक अपने आप में बहुत समृद्ध और देश का गौरव है। परन्तु हिन्दी एक ऐसी भाषा है जिसका देश के अधिकांश भागों में प्रचलन है। हिन्दी-भाषी क्षेत्र तथा इसके निकटवर्ती भागों में तो इसका प्रयोग आसानी से किया ही जाता है पर इसके अतिरिक्त अहिन्दीभाषी क्षेत्रों में भी यह भाषा आसानी से समझी और बोली जा सकती है। हिन्दी की इस व्यापकता और सरलता को देखते हुए सभी मनीषियों का ध्यान इसी की ओर आकृष्ट होता रहा और इसे राजभाषा बनाये जाने के लिए विचार व्यक्त किए जाते रहे।

इस सदी के दूसरे दशक में मराठी साहित्य परिषद ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित किया था और लोकमान्य बालगंगाधर तिलक, डाक्टर भंडारकर, राय बहादुर चिन्तामणि विधायक वैद्य आदि मराठी चिन्तकों ने हिन्दी को प्रबल समर्थन प्रदान किया था। हिन्दी की व्यापकता तथा लोकप्रियता को देखते हुए गुजराती भाषी महर्षि दयानन्द सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को हिन्दी में ही लिखा तथा अपने भाषण भी वे हिन्दी में ही दिया करते थे। हिन्दी के क्षेत्र में बापू का अंशदान तो सर्वविदित ही है। "दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा" गांधी जी के हिन्दी प्रेम और विश्वास का जीवन्त उदाहरण है। इसके गठन के लिए उन्होंने अपने पुत्र श्री देवदास गांधी को मद्रास भेजा था। बंगाल के मनीषियों ने हिन्दी के सर्वव्यापक तथा देशव्यापी स्वरूप को परखा और समझा था। राजा राममोहन राय ने 1826 में प्रकाशित 'बंगदूत' में हिन्दी को स्थान दिया था। इसी प्रकार आचार्य केशवचन्द्र सेन, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, जस्टिस शारदाचरण मित्र, सर गुरुदास चटर्जी, श्री रमेश चन्द्र दत्त आदि प्रमुख चिन्तकों ने हिन्दी के सर्वव्यापी स्वरूप को पहचान कर उसकी हिमायत की थी।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश की स्वतंत्रता और उत्थान के लिए जहां अनेक रचनात्मक कार्यक्रम प्रारम्भ

किए वहीं उन्होंने हिन्दी के प्रचार-प्रसार और प्रयोग को भी अपने रचनात्मक कार्यक्रमों का अंग बनाया। इसके लिए उन्होंने तत्कालीन हिन्दी की संस्थाओं को सबल और सुदृढ़ बनाने का कार्य तो किया ही, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा जैसी संस्थाओं की भी स्थापना कराई और इनके माध्यम से अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में व्यापक रूप से हिन्दी के प्रचार का अभियान चलाया। उन्होंने देश में अनेक हिन्दी प्रचारक तैयार किए और उन्हें यह मंत्र दिया कि वे राष्ट्र की एकता और समृद्धि के लिए हिन्दी के शिक्षण, प्रचार और प्रसार का कार्य देश-सेवा का कार्य समझ कर करें।

हिन्दी के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए महात्माजी ने कहा था कि--

> "मैं अपने देश के बच्चों के लिए जरूरी नहीं समझता कि वे अपनी बुद्धि के विकास के लिए एक विदेशी भाषा का बोझ अपने सिर पर ढोएं और अपनी उगती हुई शक्तियों का ह्रास होने दें।......"
>
> "दुनिया में और कहीं ऐसा नहीं होता। इसके कारण देश को जो नुकसान हुआ है, उसकी तो हम कल्पना तक नहीं कर सकते, क्योंकि हम खुद उस सर्वनाश से घिरे हुए हैं। मैं उसकी भयंकरता का अन्दाजा लगा सकता हूं, क्योंकि मैं निरंतर करोड़ों मूक, दलित और पीड़ित लोगों के संपर्क में आता रहता हूं।"
>
> "अगर हमारे देश का स्वराज्य अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों का और उन्हीं के लिए है तो निस्सन्देह अंग्रेजी ही राजभाषा हो.... लेकिन अगर हमारे देश के करोड़ों भूखे मरने वालों, करोड़ों निरक्षर बहनों और दलित अन्त्यजों का है और इन सबके लिए है तो हमारे देश में हिन्दी ही एकमात्र राजभाषा है।"

बापू जी की धारणा थी कि किसी भाषा को राष्ट्रभाषा अथवा राजभाषा तभी बनाया जा सकता है जब उसमें निम्नलिखित गुण विद्यमान हों :—

1. उस भाषा को देश के अधिकांश निवासी बोलते हों। 2. वह भाषा राष्ट्र के लिए सरल हो। 3. वह भाषा क्षणिक या अल्प स्थायी हितों के ऊपर निर्भर न हो। 4. उस भाषा के द्वारा देश के परस्पर धार्मिक और आर्थिक व्यवहार निभ सकें। 5. वह भाषा राज्य कर्मचारियों के लिए सरल हो।

उनकी दृष्टि में उपर्युक्त पांचों गुण हिन्दी में विद्यमान रहे हैं। अतः उन्होंने हिन्दी को देश की राष्ट्रभाषा बनाए जाने का सतत प्रयास किया। वास्तव में स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में हिन्दी बोलना और हिन्दी का प्रयोग करना एक गौरव और प्रतिष्ठा की बात समझी जाती थी और यह राष्ट्रीय एकता की प्रतीक थी।

महात्मा गांधी तथा अन्य मनीषियों ने विदेशी भाषा के स्थान पर भारतीय भाषा की जो संकल्पना की थी वह संविधान निर्माताओं के मन को सदैव आन्दोलित करती रही। संविधान सभा में इस विषय पर बहसें हुई और अंत में 14 सितम्बर, 1949 को यह फैसला हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी को ही राजभाषा बनाया जाए और यह भी व्यवस्था की गई कि राज्यों की विधान सभाएं अपने-अपने राज्य की एक या अधिक क्षेत्रीय भाषाओं को अथवा हिन्दी को अपनी राजभाषा बना सकती हैं। किन्तु संविधान निर्माताओं ने उन लोगों की कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए, जिन्हें पहले से हिन्दी का अच्छा ज्ञान नहीं था, यह भी व्यवस्था की कि संविधान के लागू होने के बाद 15 वर्षों की अवधि तक अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा ताकि इस बीच हिन्दी को प्रशासनिक कार्य के लिए पूरी तरह सक्षम बनाया जा सके और धीरे-धीरे इसका प्रयोग बढ़ाया जा सके।

राष्ट्रपति जी के विभिन्न आदेशों के अनुसार हिन्दी का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में धीरे-धीरे बढ़ने लगा। राष्ट्रपति जी ने 1956 में एक राजभाषा आयोग का भी गठन किया जो राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के विषय में सिफारिश कर सके। 30 सदस्यों की एक संसदीय समिति ने आयोग की सिफारिशों पर विचार किया और राष्ट्रपति के समक्ष अपनी राय प्रस्तुत की। इसके आधार पर राष्ट्रपति जी ने अप्रैल, 1960 में हिन्दी के विकास तथा प्रगामी प्रयोग के लिए विस्तृत निदेश जारी किए। उसके बाद सघन रूप से राजभाषा के विषय में कारवाई बढ़ी। तब से प्रशासनिक, वैज्ञानिक, तकनीकी विषयों की लगभग 4 लाख हिन्दी शब्दावली तैयार की गई है। इसके अतिरिक्त 35 हजार विधिक शब्दों के भी हिन्दी पर्याय तैयार किए गए हैं। विभिन्न मंत्रालयों ने तथा उपक्रमों ने भी अपनी-अपनी विशेष शब्दावली बनाई हैं। अनुवाद का भी कार्य तेजी से शुरू हुआ। परिणाम-स्वरूप अब हिन्दी में पर्याप्त मात्रा में कार्यविधि साहित्य सुलभ हो गया है जिसमें मैनुअल, संविदा तथा फार्म आदि शामिल हैं। हिन्दी भाषा में जिनको ज्ञान नहीं था उनको भी प्रशिक्षित करने का क्रम प्रारम्भ किया गया। अब तक साढ़े चार लाख अहिन्दीभाषी कर्मचारियों ने हिन्दी की विभिन्न परीक्षाएं पास की हैं। केन्द्रीय सरकार के लगभग 50 मंत्रालयों और विभागों में 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हो गया है। इनमें से बहुत से अपने सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करने लगे हैं। इसी प्रकार आशुलिपिकों और टाइपिस्टों को भी हिन्दी में काम का प्रशिक्षण दिया गया और लगभग 35 हजार कर्मचारियों ने हिन्दी आशुलिपि एवं हिन्दी टाइपिंग की परीक्षाएं पास कर ली हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो पहले ही से इस कला को जानते हैं। ये लोग भी हिन्दी में काम कर रहे हैं। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग

करने के लिए आवश्यक आधार भूमि तैयार हो गई है और हिन्दी का प्रयोग भी उत्तरोत्तर किया जा रहा है।

संविधान में यह भी व्यवस्था की गई थी कि संसद यदि चाहे तो अधिनियम बनाकर 1965 के बाद भी अंग्रेजी के प्रयोग की व्यवस्था कर सकती है। तदनुसार संसद ने 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया जिसके अनुसार संसद तथा संघ सरकार के सभी कामों के लिए हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी के भी चलते रहने की व्यवस्था की गई है। बाद में इस अधिनियम में कुछ और भी संशोधन किए गए और सरकार ने नियमावली भी बनाई। उनके अनुसार केन्द्र के कुछ कार्यों में द्विभाषिकता की स्थिति शुरू हुई। यह जरूरी हो गया कि केन्द्रीय कार्यालयों के कुछ प्रमुख दस्तावेज जैसे संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्तियां, प्रशासनिक रिपोर्टें, करार, टेंडर आदि को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में जारी किया जाए। कई और कामों में भी द्विभाषिकता अनिवार्य हो गई। केन्द्र तथा हिन्दीभाषी राज्यों के बीच परस्पर हिन्दी में ही पत्र-व्यवहार करने की व्यवस्था की गई है तथा जिन राज्यों ने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है उनके साथ अंग्रेजी में पत्र-व्यवहार करने की भी व्यवस्था की गई है।

मेरे विचार से यह स्थिति जहां एक ओर गंभीर चुनौती है वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय स्तर पर राजभाषा के सभी प्रेमियों को हिन्दी की सेवा के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। क्योंकि एक तरफ तो अंग्रेजी के अनिश्चित काल तक चलते रहने की व्यवस्था है तो दूसरी ओर अनेक कामों के लिए हिन्दी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है तथा इसके प्रगामी प्रयोग की व्यवस्था है। फिर भी यह समझना भूल है कि केवल कानून द्वारा हिन्दी को राजभाषा घोषित कर देने से हिन्दी वास्तविक रूप से राजभाषा बन गई है और हमें अब और कुछ नहीं करना है। यह दूसरी भ्रांति होगी यदि हम समझते रहे कि इस संबंध में सभी उत्तरदायित्व केवल सरकार पर ही हैं। हममें से प्रत्येक नागरिक को ऐसे उपाय करने हैं जिससे अंग्रेजी अनिश्चित काल तक हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के मार्ग में अवरोध बनकर न रहने पाए। साथ ही हम सभी को दृढ़ संकल्प होकर समर्पण की भावना से हिंदी के व्यापक प्रचार-प्रसार के कार्य में जुट जाना चाहिए।

भाषा सरकार और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का यह एकमात्र माध्यम है और इन नीतियों को निष्ठापूर्वक प्रतिबिम्बित करना ही उसका विशिष्ट दायित्व है। देश में गणतंत्र की जड़ें जितनी गहरी होती जा रही हैं उतना ही प्रशासन साधारण जनता के निकट होता जा रहा है। अतः साधारण जनता में प्रशासन के प्रति आस्था उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रशासन का सारा कामकाज जनता की भाषा में हो जिससे प्रशासन और जनता के बीच की खाई को प्रभावी ढंग से पाटा जा सके।

इस दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी तथा क्षेत्रीय स्तर पर हिंदी अथवा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का विशेष महत्व और उनकी भूमिका है। जहां तक केन्द्र का संबंध है, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रतिवर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम बनाकर उसके माध्यम से केन्द्र के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जनता के अधिक संपर्क में आने वाले 27 मंत्रालयों में हिंदी सलाहकार समितियां बनाई गयी हैं जिनके अध्यक्ष मंत्रीगण होते हैं। इनमें संसद सदस्य, हिंदी के विशिष्ट विद्वान तथा मंत्रालय के वरिष्ठतम अधिकारी शामिल होते हैं। यांत्रिक साधनों द्वारा भी हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के प्रबंध किए जा रहे हैं। देवनागरी के सामान्य टाइपराइटरों के उत्पादन में तो वृद्धि हो ही रही है साथ ही इलैक्ट्रिक तथा इलैक्ट्रॉनिक टाइपराइटरों, टेलीप्रिंटरों, कम्प्यूटरों आदि के उत्पादन पर भी जोर दिया जा रहा है। इन सभी व्यवस्थाओं के परिणामस्वरूप सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग में काफी वृद्धि हुई है।

यह प्रसन्नता की बात है कि विभिन्न मंत्रालयों और इसके कार्यालयों के अतिरिक्त सरकारी निगमों, निकायों तथा प्रतिष्ठानों आदि में हिंदी का प्रयोग धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। जनता से संपर्क रखने वाले, रेलवे, डाक-तार, रेडियो, दूरदर्शन, रक्षा जैसे बड़े-बड़े सरकारी विभागों एवं बैंकों तथा सरकारी उपक्रमों ने हिंदी में कार्य करने में रुचि लेना प्रारम्भ कर दिया है। इस संबंध में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा; नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी; दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मद्रास; हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग; केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, नई दिल्ली एवं देश भर में फैली इसकी विभिन्न शाखाओं ने तथा ऐसी ही अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं का प्रयास प्रशंसनीय है।

एक बात ध्यान देने योग्य है। प्रशासन के कामकाज में हिंदी का प्रयोग प्रेम, प्रोत्साहन तथा प्रेरणा के आधार पर किया जाना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अहिंदी भाषी क्षेत्रों के अधिकांश लोगों की शिक्षा अपनी मातृभाषा अथवा अंग्रेजी के माध्यम से हुई है। अतः इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का दबाव स्वयं हिन्दी के लिए अहितकर सिद्ध हो सकता है।

यह बात भी महत्व की है कि शासकीय कामकाज में प्रयुक्त हिंदी सरल और सुबोध होनी चाहिए। सरकारी परिपत्र, चिट्ठियों, टिप्पणी आदि की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे साधारण हिंदी जानने वाला व्यक्ति भी सरलता से समझ सके। अंग्रेजी तथा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के बहु प्रचलित शब्दों का प्रयोग करने से कतराना नहीं चाहिए क्योंकि इससे न केवल हिंदी भाषा समृद्ध होगी अपितु वह अन्य प्रादेशिक भाषाओं के अधिकाधिक समीप हो सकेगी जो भावात्मक एकता की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

समग्रता से देखा जाए तो यह कार्य बहुत बड़ा है और 36 वर्षों की आजादी के बाद भी हमारा लक्ष्य काफी दूर है। परन्तु निष्ठा, प्रेम व सद्भावना के साथ आगे बढ़ने पर सफलता अवश्य मिलेगी। इसी में राष्ट्र का गौरव, सम्मान और व्यक्तित्व निहित है।

□□□

हिन्दी की समन्वयवादी भूमिका

—मधुकरराव चौधरी
कार्याध्यक्ष, तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन, नई दिल्ली

भारत एक महान देश है। इसमें अनेक धर्म, अनेक भाषायें, अनेक मतमतांतर हैं तथा इसमें विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। यह एक लघु विश्व है। इसीलिये कवीन्द्र रवीन्द्र ने इसको "महामानवेर समुद्र" कहा है। इस भारत में 1652 भाषायें बोली जाती हैं जो आर्य, द्रविड़, तिब्बत-बर्मी और आस्ट्रिक भाषा परिवारों से जुड़ी हैं। इसलिये भारत में भाषा नियोजन करते हुए एक भाषी राष्ट्र या समाज की समस्याओं से कुछ अलग ढंग से विचार करना होगा। आज का भारतीय समाज अपने-अपने स्तर के अनुरूप विभिन्न वर्गों में बंटता चला जा रहा है और विभिन्न वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्रों में अपनी भाषा को समुन्नत बनाने के लिये प्रयत्नशील है। अतः भारत की अधिकांश भाषायें प्रादेशिक स्तर पर काफी हद तक भूमिका निभा रही हैं लेकिन पूरे राष्ट्र के स्तर पर एक ऐसी भाषा की आवश्यकता महसूस की गई जो देश की सारी भाषाओं का समन्वय तथा विकास करते हुए देश को भी एक सूत्रों में बांध सके। इस दृष्टि से संविधान के अनुच्छेद 343 (1) में संघ की राष्ट्रभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 345, 346 और 347 में केन्द्र तथा राज्यों के बीच सम्पर्क की भाषा और राज्यों के बीच परस्पर व्यवहार की भाषा की भो व्यवस्था की गई। लेकिन हिन्दी की समन्वय परक स्थिति को बनाये रखने के लिये संविधान के अनुच्छेद 351 में हिन्दी के विकास की दिशा की ओर भी संकेत किया गया जिसमें वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्त करने के माध्यम के रूप में कार्य कर सके। इस प्रकार के प्रावधान से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारे संविधान-निर्माता भारत की भाषिक समस्या के प्रति काफी सजग और सचेत थे। उन्होंने "अनेकता में एकता" की भावना को सामने रखते हुए भारतीय समाज के विभिन्न स्तरों को राष्ट्रीय स्तर पर एक बनाने का प्रयास किया। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार अपने मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में हिन्दी को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न कर रही है। इस सम्बन्ध में उसने समय-समय पर आदेश भी जारी किये हैं। इस महान कार्य को और अधिक सुव्यवस्थित रूप देने के लिये सरकार ने 26 जून, 1975 को राजभाषा विभाग की भी स्थापना की। यह विभाग, संविधान में हिन्दी सम्बन्धी प्रावधानों का कार्यान्वियन करने के साथ साथ मंत्रालयों, विभागों आदि के हिन्दी सम्बन्धी कार्य में समन्वय स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अभी भी हमें अपनी उद्देश्य की पूर्ति की दृष्टि से बहुत अधिक कार्य करने की आवश्यकता है।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि संविधान के निर्माताओं ने भारत की भाषायी समस्याओं को देखते हुए भारत की अन्य भाषाओं के विकास के बारे में भी गहराई से विचार किया था। उन्होंने संविधान की अष्टम अनुसूची में भारत की 15 प्रमुख भाषाओं—बंगला, उड़िया, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, मराठी, गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी, असमिया, हिन्दी, उर्दू, संस्कृत, सिन्धी को भी स्थान दिया। अष्टम अनुसूची में इन भाषाओं को यद्यपि राष्ट्रभाषा का नाम नहीं दिया गया लेकिन इसमें यह अभिप्राय अवश्य ही निहित था कि ये भारत की राष्ट्रभाषायें हैं। भाषा शास्त्रियों के मतानुसार राष्ट्रभाषा किसी राष्ट्र के लिये सामाजिक और सांस्कृतिक अस्मिता की भाषा होती है और इसी सामाजिक-सांस्कृतिक अस्मिता से राष्ट्रीय चेतना पैदा होती है और राजभाषा राष्ट्र की आर्थिक प्रगति और राजनीतिक एकता के लिये सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होती हैं तथा शासन और जनता के बीच सम्पर्क पैदा करती है। वास्तव में भारत के बहुभाषी देश होने के कारण अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिये एकता की भावना को बढ़ावा देना अत्यावश्यक है। इस उद्देश्य

को पूरा करने में हिन्दी भाषा ही समर्थ है क्योंकि यह भाषा सांस्कृतिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीय आन्दोलन की माध्यम भाषा की भूमिका निभाती चली आ रही है। यह भाषा अन्य सभी भारतीय भाषाओं का जितना सहयोग प्राप्त करेगी अपनी भूमिका उतनी ही सफलतापूर्वक निभा सकेगी और सम्पर्क भाषा बनने में कामयाब होगी। सम्पर्क भाषा बनकर यह किसी अन्य भाषा को अपने उपयुक्त स्थान से न तो विस्थापित करना चाहती हैं और न ही उनके हितों पर कुठाराघात करना चाहती है।

वास्तव में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी का स्तर ऊंचा करके उसे अखिल भारतीय स्तर पर राजभाषा बनाने का कारण यह है कि यह भाषा देश में सबसे अधिक बोली और समझी जाती है। यह भाषा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली राज्यों की भाषा है। इसलिये इन राज्यों में बोली जाने वाली विभिन्न बोलियों के बीच जहां यह सम्पर्क स्थापित करती है वहां अन्य हिन्दीतर प्रदेश में भी जन सम्पर्क की भाषा के रूप में काम कर रही है। यदि एक ओर यह वाणिज्य और व्यापार की भाषा के रूप में पूरे भारत में फैली है तो दूसरी ओर फिल्मों तथा नाटकों के माध्यम से लोक मनोरंजन और सामान्य संप्रेषण के लिये प्रसार पाती जा रही है। यही नहीं इस भाषा का क्षेत्र आज और व्यापक होता जा रहा है और यह राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थान ग्रहण कर रही है।

हिन्दी के राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों रूपों में कार्य करने का यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि अन्य भारतीय भाषायें इससे कम महत्व की हैं वरन ये सभी भाषायें भी अपना सामान महत्व रखती हैं। जिस प्रकार हिन्दी अखिल भारतीय स्तर पर राजभाषा है उसी प्रकार अन्य भाषायें अपने-अपने राज्यों में राजभाषा के स्तर पर कार्य कर रही हैं। लेकिन अन्तर-प्रादेशिक सम्बन्धों की भाषा तथा प्रदेशों और संघ सरकार के बीच आदान-प्रदान की भाषा तो कोई एक होगी ही, हिन्दी इसके लिये सक्षम मानी गई। अखिल भारतीय सन्दर्भ में सम्पर्क भाषा होने से हिन्दी के साथ ही प्रादेशिक भाषाओं का भी विकास होता चला जायेगा। इस दृष्टि से प्रादेशिक भाषायें सहयोगी भाषा के रूप में अपना-अपना विकास करती चली जायेंगी।

हिन्दी आन्दोलन से देश भर में भाषायी चेतना जागृत हुई है। इससे प्रादेशिक भाषाओं को अपना-अपना क्षेत्र, स्थिति और स्तर को पहचानने में सहायता मिली है क्योंकि अंग्रेजी इन प्रादेशिक भाषाओं पर अपना प्रभुत्व जमाये हुए है। अंग्रेजी के वर्चस्व को तोड़ने का कार्य हिन्दी ही कर सकती है। हिन्दी की प्रादेशिक भाषाओं के साथ कोई होड़ नहीं, होड़ है तो अंग्रेजी से। अंग्रेजी के समूचे देश पर रहने के कारण हमारा व्यक्तित्व विदेशी संस्कृति से आच्छादित हो गया है और हम अपने आपको भूलते जा रहे हैं। अतः इसे प्रदेशों में से हटाना है और उसका स्थान प्रादेशिक भाषाओं को दिलाना है लेकिन इसमें प्रादेशिक भाषाओं के सहयोग और सहायता की आवश्यकता है। पिछले दिनों मुझे तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के सम्बन्ध में मद्रास जाने का सुअवसर मिला। उस समय तमिल के ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त श्रेष्ठ साहित्यकार डा० अखिलन जी से भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारतीय स्थिति और हिन्दी के बारे में हमारी जो चर्चा हो रही थी, उसके दौरान उन्होंने कहा कि मैं तो आज तक हिन्दी का विरोधी रहा हूं लेकिन बहुत सोच विचार के बाद अब इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमारा हिन्दी का विरोध शायद हिन्दी का इतना नुकसान नहीं करेगा जितना कि तमिल बोलने वाले जन सामान्य का, क्योंकि वे अगर हिन्दी नहीं जानते तो राष्ट्रीय मुख्य धारा से अलग ही रहेंगें उनसे उनका बहुत नुकसान होगा। वास्तव में मुख्यधारा से सम्पर्क तोड़ने का अभिप्राय समूचे भारत से सम्पर्क तोड़ना है। यह एक दुखद स्थिति है।

यहां हमारा यह अभिप्राय नहीं है कि अंग्रेजी से हमारा कोई दुर्भाव या वैर भाव है। वास्तव में अंग्रेजी अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क की भाषा है। पश्चिम और पूर्व के बीच ज्ञान-विज्ञान के आदान प्रदान के लिये यह सेतु का कार्य कर रही है। लेकिन यह हमारे देश की भाषा नहीं बन सकती। क्योंकि यह हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक परम्पराओं के बीच न तो पैदा हुई है और न ही पोषित। यह हमारे ज्ञानवर्धन की भाषा का कार्य तो कर सकती है लेकिन हमारे सामाजिक संप्रेषण की भाषा के रूप में नहीं। कुछ अंग्रेजीदां लोगों का कहना है कि अंग्रेजी एक विकसित और समुन्नत भाषा है। जब कि हिन्दी और अन्य भारतीय भाषायें अविकसित और पिछड़ी भाषायें हैं। यह धारणा नितांत भ्रामक है। इन लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि अंग्रेजी भी कभी इससे बदतर स्थिति में थी। 11वीं-12वीं शताब्दी में इंग्लैंड में अंग्रेजी सामान्य जनता की भाषा थी और फ्रेंच भाषा का प्रभुत्व था। लेकिन बाद में शासन का प्रश्रय मिलने पर यह औद्योगिक प्रसार, वाणिज्य व्यवहार आदि कार्यक्षेत्रों में प्रयुक्त होने के बाद समृद्ध होती गई। इसलिये यह कहना गलत न होगा कि कोई भी भाषा अपने में विकसित और अविकसित नहीं होती। अविकसित और विकसित होता है तो उस भाषा का संकुचित और व्यापक प्रयोग। यदि किसी भी भाषा को व्यापक सन्दर्भों में बढ़ने का अवसर मिल जायें तो वह भाषा अपने आप समुन्नत और समृद्धशाली बन जाती है। आज भारत में विज्ञान और तकनीकी विकास के आधार पर औद्योगीकरण के विशाल क्षेत्र जगह-जगह बन रहे हैं और यह विशाल क्षेत्र न केवल बहुप्रयोजनी एवं बहुप्रदेशी है बल्कि अन्तप्रादेशिकता श्रम-शक्ति पर आधारित है। इन सभी कार्यक्षेत्रों में ऐसे भाषा माध्यम की जरूरत है जो इस बहुभाषी देश में समन्वय पैदा कर सके। यह समन्वय हिन्दी ही कर सकती है।

(शेष पृष्ठ 25 पर)

विदेशी विद्वानों की दृष्टि में हिन्दी

—प्रो० विजयेन्द्र स्नातक

भू० पू० अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारतवर्ष का विगत एक हजार वर्ष का इतिहास भाषा और साहित्य की दृष्टि से बहुत सघंर्ष संकुल रहा है। मुस्लिम शासन काल में फारसी और अरबी का प्रशासन में एकाधिकार रहा किन्तु प्रशासन से बाहर जन संपर्क की दृष्टि से अरबी फारसी को प्रमुख स्थान नहीं मिल सका। जनता में स्थानीय भाषा और बोलियों का प्रयोग अबाध गति से होता रहा। प्रान्तीय भाषाएं भी फारसी-अरबी से विशेष प्रभावित नहीं हुई। हिन्दुओं के रीतिरिवाज, कर्मकांड, संस्कार आदि अपनी भाषाओं में संपन्न होते रहे। उस समय भारत में जो विदेशी आए उन्होंने इस तथ्य का समर्थन किया है कि हिन्दुस्तानी लोग अपनी भाषा का व्यवहार निर्भयतापूर्वक करते हैं फारसी के प्रति उनका कोई मोह नहीं है।

हिन्दी भाषा को मुगल शासन काल में राज्याश्रय नहीं मिला किन्तु हिन्दी का भक्ति साहित्य और श्रृंगारपरख रीति साहित्य उसी काल में लिखा गया। हिन्दी जन साधारण के मध्य समझी जाने वाली सुगम भाषा थी और प्रायः प्रदेशों में इसका अस्तित्व उस समय भी था। जब भारत का यूरोप से संपर्क हुआ तब विदेशी व्यापारियों के समक्ष भाषा की समस्या उपस्थित हुई। पुर्तगाल और डच व्यापारी यह समझ गए कि भारत में व्यापार करने के लिए उन्हें यहाँ की व्यापक रूप से प्रचलित भाषा का ज्ञान अर्जित करना होगा। फलतः उन लोगों ने मद्रास और सूरत में बैठकर हिन्दी भाषा का व्याकरण डच भाषा में लिखा ताकि बाहर आने वाले व्यापारी हिन्दुस्तान में अपनी बात समझा सकें। मुगल काल में जो पादरी धर्म प्रचार के लिए आए थे वे फारसी सीखते थें। उनका संपर्क पहले मुल्लामौलवियों से होता था। पुर्तगाल से आए मिशनरी और पादरी पुर्तगीज भाषा पर बल देते थे। किन्तु वे अपनी पुर्तगीज भाषा को शुद्ध और अमिश्र नहीं रख सके। उनकी भाषा में हिन्दुस्तानी के शब्द और मुहावरे चुपचाप प्रवेश पा गए और हिन्दी शब्दावली को ग्रहण करने में संकोच नहीं हुआ। निदरलैण्ड से आए हुए डच पुर्तगालियों से मैत्री भाव नहीं रखते थें। हिन्दुस्तान में आकर डचों ने भारतीयों के धर्म के विषय में ग्रंथ लिखना और कर्म काण्ड को समझना प्रारंभ किया। जब तक डच दक्षिण पश्चिम में रहे हिन्दी के संपर्क में नहीं आए किन्तु अंग्रेजों के आगमन के बाद उनका भी संपर्क व्यापक होता गया और भाषा की दृष्टि से उन्हें कारोबार के लिए हिन्दी की शरण में आना पड़ा। किन्तु इन लोगों ने कार्यसातन मात्र के लिए हिन्दी को अपनाया था, हिन्दी के महत्व को या सार्वदेशिक व्यापकता को समझकर उसका आदर नहीं किया था।

सन् 1600 में ईस्ट इंडिया कम्पनी की स्थापना हुई और अंग्रेज व्यापारी वाणिज्य-व्यवसाय के लिए भारत में आने लगें। कंपनी के एजेंटों ने पश्चिमी समुद्र तट पर सूरत नगर में एक व्यापार-कोठी खोली। आरंभिक दिनों में कंपनी के विदेशी व्यापारी द्विभाषियों के माध्यम से काम चला लेते थे। किन्तु धीरे धीरे उन्होंने टूटी-फूटी पुर्तगाली भाषा सीखी। लगभग 100 वर्ष तक अंग्रेजी व्यापारी भाषा की समस्या का हल नहीं निकाल सके। जब लार्ड क्लाइव कंपनी का स्वामी बनकर आया तो उसने अपनी कूटनीति से बंगाल में कंपनी का पैर इस दृढ़ता से जमा दिया कि मुस्लिम शासक उसके गुलाम बन गए। वारेन हेस्टिंग्स ने भाषा के विषय में गंभीरता से विचार करना शुरू किया। वह स्वयं फारसी भाषा का ज्ञाता था। इस परंपरा में वेलजली ने भाषा नीति को सुदृढ़ बनाया। फोर्ट विलियम कालेज उसी की देन है। यह कालेज हिन्दी भाषा के प्रचार प्रसार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सफल हुआ।

यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रारंभ में जो अंग्रेज यहां आए थे शिक्षा प्रेमी थे और उनका ध्यान संस्कृत भाषा की ओर गया था। उन्होंने फारसी के महत्व को समझते हुए भी भारत की सांस्कृतिक परम्पराओं के ज्ञान के लिए संस्कृत का अध्ययन अनिवार्य समझा था। जर्मन विश्वविद्यालयों में तथा आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में संस्कृत को ही प्रमुख स्थान दिया गया था। किन्तु यह स्थिति दीर्घ काल तक बनी नहीं रह सकी। अंग्रेजों का ध्यान भारतीय भाषाओं के कोश, व्याकरण और पाठ्य पुस्तकें तैयार करने की ओर गया। जार्ज हैडले नामक अंग्रेज ने सन् 1772 में हिन्दुस्तानी का पहला व्याकरण ग्रंथ निकाला। इसका नाम मूर व्याकरण है। इस व्याकरण के अनेक संस्करण हुए। यह उस समय का दिशा निर्देशक ग्रंथ बन गया था। प्रचलित लोक भाषा जिसे अंग्रेज हिन्दुस्तानी

कहते थे, इसी व्याकरण से उन लोगों तक पहुंची थी। हिन्दुस्तानी (हिन्दी और उर्दू) को सर्वाधिक प्रश्रय देकर प्रचारित करने का श्रेय जान गिलक्राइस्ट को है जो चिकित्सक के रूप में भारत आए थे किन्तु भाषाविद हिन्दी प्रेमी होकर भारत से वापस गए। हिन्दी मैनुअल और हिन्दी स्टोरी टेलर आपकी छात्रोपयोगी रचनाएं हैं। गिलक्राइस्ट ने हिन्दी के संबंध में अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है कि "हिन्दुस्तानी नाम नया है। भारतीयों का रखा हुआ नहीं है, यहां के लोग इसे हिन्दी नाम से ही जानते हैं। हिन्दुस्तानी नाम से हिन्दी, हिन्दुई, हिन्दुवी सब समाहित हो जाते हैं। अतः हिन्दुस्तानी नाम लोकप्रिय हो गया है।" वास्तविक खड़ी बोली में हिन्दुस्तानी के व्याकरण पर विशेष ध्यान दिया जाता है और अरबी फारसी का पूर्ण परित्याग रहता है। गिलक्राइस्ट ने उर्दू को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया था किन्तु उनकी हिन्दी सेवा को भुलाया नहीं जा सकता।

फ्रांस निवासी गारसा द तासी का नाम प्रारंभिक हिन्दी साहित्य के इतिहास के लेखकों में आता है। उर्दू के प्रति तासी का विशेष पक्षपात था। क्योंकि इनका अलीगढ़ इंस्टीच्यूट और अंजुमन लाहौर से संबंध था किन्तु हिन्दी या हिन्दुस्तानी के संबंध में इनके विचार स्पष्ट हैं। इनकी रचनाओं में गद्य और पद्य दोनों शैलियों की जो दस रचनाएं मिलती हैं वे सब हिन्दी से संबंध रखती हैं। सिंहासन बत्तीसी, हितोपदेश कथा, प्रेमसागर, भक्तमाल, गीत गोविंदकार जयदेव, उषा चरित्र, महाभारत का शकुन्तला आख्यान और कलियुग वर्णन आदि सभी रचनाएं संस्कृत और हिन्दी से जुड़ी हुई हैं। फारसी अरबी से नहीं तासी ने हिन्दुस्तानी हिंदी के संबंध में लिखा है कि हिन्दुस्तानी वास्तव में सबसे अधिक अभिव्यंजना शक्ति संपन्न और सबसे अधिक शिष्ट प्रचलित भाषा है तथा बोलचाल की भाषा के रूप में हिन्दुस्तानी को समस्त एशिया में कोमलता और विशुद्धता की दृष्टि से जो ख्याति प्राप्त है वह अन्य किसी भाषा को नहीं है।" हिन्दी के लिए तासी ने हिन्दुई शब्द का प्रयोग किया तो हिन्दी रचनाओं को 4 भागों में विभाजित किया। पहला आख्यान काव्य, दूसरा प्राचीन काव्य (रामायण), तीसरा इतिहास, महाभारत तथा पद्यात्मक इतिहास और चौथा काव्य, शुद्ध काव्यात्मक रचना। तासी को जो लोग उर्दू का समर्थक कहते हैं उन्हें तासी के साहित्य पर ध्यान देना चाहिए। तासी ने अपने इतिहास में जो सूचना दी हैं उनका संबंध उर्दू से नाममात्र का भी नहीं है। समस्त विवरण हिन्दी भाषा और साहित्य का है। हिन्दी के भक्त कवियों से लेकर उन्नीसवीं शती के मध्य काल तक के कवियों की भी उन्होंने चर्चा और आलोचना की है।

जान साहेब नामक एक अंग्रेज अफसर सन् 1850 में भारत आये थे। बिहार में इनकी भेंट वैष्णव भक्तों से हुई। उनके प्रभाव में भारतीय भक्ति पद्धति में आस्था रखने लगे। जान साहेब ने परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी को अपना दीक्षा गुरू भी बना लिया और उनकी भक्ति में कुछ पद हिन्दी में लिखे। हिन्दी के प्रति जान साहब के विचार बड़े उदार थे। भारतीयों के साथ हिन्दी में वार्तालाप करने में उन्हें परमानन्द मिलता था। हिन्दू धर्म में गहरी रुचि लेने के कारण उस समय कंपनी अधिकारी उनसे प्रसन्न नहीं थे इसीलिए भाषा समस्या के संदर्भ में उनका नामोल्लेख कहीं नहीं मिलता। अपने दीक्षा गुरू गोस्वामी जी के निधन पर उन्होंने मार्मिक दोहा लिखा :—

लक्ष्मीपति सुरपुर गये जान न दीन्हो भेंट।
दाग हृदय पर पड़ि गयो अब नहिं जाई मेंट॥

ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए ऐसे पादरी भारत में आये थे जिन्होंने हिन्दी में भक्ति विषयक पदों की रचना की। भाषा या काव्य सौंदर्य की छवि से उनके पदों का विशेष महत्व न होने पर भी हिन्दी को भारत की सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्ति का वे भजन प्रमाण देते हैं। जान क्रिश्चियन नामक एक मिशनरी ने "मुक्ति मुक्तावली" नाम से महात्मा ईसा का जीवन चरित्र पद्य शैली में हिन्दी लिखा था जो उस समय हिन्दू घरों में भी गाया जाने लगा था। इन मिशनरियों के भजन की उन दिनों इतनी प्रसिद्धि थी कि नाच वाली महिलाएं इनको अपना समझ कर बड़े चाव के साथ गाती थीं। हिन्दी के संदर्भ में इसका उल्लेख करना इसलिए आवश्यक है कि विदेशी मिशनरी भी बिहार और बंगाल में बैठकर हिन्दी में ही पद रचना करते थे क्योंकि उन्हें भारत की सार्वभौम भाषा के रूप में हिन्दी से ही परिचय था। जरनल आफ रायल एशियाटिक में जान क्रिश्चियन के विषय में टिप्पणी है—

"He is the only European I have ever met who has achieved any success as a Hindi writer and the best Native schloars admit that many of his hymns are faultless composition, so far their language goes....The expression in the songs are so freely native and Mr. Christian has so cleverly caught the style of these old masters that these girls (Indians) have no idea that they are singing Christian hymns.'

एफ० एस० ग्राउस नामक एक सिविलियन अफसर सन् 1862 के आसपास भारत में आये। उनकी नियुक्ति आगरा, बुलन्दशहर और मथुरा में कलक्टर पद पर हुई थी।। इन स्थानों पर रहते हुए उन्होंने जन जीवन को समझने की पूरी चेष्टा की। अपने भारत प्रवास काल में सरकारी कामकाज के बाद ग्राउस महोदय ब्रजभाषा और हिन्दी के अध्ययन में संलग्न रहते थे। उनका मूल उद्देश्य भारत में प्रवर्तित भक्ति सम्प्रदायों को समझना तथा उनके मूल में सन्निविष्ट भारतीय संस्कृति को हृदयंगम करना था। अपने सात-आठ वर्ष के मथुरा प्रवास में उन्होंने ब्रज के भक्ति संप्रदायों का सांगोपांग अध्ययन किया। भक्ति पद्धति के साथ कर्मकांड की (पूजाविधिक) पूरी श्रद्धा के साथ समझा। उसका पूरा वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक ए डिस्ट्रिक्ट मैमायर्स : मथुरा नामक पुस्तक में लिखा है। इस पुस्तक में उन्होंने हिन्दी के विषय में अपने विचार व्यक्त किए हैं और हिन्दी का उच्चारण तथा लिपि के स्तर पर विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषा और लिपि माना है — ग्राउस महोदय ने रामचरित मानस का अनुवाद करना प्रारम्भ किया था जो अपूर्ण ही रह गया। मानस की अवधि भाषा का उन्होंने पूरी तरह हृदयंगम कर लिया था। सूरदास, मीरा, रहीम, रसखान आदि कवियों से उनका काव्य के स्तर पर परिचय हो गया था।

हिन्दी भाषा का तात्विक अध्ययन, विवेचन, विश्लेषण करने वाले विदेशी विद्वानों में मूर्धन्य है जार्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ग्रियर्सन महोदय भी सिविल सर्विस के सदस्य थे। उन्हें अपने प्रशासनिक पदों का दायित्व वहन करना होता था। किन्तु विद्या व्यसनी होने के कारण उन्होंने भारत की अनेक भाषाओं का अच्छा ज्ञान अर्जित कर लिया था। मैथिल, भोजपुरी, बंगला, ब्रज, अवधी, राजस्थानी, आदि भाषाएं तो उनके लिए हस्तामलक थीं। भारत की भाषाओं से सम्पर्क के विषय में उन्होंने लिखा है—मेरे लिए वह दिन चिरस्मरणीय रहेगा जब सन् 1868 ई० मेरे आदरणीय गुरू प्रो० राबर्ट एटकिंसन ने संस्कृत वर्णमाला से मुझे परिचित कराया। भारत के लिए रवाना होने से पूर्व जब उत्साहपूर्वक मैं उनसे विदा लेने गया तो इस कार्य (भारतीय विद्या) का भार मुझे सौंपा। गुरू का आदेश सदा मेरे मस्तिष्क में विद्यमान रहा और प्रशासकीय कार्यों से बचा हुआ समय में इस शुभ कार्य में लगाता रहा। इस बीच मझे तीन सहस्र वर्षों की पीढ़ी दर पीढ़ी महान विचारकों से गुम्फित भव्य साहित्य के दर्शन का सुअवसर मिला। मैं काव्य की इस मनोहर वाटिका में विहार करने में समर्थ हो सका जिसका आरम्भ वेद की प्रसन्नमना चिन्तामुक्त ऋचाओं से होता है तथा जिसकी धारा महाकाव्यों, कालिदास की शीर्ष स्थानीय मोहक नाटकों, संतों की वाणियों, तुलसीदास के आत्मनिवेदनपूर्ण पदों एवं बिहारीलाल की अलंकृत रचना से प्रवाहित होती है। सत्य रूपी फल को मैंने अनेक ज्ञानवंतों से प्राप्त किया है।

हिन्दी के स्वरूप निर्धारण में ग्रियर्सन ने अपने मत को बड़े स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया है। हिन्दी को संस्कृत या फारसी तत्सम प्रधान बनाने का ग्रियर्सन विरोध करते थे। उनके मत में "हिन्दी का अपना विशाल शब्द समूह है। इसकी जड़ें उन ग्रामीण कृषकों की भाषा में है जिस पर यह भाषा आधारित है। संस्कृत तत्सम शब्दों के बहुल प्रयोग से हिन्दी क्लिष्ट एवं दुर्बोध्य हो जाती हैं। कुछ लोगों की धारणा है कि संस्कृत शब्दों के प्रयोग से शैली उत्कृष्ट होती है, यह उसी प्रकार की बात है जैसे कोई अठारह वर्ष की सुन्दरी अपनी मातामही का बेल-बूटेदार वस्त्र पहनकर अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहे। ग्रियर्सन ने उर्दू को जन भाषा नहीं माना। उनके अनुसार उर्दू प्रधान रूप से पश्चिमी हिन्दुस्तान के शहरों में मुसलमानों तथा फारसी संस्कृत से प्रभावित हिन्दुओं द्वारा बोली जाती है। भारत में सार्वदेशिक भाषा के रूप में प्रचारित करने के लिए ग्रियर्सन हिन्दी का ही समर्थन करते रहे।

डा० हार्नल भारत की अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। हिन्दी की बोलियों तथा उप भाषाओं से इनका प्रत्यक्ष परिचय था। डा० हार्नल के मत में ब्रजभाषा का संशोधित रूप ही हिन्दी या उच्च हिन्दी है जिसकी अनेक विभक्तियों में से कुछ को, जो पंजाबी और मारवाड़ी में चलती थी—लेकर उर्दू बना दी गई और बाद में उसे उच्च हिन्दी में बदल दिया गया। उच्च हिन्दी उर्दू से भिन्न भाषा है और नई भाषा है। यह उच्च हिन्दी खड़ी बोली के नाम से प्रचलित है। डा० हार्नल ने (हिन्दी धातु संग्रह) नामक ग्रंथ लिखा जिसमें धातुओं पर पहली बार गंभीरतापूर्वक विचार किया। हिन्दी की मूल धातुओं का संकलन एक कठिन कार्य है जो हार्नल ने कर दिखाया। हिन्दी के सम्बन्ध में इनकी दृष्टि बहुत ही स्वच्छ थी। ये हिन्दी को स्वतन्त्र और देशव्यापी भाषा के रूप में स्वीकार करते थे।

फ्रैड्रिक पिकांट एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी बड़े पद पर नहीं रहे। किन्तु हिन्दी के प्रबलतम समर्थकों के रूप में खड़ी बोली के पक्षधर बन कर लंदन में बैठकर ही खड़ी बोली हिंदी की लड़ाई लड़ते रहे। उनका पत्राचार तत्कालीन हिन्दी प्रेमी व्यक्तियों से सतत होता रहता था। महर्षि दयानन्द सरस्वती, पंडित श्रीधर पाठक, श्री अयोध्याप्रसाद खत्री आदि को पत्र द्वारा वे खड़ी बोली हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए प्रेरित करते रहते थे। खत्री जी के खड़ी बोली आंदोलन में विदेशी विद्वानों द्वारा सहयोग करने वालों में एक मात्र पिंकाट महोदय जी थे। विलवर्ड एडेलिक्टन कम्पनी के के प्राच्य परामर्शदाता बनने पर अपने अपने सौदागरी पत्रिका के कुछ पृष्ठ हिन्दी के लिए सुरक्षित करवा कर विदेश में हिन्दी की पताका फहराई थी। उन दिनों कुछ अंग्रेजी उर्दू के पक्षधर बनकर हिन्दी का विरोध कर लोग रहे थे, उनके तर्क का युक्ति प्रमाण पूर्वक उत्तर देकर हिन्दी का पक्ष समर्थन करना पिकांट महोदय का काम था। उन्होंने ठेठ हिन्दी शब्द के लिए प्योर हिन्दी और खड़ी बोली के लिए करेक्ट हिंदी शब्द गढ़ा था।

रामचरित मानस पर शोध प्रबन्ध लिखकर डाक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी विद्वान डाक्टर एल० पी० टेस्सीटरी का नाम हिन्दी सेवा तथा हिन्दी स्वरूप निर्धारण के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है। राजस्थानी भाषा का विशेष रूप से अध्ययन करने के उपरांत उन्होंने इसे हिन्दी की एक उपभाषा ही माना है और भारत में सार्वदेशिक व्यवहार के लिए खड़ी बोली हिन्दी का प्रबल समर्थन किया है।

एफ० ए० की नामक विद्वान ने हिन्दी साहित्य का इतिहास लिखा। इस इतिहास में काल विभाजन, साहित्य की प्रवृत्तियों का विवेचन तथा कवियों का परिचय की महोदय ने बड़ी सूझबूझ के साथ लिखा है। हिन्दी साहित्य पर टिप्पणी करते हुए वे लिखते हैं—हिन्दी साहित्य एक सीमाबद्ध क्षेत्र से सम्बन्धित है पर उस सीमा में आबद्ध होने पर भी उसमें अनेक उच्च कोटि की रचनाएं हैं, हिन्दी साहित्य महान् है। सचमच ही यह साहित्य आनन्द का उपवन (गार्डन आफ डिलाइट) है। इसमें व्यक्त विचार और भाव जन जीवन के अंग बन चुके हैं। भारतीय जनता को समझने के लिए इस भाषा के साहित्य को जानना आवश्यक है।

प्रायः सभी यूरोपीय विद्वानों ने हिन्दी भाषा को भारत की लोकप्रिय, सार्वदेशिक व्यवहार की सरल भाषा माना है। उर्दू की स्थिति को स्वीकार करते हुए भी हिन्दी को प्राथमिकता दी है। इसके साहित्य को जनता का साहित्य ठहराया है। ऐसे विद्वानों की संख्या तीन दर्जन से ऊपर है जो हिन्दी को हिन्दुस्तान की व्यवहार-भाषा मानकर सर्वोच्च आदर का स्थान देते हैं। □□□

संघ सरकार की राजभाषा नीति और उसका कार्यान्वयन

—देवेन्द्रचरण मिश्र
संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, भारत सरकार

भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और किसी भी देश में प्रजातंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उस देश का राजकाज उसकी जनता की भाषा में हो। इस विशाल भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं जिनमें से 15 भाषाओं को संविधान में "राष्ट्रभाषा" के रूप में मान्यता दी गई है। परन्तु भारत को संविधान सभा द्वारा राजकाज चलाने तथा केन्द्र एवं राज्यों के बीच संपर्क भाषा की भूमिका निभाने का उत्तरदायित्व हिन्दी को ही सौंपा गया क्योंकि यह देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है तथा इसके साथ भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक परम्पराएं जुड़ी हुई हैं।

1950 में लागू भारतीय संविधान के अनुच्छेद-343(1) के अनुसार देवनागरी में लिखित 'हिन्दी' संघ की राजभाषा है, लेकिन 343(2) के अनुसार यह भी व्यवस्था की गई कि संविधान के लागू होने के समय से 15 वर्ष की अवधि तक, अर्थात् सन् 1965 तक संघ के सभी सरकारी कार्यों के लिए पहले की भांति अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। यह व्यवस्था इसलिए की गई थी कि इस बीच हिन्दी न जानने वाले हिन्दी सीख जाएंगे और हिन्दी भाषा को प्रशासनिक कार्यों के लिए सभी प्रकार से सक्षम बनाया जा सकेगा। उपर्युक्त 15 वर्षों की अवधि में भी, अर्थात् 1965 के पहले भी राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी काम के लिए अंग्रेजी के अलावा हिन्दी के प्रयोग की अनुमति दे सकते थे। अनुच्छेद 343(3) में संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह 1965 के बाद भी सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने के बारे में व्यवस्था कर सकती है। अनुच्छेद 344 में यह कहा गया कि संविधान प्रारंम्भ होने के 5 वर्षों के बाद और फिर उसके 10 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक आयोग बनाएंगे, जो अन्य बातों के साथ-साथ संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दा भाषा के उत्तरोत्तर प्रयोग के बारे में और संघ के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर रोक लगाये जाने के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए इस अनुच्छेद के खण्ड-4 के अनुसार 30 संसद सदस्यों की एक समिति के गठन की भी व्यवस्था की गई।

1950 में हिन्दी को संघ की राजभाषा घोषित किए जाने पर यह अनुभव किया गया कि हिन्दी के माध्यम से प्रशासन का कार्य चलाने के लिए कुछ प्रारंभिक तैयारियों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे—प्रशासनिक, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं विधि-शब्दावली का निर्माण, प्रशासनिक एवं विधि-साहित्य का हिन्दी में अनुवाद, हिन्दी-भाषी सरकारी कर्मचारियों का हिन्दी प्रशिक्षण और हिन्दी टाइपराइटरों एवं अन्य यांत्रिक साधनों की व्यवस्था आदि।

शब्दावली निर्माण

शब्दावली निर्माण के लिए शिक्षा मंत्रालय ने 1950 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी बोर्ड की स्थापना की। इसके मार्गदर्शन में शिक्षा मंत्रालय के हिन्दी विभाग ने तकनीकी शब्दावली के निर्माण का कार्य चालू किया। बाद में हिन्दी विभाग का विस्तार होते-होते सन् 1960 में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना हुई। इसके कुछ समय बाद 1961 में राष्ट्रपति के आदेशानुसार वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। निदेशालय तथा आयोग ने अब तक विज्ञान, मानविकी, आयुर्विज्ञान, इंजीनियरी, कृषि तथा प्रशासन आदि के लगभग 4 लाख अंग्रेजी के तकनीकी शब्दों के हिन्दी पर्याय प्रकाशित कर दिए हैं। इसी प्रकार राजभाषा (विधायी आयोग) तथा राजभाषा खण्ड ने विधि शब्दावली का निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया है।

प्रशासनिक साहित्य का अनुवाद

केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के मेनुअलों, संहिताओं, फार्मों आदि का अनुवाद-कार्य पहले शिक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा किया जाता था। बाद में मार्च, 1971 से यह कार्य गृह मंत्रालय के अधीन स्थापित केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो को सौंपा गया है। ब्यूरो ने निदेशालय द्वारा अनुदित साहित्य के अतिरिक्त अब तक अनेक मैनुअलों/फार्मों/रिपोर्टों आदि का अनुवाद करके विभिन्न मंत्रालयों को उपलब्ध करा दिया है। इस समय ब्यूरो मंत्रालयों/विभागों के अतिरिक्त अन्य सरकारी कार्यालयों/उपक्रमों आदि के मैनुअलों का भी अनुवाद

कर रहा है। इसी प्रकार विधि मंत्रालय के राजभाषा खण्ड ने भी अब तक अधिकांश केन्द्रीय अधिनियमों एवं नियमों आदि का हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत कर दिया है और यह कार्य निरन्तर चल रहा है।

हिन्दी शिक्षण योजना

केन्द्रीय सरकार के हिन्दी न जानने वाले सरकारी कर्मचारियों के हिन्दी शिक्षण का कार्य शिक्षा मंत्रालय की देखरेख में 1952 में प्रारम्भ हुआ था, किन्तु वाद में लिए गए निर्णय के अनुसार अक्तूबर, 1955 से यह कार्य गृह मंत्रालय के तत्वावधान में हो रहा है। प्रारम्भ में यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उन लोगों के लिए था, जो स्वेच्छा से हिन्दी पढ़ना चाहते थे, बाद में अप्रैल, 1960 में राष्ट्रपति के आदेश के अधीन हिन्दी का सेवा-कालीन प्रशिक्षण उन सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया, जो 1-1-1961 को 45 वर्ष के नहीं हुए थे। इसी प्रकार टंककों और आशुलिपिकों के लिए भी हिन्दी टाईपिंग और हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया। इस समय देश भर में हिन्दी, हिन्दी टाइपिंग तथा हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण के लगभग 150 केन्द्र चल रहे हैं।

उपर्युक्त प्रयत्नों के परिणामस्वरूप हिन्दी के विकास एवं प्रसार में अच्छी प्रगति हुई है किन्तु जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इस प्रगति का जायजा लेने के लिए संविधान की धारा 344 के अनुसार 1955 में एक राजभाषा आयोग बनाया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत की। उसकी सिफारिशों पर विचार करने के लिए 1957 में एक संसदीय समिति बनाई गई थी। इन दोनों की राय यह थी कि 1965 के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग चलते रहना चाहिए, तद्नसार 1963 में राजभाषा अधिनियम बनाया गया, जिसका 1967 में संशोधन किया गया। इसकी प्रमुख विशेषताएं नीचे दी जा रही हैं:

राजभाषा के संबंध में सांविधानिक व्यवस्थाएं

(1) अधिनियम की धारा 3 के अनुसार (क) संघ के उन सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए, जिनके लिए 26 जनवरी, 1965 से तत्काल पूर्व अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा था और (ख) संसद में कार्य निष्पादन के लिए 26 जनवरी, 1965 के बाद भी हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जा सकेगा।

(2) केन्द्र सरकार और हिन्दी को राजभाषा के रूप में न अपनाने वाल किसी राज्य के बीच पत्राचार अंग्रेजी में होगा, बशर्ते उस राज्य ने इसके लिए हिन्दी का प्रयोग करना स्वीकार किया हो। इसी प्रकार, हिन्दी-भाषी राज्यों की सरकारें ऐसे राज्यों की सरकारों के साथ अंग्रेजी में पत्राचार करेंगी और यदि वे ऐसे राज्यों को कोई पत्र हिन्दी में भेजती है तो साथ साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद भी भेजेगी। पारस्परिक समझौते से यदि कोई भी दो राज्य आपसी पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग करें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(3) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों आदि के बीच पत्र-व्यवहार के लिए हिंदी अथवा अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जब तक संबंधित कार्यालयों, आदि के कर्मचारी हिंदी का कार्य-साधक ज्ञान प्राप्त न कर लें, तब तक पत्रादि का दूसरी भाषा में अनुवाद उपलब्ध कराया जाता रहेगा।

(4) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार निम्नलिखित कागज-पत्नों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों का प्रयोग अनिवार्य है:—

1. संकल्प, 2. सामान्य आदेश, 3. नियम, 4. अधिसूचनाएं, 5. प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें, 6. प्रेस विज्ञाप्तियां, 7. संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें 8. सरकारी कागज-पत्र, 9. संविदाएं, 10. करार, 11. अनुज्ञप्तियां, 12. अनुज्ञापन, 13. टेंडर नोटिस और 14. टेंडर फार्म।

(5) धारा 3(4) के अनुसार अधिनियम के नियम बनाते समय यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि यदि केन्द्रीय सरकार का कोई कर्मचारी हिंदी या अंग्रेजी में से किसी एक ही भाषा में प्रवीण हो, तो वह अपना सरकारी कामकाज उसी भाषा में कर सकता है; और केवल इस आधार पर कि वह दोनों भाषाओं में प्रवीण नहीं है, उसका कोई अहित नहीं होना चाहिए।

(6) राजभाषा (संशोधन) अधिनियम. 1967 द्वारा अधिनियम की धारा 3(5) के रूप में यह उपबन्ध किया गया है कि उपर्युक्त विभिन्न कार्यों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने संबंधी व्यवस्था तब तक जारी रहेगी, जब तक हिंदी को राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले सभी राज्यों के विधान मंडल अंग्रेजी का प्रयोग खत्म करने के लिए आवश्यक संकल्प पारित न करें और इन संकल्पों पर विचार करने के बाद संसद का प्रत्येक सदन भी इसी आशय का संकल्प पारित न कर दें।

(7) अधिनियम की धारा 7 के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सम्मत्ति से, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा दिए अथवा पारित किसी निर्णय, डिक्री अथवा आदेश के लिए, अंग्रेजी भाषा के अलावा, हिंदी अथवा राज्य की राजभाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकता है। तथापि यदि कोई निर्णय, डिक्री या आदेश अंग्रेंजी से भिन्न किसी

भाषा में दिया या पारित किया जाता है तो उसके साथ-साथ संबंधित उच्च न्यायालय के प्राधिकार से अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी दिया जाएगा। अब तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार के राज्यपालों ने अपने उच्च न्यायालयों में उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए राष्ट्रपति से हिंदी के प्रयोग की अनुमति ली है।

राजभाषा अधिनियम पारित करने के साथ-साथ दिसम्बर, 1967 में संसद के दोनों सदनों ने सरकार की भाषा नीति के संबंध में एक सरकारी संकल्प भी पारित किया। इस संकल्प के पैरा-1 के अनुसार केन्द्रीय सरकार हिंदी के प्रसार तथा विकास और संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए, उसके प्रयोग में तेजी लाने के लिए एक अधिक-गहन और विस्तृत कार्यक्रम तैयार करेगी और उसे कार्यान्वित करेगी। इसके अतिरिक्त इस संबंध में किए गए उपायों तथा उसमें हुई प्रगति का ब्यौरा देते हुए एक वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर प्रस्तुत करेगी। सन् 1968 से निरंतर वार्षिक कार्यक्रम बनाया जा रहा है, जिसमें केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए, उसके अनुसार कार्रवाई करें। अब तक इस प्रकार की 12 रिपोर्टें संसद में प्रस्तुत की जा चुकी हैं और 13वीं रिपोर्ट मुद्रणाधीन हैं।

राजभाषा नियम 1976

सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए 1976 में राजभाषा नियम बनाए गए। यह एक महत्वपूर्ण कदम था, जिससे हिंदी के प्रयोग में काफी सहायता मिलती है। इस नियम की महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं इस प्रकार हैं:—

(क) केन्द्र सरकार के कार्यालयों से "क" क्षेत्र के किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली) को या ऐसे राज्यों में स्थित किसी अन्य कार्यालय या व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्र आदि हिंदी में भेजे जाएंगे। यदि किसी खास मामले में ऐसा कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका हिंदी अनुवाद भी साथ भेजा जाएगा।

(ख) केन्द्र सरकार के कार्यालयों से "ख" क्षेत्र के किसी राज्य संघ राज्य क्षेत्र (पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य तथा चंडीगढ़ और अण्डमान निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र) के प्रशासनों को भेजे जाने वाले पत्र आदि सामान्यत: हिंदी में भेजे जाएंगे। यदि ऐसा कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका हिंदी अनुवाद भी साथ भेजा जाएगा। इन राज्यों में रहने वाले किसी व्यक्ति को भेजें जाने वालें पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी, किसी भी भाषा में हो सकते हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में "ग" क्षेत्र के किसी राज्य संघ राज्य क्षेत्र ("क" और "ख" क्षेत्र में शामिल न होने वाले सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र) के किसी कार्यालय या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाएंगे। यदि ऐसा कोई पत्र हिंदी में भेजा जाता है तो उसका अंग्रेजी अनुवाद साथ भेजा जाएगा।

(घ) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्र व्यवहार हिंदी या अंग्रेजी में हो सकता है। किंतु केन्द्र सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग और "क" क्षेत्र में स्थित सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के बीच होने वाले पत्र-व्यवहार सरकार द्वारा निर्धारित अनुपात में हिंदी में होगा। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार कम से कम दो तिहाई पत्र-व्यवहार हिंदी में होना चाहिए। "क" क्षेत्र में स्थित केन्द्र सरकार किन्ही दो कार्यालयों के बीच सभी पत्र-व्यवहार हिंदी में ही किए जाने का प्रावधान है।

(ङ) हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही दिए जाएंगे। हिंदी में लिखे या हिन्दी में हस्ताक्षर लिए गए आवेदनों या अभिवेदनों के उत्तर भी हिंदी में दिए जाएंगे।

(च) राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा और इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की होगी।

(छ) केन्द्रीय सरकार का कोई कर्मचारी फाइलों में हिन्दी या अंग्रेजी में टिप्पणी या मसौदे लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में भी प्रस्तुत करे।

(ज) केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों से सम्बन्धित मैनुअल, संहिताएं, और अन्य प्रक्रिया साहित्य हिंदी और अंग्रेजी, दोनों में द्विभाषिक रूप में तैयार और प्रकाशित किए जाएंगे। सभी फार्मों और रजिस्टरों के शीर्ष, नामपट्ट, स्टेशनरी, आदि, की अन्य मदें भी हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में होंगी।

(झ) जिन कार्यालयों के 80 प्रतिशत या उससे अधिक कर्मचारियों को हिंदी का कार्य-साधक ज्ञान है, उन्हें अधिसूचित किया जाएगा। इस प्रकार अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट (स्पैसीफाई) करके उनमें काम

करने वाले हिंदी में प्रवीण कर्मचारियों को नोटिंग ड्राफ्टिंग आदि में केवल हिंदी का इस्तेमाल करने के लिए कहा जा सकता है।

(ण) प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह दायित्व होगा कि वह राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित करें।

राजभाषा-नीति के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों पर है। इस नीति के समन्वय का कार्य राजभाषा विभाग करता है। यह विभाग समन्वय के लिए वार्षिक कार्यक्रमों को तैयार जारी करने के अलावा अन्य कई समितियों के माध्यम से यह कार्य कर रहा है, जिनका विवरण इस प्रकार है:

(1) केन्द्रीय हिन्दी समिति

हिंदी के विकास और प्रसार तथा सरकारी कामकाज में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के संबंध में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों का समन्वय करने और नीति-संबंधी दिशा-निर्देश देने वाली यह सर्वोच्च समिति है। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित इस समिति में केन्द्रीय सरकार के 11 मंत्री एवं राज्यमंत्री, राज्यों के 8 मुख्यमंत्री, 7 संसद सदस्य तथा हिंदी के 10 विशिष्ट विद्वान शामिल हैं। राजभाषा विभाग के सचिव एवं भारत सरकार के हिंदी सलाहकार इसके सदस्य सचिव हैं।

(2) हिन्दी सलाहकार समितियां

सरकार का यह निर्णय है कि राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और इस संबंध में अवश्यक सलाह देने के लिए जनता के साथ अधिक संपर्क में आने वाले विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी सलाहकार समितियां गठित की जाएं। इस निर्णय के अनुसार अब तक 27 मंत्रालयों में उनके मंत्रियों की अध्यक्षता में हिन्दी सलाहकार समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों में संसद सदस्यों तथा हिन्दी के विशिष्ट विद्वानों के अतिरिक्त मंत्रालय विशेष के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। वे अपने-अपने मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के संबंध में आवश्यक विचार-विमर्श करके निर्णय लेते हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन समितियां

केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़ कर) 25 या इससे अधिक है, वहां राजभाषा कार्यान्वयन समितियां बनाई गई हैं। 1976 में लिए गए एक निर्णय के अनुसार ऐसे 58 नगरों में भी, जहां 10 या इनसे अधिक केन्द्रीय कार्यालय हैं, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। मंत्रालयों/विभागों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्षों को मिलाकर एक 'केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति' बनाई गई है जो उनकी समस्याओं पर आन्तरिक रूप से विचार करके उनका समाधान ढूंढती है।

राजभाषा के प्रयोग, प्रचार और प्रसार में यांत्रिक साधनों का अत्यन्त महत्व है। अब तक ये साधन केवल अंग्रेजी के लिए ही उपलब्ध थे परन्तु राजभाषा विभाग के सतत् प्रयास से इस क्षेत्र में आशाजनक प्रगति हुई है। कुछ वर्ष पहले देवनागरी के टाइपराइटरों का उत्पादन मांग के अनुसार नहीं था। किन्तु अब औद्योगिक विकास विभाग, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय एवं टाइपराइटर बनाने वाली कम्पनियों के प्रतिनिधियों के सहयोग से देवनागरी टाइपराइटरों के उत्पादन में प्रगति हुई है। इस समय देवनागरी टाइपराइटरों का उत्पादन मांग के अनुसार है।

कम्प्यूटर में देवनागरी लिपि तथा भारतीय भाषाओं के प्रयोग की सुविधाओं के विकास के संबंध में इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा इलैक्ट्रानिकी आयोग द्वारा विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। ई० सी० आई० एल०, बिरला इन्स्टीट्यूट, पिलानी, टाटा ब्रदर्स, बम्बई ने ऐसे कम्प्यूटरों के प्रोटोटाइप बनाए हैं जिनमें हिन्दी का प्रयोग किया जा सकेगा।

संचार मंत्रालय के अधीन एक सरकारी उपक्रम हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड द्वारा इलैक्ट्रानिकी टेलीप्रिन्टर्स बनाए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिन्टर्स के देवनागरी कुंजी-पटल की डिजाइन निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया जा चुका है।

इसी प्रकार बिजली से चलने वाले टाइपराइटरों, पता लेखी मशीनों और पिनप्वाइंट टाइपराइटरों के निर्माण के लिए भी कार्रवाही की जा रही है।

भारत सरकार के प्रेसों की हिन्दी मुद्रण क्षमता कुछ समय पहले तक संतोषजनक नहीं थी। आवास तथा निर्माण मंत्रालय के सहयोग से मुद्रण निदेशालय ने हिन्दी मुद्रण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जिससे इस दिशा में काफी प्रगति हुई है। पहले हिन्दी मुद्रण क्षमता केवल 400 पृष्ठ प्रतिदिन थी, अब यह बढ़कर 1200 पृष्ठ प्रतिदिन तक पहुंच गई है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होगा कि राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में पर्याप्त वृद्धि हुई है, किन्तु अब भी इसके मार्ग में बहुत सी रुकावटें हैं। यद्यपि अब तक पर्याप्त संख्या में सांविधानिक एवं गैर सांविधानिक साहित्य का अनुवाद हो चुका है, फिर भी अभी अनेक मैनुअलों, नियमों, अधिनियमों आदि का हिन्दी अनुवाद नहीं हो पाया है और सभी अनूदित साहित्य का अभी तक न तो प्रकाशन हो पाया है और न प्रचार ही। परिणामस्वरूप उनसे संबंधित क्षेत्रों में हिन्दी का प्रयोग करने में कठिनाइयां आ रही हैं। जो सरकारी कर्मचारी हिन्दी जानते भी हैं, वे भी द्विभाषिक रूप में कार्य करने की छूट होने के कारण हिन्दी के बजाए अंग्रेजी में ही काम करना पसन्द करते हैं। इसका कारण यह है कि एक तो वे पहले से अंग्रेजी में काम करने के अभ्यस्त रहे हैं, दूसरे हिन्दी में काम करने में वे कुछ हीनता अथवा संकोच का अनुभव करते हैं।

हिन्दी भाषी राज्य सरकारें भी, जहां अधिकांश कर्मचारी हिन्दी जानते हैं, अभी तक संपूर्ण कार्य हिन्दी में नहीं कर रहीं हैं। इससे अन्य राज्यों में हिन्दी का प्रयोग करने पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

यद्यपि राजभाषा अधिनियम एवं राजभाषा नियम के अनुसार अनेक कागज पत्रों एवं प्रकाशनों को द्विभाषिक रूप में अथवा हिन्दी और अंग्रेजी में अलग-अलग जारी करना पड़ता है, तथापि सरकारी प्रेसों की हिन्दी की मुद्रण क्षमता अभी भी संतोषजनक नहीं है। इससे न तो हिन्दी के प्रकाशन समय पर निकल पाते हैं और न ही समुचित मात्रा में हिन्दी का प्रयोग बढ़ पाता है। जिन सरकारी कर्मचारियों ने हिन्दी, हिन्दी आशुलिपि अथवा हिन्दी टाइपिंग की विभिन्न परीक्षाएं पास कर ली हैं वे भी हिंदी में काम करने में संकोच करते हैं। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए अभी तक मंत्रालयों विभागों, कार्यालयों आदि में समुचित हिन्दी स्टाफ की व्यवस्था नहीं हो पाई है। हिन्दी में काम करने का अभी तक अच्छा वातावरण नहीं बन पाया है और प्रायः सभी यही सोचते हैं कि उनके बजाए किसी और को हिन्दी में काम करना है।

इन कठिनाइयों के बावजूद, विविध प्रयासों के परिणामस्वरूप, हिन्दी का प्रयोग दिन पर दिन बढ़ रहा है। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों आदि से बराबर यह अनुरोध किया जा रहा है कि वे वार्षिक कार्यक्रमों को पूरा करने का भरसक प्रयास करें। हिन्दी में सर्वाधिक काम करने वाले मंत्रालयों/विभागों को शील्ड देने की व्यवस्था की गई है। अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी में सरकारी काम करने के लिए आशुलिपिकों तथा टाइपिस्टों को प्रोत्साहन भत्ता देने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त हिन्दी में एक सीमा तक काम करने वालों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की योजना विचाराधीन है। राजभाषा विभाग अपने विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम तथा राजभाषा नियमों की जानकारी देने का पूरा प्रयास कर रहा है। विभिन्न मंत्रालयों की हिन्दी सलाहकार समितियां तथा राजभाषा कार्यान्वयन समितियां हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। हिन्दी कार्यशालाओं के आयोजन से भी कर्मचारियों की झिझक दूर करके उन्हें हिन्दी में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राजभाषा विभाग तथा अन्य मंत्रालयों आदि के अधिकारियों द्वारा भिन्न-भिन्न कार्यालयों में जाकर वहां हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के मामले में अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों के समाधान का प्रयास किया जा रहा है। तात्पर्य यह है कि हिन्दी में काम करने का वातावरण बनाने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं।

राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के संबंध में छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 की वार्षिक योजना के लिए 8 योजनाएं—(1) हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के बारे में यांत्रिक साधनों के विकास के लिए यांत्रिक कक्ष की स्थापना (2) बम्बई में एक क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय की स्थापना, (3) सेमिनार और प्रदर्शनियां, (4) नई दिल्ली में केन्द्रीय हिन्दी संस्थान की स्थापना, (5) वर्तमान हिन्दी शिक्षण योजना को सुदृढ़ बनाना-सर्वकार्यभारी अधिकारियों का मानदेय बढ़ाना, (6) अनुसंधान एकक को सुदृढ़ बनाना, (7) केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो को सुदृढ़ बनाना-अनुवाद कार्य की क्षमता बढ़ाने की योजना और (8) अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम का विस्तार-योजना आयोग के विचारार्थ भेजी गई।

प्रसन्नता की बात है कि योजना आयोग ने इन योजनाओं के गुण-अवगुण के आधार पर गहराई से विचार कर इनका अनुमोदन कर दिया है। इनके अतिरिक्त हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत सर्वकार्यभारी अधिकारियों को मानदेय बढ़ाने के संबंध में वित्त प्रभाग की अनुमति प्राप्त हो गई है और इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिये गए हैं। शेष योजनाएं वित्त प्रभाग में विचाराधीन हैं। आशा है कि इन पर वित्त प्रभाग का अनुमोदन प्राप्त हो जायेगा। हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

यद्यपि हमारी मंजिल कुछ दूर अवश्य है किन्तु हम सशक्त और संतुलित कदमों से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। हमें आशा है कि हम वहां शीघ्र पहुंच सकेंगे। □□□

(पृष्ठ 17 का शेषांश)

उपर्युक्त चर्चा से हम देखते हैं कि अब ऐसा समय आ गया है कि भाषा विकास में हिन्दी की समर्थ और सशक्त भूमिका निभाने के लिये एक अखिल भारतीय शक्ति के रूप में उभरना है। इस अखिल भारतीय शक्ति के रूप में इसका उद्देश्य किसी भाषा को दबाना कदापि नहीं है बल्कि उन भाषाओं के विकास में अधिक से अधिक सहयोग देना है। तभी भाषायी कटुता समाप्त हो सकती है। वास्तव में इसे समन्वयवादी भाषा के रूप में कार्य करना है जिससे वह "एक परिवार" के आदर्श को बढ़ाते हुए राज्यों के बीच सम्बन्ध सुदृढ़ तो करे ही, साथ में भारत और अन्य देशों के सम्बन्धों में भी सहायक सिद्ध हो सके। इसके लिये हम सभी भारतीयों के एक जुट होने की आवश्यकता है, क्योंकि यह कार्य हमारे देश के सामूहिक प्रयत्नों से ही संभव हो सकेगा। □□□

हिन्दी का यथार्थ

—डा० गोपाल शर्मा
सचिव (कार्यान्वयन), तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन

बहुभाषी राष्ट्र में विविध भाषाओं का व्यवहार करने वाली प्रशासनिक इकाइयों के बीच संघ स्तर पर राजभाषा के प्रयोग के संबंध में विचार करते समय समस्या के कई आयाम सामने आते हैं। इस प्रसंग में दो महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित होते हैं — पहला तो यह कि प्रादेशिक इकाई की संघ संबंधी कल्पना क्या है ? दूसरा यह कि उनमें सांस्थानिक दृष्टि से बृहत्तर अस्मिता (काम्प्रीहेंसिव आइडेंटिटी) और देश के भौगोलिक विस्तार में बसे जन-समूह में संगठनात्मक दृढ़ता (सोलीडेरिटी) की आकांक्षा कितनी तीव्र है। एक प्रश्न राजनैतिक है और दूसरा सांस्कृतिक। कई राज्य सरकारों की आकांक्षाएं ऐसी प्रतीत होती हैं कि संघ को, शक्तियों के संबंध में प्रर्याप्त उदार होना चाहिए। भाषा नीति के निर्धारण में एवं प्रशासन के क्षेत्र में अपनी भाषा नीति के कार्यान्वयन में भी उनकी इच्छा के अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए। वास्तव में इस प्रकार के आग्रह से भाषा द्वारा राष्ट्रीय एकता का सारा आयोजन ही खटाई में पड़ जाता है।

जहां आर्थिक–तकनीकी क्षेत्र, नौकरियों में स्थान–आरक्षण और धर्मनिरपेक्षता जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक मामलों में, केन्द्रीय निर्णयों के अनुसार चलने में उन्हें किसी आपत्ति या कठिनाई का अनुभव नहीं होता, वहीं भाषा संबंधी निर्णयों के विषय में वे अभी तक सहमत नहीं हो सके हैं क्योंकि यह निर्णय उनके विचार से विभिन्न कार्यक्षेत्रों में "अवसर की असमानता" उत्पन्न करते हैं। इसके दूरगामी परिणाम ये हो सकते हैं कि बड़ी से बड़ी प्रादेशिक प्रतिभा या तो प्रदेश में ही बंधकर रह जाएगी या अंग्रेजी का सहारा लेकर संघ के व्यापक क्षेत्र में आ जाएगी। स्वतंत्रता संघर्ष के समय हिन्दी के प्रति जो सार्वत्रिक प्रेम था वह आज शिथिल पड़ गया है, किन्तु इस कारण राष्ट्र के संघटित विकास के लिए हिन्दी के माध्यम से उन्नति के समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्थित और कालबद्ध कार्यक्रम बनाने में संकोच नहीं किया जाना चाहिए और उस पर समुचित गति से अमल भी किया जाना चाहिए। वर्तमान प्रशासनिक कमियों को हिन्दी में शीघ्रातिशीघ्र प्रशिक्षित करना एक राष्ट्रीय महत्व का कार्य मानना चाहिए।

यह तो हुई तर्कसंगत बात किन्तु स्थिति यह है कि भाषा-वार राज्य की रचना ने अस्मिता (आइडेंटिटी) के भाव का दायरा भौगोलिक भाषिक सीमाओं तक ही सिकोड़ दिया है और संगठनात्मक दृढ़ता की संकल्पना को अस्मिता के उसी सीमित दायरे ने घेर लिया है। अतएव इस सांस्कृतिक घटना को विस्तृत आदर्शों की ओर प्रेरित करने के लिए अब हमें संस्कृति एंव प्रकार्य (फंक्शन) की प्रेरणाओं पर फिर से नजर डालनी होगी। ऊपर म इंगित कर चुका हूं कि संस्कृति की धारणा में राजनैतिक–आर्थिक तत्वों की प्रधानता होती जा रही है। चिन्तन, नैतिकता, दैनिक आचरण, पारस्परिक संबंधों आदि में मूल्यों का बदलाव आता जा रहा है। उसमें राष्ट्रभाषा को, जो कि महात्मा गांधी के समय में मूल्य की तरह अग्रसर की गई थी अब राष्ट्रीय-एकात्म्य के लिए उतना महत्व नहीं दिया जाता। यह बात रोजमर्रा की जीवन-पद्धति में भी स्पष्टतः उभरती आ रही है। हम भले ही भाषणों में इस बात पर जोर देते रहें, इस विषय में स्वतंत्रता संघर्ष काल की भावुकता अब नहीं रही। भारतीय समाज निरन्तर अर्थ- क्रियावादी (प्रेगेमेटिस्ट) होता चला जा रहा है। ऐसा लगता है कि इस स्थिति में हमें भाव-प्रधान प्रेरणाओं के स्थान पर कर्म और अर्थ-प्रधान प्रेरणाओं को जागृत करना होगा। कौटिल्य ने कहा ही है –

"अर्थ एव प्रधानः, अर्थ मूलौहि धर्म कामौ।"

अतएव हमें अब प्रकार्य (फंक्शन) को संस्कृति का साधक मानकर चलना होगा। वैसे औद्योगिक समाज शास्त्र की दृष्टि से भी "प्रकार्य" सामाजकि वर्गों में दोहरी संस्कृतियां उत्पन्न करता है। शाश्वत, सांस्कृतिक मूल्यों के साथ-साथ कार्य-क्षेत्र नये मूल्यों को जन्म देकर हमारे लोक-व्यवहार को अनुशासित करता है। इस प्रकार्यजनित संस्कृति की आधारभूमि पर हमें राष्ट्रीय-एकात्म्य की भावना को बल देना होगा। प्रकार्य की सामाजिक मनौवैज्ञानिक अनिवार्यताओं को उभार कर हमें कर्म और अर्थ-प्रधान आचरणों के बीच संगठन-दृढ़ता की ओर प्रेरित करेगा। इसलिए प्रयोजनी हिन्दी फंकशनल हिंदी का विकास और उसका प्रसार आज राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।

हिन्दी के संबंध में संविधान की धाराओं की बात तो बहुत की जाती है। उसकी अत्यंत महत्वपूर्ण टीका अर्थात राजभाषा आयोग की रिपोर्ट में व्यक्त चिंतन का उल्लेख बहुत कम किया जाता है। इस रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से लिखा है, (और यह सर्वविदित सत्य भी है) कि आज का प्रशासन जनजीवन के हर कर्म और भाव क्षेत्र को प्रभावित करता है। घर की चहार-दीवारी कितनी हो, आप कितने निकट के संबंधी से विवाह करें, पैतृक संपत्ति से आपको, आपकी बहन को कितना मिले, मंदिरों में किसे अनिवार्यता प्रवेश दिया जाये, मकान में आप किस प्रकार के उद्योग धंधे करें, इन सभी क्षेत्रों में आज प्रशासन का प्रवेश और अनुशासन है। जितने लोगों को प्रशासन प्रभावित करता है उतने लोगों की भाषा विविधता का प्रयोग शासन को मान्य करना होता है। इसीलिए प्रादेशिक क्षेत्र में भी भाषा उपभाषा, बोली, एवं स्थानीय शब्दावली आदि सभी को महत्व देना पड़ता है। प्रजातांत्रिक शासन की यह स्थिति अनोखी नहीं है। मुगलों और अंग्रेजों के सामने भी कुछ न कुछ सीमा तक यह स्थिति रही थी। प्राचीनकाल में भी ऐसी ही स्थिति प्रशासन एवं न्यायालयों में उपलब्ध थी। मुद्राराक्षस (संस्कृत) के न्यायालय में शौरसेनी, अर्धमागधी और संस्कृत—तीनों भाषाओं का व्यवहार मिलता है। उदाहरणार्थ——

अधिकरणिक :—कथं त्वया ज्ञातं यथा खल्वर्थ निमित्तं बाहुपाशेन —व्यापादिता ?

शकार : —हंहो, णूणं शूनशूणाए मोधट्ठाणाए गोवनिआए णिशुवण्णा केंहि आहलणट्ठाणेहिं तक्केमि।

श्रेष्ठिकायस्थौ :—जुज्जदि विअ ।

शकार : — (स्वागतम्) दिश्टिआ पच्चुज्जीविदम्हि । अविद मादिके ।

श्रेष्ठिकायस्थौ :—भो, कं एसो ववहारो अवलंबदि ।

अधिकरणिक :—वाक्यानुसारेण, अर्थानुसारेण च । यस्तावद्वाक्यानुसारेण, सखल्वर्थिप्रत्यर्थिभ्यः। यश्चार्थानुसारेण सा चाधिकरणिक बुद्धिनिष्पाद्यः।

श्रेष्ठिकायस्थौ : ता वसन्तसेणामादर अवलम्बदि ववहारो ।

अधिकरणिक :—एवमिदम् । भद्र शोधनक, वसन्तसेनामातरमनुद्वेज्यन्नाह्वय ।

(मृच्छकटिकम् —शूद्रक, पृ० 4, 5)

हजारों वर्ष पहले स्वयं संस्कृत का भी द्विजी और मानुषी दो रूपों का प्रयोग होता था। फिर प्राकृत और अपभ्रंशादि के स्थान और लोक-व्यवहारगत भेद प्रयोग में आए। मुगलों के शासन काल में भी अनेक लोकभाषाओं का प्रयोग होता था और जब अंग्रेजों का शासन आया तो उनके न्यायालयों में तरह-तरह के भाषा रूपों से लोग बयान देते थे। उन्हें रिकार्ड करके उसके अनुवाद के द्वारा मामले की छानबीन करके निर्णय दिया जाता था। निष्कर्ष यह निकलता है कि भारत जैसे विशाल देश के प्रशासन में विभिन्न क्षेत्रों में, अनेक स्तरों पर, तरह-तरह की भाषाओं का प्रयोग इतिहास और संस्कृति का यथार्थ है। इसका प्रधान कारण शासन का व्यापक विस्तार और जनता के भाषिक व्यवहार की विविधता ही माना जा सकता है।

नाम तुम्हार कैया है ?	आतमाराम
कहां रहता है व केआ काम करता है ?	वीरभुम मी रहते हैं वो कलकतर उश जीले के हैं तीन्ह के हम चपरासी हैं।
जीलो बीहार मो कीश वाशते आए थे ?	सरकार के काम बाशते आए हैं।

कचहरी की कार्रवाई से संबंद्ध भाषा : (प्राचीन पत्र संग्रह : डॉ० धीरेन्द्र वर्मा)

तब यह प्रश्न सामने आता है कि भारत में हिंदी को संपर्क और राजभाषा के रूप में अखिल भारतीय स्तर पर प्रयोग में लाने का तात्पर्य यह है कि मानक हिंदी की वर्तमान संकल्पना को सामने रखते हुए केन्द्रवर्ती कार्यों में उसका प्रयोग हो किन्तु क्षेत्रीय विविधताएं भी स्वीकार्य हों और सार्वदेशिक मानकीकरण को सामाजिक क्रिया-प्रतिक्रया से उभरने को छोड़ दिया जाए। सम्पर्क भाषा का रूप "कामचलाऊ" आपसी व्यवहार की हिन्दी का हो परन्तु विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जिस रूप के रजिस्टर या प्रयुक्तियां आज विकसित हो रही हैं, उनका प्रयोग हो। इस तरह राजभाषा का विकासमान प्रयुक्ति रूप ही अखिल भारतीय स्तर के कार्यक्षेत्र में प्रवेश दिलाने के लिए अर्थमूलक सबल प्रेरक तत्व बनेगा और सभी क्षेत्रों के अखिल भारतीय स्तर पर आने के इच्छुक व्यक्तियों को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित करेगा। बहुत हद तक यह हो भी रहा है।

इस समय अहिन्दी प्रान्तों में हिंदी अध्ययन के मूल उद्देश्यों पर अनुसंधान किया जाए तो यही निष्कर्ष निकलेगा कि ज्यादातर लोग सामान्य सामाजिक व्यवहार की हिन्दी पर अधिकार प्राप्त कर राजभाषा हिन्दी के विविध प्रयोजनी रूपों का विशेष अध्ययन करना चाहते हैं। उनका

रुझान इसी ओर अधिक है। प्रचार संस्थाओं से भी सरकारी कामकाज की हिन्दी सिखाने की मांग बहुत अधिक मात्रा में की जा रही है। राष्ट्र की संगठनात्मक दृढ़ता में यदि अब हिन्दी भाषा को भी अपनी भूमिका अदा करनी है तो वह प्रयोजनी हिन्दी की ही होगी।

उपर्युक्त चिन्तन में इस बात की ओर संकेत किया गया है कि संपर्क भाषा हिंदी का रूप विभिन्न क्षेत्रों में "प्रादेशिकता" भी विकसित कर सकता है। हिन्दी क्षेत्र में ही जिसे हम मानक हिन्दी मानते हैं उसके विविध रूप प्रचलित हैं, तो हमें यह मानकर ही चलना होगा कि अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में बोली जाने वाली हिंदी में उनकी शब्दावली और मुहावरे आदि का मिश्रण हो जाना स्वाभाविक है।

इस प्रसंग में भिखारी दास ने "काव्य निर्णय" में ब्रज भाषा के रूप पर जो विचार व्यक्त किए हैं वे बड़े सटीक हैं—

ब्रजभाषा भाषा रुचिर कहै सुमति सब कोय।
मिलै संस्कृत पारस्यौ पै अति प्रगट जु होय ।।

ब्रज मागधी मिलै अमर नाग रावन भाखानि।
सहज पारसी हू मिलै षट विध कहत बखानि ।।

ऐसी परिस्थिति में हमें राजभाषा हिन्दी के मानक रूप पर विचार कर लेना चाहिए। हिन्दी राजभाषा की विभिन्न प्रयुक्तियां अभी विकास अवस्था से गुजर रही हैं। भारत सरकार इस बात का पूरा प्रयत्न कर रही है कि कम से कम हिंदी प्रांतों में समान प्रशासनिक शब्दावलियों का प्रयोग हो। किन्तु अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राजभाषा के प्रचार की दृष्टि से हमें कुछ उदार दृष्टिकोण अपनाना होगा अर्थात् प्रयोजनमूलक हिन्दी सीखने वाले अफसर या कर्मचारी आरंभ में अपनी प्रान्तीय भाषा अथवा अपने राज्य की राजभाषा की शब्दावली अथवा प्रयुक्तियों का सम्मिश्रण कर देते हैं तो संक्रातिकाल में उन्हें हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि कोई मराठी भाषी यह कहता है कि "जाहिरात देने के बरोबर ही में वर्तमान पत्र के संपादक को भेंट देने गया था"। अथवा बंगाली भाषी यह कहता है कि "आपके प्रस्ताव पर विभाग में चिंता की जा रही है" या कोई अपने हिन्दी टिप्पण में अंग्रेजी शब्दों का मिश्रण कर देता है तो हमें कुछ समय तक ऐसी टिप्पणियों से चौंकना नहीं चाहिए, ताकि लोग बिना झिझक हिंदी लिखने के लिए प्रवृत्त हों। जिस तरह कबीर की हिन्दी "सधुक्कड़ी" मानकर स्वीकार की जाती है उसी तरह इस "आन्तर्भारती" को भी समुचित मान्यता देना उसके प्रचार में सहायक होगा।

मानक रूप का विकास इसके साथ ही साथ करते जाना चाहिए और प्रशिक्षण एवं विभिन्न पुस्तिकाओं द्वारा इस तरह के अहिंदी भाषी उत्साही सज्जनों को सही रूपों का ज्ञान कराते जाना चाहिए। "शुद्ध हिन्दी" का हौआ बहुत से हिन्दी-प्रवण लोगों में झिझक पैदा कर देता है।

सारांश में यही कहा जा सकता है कि हिन्दी के वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और भाषिक यथार्थ को ध्यान में रखते हुए राजभाषा की योजनाओं पर कार्यान्वियन करना उपयोगी होगा। इस दृष्टिकोण से हिन्दी के प्रति जो अभी संकोच और विरोध की भावना है दूर करने में सहायता मिलेगी और भाषा के सहारे राष्ट्रीय एकता को बल मिलेगा। हो सकता है कि इसी तरह के मिश्रित रूपों से गुजरते हुए संविधान के अनुच्छेद 351 में निर्दिष्ट हिन्दी का विकास हो। □□□

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और राष्ट्रभाषा हिन्दी

—शंकरराव लोंढे
महासचिव (संगठन), तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन, नई दिल्ली

राष्ट्रीय आन्दोलन के दिनों की बात है। भारतीय जन-मानस देश की आजादी के लिये उमड़ पड़ा था। इस समय भारतीय नेताओं ने यह महसूस किया कि इस आन्दोलन को व्यापक बनाने के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे देश के अधिकांश लोग बोल और समझ सकते हों। इस तरह की विशेषतायें हिन्दी में पाई गईं। इन नेताओं में प्रमुख थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने हिन्दी की व्यापकता, सरलता और लोकप्रियता के कारण इसे राष्ट्रीय आन्दोलन की भाषा के रूप में ग्रहण किया। हिन्दी की व्यापकता को राजा राममोहन राय, केशवचन्द्र सैन, बाल गंगाधर तिलक, शारदाचरण मित्र, स्वामी दयानन्द आदि समाज सुधारकों एवं स्वतन्त्रता सेनानियों ने गांधी जी से पहले ही स्वीकार कर लिया था। अतः गांधी जी को इसे राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने में ज्यादा कठिनाई नहीं हुई और उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ-साथ के हिन्दी के प्रचार-प्रसार का आन्दोलन भी प्रारम्भ कर दिया। उन्होंने 'इण्डियन ओपीनियन' में स्पष्ट रूप से कहा था "हिन्दी भाषा अपने आप में बहुत मीठी, नम्र और ओजस्वी है। हर एक पाठशाला में स्वभाषा के अतिरिक्त इस भाषा (हिन्दी) का शिक्षण दिया जाना चाहिए। अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों में बचपन से ही हिन्दी भाषा बोलने की आदत डालें तभी भारत वास्तविक रूप में एक राष्ट्र बन सकेगा।" वास्तव में महात्मा गांधी जानते थे कि राष्ट्रीय एकता के लिए केवल एक ही भाषा समर्थ भूमिका निभा सकती है और वह है हिन्दी। हिन्दी किसी विशेष समुदाय की भाषा नहीं है वरन् वह सर्व जनभाषा है। अतः इसे ही अपनाना हमारे राष्ट्रीय हित में है।

महात्मा गांधी ने किसी भी भाषा में राष्ट्रभाषा बनने के लिए पांच गुण भी बताये हैं:—

(1) वह भाषा सरकारी अधिकारियों के लिए सरल होनी चाहिए,

(2) वह समूचे भारत में धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक सम्पर्क के माध्यम के रूप में प्रयोग के लिए समर्थ हो,

(3) वह भारत के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती हो,

(4) सारे देश को उसे सीखने में आसानी हो, और

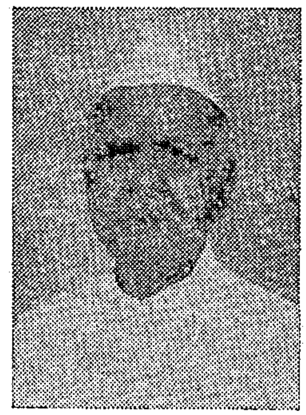

(5) ऐसी भाषा को चुनते समय अस्थायी या क्षणिक हितों पर ध्यान न दिया जाए।

इस दृष्टि से केवल हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जिस में उपर्युक्त सभी गुण मिलते हैं। हिन्दी के ही माध्यम से जन सामान्य तक पहुंचना आसान है और सरकार तथा जनता के बीच यह भाषा सम्पर्क स्थापित करने में सक्षम है। इसी लिए, गांधीजी एक ऐसी हिन्दी के पक्ष में हैं जिसे सभी वर्गों के लोग स्वीकार कर सकें। इसीलिए उन्होंने अपनी पुस्तक 'हिन्द स्वराज्य' में कहा था कि "हर एक पढ़े-लिखें हिन्दुस्तानी को अपनी भाषा का, हिन्दू को संस्कृत का, मुसलमान को अरबी का, पारसी को परशियन का और सबको हिन्दी का ज्ञान होना चाहिए। उत्तर व पश्चिम में रहने वाले हिन्दुस्तानी को तमिल सीखनी चाहिए और सारे हिन्दुस्तान के लिए हिन्दी होनी ही चाहिए।" 1964 में शिक्षा आयोग ने जो त्रिभाषा सूत्र की बात रखी थी, गांधी जी ने बहुत पहले ही इसके संकेत दे दिए थे। किन्तु दुर्भाग्यवश वह त्रिभाषा सूत्र अन्य कारणों से सफल न हो सका।

अंग्रेजी साम्राज्य अंग्रेजी भाषा का प्रचार-प्रसार का हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं को समाप्त करना चाहता था ताकि भारतीय संस्कृति, साहित्य और धर्म भारत से मिट जाए। इसीलिए लार्ड मैकाले का प्रयास रहा कि भारतीय भाषाओं को हीन दिखाया जाए और अंग्रेजी को श्रेष्ठ। गांधी जी अंग्रेजों की इस कूटनीति को समझ गए थे। इसीलिए उन्होंने अपनी मातृभाषा को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए मार्मिक शब्दों में कहा था "मेरी मातृभाषा में कितनी ही खामिया क्यों न हों, मैं इससे उसी तरह चिपटा रहूंगा जिस तरह बच्चा

अपनी मां की छाती से। वही मुझे जीवनदायी दूध दे सकती है। अगर अंग्रेजी उस जगह को हड़पना चाहती है, जिसकी वह हकदार नहीं है तो मैं उससे सख्त नफरत करूंगा।" वास्तव में गांधी जी का यह स्पष्ट मत था कि हमें अपनी भाषा में जितना आनन्द, प्यार एवं स्नेह मिल सकता है, उतना किसी विदेशी भाषा में कदापि नहीं। किन्तु खेद है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भी हम अपनी मातृभाषा को हीन समझ रहे हैं और अंग्रेजी के पीछे भागते फिर रहे हैं। वास्तव में यह हमारी दासता की निशानी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी ने "हिन्द स्वराज्य" में कहा था कि "मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा की जो बुनियाद डाली, वह सचमुच गुलामी की बुनियाद थी। अंग्रेजी का अधकचरा ज्ञान क्या कुछ कम दम्भ है? यह गुलामी की हद नहीं तो और क्या है? हिन्दुस्तान को गुलाम बनाने वाले तो हम अंग्रेजी जानने वाले लोग हैं।" आज से पचास साठ वर्ष पूर्व गांधी जी ने चेतावनी दी थी लेकिन आज स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भी हम अंग्रेजी में बोलना, प्रतिष्ठाजनक मानते हैं। अपनी भाषाओं को नकार कर अंग्रेजी अपनाकर हम अपने आपको ऊंचा समझने लगते हैं जो हमारे राष्ट्र के लियें हानिकारक है।

एक बार अखिल भारतीय एक भाषा सम्मेलन, लखनऊ में गांधी जी ने सामान्य जीवन में और न्यायालयी कार्यों में हिन्दी अपनाने पर बल देते हुए कहा था कि "मैं आप सब भाइयों से टूटी-फूटी हिन्दी ही में बोलता हूं। थोड़ी अंग्रेजी बोलने में भी मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो मुझे इससे पाप लगता है।" गांधी जी के इस वक्तव्य से हम आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। एक अहिन्दी भाषी और गुजराती भाषी महात्मा के ये शब्द उनके अन्तःस्थल से निकले होंगे और उनका यही आशय था कि हम यदि लगन और मन से हिन्दी का प्रयोग करें तो कोई कारण नहीं कि हम हिन्दी नहीं सीख पायें। उन्हें अपनी भाषा को बोलने में, चाहे वह टूटी-फूटी ही क्यों न हो, आनन्द आता था दुःख नहीं।

गांधी जी का यह स्पष्ट मत था कि जो अपनी भाषा से प्यार नहीं करता वह अपने देश से प्यार नहीं करता। इसी बात को उन्होंने एक बार जोरदार शब्दों में बिहार छात्र सम्मेलन, भागलपुर में कहा था "जो मातृभाषा किंवा राष्ट्र-भाषा का अपमान करता है, वह स्वदेश भक्त कहलाने लायक नहीं है। बहुत से लोग ऐसा कहते सुने जाते हैं कि हमारी भाषा में ऐसे शब्द नहीं, जिनमें हमारे ऊंचे विचार प्रकट किये जा सकें। किन्तु यह कोई भाषा का दोष नहीं।" भाषा को बनाना और बढ़ाना हमारा अपना ही कर्त्तव्य है। गांधी जी के इस कथन से यह लगता है कि उनका यह सुस्पष्ट विचार था कि भाषा न तो अविकसित होती है और न ही विकसित। विकसित या अविकसित होता है उस भाषा का प्रयोग क्षेत्र। आप भाषा का प्रयोग जितना अधिक करेंगे उसका विकास उतना ही अधिक होगा और वह विभिन्न कार्य क्षेत्रों एवं विषय क्षेत्रों में बढ़ती चली जायेगी। प्रारम्भ में अंग्रेजी की भी यही स्थिति थी। इसके प्रयोग क्षेत्र बढ़ने के साथ-साथ इसका विकास होता गया और आज यह विश्व की महत्वपूर्ण भाषा में से एक है।

आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी का महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। मैकाले द्वारा प्रतिपादित यह शिक्षा प्रणाली हमारी भारतीय स्थिति के अनुकूल नहीं है। विदेशी भाषा को सीखने में जितना समय और श्रम खर्च होता है लेकिन उतना उस पर अधिकार नहीं हो पाता, क्योंकि विदेशी भाषा का न तो हमारी संस्कृति, हमारे समाज और हमारी परम्परा से सम्बन्ध है और न ही यह हमारे संस्कारजन्य मनोभावों को पूर्णतया अभिव्यक्त करने में सक्षम है। इसीलिए अंग्रेजी शिक्षा पर प्रहार करते हुए महात्मा जी ने कहा था, "अंग्रेजी ने हमें मानसिक रूप से पंगु बना दिया है तो आज भारत स्वतन्त्र होता, तब हमारे पढ़े-लिखे लोग अपने ही देश में विदेशियों की तरह अजनबी न होते, बल्कि देश के हृदय को छूने वाली वाणी बोलते, वे गरीब से गरीब लोगों के बीच काम करते और उनकी उपलब्धियां, उनका ज्ञान पूरे देश की विरासत होती। क्या यह लज्जा की बात नहीं कि शानदार आविष्कारों से भी जनता का कुछ लेना देना नहीं रहता। उनका यहां यही अभिप्राय था कि अपनी भाषा में हम मन की बात को खुले रूप में व्यक्त कर सकते हैं किसी विदेशी भाषा को अपनाने से हम अपने देश में ही पराये हो जाते हैं। हमारी अपनी भाषाओं में सामर्थ्य और क्षमता है जो ज्ञान-विज्ञान की जानकारी पूरी तरह से दे सकती हैं। यदि ये भाषाएं ऐसा नहीं कर सकतीं तो हम इस संसार में रहने योग्य नहीं हैं। "यदि आप मुझ से कहें कि हमारी भाषाओं में उक्त विचार अभिव्यक्त किये नहीं जा सकते, तब तो हमारा संसार से उठ जाना अच्छा है, क्योंकि हमारी भाषा हमारा ही प्रतिबिम्ब है।" ये हैं गांधी जी के अपनी भाषा के प्रति उद्‌गार।

वास्तव में गांधी जी तो हिन्दी को राष्ट्रभाषा ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे। 1947 में एशियाई सम्मेलन में गांधी जी ने अपना भाषण हिन्दी में दिया था। उस सम्मेलन में बाहर का कोई भी प्रतिनिधि हिन्दी नहीं जानता था। उन्होंने अपना भाषण प्रारम्भ करते हुए कहा था कि "मैं स्वदेशी भाषा में आपके सामने बोल रहा हूं। मेरे जी में यह कहने में जरा भी इच्छा नहीं होती कि मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं। ऐसा कह कर मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता। आप मेरी राष्ट्रभाषा नहीं समझ सकते, परन्तु कोशिश कीजिये। हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी है। दुनिया के देश-देश के व्यवहार को चलाने के लिये आज अंग्रेजी भाषा का पहला स्थान है यह बात सच है। उस दर्जे पर पहुंचने में हमारी राष्ट्रभाषा को देर भी लगेगी।" अफसोस है आज हमारे देश में हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने में इतनी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात तो दूर रही।

(शेष पृष्ठ 37 पर)

हिन्दी की विधि शब्दावली

—ब्रजकिशोर शर्मा

संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी,
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

हिन्दी के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि उसे कभी भी राज्याश्रय नहीं मिला—न तो अंग्रेजों के शासन काल में और न उसके पहले, और इसीलिए उसका न्यायालयों में भी प्रवेश नहीं हो सका।

1950 में जब भारत का संविधान बना तब भारत की जनता की भावनाओं का आदर करते हुए संविधान सभा ने सर्वसम्मति से यह स्वीकार किया कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। यह उल्लेखनीय है कि संविधान सभा में हिंदी को स्वीकार करने का निर्णय सर्वसम्मति से किया गया था।

किन्तु केवल संविधान में उल्लेख कर देने मात्र से व्यावहारिक कठिनाइयां दूर नहीं हो जातीं। संविधान निर्माता भी इस बात की ओर सजग थे। उन्होंने संविधान में यह उपबन्ध किया कि संविधान के प्रारम्भ के पांच वर्ष बाद राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे जो हिंदी भाषा के राजकाज में प्रयोग केस भी पहलुओं पर विचार करके, सिफारिश करेगा।

राष्ट्रपति ने 7 जून, 1955 को श्री बी० जी० खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग ने 31 जुलाई, 1956 को अपनी रिपोर्ट दी। आयोग ने सरकारी काम-काज की भाषा से संबंधित सभी बातों पर गहराई से विचार किया और देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रपति को भाषा के बारे में अपनाई जाने वाली नीति के सम्बन्ध में, सलाह दी।

इसके वाद संसद् के दोनों सदनों ने मिलकर राजभाषा समिति गठित की। इसकी पहली बैठक 1957 में हुई। इसके अध्यक्ष तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविन्द वल्लभ पन्त चुने गए।

राष्ट्रपति ने पन्त समिति की रिपोर्ट पर विचार करके एक आदेश जारी किया। यह आदेश 27 अप्रैल, 1960 को जारी हुआ। इस आदेश से ही "विधि के क्षेत्र में" हिंदी के पदार्पण का सूत्रपात हुआ।

खेर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि विधि के क्षेत्र में हिंदी को लाने के पहले कुछ तैयारियां करनी होंगी। इन तैयारियों में जो मुख्य काम गिनाए गए, वे थे :

1. हिंदी में शब्दावली का विकास और 2. विद्यमान केन्द्रीय अधिनियमों का हिंदी पाठ तैयार करना।

तैयारियों की योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने का काम भारत सरकार के विधि मंत्रालय को सौंपा गया।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि देश में शब्दावली तैयार करने का काम दो भागों में विभाजित किया गया था। विज्ञान और तकनीकी शब्दावली के निर्माण की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय को दी गई और विधि शब्दावली के विकास की विधि मंत्रालय को।

विधि शब्दावली कैसी हो इसके बारे में भी राष्ट्रपति आदेश में कुछ संकेत मिलते हैं। एक तो यह कि शब्दावली तैयार करने में मुख्य लक्ष्य उसकी स्पष्टता, यथार्थता और सरलता होनी चाहिए। दूसरे, सब भारतीय भाषाओं के लिए शब्दावली का विकास करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जहां तक हो सके अधिकतम एकरूपता हो।

विधि मंत्रालय ने 1961 में एक आयोग की स्थापना की। इस आयोग में सभी भारतीय भाषाओं के प्रतिनिधि थे जो विधि के विशेषज्ञ भी थे। आयोग ने यह तय किया कि केन्द्रीय अधिनियमों का अनुवाद प्रारम्भ किया जाए। अनुवाद करते समय अंग्रेजी के तकनीकी शब्दों के लिए हिंदी पर्याय चुने जाएं। उपयुक्त पाने पर उन्हें स्थिर कर लिया जाए, जिससे आगे उन्हीं शब्दों का प्रयोग हो। शब्दों का चयन करते समय यह भी ध्यान में रखा जाए कि वह शब्द अन्य भारतीय भाषाओं में भी स्वीकार किया जाएगा या नहीं। इस प्रकार अनुवाद कार्य के साथ-साथ ही शब्दावली का विकास होता गया। 1970 तक आयोग ने इंडियन पेनल कोड, इंडियन एविडेंस ऐक्ट, ट्रांसफर आफ प्रापर्टी एक्ट, आदि कुछ अधिनियमों का अनुवाद कर लिया था। उनमें प्रयुक्त हिंदी शब्दावली को पुस्तक के रूप में 1970 में प्रकाशित किया गया। इसमें लगभग दस हजार प्रविष्टियां थीं। 1976 में आयोग की समाप्ति के बाद उसके स्थान पर विधि मंत्रालय का ही राजभाषा खंड वे सब कार्य कर रहा है जो पहले अयोग करता था। इसमें भी सभी भारतीय भाषाओं के विधि विशेषज्ञ हैं। राजभाषा खंड ने 1979 में विधि शब्दावली का दूसरा संस्करण निकाला। यह संस्करण पहले संस्करण की तुलना में बहुत बड़ा है। इसमें लगभग 34 हजार प्रविष्टियां हैं। इसमें अंग्रेजी के तकनीकी शब्दों का अंग्रेजी में अर्थ के साथ हिंदी पर्यायवाची भी दिया गया है। यह संकेत भी दिया गया है कि इनका प्रयोग कहां हुआ है। जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं वहां अलग-अलग अर्थों को स्पष्ट किया गया है। इस शब्दावली का तीसरा संस्करण हाल ही में प्रकाशित हुआ है।

इससे सभी सहमत हैं कि शब्दावली सरल हो, प्रमित हो और स्पष्ट हो। इसके साथ ही विधि में यह आवश्यक हो जाता है कि वह विधि की बारीकियों को अभिव्यंजना

देने में सक्षम हो। विधि की भाषा की रचना करते समय सज्जन को नहीं दुर्जन को ध्यान में रखा जाता है। शब्द इस प्रकार चुने जाते हैं और वाक्य ऐसे बनाए जाते हैं कि दुर्भावपूर्वक भी उसका कोई दूसरा अर्थ न निकाल पाए। वही अर्थ निकले जो प्रारूपकार चाहता है। इसलिए मूल में ही वाक्य रचना बोझिल हो जाती है और शब्द भी अटपटे से लगते हैं। किंतु यह दोष न तो प्रारूपकार का है और न भाषा का। यह दोष निर्वचन की उस पद्धति का है जो हमने अंग्रजों से ली है।

तुलसी दास जी ने अपनी भाषा को **"बुध विश्राम सकल जन रंजनि"** कहा है। हिंदी में भी शब्दावली बनाते समय इसी सूत्र को ध्यान में रखा गया है अर्थात् एक ओर तो भाषा विधि के विशेषज्ञों के हाथ में आकर विधि की सभी जटिलताओं को सही-सही ढंग से अभिव्यक्त कर सके और दूसरी ओर साधारण जन भी उसे पढ़कर समझ ले। इसलिए जो शब्द अखिल भारतीय प्रचलन में आ गए थे वे चाहे अंग्रेजी मूल के हों या अरबी फारसी मूल के, उन्हें विधि शब्दावली में आत्मसात कर लिया गया है। अंग्रेजी मूल के शब्दो के उदाहरण हैं— **मजिस्ट्रेट, समन वारण्ट, पेंशन, फीस, डिक्री, अपील, रेल, कंपनी, टैरिफ बैंक, चैक,** आदि। अरबी–फारसी मूल के स्वीकार किए गए शब्दों के उदाहरण हैं—**अर्जी, वसीयत, असर, असली आमदनी, कार, गफलत, जमानत, तामील, इजाजत, कार्रवाई** आदि: यही नहीं, अन्य भारतीय भाषाओं से भी कुछ शब्द लिए गए हैं। जैसे अंग्रेजी के **एन्कम्ब्रेंस** के लिए **तमिल** का **विल्लंगम** रखा गया है –**डिस्ट्रेस** के लिए **करस्थम, पान** के लिए **पण्यम**।

विधि की अलग-अलग संकल्पनाओं के लिए अलग-अलग शब्द निश्चित किए गए हैं। 'ऐक्ट, लॉ, बाईला, बिल, कोड, एंनेक्टमेंट, आर्डिनेंस, रूल, रेगुलेशन—ये सभी शब्द विधि में अलग-अलग अर्थ रखते हैं। इनमें से प्रत्येक के लिए हिंदी में अलग-अलग शब्द का होना आवश्यक है और रखा भी गया है।

सामान्य बोलचाल में हम कह देते हैं कि अमुक व्यक्ति छोड़ दिया गया और संदर्भ से उसका सही अर्थ भी ले लिया जाता है। किन्तु विधि में रिलीज, डिस्चार्ज और एविक्ट के लिए अलग-अलग पर्याय आवश्यक हैं।

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विधि की शब्दावली विकसित की गई है। आज के युग में जहाँ भाषा को भी योजनावद्ध विकास का विषय बनाया गया है वहाँ भारत का यह प्रयोग विश्व में अनूठा है। वैज्ञानिक ढंग से शब्द-भण्डार में इतनी बड़ी वृद्धि किसी भाषा में नहीं की गई।

इस शब्दावली का आज विभिन्न स्तरों पर प्रयोग हो रहा है इस शब्दावली के आधार पर पुस्तकें लिखी जा रही हैं। विद्यालयों में पढ़ाई हो रही है। न्यायालय निर्णय दे रहे हैं। संसद् में विधेयक प्रस्तुत किए जा रहे हैं

इस प्रकार तैयारी का एक बहुत बड़ा कार्य सम्पन्न हो गया है। किन्तु जो शेष है वह कम नहीं है।

इस लेख के द्वारा मैं हिन्दी प्रेमियों का ध्यान कुछ विशेष बातों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ—पहली बात तो यह है कि हिंदी प्रेमी आज भी यह कहते सुनाई पड़ते हैं कि शब्दावली कैसी हो या कैसी न हो। मैं विनम्रतापूर्वक उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि शब्दावली अब तैयार हो चुकी है, आवश्यकता इस बात की है कि आप उसकी जानकारी प्राप्त करें और उसका प्रयोग करें। जब कार्य पूरा हो गया है तब वह कैसे किया जाए यह बताने की आवश्यकता नहीं रह गई। हिन्दी की विधि शब्दावली के जो आधारिक शब्द हैं वे असमिया, बंगला, उड़िया, कन्नड़, मलयालम, मराठी आदि अधिकांश भारतीय भाषाओं में भी प्रयोग किए जा रहे हैं। वाद, वादी, प्रतिवादी, न्यायालय, आदेश, संविधान, अधिनियम आदि शब्दों का प्रचलन अखिल भारतीय हो गया है।

शब्द सरल या कठिन नहीं होते वे केवल परिचित या अपरिचित होते हैं। हिन्दी को विधि के क्षेत्र में सभी जटिलताओं को अभिव्यक्त करने में सक्षम बनाने के लिए कुछ थोड़े से शब्द आपके सामने ऐसे भी आ सकते हैं जिनसे आप अपरिचित हों। यहां हम सबका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम अपना ज्ञान बढ़ाएं। शब्द देखकर भड़कें नहीं, उन्हें समझने का प्रयत्न करें। जब हम विधि में नई शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं तब एकरूपता की दृष्टि से यह परम आवश्यक है कि हम सब एक ही शब्द भंडार से शब्द ग्रहण करें। यदि अंग्रेजी के एक ही शब्द के लिए भिन्न-भिन्न प्रदेशों में या भिन्न-भिन्न कार्यालयों में अलग-अलग शब्दों का प्रयोग होगा तो उससे हम या तो एक दूसरे को गलत समझेंगे या समझ नहीं पाएंगे। हिन्दी में जो एकरूपता का अभाव है, वह हिंदी की शब्दावली के कारण नहीं बल्कि उसके प्रयोग करने वालों के अज्ञान के कारण है विधि-शब्दावली में **कंट्रैक्ट** के लिए **संविदा, एग्रीमेंट** के लिए **करार** और **स्टिपुलेशन** के लिए **अनुबन्ध** तय किया गया है। पर कुछ लोग **कंट्रैक्ट** के स्थान पर **अनुबंध** का प्रयोग करते हैं। इस भूल का कारण विधि से संबंधित अज्ञान भी हो सकता है। जैसे कुछ समय पहले मैंने समाचार में सुना था कि "न्यायालय ने निर्णय सुरक्षित रख लिया।" **"जजमेंट हैज बीन रिजर्वड"** का अर्थ सुरक्षित रखना या आरक्षित रखना नहीं है। वहाँ तो सीधा सादा मतलब है कि न्यायालय ने यह कहा कि निर्णय बाद में सुनाया जाएगा। इसलिए मेरा सभी हिंदी प्रेमियों से और हिंदी में काम करने वाले व्यक्तियों से अनुरोध है कि विधि से संबंधित शब्दों या अभिव्यक्तियों के हिंदी में पर्याय वही रखें जो प्रामाणिक विधि शब्दावली में हैं। इससे एकरूपता को तो बढ़ावा मिलेगा ही साथ ही वे गलती करने से भी बच जाएंगे। यह भी हिंदी की और देश की सेवा होगी। □□□

चित्र समाचार

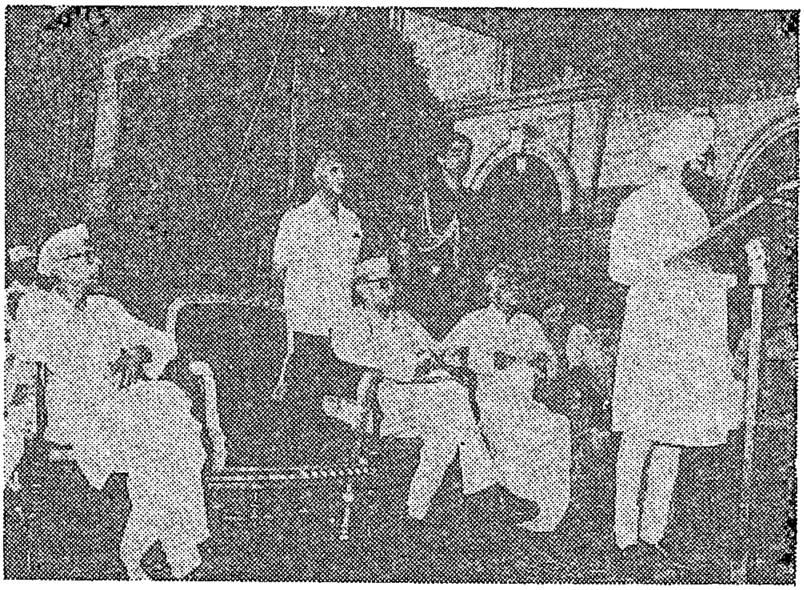

आचार्य क्षेमचन्द्र 'सुमन' के ग्रंथ 'दिवंगत हिन्दी सेवी' के द्वितीय खण्ड का प्रकाशनोद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। बाएं से—आचार्य क्षेमचन्द्र 'सुमन', श्री विष्णु प्रभाकर एवं डां० विजयेन्द्र स्नातक।

नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक (कार्मिक) हिन्दी दिवस के अवसर पर बोलते हुए। बाएं से—मंच पर निगम के उपमहाप्रबंधक श्री वेंकटरामन, उपप्रबंधक (कार्मिक) श्री आर० वी० शाही, हिन्दी लेखिका चित्रा मुद्गल तथा श्री वी० के० मंजोत्रा, निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय।

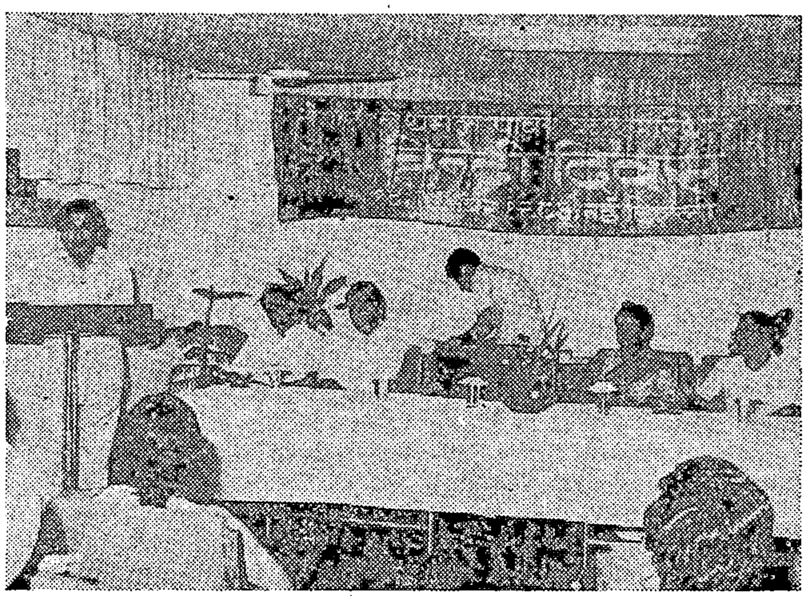

इलेक्ट्रानिकी विभाग की कार्यशाला में बाएं से—प्रो० अशोक चन्द्र (निदेशक जनशक्ति), श्री बी० जी० जोशी, एकीकृत वित्तीय सलाहकार, श्री प्रणब कुमार बन्धोपाध्याय, निदेशक (प्रशासन) तथा श्री हरि बाबू कंसल।

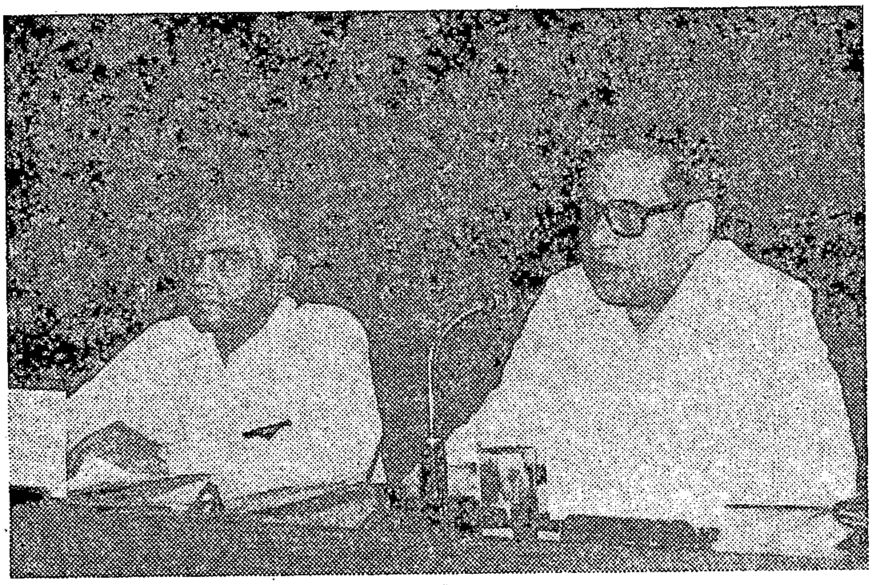

राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित राजभाषा शील्ड एवं अन्य पुरस्कारों के वितरण समारोह के अवसर पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में बोलते हुए गृह मंत्री श्री प्रकाश चन्द सेठी । साथ में बैठे हैं राजभाषा विभाग के सचिव श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव ।

इलाहाबाद नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में बोलते हुए राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्रचरण मिश्र ।

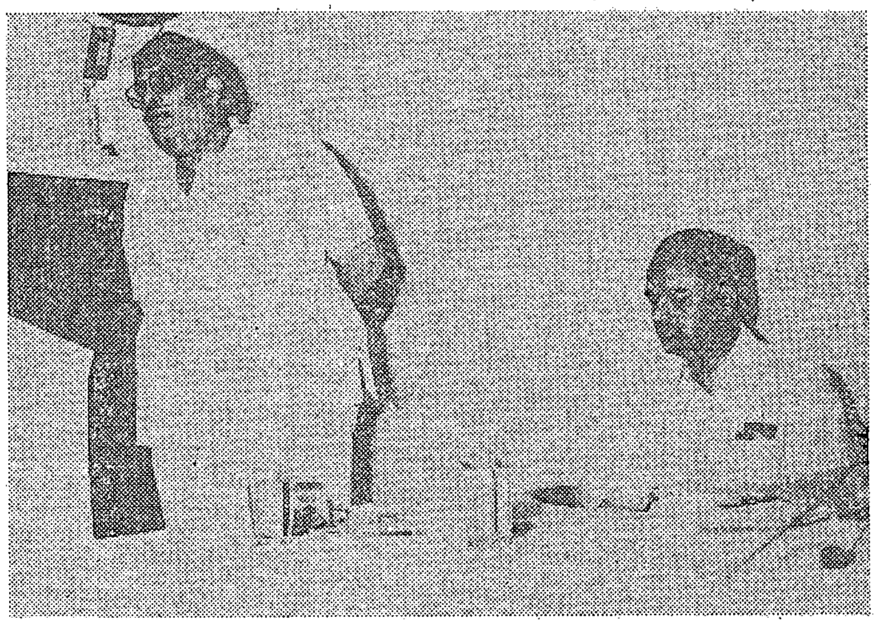

14 सितम्बर, 83 को हिन्दी दिवस के अवसर पर श्री आर० अनन्तकृष्णन, मंडल रेल प्रबंधक भाषण करते हुए । आसीन अधिकारी बायें से—श्री बी० एल० वर्मा, अ० मं० रेल प्रबंधक, श्री पर्वतीकर, सहायक हिन्दी अधिकारी ।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला में विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा आयोजित पुस्तक प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री व्यासदेव मिश्र।

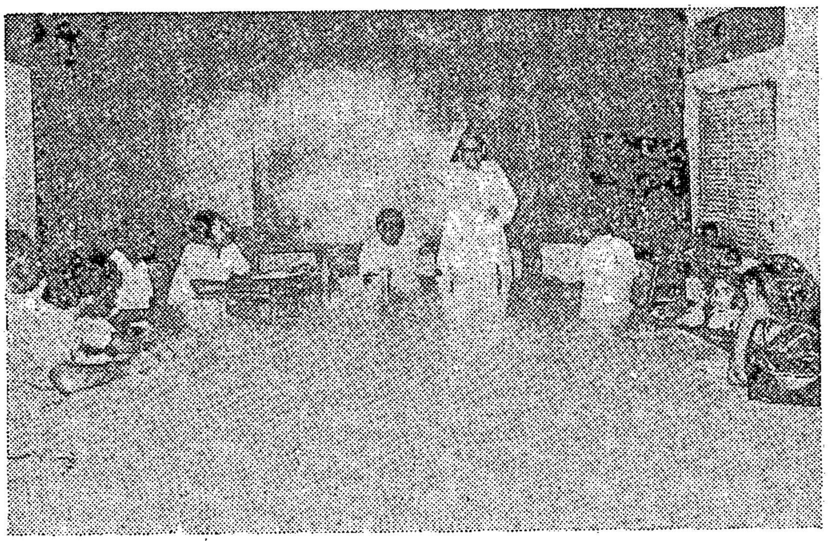

सिकन्दराबाद राजभाषा संगोष्ठी में देवनागरी लिपि के मानक संशोधन परिवर्धन पर भाषण देते हुए भूतपूर्व निदेशक पं० काशीराम शर्मा (केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो)।

संसदीय राजभाषा समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद के निदेशक श्री ज्ञानचन्द सिंघवी। बाएं से—सर्वश्री रामगोपाल रेड्डी, सांसद, चिरंजी लाल शर्मा, सांसद एवं श्री शिवचन्द्र झा, सांसद तथा अन्य।

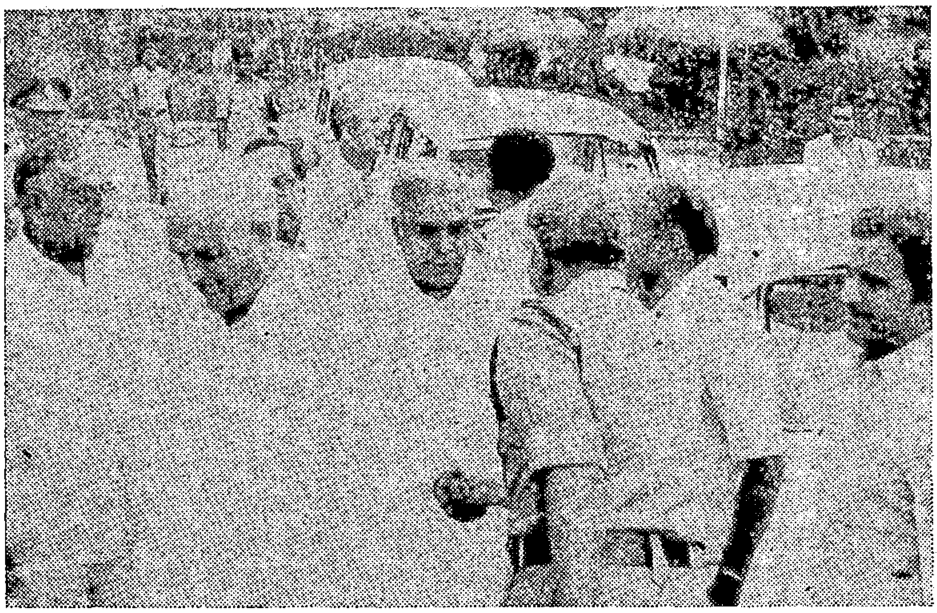

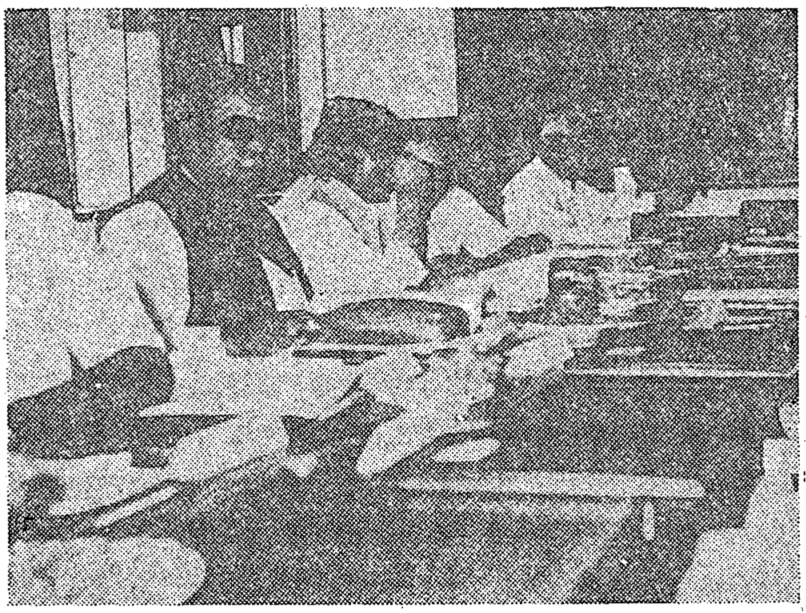

एच० एम० टी० घड़ी कारखाना, श्रीनगर में —— संसदीय राजभाषा समिति की बैठक में भाग लेते हुए आचार्य भगवान देव, श्री गिरिधर गोमेंगो, श्री रामचन्द्र भारद्वाज, श्री एस० मुरूगियन तथा अन्य।

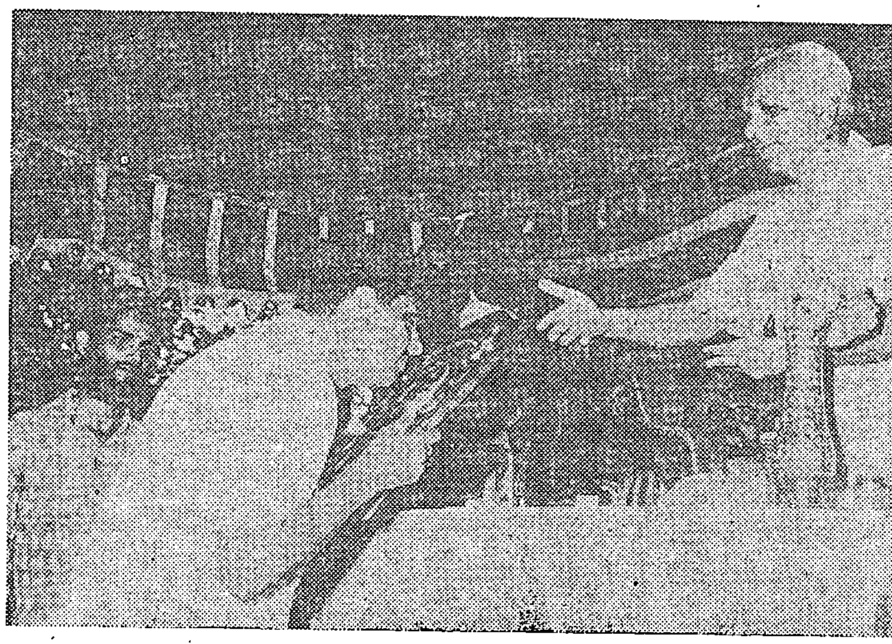

पंजाब नेशनल बैंक अंचल राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता शाखा जाट बहरोड (अलवर) के प्रबंधक श्री एस० एन० गौड़, सहायक महाप्रबंधक श्री जी० डी० गोलाणी से शील्ड प्राप्त करते हुए।

बैठे हुए बायें से——
श्री राम रतन, राजभाषा अधिकारी, लखनऊ क्षेत्र,
श्री अदभुत प्रकाश मिश्र, प्रभारी अधिकारी, राजभाषा कक्ष, आंचलिक कार्यालय, उ० प्र० अंचल,
डॉ० विश्वदेव शर्मा, मुख्य अतिथि,
श्री एम० एन० भट्ट क्षेत्रीय प्रबन्धक, गाजियाबाद,
श्री जी० डी० गोयल, प्रबन्धक, गाजियाबाद शाखा

हिन्दी भाषा एवं साहित्य के विकास में दक्षिण की देन

—प्रो० जी० सुन्दर रेड्डी
अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, आंध्र विश्वविद्यालय

भारत के प्राचीन दर्शन, संस्कृति एवं साहित्य का अध्ययन करें तो विदित होता है कि इनके दृष्टिकोण और लक्ष्य में एकरूपता एवं विश्वजनीन भावना पायी जाती है । इस विशाल देश की भौगोलिक सीमाएं कभी भी इसकी एकरूपता में बाधक नहीं रहीं । विशाल संस्कृत साहित्य में भी भारत की अखण्डता तथा उसकी सामाजिक संस्कृति की एकता निरूपित हुई हैं । इस दिशा में केरल के वरद पुत्र श्री शंकराचार्य ने दार्शनिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में जो योगदान दिया था, वह चिरंतन एवं अविस्मरणीय है । यह भी निर्विवाद तथ्य है कि सभी आधुनिक भारतीय साहित्यों के मूल में संस्कृत साहित्य की प्रेरणा एवं प्रभाव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कार्यरत है । हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार के मूल में भी इसी प्रकार की प्रेरणा एवं एकता की भावना अनेक शताब्दियों से कार्य कर रही है ।

हिंदी भाषा एवं साहित्य को दक्षिण की जो देन रही, उसके सम्यक रूप को जानने के लिए उसके इतिहास को दो मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है— (1) राष्ट्रपिता गांधी जी के द्वारा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना के पूर्व हिंदी की देन । (2) दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना के पश्चात् हिंदी को देन । गांधी जी की दक्षिण भारत की हिंदी को जो देन रही , उसे पुनः दो भागों में विभक्त किया जा सकता है : (1) परोक्ष योगदान (2) प्रत्यक्ष योगदान ।

परोक्ष योगदान के अन्तर्गत उन महानुभावों को लिया जा सकता है जिनकी विचारधारा अथवा कृतियां हिंदी भाषा एवं साहित्य के निर्माण में सहायक सिद्ध हुई हों । इनमें शातवाहन, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य आदि के नाम अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । हिंदी साहित्य की सतसई परम्परा को विशेषकर बिहारी सतसई को प्रभावित करने वाला प्राकृत भाषा में लिखित गाथा सप्तशती के रचयिता महाराजा हाल शातवाहन दाक्षिणात्य ही थे । हिंदी साहित्य की रहस्यवादी काव्य परम्परा को, विशेष रूप से कबीर की निर्गुण धारा को प्रभावित करने वाले अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आदिशंकर भी दक्षिण के ही थे । हिंदी की रामभक्ति परम्परा को विशेषकर तुलसी को प्रभावित करने वाले श्रीरामानन्द रामानुज की शिष्य परम्परा में से थे । सूरदास तथा हिंदी के अन्य अष्ट छाप कवियों को काव्य रचना की ओर प्रवत्त करने वाले वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विट्ठलदास भी दक्षिण भारत के थे । इसी प्रकार हिंदी के निर्गुणियों की विचारधारा के मूल में कर्नाटक प्रांत के वीरशैवशरण कवियों का प्रभाव अन्वेषित किया जा सकता है । प्रो० नागप्पा के शब्दों में "प्रसिद्ध वीरशैवशरण अल्लम प्रभु का गोरखानाथ से मिलने की बात प्रसिद्ध है ही । नाम महिमा, गुरू का महत्व, त्यागभाव, कर्म पर याने भीख न मांग कर के 'कायक' करने पर बल, जैसे विचार शरणों के वचन और निर्गुणियों की वाणी में प्राय: समानतया पाये जाते हैं । समस्त हिंदी निर्गुण कवियों का समय कर्नाटक के शिवशरण कवियों के कम से कम दो तीन सौ बरसों के बाद का है । इस से लगता है कि हिंदी निर्गुणवाणी पर कर्नाटक की शरण वाणी का काफी प्रभाव रहा है ।"

अब हिन्दी भाषा और साहित्य पर प्रत्यक्ष प्रभाव के अन्तर्गत उन दाक्षिणत्य साहित्यकारों का योगदान स्मरणीय है जिन्होंने हिंदी में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं । इस दिशा में सर्वप्रथम रीतिकाल के आलोक स्तम्भ कविवर पद्माकर का नाम सर्वप्रथम उल्लेखनीय है । ब्रजभाषा पर आपका अधिकार निर्विवाद है । आप आंध्र प्रदेश के ही थे । हिंदी साहित्य में पद्माकर के स्थान को निर्धारित करते हुए रीति साहित्य के मूर्धन्य समालोचक आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो लिखा है, वह यहां उल्लेखनीय है— "पद्माकर की भाषा ऐसी है, जैसी हिंदी में किसी कवि की नहीं । भाव के विचार से पद्माकर को हम चाहे कुशल काव्यकार न मानें, पर भाषा के विचार से उन्हें प्रौढ़ वाग्विदग्ध एवं कुशल कलाकार हमें अवश्य मानना पड़ेगा । घनानन्द आदि पुराने कवियों में पद लालित्य चाहे हो, पर भाषा का वैसा सद्य, सजा संवारा रूप उनमें भी नहीं है, जैसा कि पद्माकर में । पद्माकर की भाषा बिहारी के प्रभाव से बची है और स्फीत एवं स्निग्ध है ।" इस तरह दक्षिण की साहित्यिक प्रतिभा ने पद्माकर के माध्यम से हिंदी के रीतिकाल को भाषिक एवं साहित्यिक क्षेत्र में अपूर्व योग दिया था । अठारहवीं शताब्दी में ही मलयालम और हिन्दी का द्विभाषिक कोष तैयार किया गया था जिसमें उस समय प्रयुक्त हिंदुस्तानी का स्वरूप स्पष्ट हो गया । यह ग्रंथ पुराने कोश विज्ञान तत्वों के आधार पर लिखा गया है । मलयालम के द्वारा हिंदुस्तानी (हिंदी) सिखाने के लिए हिंदुस्तानी मलयालम पाठमाला को 18वीं शताब्दी में ही केरल के एक उभयभाषा विद्वान ने तैयार किया । यह पुस्तक हिन्दुस्तानी के व्याकरणिक रूपों का अध्ययन करने के लिए केरलियों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई । इसके पश्चात् महाराजा स्वाति तिरुनाल (1813 से 1846) का योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जा सकता है । उन्होंने हिंदी में सरस गीतों की रचना की ।

यद्यपि इन गीतों की भाषा अधिकतर ब्रजभाषा थी फिर भी उन्होंने एक सीमा तक खड़ी बोली को भी उसमें स्थान दिया और इस तरह ब्रजभाषा और खड़ीबोली का समन्वय करने का प्रयत्न किया ।

भारतेंदु युग में आंध्र प्रांत के नादेल्ल पुरुषोत्तम कवि ने सन् 1881 के आस पास ही हिन्दी में 32 नाटक लिखे जो हिंदी को दक्षिण की देन के इतिहास में एक अभूतपूर्व एवं आश्चर्यजनक घटना है । उस समय धारवाड़ की नाटक कंपनियां आकर आंध्र प्रांत में नाटकों का अभिनय किया करती थीं । इन नाटक कम्पनियों के प्रभाव से कृष्ण जिला के मछलीपट्टणम् नगर में हिंदू थियेटर नामक सख्या को स्थापना हुई थी । इसी संस्था के लिए पुरुषोत्तम कवि ने उपर्युक्त नाटकों को तेलुगु लिपि में लिखा था । उनमें सोमतिनी चरित्र, कीर्तिमालिनी प्रदान, अपूर्व दांपत्य, अहल्या संक्रंदनीय, रामदास चरित्र आदि नाटक विशेष उल्लेखनीय हैं । इस तरह नादेल्ल पुरुषोत्तम कवि ने मात्रा एवं गुण की दृष्टि से उन्नीसवीं शताब्दी में ही हिंदी भाषा एवं साहित्य के विकास के लिए जो योगदान दिया था, उस पर हिंदीतर भाषा-भाषी अवश्य गर्व कर सकते हैं ।

स्वतन्त्रता आन्दोलन के आरंभिक काल में भारत में महात्मा गांधी का पदार्पण कई दृष्टियों से अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ । महात्माजी की दूरदर्शिता इसी में है कि आपने भारतीय जनता में एकता एवं आत्मीयता लाने के लिए हिंदी प्रचार एवं प्रसार को स्वतन्त्रता आंदोलन के एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया था । इसी लक्ष्य से प्रेरित होकर आपने सन् 1917 में दक्षिण भारत की केन्द्र नगरी मद्रास में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की । इसकी चार प्रमुख शाखाएं दक्षिण के चार भाषायी राज्यों के मुख्य नगरों में अर्थात् आंध्र प्रांत के लिए विजयवाडा (संप्रति हैदराबाद) में, तमिलनाडु के लिए तिरुचरापल्ली में, कर्नाटक के लिए बेंगलूर में तथा केरल के लिए त्रिवेन्द्रम में खोली गयी थीं । तब गांधी जी की प्रेरणा तथा राष्ट्रीय विचारधारा से प्रेरित होकर उत्तर भारत से अनेक विद्वान और प्रचारक दक्षिण में हिंदी प्रचार के कार्य में सक्रिय योग दान देने के लिए आये थे । तब समस्त दक्षिण भारत में लाखों की संख्या में बच्चों से लेकर वृद्ध तक ने बड़े चाव से हिंदी सीखी । क्रमश: एक ओर विद्यालयों और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में हिंदी को स्थान दिया गया था तो दूसरी ओर हिंदी भाषी एव साहित्य की शिक्षा देने के लिए सभा की ओर से तथा अन्य कई संस्थाओं की ओर से कई हिंदी विद्यालयों की स्थापना हुई । इस प्रकार समूचे दक्षिण भारत में हिंदी भाषा एवं साहित्य का प्रचार विस्तत रूप से होने लगा । फलस्वरूप आज सारे दक्षिण भारत में लाखों की संख्या में लोग हिंदी समझ सकते हैं, बोल सकते हैं और लिख सकते हैं ।

इस प्रकार हिन्दी सीखे हुए दाक्षिणात्यों में अनेकों ने हिन्दी को अपने लेखन के माध्यम के रूप में स्वीकार किया है और सैकड़ों ग्रंथों की रचना की है । उनमें कई ग्रंथ उच्च स्तरीय प्रमाणित हुए हैं । दक्षिण के इन हिन्दी लेखकों ने हिंदी साहित्य की सभी विधाओं में अर्थात् कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबन्ध, आलोचना आदि में विशिष्ट रचनाएं कीं ।

दक्षिण के हिन्दी लेखकों की देन को दक्षिण के चार भाषायी प्रांतों को पृथक्-पृथक् इकाई के रूप में लेकर अकारादिक्रम से प्रस्तुत किया जाएगा ।

आंध्र प्रांत में सर्वप्रथम कुछ विद्वानों ने हिंदी भाषा के क्षेत्र में स्तुत्य कार्य किया है । इनमें सर्वश्री जंध्याल शिवन्नशास्त्री, वेंकटेंश्वरशर्मा आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । शिवन्नशास्त्री जी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के समकालीन थे । खड़ी बोली के स्वरूप को संवारने में शास्त्री जी का भी सहयोग, द्विवेदी जी को प्राप्त था । शास्त्री जी ने सर्वप्रथम वे तेलुगु हिंदी कोश, हिंदी तेलुगु कोश तथा हिंदी व्याकरण आदि की रचना की । इनके पश्चात् कोषकार के रूप में मोटूरि सत्यनारायण जी का नाम महत्वपूर्ण है । आपके संपादकत्व में हिंदी विश्व कोश दस भागों में निकल रहा है । इतना ही नहीं, आपने अनेक वर्षों के पूर्व ही कतिपय पाठ्य-पुस्तकों की रचना भी की थी । वेंकटेश्वरशर्मा जी ने 'हिंदी तेलुगु कोश' की रचना की । उन्होंने 'अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन' नामक शोध परक ग्रंथ की रचना की । इस दिशा में श्री कामाक्षीराव तथा अयाचितुल हनुमच्छास्त्री के नाम लिये जा सकते हैं । इन्होंने हिंदी तेलुगु कोषों की रचना की । डा० विश्वमित्र का 'हिंदी और तेलुगु ध्वनियों का तुलनात्मक अध्ययन' तथा प्रो० जी० सुन्दररेड्डी, डा० पी० आदेश्वरराव और एस० एम० इकबाल का 'हिंदी तथा द्रविड़ भाषाओं के समानरूपी भिन्नार्थी शब्द' आदि ग्रंथ इस दिशा में विशेष उल्लेखनीय हैं ।

आंध्र के आधुनिक हिंदी कवियों में लाजपति पिंगल का नाम सब से पहले लिया जा सकता है । आपने 1929 में ही 'भक्त रामदास' शीर्षक प्रबन्ध काव्य का प्रणयन पहले ब्रजभाषा में, तदुपरांत खड़ी बोली में किया था । उस काव्य का इतिवृत्त गोदावरी नदी तट पर स्थित भद्राचलम् के श्रीरामचन्द्र के अनन्य भक्त रामदास के जीवन एवं भक्ति पर आधारित है । खड़ी बोली काव्य-शैली पर कवि का पर्याप्त अधिकार है । इसके पश्चात् पंडित कर्ण वीरनागेश्वरराव की काव्य-कृति 'दलितों की विनती' है । यह दोहा छन्दों में लिखी हुई सतसई है । आपने इस में जाति-पांति का विरोध किया और समाज के स्वार्थी लोगों तथा तत्कालीन सामाजिक विसंगतियों पर करारा व्यंग्य किया । विषय-वैविध्य, रचना-शैली तथा विचार-धारा की दृष्टि से श्री सी० बालकृष्णराव की काव्य-कृतियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । यद्यपि बालकृष्णराव जी की मातृभाषा तेलुगु है फिर भी आजीवन हिंदी प्रांत में रहने के कारण हिंदी उनके लिए मातृभाषा सदृश है । 'कौमुदी, आभास, कवि और छवि, रात बीती, हमारी राह, अर्द्धशती,' आपके उल्लेखनीय काव्य-संग्रह हैं । हिंदी के नये कवियों में आपका स्थान ऊंचा है । श्री वारणासि राममूर्ति 'रेणु' इसी श्रेणी के कवि हैं, साथ ही साथ उच्चकोटि के अनुवादक भी । 'गीत-विहग' रेणु जी की मौलिक कविताओं का संकलन है जिसमें प्रकृति-सौंदर्य और राष्ट्र-प्रेम पाये जाते हैं । 'भागवत परिमल' कवि की दूसरी काव्य-कृति हैं । यह तेलुगु के महान भक्त कवि पोतना के श्रीमद्भागवत के चार

आख्यानों का हिंदी काव्य-रूपान्तर है। कल्पना की संश्लिष्टता एवं मौलिकता तथा बौद्धिक विचारधारा की दृष्टि से अलूरि बैरागी की हिंदी कविताओं का अत्यन्त ऊंचा स्थान है। 'पलायन' उनकी प्रथम प्रकाशित काव्य-संग्रह है जिसका प्रकाशन 1951 में हुआ। इसका दूसरा संस्करण 'बदली की रात' शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। श्री लक्ष्मीकांत वर्मा तथा विश्वम्भर मानव जैसे हिंदी के समीक्षकों ने बैरागी जी की प्रतिभा की प्रशंसा मुक्तकंठ से की है। उन्होंने तेलुगु की आधुनिक कविता का हिंदी रूपांतर प्रस्तुत किया है। वी० बी० सुब्बाराव 'हरिकिशोर' ने 'प्रणय', 'मृणालिनी' नामक दो खण्ड काव्यों की रचना की है। इनमें कवि ने प्रेम को अत्यन्त मनोज्ञ रूप में चित्रित किया है। डा० इ० पाण्डुरंगराव जी ने 'श्री कामाक्षी विलास' शीर्षक धर्म प्रधान काव्य की रचना की। काव्य भाषा एवं अभिव्यक्ति की दृष्टि से यह अत्यन्त प्रौढ़ बन पड़ा है। रापति सूर्यनारायण का 'योजन-गंधा' महाभारत के एक अल्प अंश पर आधारित होकर लिखा गया एक प्रौढ़ प्रबन्ध है। कथा गमन और पात्र-चित्रण में कवि का काव्य शिल्प निखर उठा है। रहस और ध्वनि की दृष्टि से भी यह काव्य उच्चकोटि का है। डा० चावलि सूर्यनारायण मूर्ति ने 'सती उर्मिला' शीर्षक खण्ड काव्य की रचना की थी। 'तेलुगु की आधुनिक काव्य-धारा' और आंध्र के लोकप्रिय कवि 'डा० सूर्यनारायण 'भानु' के आधुनिक तेलुगु कविताओं का सफल हिंदी अनुवाद हैं। डा० आदेश्वरराव कृत 'अन्तराल' काव्य संग्रह में प्रेम और दर्शन सम्बन्धी गीतों के साथ कतिपय लम्बी कविताएं भी संकलित हैं। भाव और शिल्प की दृष्टि से ये गीत अत्यन्त सफल हैं। डा० सरगु कृष्णमूर्ति के काव्य संग्रह 'मधुस्वप्न' और 'ज्वाला केतन' में प्रेम तथा राष्ट्रीय भावना की सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है। डा० पुल्लय्याराव का 'स्वर्णपथ' और डा० श्री रामरेड्डी का 'सुमन-मन' आदि काव्य संग्रह उल्लेखनीय हैं।

इसी प्रकार हिंदी नाटक के विकास में आंध्रों ने योग दिया है। उनमें चोडवरपु रामशेषय्या के ऐतिहासिक नाटक 'बोब्बिलि' 'ग्रहिणी', 'मंत्री रामय्या', 'रानी मल्लम्मा' अत्यन्त सफल एवं लोकप्रिय बन पड़े हैं। डा० चलसानि सुब्बाराव ने आंध्र के इतिहास पर आधारित 'रानी रुद्रमा' शीर्षक ऐतिहासिक नाटक की रचना की। यह अभिनेता की दृष्टि से भी सफल है। डा० कर्ण राजशेषगिरिराव का 'भौरों का पहाड़' आंध्र के इतिहास और संस्कृति पर आधारित एकांकी संकलन है। डा० चावलि सूर्यनारायणमूर्ति ने 'महानाश की ओर', 'सत्यमेव जयते' आदि पौराणिक इतिवृत्तों पर आधारित नाटकों की रचना की, जो अभिनेता की दृष्टि से भी सफल हैं।

हिंदी के कथासाहित्य में आंध्र के सर्वश्री आरिगपूडि रमेश चौधरी और बालशौरिरेड्डी अत्यन्त सफल एवं लोकप्रिय उपन्यासकार एवं कथाकार हैं। आरिगपूडि जी ने लगभग चालीस उपन्यासों तथा कथा-संग्रहों की रचना की है। उनके उपन्यासों में 'अपनी करनी', 'पति-पावनी', 'दूर के ढोल', 'उधार के पंख', 'भूले भटके', 'खरे-खोटे', 'धन्य भिक्षु', 'अपवाद', 'आदरणीय', 'सारा संसार मेरा', 'उल्टी गंगा', 'चरित्रवान', 'अपने पराये', 'झाड़ फानूस', 'निर्लज्ज' आदि उल्लेखनीय हैं। श्री बालशौरिरेड्डी जी ने भी एक दर्जन से अधिक उपन्यास लिखे हैं। उनमें 'शबरी', 'जिंदगी की राह', 'मग्न-सीमाएं', 'स्वप्न और सत्य', 'प्रकाश और परछाईं', 'लकुमा,' 'बैरिष्टर', 'धरती मेरी मां', 'प्रोफेसर', आदि उल्लेखनीय हैं। उपर्युक्त दोनों उपन्यासकारों के उपन्यासों में दक्षिण के ऐतिहासिक एवं समाजिक वातावरण का चित्र उभर आया है। शिल्प एवं शैली पर दोनों का पूर्ण अधिकार है। इब्राहीम शरीफ आंध्र के उदीयमान कथाकार हैं और उनके 'अंधेरे के साथ' उपन्यास को हिंदी संसार में बड़ी लोकप्रियता मिली है। 'उफान' बी० वी० सुब्बाराव जी का सामाजिक उपन्यास है।

आंध्र में समालोचनात्मक ग्रंथ लिखने वाले विद्वानों में वारणासि राममूर्ति रेणु, डा० इ० पाण्डुरंगराव, श्री कामाक्षीराव, प्रो० जी० सुन्दररेड्डी, डा० नरसिंहाचारी, चावलि सूर्यनारायणमूर्ति, आयाचितुल हनुमच्छास्त्री, वेयमूरि आंजनेय शर्मा, , वेमूरि राधाकृष्णमूर्ति कर्ण राजशेषगिरिराव, डा० पी० आदेश्वरराव, डा० एस० वी० माधवराव, डा० भीमसेन निर्मल, डा० दक्षिणामूर्ति, डा० शिवसत्यनारायण के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इनके अनेक उच्च स्तरीय आलोचनात्मक ग्रंथ एवं निबन्ध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं।

कन्नड़ भाषियों की हिंदी साहित्य के विकास में योगदान दो रूपों में है—मौलिक साहित्य और अनूदित साहित्य। हिंदी में में कन्नड़ के हिंदी लेखकों ने कई उपन्यास एवं कहानियां लिखी हैं। डा० एस० एम० कृष्णमूर्ति ने 'अपराजिता' शीर्षक एक मौलिक एवं सफल उपन्यास की रचना की है। कतिपय कन्नड़ उपन्यासों का हिंदी रूपान्तर भी हुआ है।

कविता के क्षेत्र में श्री सनदी चन्द्रकांत कुसनूरकर का नाम लिया जा सकता है। इनके साथ-साथ डा० हिरण्मय, श्रीमती सरोजिनी महिषी, श्री उमापतिशास्त्री, बाबूराव कुमटेकर आदि ने कई कन्नड़ कविताओं का सफल हिंदी रूपांतर प्रस्तुत किया है।

नाटक के क्षेत्र में भी कई सफल कन्नड़ नाटकों के सफल हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किये गये हैं। इन में श्री गिरीश कर्नाड का 'तुगलक्' नाटक उल्लेखनीय है जिसका हिंदी अनुवाद श्री बी० वी० कारन्त ने किया है। 'कुवेंपु के रक्ताक्षी' नाटक का हिंदी अनुवाद डा० हिरण्मय ने किया है।

समालोचना के क्षेत्र में डा० हिरण्मय, प्रो० नागप्पा, डा० राजेश्वरय्या, डा० एस० एस० कृष्णमूर्ति, डा० दक्षिणामूर्ति, श्री एस० रामचन्द्र, श्री दिवाकर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इस दिशा में मैसूर विश्वविद्यालय से निकलने वाली हिंदी वार्षिक शोध-पत्रिका 'मानसी' भी श्रेष्ठ माध्यम रही है।

तमिल के हिंदी लेखकों के योगदान को भी मौलिक एवं अनुवाद के दो रूपों में प्रस्तुत किया जाएगा। मौलिक साहित्य के क्षेत्र में बहुमुखी प्रतिभाशाली डा० रांगेय राघव का योगदान अत्यन्त

महत्वपूर्ण है। डा० रांगेय राघव के हिंदी साहित्य की प्रायः सभी उपज हैं। रांगेयराघव का लेखन अनेक अंशों में नये-नये पक्षों को एवं विलुप्त तथ्यों को उद्घाटित करने वाला है। ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में भी हिंदी साहित्य में आपका अन्यतम स्थान है। तदुपरांत वोलिनाथन् प्रख्यात तमिल भाषी हिंदी साहित्यकर हैं। आपने लगभग दो सौ मौलिक निबन्ध हिंदी में प्रकाशित किये हैं। प्रो० शंकरराजू नायाडु का काव्य-संग्रह 'गंतोपहार' इस दिशा में उल्लेखनीय है। इसमें नायडू जी की विश्वजनीन भावना व्यक्त हुई है। डा० नायडू का शोध-ग्रंथ 'कंवर और तुलसी' अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पद्म श्री डा० मिलकं मोहम्मद तमिल भाषी हिंदी साहित्यकारों में अद्वितीय स्थान रखते हैं। 'अल्वार भक्तों का तमिल प्रबन्धम् और हिंदी का वैष्णव भक्ति काव्य' तथा 'वैष्ठणव भक्ति आंदोलन का अध्ययन' (हिंदी तथा तमिल साहित्य के परिप्रेक्ष्य में) आप के श्रेष्ठ शोधपरक ग्रंथ हैं। 'भक्ति आंदोलन प्रेरणा श्रोत' शीर्षक कृति में आपने भक्ति आंदोलन के विभिन्न दार्शनिक स्रोतों का अन्वेषण किया था। डा० नं० वी० राजगोपालन के लगभग दस ग्रंथ हिंदी में प्रकाशित हो चुके हैं जिन में 'आंसू की भावभूमि', 'तमिल हिंदी काव्यशास्त्रों का तुलनात्मक अध्ययन', 'हिंदी का भाषावैज्ञानिक व्याकरण' आदि महत्वपूर्ण हैं। डा० गणेशन के शोध-ग्रंथ 'हिंदी उपन्यास साहित्य का अध्ययन' को हिंदी में अत्यन्त लोकप्रियता मिली है। डा० पी० जयरामन के आलोचनात्मक ग्रंथ 'महाकवि सुब्रह्मण्य भारती' और 'सूर्यकांत त्रिपाठी निराला' और 'तमिल और हिंदी के कृष्णभक्ति साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन' उल्लेखनीय हैं। श्री शौरिराजन की रचनाएं 'तमिल साहित्य' एवं 'तमिल संस्कृति' उल्लेखनीय हैं। श्री सुमतींद्रन् जी ने कुछ मौलिक रचनाए की हैं जिनमें 'नानी की कहानी', 'एक स्फटिक के बीस पहलू', 'एक पल की याद में (कविता संग्रह)' आदि महत्वपूर्ण हैं। पूर्ण सोमसुन्दरम की 'अनामिका' काव्य-कृति इस संदर्भ में उल्लेखनीय है।

इसी प्रकार अनुवाद की दिशा में भी तमिल के हिंदी लेखकों ने स्तुत्य योगदान दिया है। इन लेखकों में श्री निवासाचार्य, वीलिनाथन्, श्री उमाचन्द्रन्, सरस्वती रामनाथन्, जमदग्नि, पी० जयरामन, श्रीमती तुलसी जयरामन, शौरिराजन आदि के नाम स्मरणीय हैं।

केरल ने भी हिंदी भाषा एवं साहित्य के विकास में अपना स्महत्वपूर्ण योगदान दिया है गांधी जी के हिंदी प्रचार आंदोलन के पश्चात् केरल में हिंदी की सभी साहित्यिक विधाओं में मौलिक एवं अनूदित रचनाएं निलकलने लगीं। कविता के क्षेत्र में कई स्वतन्त्र रचनाएं रची गई जिनमें तत्कालीन राजनीतिक चेतना तथा सामाजिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। इस दृष्टि से श्रीमती लक्ष्मी कुट्टिदेवी, भारती देवी, टी० के० गोविंद टेलिच्ची, विमलकेरलीय आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। स्वातंत्र्योत्तर काल में तो बहुत सी रचनाएं लिखी गयीं। कुछ कविता-संकलन भी प्रकाशित किये गये हैं। उनमें पी० नारायण, पं० नारायण देव, स्व० वासुदेवन पिल्लै, एन० चन्द्रशेखरन नायर तथा एम० श्रीधर मीनन के नाम उल्लेखनीय हैं। इस दिशा में डा० एन० रामन नायर तथा डा० पी० विजयन के काव्य-संग्रह क्रमशः 'नोक-झोंक', तथा 'कथ्य और तथ्य' में संकलित व्यंग्य कवितायें मार्मिक तथा सुन्दर बन पड़ी हैं। वसे तो कई मलयालम की सुन्दर काव्य-कृतियां भी हिंदी में निकली हैं जिनमें ज्ञानपीठ विजेता श्री शंकर कुरुप की 'ओटवकुयल' विशेष उल्लेखनीय है। डा० जी० गोपीनाथन की 'मलयालम की नयी कवितायें' सफल अनूदित रचना है।

गद्य की विधाओं में भी केरलियों की देन कम नहीं है। कहानी के क्षेत्र में स्वतन्त्रतापूर्व कहानीकारों में सर्वश्री के० केशवन नायर, माधव कुरुप, सी० जी० गोपाल कृष्णन्, माधवि कुट्टि त्रिचुर, एन० वकटेश्वरन् का नाम आदर से लिया जा सकता है। 'हिंदी प्रचारक' पत्रिका में अक्सर इन लेखकों की कहानियां प्रकाशित होती थीं। स्वातंत्र्योत्तर काल के कहानीकारों में के० नारायणन, चन्द्रशेखरन् नायर विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। श्री नारायणन् की करीब पचास कहानियां प्रकाशित हो चुकी है। शिल्प और शैली की दृष्टि से भी आपकी कहानियों का स्तर ऊंचा है। तदुपरांत एम० चन्द्रशेखरन का कहानी-संग्रह 'हार की जीत' कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से सफल कृति है। इसमें चन्द्रशेखरन की शैली को सादगी एवं शब्दों का सफल प्रयोग मिलता है। मौलिक कहानियों की अपेक्षा अनूदित कहानियों के द्वारा निम्नलिखित लेखकों के हिंदी कहानी साहित्य के विकास को अच्छा योगदान दिया। हिंदी पाक्षिक 'युगप्रभात' के संपादन श्री रविवर्मा का नाम सर्वप्रथम उल्लेखनीय है। इनके उपरांत पी० जी० वासुदेव, एस० लक्ष्मणशास्त्री, एम० एन० सत्यार्थी, वी० डी० कृष्णन नंप्यार आदि की कई अनूदित कहानियां प्रकाशित हो गयी हैं। 'केरलभारती', 'युगप्रभात', 'साहित्य शिक्षण बंडल' पत्रिका आदि पत्र-पत्रिकाओं में मलयालम की विशिष्ट कहानियों के अनुवाद छप चुके हैं। तकपी भी एक सफल अनुवादक हैं। श्री नंप्यार हिंदी साहित्य के मर्मज्ञ एवं सफल अध्यापक होने के नाते समय-समय पर मलयालम की प्रतिनिधि कहानियों को हिंदी में प्रकाशित किया करते हैं।

इसी प्रकार उपन्यास के क्षेत्र में भी केरलीयों का योगदान अच्छा ही रहा है। श्री तकपी शिवशंकर पिल्लै मलयालम के लोकप्रिय उपन्यासकार हैं। उनके तीन प्रमुख उपन्यासकारों का अनुवाद हिंदी में हो चुका है—अनुवादिका ह पं० देवदूत विद्यार्थी की पत्नी श्रीमती भारती विद्यार्थी। मलयालम के कुछ ऐतिहासिक उपन्यासों का अनुवाद भी हिंदी में किया गया था। मलयालम से हिंदी में अनूदित सब से विशिष्ट उपन्यास 'दादा का हाथी' है, जिसका अनुवाद श्री के० रविवर्मा ने किया है। डा० जी० गोपीनाथन के शब्दों में—"प्रस्तुत उपन्यास अनुवाद की दृष्टि से भी सफल है। इस अनुवाद से यह स्थापित होता है कि श्री रविवर्मा को शब्दों की ठीक-ठीक पकड़ है।"

नाटक के क्षेत्र में भी केरलियों का कुछ योगदान अवश्य रहा है। इस दिशा में भी 'युगप्रभात' पाक्षिक ने अच्छा प्रोत्साहन दिया था। अनुवादकों में श्री पुरुषोत्तम, श्री सि० एन० गोविंदन

के नाम उल्लेखनीय हैं। इस दिशा में डा० एन० रामन नायर का मौलिक नाटक 'वीर दलवा वेलुसंपी' विशेष उल्लेखनीय है। डा० जगदीशगुप्त के शब्दों में 'राष्ट्रीय-भावना से अनुप्रेरित यह नाटक केरल के इतिहास एवं सांस्कृतिक जीवन की पृष्ठभूमि में उस व्यापक संघर्ष की एक पार्श्व-छवि आधिकारिक रूप से प्रस्तुत करता है।' श्री पी० जी० वासुदेव तथा के० कृष्ण मीनोन अच्छे अनुवादक हैं। इसी प्रकार एकांकी-लेखन के क्षेत्र में श्री एन० चन्द्रशेखरन नायर, श्रीमती लक्ष्मीकुट्टि अम्मा, श्री के० नारायणन जैसे लोगों ने मौलिक कार्य किया है।

आलोचना और निबन्ध के क्षेत्र में तो केरल के हिंदी लेखकों का विशेष योगदान रहा है। सर्वश्री पी० के० केशवन नायर, स्व० वासुदेवन पिल्लै, चन्द्रहासन, डा० मलिक मोहम्मद, एन० वेंकटेश्वरन, डा० भास्करन नायर, डा० विश्वनाथ अय्यर, डा० रत्नमयी दीक्षित, रविवर्मा आदि के नाम सादर लिये जा सकते हैं। केरल हिंदी प्रचार सभा के संस्थापक स्व० के० वासुदेवन पिल्लै भी सफल निबन्धकार हैं। श्री वेंकटेश्वरन जी की 'केरल-महिमा' शीर्षक पुस्तक भी उल्लेखनीय है। डा० भास्करन नायर जी ने मलयालम की सभी विधाओं पर परिचयात्मक लेख लिखे। सांस्कृतिक और साहित्य जैसे गम्भीर विषयों पर कोच्चिन विश्व-विद्यालय के विभागाध्यक्ष डा० विश्वनाथ अय्यर ने अधिक मात्रा में निबन्ध लिखे हैं, जो विषय-वैविध्य एवं शैली की दृष्टि से अत्यन्त सफल बन पड़े हैं। श्रीकृष्णवारियर और श्री रवि वर्मा ने सम्पदकों के रूप में हिंदी की बड़ी सेवा की है। श्रीरामचन्द्र देव के 'मलयालम साहित्य', 'तुलसी और तुंचन' शीर्षक ग्रंथ भी उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार दक्षिण के चारों प्रा तों में गवेषणा के क्षेत्र में तो गुण एवं मात्रा की दृष्टि से कई ग्रंथ हिंदी में रचे गये हैं जिनका उल्लेख इस लघु-लेख में किया जाना असंभव है।

इस प्रकार दक्षिण के चारों प्रांतों ने हिन्दी भाषा एवं साहित्य के विकास में अपना योगदान दिया है। मध्ययुग से लेकर आज तक दक्षिण के अनेक लेखकों ने अपनी प्रतिभा, विद्वत्ता एवं साधना के बल पर सृजनात्मक एवं आलोचनात्मक क्षेत्रों में अनेक उच्च स्तर के ग्रंथों की रचना कर हिंदी साहित्य की अपार सेवा की। अतः यह वांछनीय है कि हिंदी साहित्य का पुनर्लेखन हो और उसमें इन दक्षिण के हिंदी साहित्यकारों को भी समुचित स्थान प्रदान किया जाए। ऐसी न होगा तो हिंदो साहित्य का अखिल भारतीय स्वरूप पूर्णतया प्रकट नहीं होगा और इससे हिंदी साहित्य का इतिहास अधूरा रह जाएगा। □□□

(पृष्ठ 30 का शेषांश)

इस प्रकार हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने में महात्मा गांधी के स्पष्ट विचार थें। उन्होंने इसे राष्ट्रभाषा बनाने के लिये न केवल सपने संजोयें थे बल्कि उन्हें साकार रूप भी दिया। इन्हीं की प्रेरणा और सत्प्रयास से अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा और दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास की स्थापना हुई। आज ये संस्थायें हिन्दी के प्रसार और प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। लेकिन यह कार्य सामूहिक रूप से सम्भव हो सकता है। आइए, इस पुनीत कार्य को हम एक हो जुटकर आगे बढ़ायें।

□□□

हिन्दी के प्रचार-प्रसार में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय का योगदान

—श्री राजमणि तिवारी

निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय

स्वतन्त्रतापूर्व ही राष्ट्र के सुधी चिन्तकों ने संघ शासन के लिए विदेशी भाषा के स्थान पर एक भारतीय भाषा को प्रतिष्ठापित करने का निश्चय किया था और जब 1950 में भारत के लोगों ने भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न लोकतंत्रीय गणराज्य बनाने हेतु दृढ़ संकल्प होकर संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करके उसके अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपि में हिन्दी को संघ राजभाषा स्वीकृत किया तो उसके विकास और प्रचार-प्रसार का अतिरिक्त दायित्व केन्द्रीय सरकार पर आ पड़ा। इसी उत्तरदायित्व के निर्वाह हेतु और संविधान में विहित व्यवस्था के अनुरूप सभी भाषा वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक भाषा आयोग गठित किया गया और इस आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए 30 सदस्यों की एक संसदीय समिति भी गठित की गई। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट 8 फरवरी, 1959 को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में अन्य बातों के अलावा एक तो यह सिफारिश की गई कि 1965 तक अंग्रेजी मुख्य राजभाषा और हिन्दी सहायक राजभाषा रहनी चाहिए। 1965 के बाद हिन्दी संघ की मुख्य राजभाषा हो जाए किन्तु अंग्रेजी सहायक राजभाषा के रूप में चलती रहे। दूसरी ओर इस समिति ने संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक के राजभाषा विषयक कार्य का संघ सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच वितरण के संबंध में सिफारिशें भी कीं। इन सिफारिशों पर विचार करने के बाद राष्ट्रपति ने राजभाषा विषयक विभिन्न कार्यों को निम्नलिखित मंत्रालयों में वितरित किया :

(1) **शिक्षा मंत्रालय :** (क) शब्दावली के क्षेत्र में : वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के विकास हेतु एक स्थायी आयोग का गठन (ख) सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों के अलावा शेष सभी संहिताओं और अन्य कार्य विधि—साहित्य का अनुवाद

(ग) हिन्दी प्रचार की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा और इस दिशा में आगे की कार्रवाई (घ) हिन्दी टाइपराइटरों के मानक की बोर्ड (कुंजीपटल) का विकास।

2. **गृह मंत्रालय :** (क) प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग को हिन्दी का प्रशिक्षण (ख) केन्द्रीय सरकार की नौकरी में लगे टाइपकारों और आशुलिपिकों को हिन्दी टाइपराइटिंग और आशुलिपि का प्रशिक्षण, (ग) अखिल भारतीय सेवाओं और उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती-परीक्षा के वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को लागू करने के उद्देश्य से संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श, (घ) संघीय प्रशासन में बिना कठिनाई के हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए कदम उठाना और अनुच्छेद 343 (2) में किए गए उपबन्ध के अनुसार संघ के विभिन्न कार्यों में अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देना।

3. **विधि मंत्रालय :** (क) विधि विषयक शब्दावली का निर्माण, (ख) संसदीय विधियों का प्रामाणिक हिन्दी अनुवाद, (ग) सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का हिन्दी अनुवाद।

उपर्युक्त वितरण के आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 की व्यवस्था के कार्यान्वयन हेतु, जिसके अन्तर्गत राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार और विकास का दायित्व केन्द्रीय सरकार को सौंपा गया था, राष्ट्रपति के अप्रैल, 1960 के आदेश के अन्तर्गत शिक्षा मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के स्थायी आयोग की स्थापना की गई। इन अधीनस्थ कार्यालयों की स्थापना से पूर्व उपर्युक्त कार्य शिक्षा मंत्रालय के हिन्दी डिवीजन द्वारा सम्पन्न हो रहा था। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय को हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार और विकास का कार्य सौंपा गया और शब्दावली आयोग को पारिभाषिक शब्दावली और विश्वविद्यालय स्तर के मानक ग्रंथों का निर्माण कार्य सौंपा गया। प्रारम्भ में ये दोनों कार्यालय एक ही प्रशासनिक ढांचे के अन्तर्गत काम करते थे किन्तु 1965 में आयोग का कार्यालय पृथक कर दिया, यह स्थिति अगस्त, 1971 तक चलती रही किन्तु 5 अगस्त, 1971 को ये दोनों कार्यालय फिर से एक कर दिए गए। अब सन् 1983 में इन दोनों कार्यालयों को फिर से पृथक कर दिया गया है।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय

जैसा कि ऊपर कहा गया है इस अधीनस्थ कार्यालय की स्थापना राष्ट्रपति के अप्रैल, 1960 के आदेश द्वारा की गई। इसे हिन्दी के प्रचार-प्रसार और विकास तथा प्रशासनिक साहित्य के अनुवाद

का कार्य सौंपा गया। प्रशासनिक साहित्य के अनुवाद का कार्य फरवरी, 1971 तक सुचारू रूप से इस कार्यालय में चलता रहा किन्तु मार्च, 1971 में यह कार्य गृह मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो को सौंप दिया गया। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के अन्तर्गत हिन्दी के प्रचार-प्रसार और विकास की विभिन्न योजनायें और उनकी प्रगति इस प्रकार है:

पत्राचार पाठ्यक्रम

अहिन्दी भाषी भारतीयों एवं विदेशियों को हिन्दी सिखाने के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम की योजना 1968 में शुरू की गई। इसके अन्तर्गत प्रवेश और परिचय परीक्षायें उन सभी छात्रों के लिए हैं जो अहिन्दी भाषी क्षेत्र के हैं और नियमित रूप से किसी शिक्षण संस्था में हिन्दी नहीं पढ़ रहे हैं तथा उन विदेशियों के लिए हैं जो पत्राचार द्वारा हिन्दी सीखना चाहते हैं। शुरू में ये पाठ्यक्रम अंग्रेजी के माध्यम से ही पढ़ाए जाते थे परन्तु अब ये तमिल, मलयालम के माध्यम से भी पढ़ाए जाते हैं। 1969 से प्रवेश पाठ्यक्रम बंगला माध्यम से भी पढ़ाया जा रहा है। इन पाठ्यक्रमों के अलावा प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ पाठ्यक्रम केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए चल रहे हैं। 1968 से लेकर अब तक कुल मिलाकर लगभग एक लाख पैंतीस हजार छात्रों को इन पाठ्यक्रमों के जरिए हिन्दी का शिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इन पाठ्यक्रमों की परीक्षा लेने के लिए देश तथा विदेश में अनेक केन्द्र स्थापित किए गए हैं जिनकी संख्या स्वदेश में 86 तथा विदेशों में 15 है। अहिन्दी भाषी भारतीयों और विदेशियों को हिन्दी भाषा के शुद्ध उच्चारण, वाक्य रचना और व्यावहारिक हिन्दी सीखने में सुविधा प्रदान करने के लिए 16 हिन्दी लिंग्वा रिकार्डों का एक सैट तैयार किया गया है। अब इनके सैट भी तैयार किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त द्विभाषी वार्तालाप पुस्तिकाएं और द्विभाषी स्वयं शिक्षक पाठमालाएं भी प्रकाशित की गई हैं।

विस्तार योजनाएं :—

(क) अहिन्दी भाषी नव हिन्दी लेखकों के कार्यशिविर

1962 से प्रारम्भ की गई इस योजना के अन्तर्गत अहिन्दी भाषी क्षेत्र के हिन्दी के नवोदित लेखकों और कवियों को प्रोत्साहन देने और उनकी प्रतिभा का परिमार्जन करने के लिए देश के अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में प्रति वर्ष 4 से लेकर 8 कार्यशिविर लगाए जाते हैं। ये नवोदित कवि और लेखक हिन्दी के मूर्धन्य विद्वानों की देख रेखा में लगभग एक सप्ताह तक एक स्थान पर रहकर अपनी रचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं और उन विद्वानों से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। इन कार्यशिविरों के माध्यम से बहुत से अहिन्दी भाषी लेखकों और कवियों की लेखनी और वाणी में मुखरता आई है।

(ख) छात्र अध्ययन यात्रा

यह योजना भी 1962 में प्रारम्भ की गई। इसके अन्तर्गत अहिन्दी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हिन्दी के 50-50 छात्र/छात्राओं के दो दलों को हिन्दी भाषी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों/स्वैच्छिक संस्थाओं में हिन्दी के विद्वानों से सम्पर्क करने हेतु भेजा जाता है। इससे उनमें भावनात्मक एकता तो बढ़ती ही है साथ ही वे अपने उच्चारण और हिन्दी के वाक्य विन्यास, व्याकरण के संबंध में अपनी व्यावहारिक कठिनाइयों का समाधान भी करते हैं।

(ग) अहिन्दी क्षेत्र के हिन्दी शोध छात्रों को अनुदान

अहिन्दी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में हिन्दी की विभिन्न विधाओं में शोध कर रहे 20 शोधार्थियों को प्रति वर्ष किसी अन्य विश्वविद्यालय आदि में जाकर सामग्री आदि इकट्ठा करने हेतु यात्रा अनुदान प्रदान किया जाता है।

(घ) प्राध्यापक व्याख्यान यात्रा योजना :—

इस योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष अहिन्दी क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों के 5 प्राध्यापक हिन्दी क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों में और हिन्दी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों के 5 प्राध्यापक अहिन्दी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में हिन्दी साहित्य की विभिन्न विधाओं पर व्याख्यान देने तथा वहां के प्राध्यापकों/छात्रों के साथ विचार विमर्श करने हेतु भेजे जाते हैं। इनके यात्रा व्यय आदि का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है।

(ङ) हिन्दीतर भाषी लेखकों द्वारा हिन्दी में पुस्तकें लिखने पर पुरस्कार

इस योजना के अन्तर्गत अहिन्दी भाषी लेखकों में हिन्दी लेखन प्रवृत्ति को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक वर्ष 2500-2500 रुपए के 16 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

(च) हिन्दी, संस्कृत व मातभाषा को छोड़कर अन्य भारतीय भाषाओं में पुस्तकें लिखने पर पुरस्कार

इस योजना के अन्तर्गत मूल पुस्तक/पाण्डुलिपि पर 2000 रुपए और अनूदित पुस्तक/पाण्डुलिपि पर 1000/- रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं किन्तु इनकी संख्या निश्चित नहीं है।

स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं के कार्य का निरीक्षण

भारत सरकार प्रतिवर्ष विभिन्न स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं को हिन्दी का प्रचार-प्रसार करने हेतु अनुदान प्रदान करती है। इस अनुदान के ठीक उपयोग को सुनिश्चित करने और इन संस्थाओं की गतिविधियों की देख रेख करने के लिए पूरे देश में चार क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं। ये क्षेत्रीय कार्यालय निदेशालय प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और देश में फैले विभिन्न सरकारी कार्यालयों तथा निजी संस्थाओं के हिन्दी से संबंधित कार्यों में परामर्श तथा मार्ग दर्शन और हिन्दी के प्रसार-प्रचार के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित समारोहों, संगोष्ठियों आदि में सक्रिय सहयोग प्रदान करते हैं।

प्रकाशकों के सहयोग से हिन्दी में लोकप्रिय पुस्तकों का प्रकाशन

निदेशालय की इस योजना को हिन्दी पुस्तक प्रकाशन जगत में काफी लोकप्रियता मिली है। इस योजना के अन्तर्गत अभी तक 343 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं।

हिन्दी पुस्तकों का अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में निःशुल्क वितरण

हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु सरकार अहिन्दी भाषी क्षेत्र की संस्थाओं और विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में हिन्दी की पुस्तकें भेजने के लिए प्रत्येक वर्ष पुस्तकों की थोक खरीद करती है और उनका निःशुल्क वितरण करती है। इस योजना ने हिन्दी की पुस्तकें पढ़ने में लोगों की रुचि को ही नहीं बढ़ाया है अपितु हिन्दी पुस्तकों के प्रकाशकों को भी बढ़ावा मिला है।

'भाषा' और 'वार्षिकी' 'यूनेस्को दूत'

हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने और हिन्दी के विकास का दिग्दर्शन कराने के लिए एक त्रैमासिक पत्रिका 'भाषा' का नियमित रूप से प्रकाशन किया जा रहा है। हिन्दी साहित्य की विभिन्न विधाओं में वर्ष भर क्या कुछ हुआ है इसका लेखाजोखा हिन्दी 'वार्षिकी' के प्रकाशन से पाठकों तक पहुंचाया जाता है तथा पिछले कई वर्षों से यूनेस्को की मुख पत्रिका दूत का हिन्दी संस्करण निदेशालय प्रकाशित कर रहा है।

देवनागरी लिपि टाइपराइटर टेलिप्रिंटर कुंजीपटल आशुलिपि आदि का मानकीकरण

देवनागरी लिपि को अखिल भारतीय लिपि का स्वरूप और क्षमता प्रदान करने हेतु स्टैन्डर्ड देवनागरी (अंग्रेजी), परिवर्धित देवनागरी, मानक देवनागरी, परिवर्धित देवनागरी चार्ट, मानक देवनागरी चार्ट, देवनागरी थ्रू द एजेज (अंग्रेजी), देवनागरी विकास, परिवर्धन और मानकीकरण पुस्तिकाएं प्रकाशित की गई हैं। आधुनिक युग में भाषा की मशीनी आवश्यकताओं को देखते हुए और हिन्दी को उसके अनुरूप बनाने हेतु हिन्दी टाइपराइटर कुंजीपटल का मानकीकरण 1969 में पूरा किया गया और उसके आधार पर टाइप मशीनों का उत्पादन हो रहा है। इसके साथ ही हिन्दी टेलिप्रिंटर कुंजीपटल का काम भी सम्पन्न किया गया तथा आशुलेखन प्रणाली का मानकीकरण किया गया।

शब्दानुक्रमणिकाओं तथा सर्वसंग्रह ग्रंथों का प्रकाशन

हिन्दी के शब्द भंडार का लेखा जोखा लेने के लिए और हिन्दी में उच्चकोटि के कोश तैयार करने में सहायता देने के लिए 12 शब्दानुक्रमणिकाएं यथा कामायनी, श्रीधर पाठक के ग्रंथों, साकेत, प्रिय, प्रवास, तुलसी दास, बीसलदेव रासो, कबीर, गोदान, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, सूरदास, केशव और जायसी की शब्दानुक्रमणिकायें तैयार और प्रकाशित की गई।

हिन्दी के नए पुराने प्रमुख कवियों और लेखकों को कृतियों को काल-कवलित होने से बचाने के लिए और उन्हें संग्रहों के रूप में सुलभ कराने हेतु सर्व संग्रह ग्रंथों का संकलन और प्रकाशन किया गया।

2. हिन्दी के विकास और संवर्धन की योजनाएं

(क) शब्दकोशों का निर्माण

हिन्दी में कोशों तथा विश्वकोशों के निर्माण की दिशा में बहुत कुछ किया गया। व्यावहारिक हिन्दी-अंग्रेजी कोश का 1966 में प्रकाशन किया गया जिसमें सामान्य व्यवहार के 6500 शब्दों का समावेश था। निदेशालय विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के सहयोग से द्विभाषी और त्रिभाषी कोश भी तैयार कर रहा है और उनके शीघ्र प्रकाशित हो जाने की आशा है। इस योजना के अन्तर्गत हिन्दी-क्षेत्रीय भाषा तथा क्षेत्रीय भाषा-हिन्दी के द्विभाषी और हिन्दी-क्षेत्रीय भाषा-अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषा-हिन्दी-अंग्रेजी के त्रिभाषी कोश तैयार किए गए हैं।

विभिन्न भारतीय भाषाओं में सामंजस्य पैदा करने और भावात्मक एकता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा कोश तैयार किया गया है। इस कोश में हिन्दी के आधार शब्द के संविधान में स्वीकृत सभी भारतीय भाषाओं में पर्याय दिए गए हैं। इसकी पांडुलिपि तैयार है और शीघ्र ही प्रकाशित होने की संभावना है।

(ख) विदेशी भाषा कोश

भारत सरकार और विभिन्न विदेशी सरकारों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान समझौतों के अन्तर्गत हिन्दी-विदेशी भाषा कोश तैयार किए जा रहे है। इसके अन्तर्गत (I) चैक-हिन्दी और हिन्दी-चैक शब्दकोश तैयार हो चुके है। इनमें से प्रत्येक में 15,000 प्रविष्टियां हैं। इसके अतिरिक्त 1000 वाक्यांशों से युक्त चैक-हिन्दी और हिन्दी-चैक वार्तालाप पुस्तिकाएं भी तैयार हो चुकी हैं। (II) जर्मन-हिन्दी और हिन्दी-जर्मन कोश में प्रत्येक म 45,000 प्रविष्टियां हैं जो तैयार हो चुकी हैं और जिन्हें अन्तिम रूप प्रदान किया जा रहा है। (III) हिन्दी-रूसी वार्तलाप पुस्तिका जिसमें 1000 वाक्यांश सम्मिलित हैं, तैयार कर ली गई है। (IV) हिन्दी-हंगेरियन, हंगेरियन-हिन्दी कोशों पर भी काम किया जाना है।

इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकृत भाषाओं और हिन्दी के कोशों के निर्माण का काम भी हाथ में लिया गया है। इसके अन्तर्गत स्पेनिश-हिन्दी, चीनी-हिन्दी, अरबी-हिन्दी तथा फ्रेंच-हिन्दी कोश तैयार किए जाएंगे और प्रत्येक कोश में लगभग 3000 प्रविष्टियां होगी।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों को हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में पारिभाषिक शब्दावली तैयार करने और विश्वविद्यालय स्तर के मानक ग्रंथों का निर्माण करने के लिए राष्ट्रपति के अप्रैल, 1960 के आदेश द्वारा इस आयोग की स्थापना की गई। यह आयोग भी निदेशालय के साथ-साथ विभिन्न योजनाओं पर कार्य कर रहा है।

शब्दावली

शब्दावली निर्माण का कार्य सतत् रूप से अनंतकाल तक चलते रहने वाला कार्य है किन्तु लगभग सभी विषयों में स्नातक स्तर तथा कुछ विषयों में स्नातकोत्तर स्तर की शब्दावली का निर्माण और प्रकाशन हो चुका है। यद्यपि पहले विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, कृषि, इंजीनियरी, आयुर्विज्ञान के विविध विषयों की अलग-अलग शब्दावलियां प्रकाशित की गई थी किन्तु बाद में उनका समन्वय आदि करके उन्हें समेकित रूप से प्रकाशित किया गया। अभी तक आयोग द्वारा प्रकाशित शब्द संग्रह और उनमें दर्ज प्रविष्टियों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1. बृहत्त शब्द संग्रह	(विज्ञान)	1,30,000	लगभग
2. ,,	(मानविकी)	70,000	,,
3. ,,	(आयुर्विज्ञान)	50,000	,,
4. ,,	(इंजीनियरी)	30,000	,,
5. ,,	(कृषि)	5,000	,,
6. समेकित रक्षा शब्दावली		25,000	,,
7. वानिकी शब्दावली		5,000	,,
8. प्रशासन शब्दावली		5,000	,,
9. रेल शब्दावली		3,000	,,
10. डाकतार शब्दावली		2,000	,,
11. खेल-कूद शब्दावली		2,500	,,

इन अंग्रेजी–हिन्दी शब्दावलियों के अतिरिक्त विज्ञान, मानविकी और प्रशासन शब्द संग्रहों के हिन्दी-अंग्रेजी संस्करण भी प्रकाशित किए गए हैं।

परिभाषा कोष

भौतिकी, रसायन, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, भूविज्ञान, भूगोल, समाज विज्ञान, दर्शन, शिक्षा, मनोविज्ञान, अर्थ शास्त्र, वाणिज्य, भाषा विज्ञान, राजनीति विज्ञान, इतिहास, वास्तुकला, इंजीनियरी, आयुर्विज्ञान आदि विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों में परिभाषाएं तैयार की गई और उपर्युक्त विषयों में से अधिकतर विषयों में लगभग एक-एक हजार परिभाषाओं से संयुक्त परिभाषा कोशों का प्रकाशन भी हो चुका है। परिभाषा निर्माण कार्य अभी भी जारी है।

चयनिकाएं

हिन्दी के माध्यम से विश्वविद्यालय में पढ़ने और पढ़ाने वालों को उनके विषय की हिन्दी भाषा में अद्यतन जानकारी देने के लिए विभिन्न विषयों में चयनिकाएं प्रकाशित की गई। ये चयनिकाएं विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई।

अखिल भारतीय शब्दावली

आयोग को सौंपे गए कार्यों में एक महत्वपूर्ण काम यह भी था कि वह ऐसी वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली का निर्माण करे जो सभी क्षेत्रीय भाषाओं को ग्राह्य हो और इस प्रकार सभी विश्वविद्यालय उस शब्दावली को अध्यापन माध्यम के रूप में प्रयुक्त कर सकें। इस दिशा में प्रयत्न का पहला चरण लगभग पूरा हो गया है। विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञानों, आयुर्विज्ञान आदि के लगभग सभी विषयों में प्रथमतः 500–500 मूलभूत शब्द छांटे गए और सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उसके पर्याय मांगे गए। तत्पश्चात सभी भाषाओं के विषय विद्वानों की संगोष्ठियां आयोजित कर उन्हें अन्तिम रूप प्रदान कर दिया गया। हर्ष का विषय है कि विभिन्न भाषाओं के विद्वानों ने आम सहमति से आयोग द्वारा सुझाए 90 प्रतिशत शब्दों को अखिल भारतीय शब्दावली के रूप में अंगीकार किया और शेष 10 प्रतिशत में अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को स्वीकृत किया गया। लगभग सभी विषयों में अखिल भारतीय शब्दावली बन चुकी है, शेष में कार्य जारी है।

हिन्दी में मानक ग्रंथों का निर्माण

विश्वविद्यालय स्तर के मानक ग्रंथों का हिन्दी भाषा में मौलिक लेखन और अनुवाद कार्य बड़े पैमाने पर और पुरजोर तरीके से शुरू किया गया। बाद में यह कार्य विभिन्न राज्यों की ग्रंथ अकादमियों/एजेन्सियों को सौंप दिया गया किन्तु आयुर्विज्ञान, इंजीनियरी और कृषि संबंधी मौलिक ग्रंथों का निर्माण आयोग की देख-रेख में रखा गया। इस योजना के अन्तर्गत अभी तक लगभग 1300 मौलिक/अनूदित ग्रंथों का प्रकाशन हो चुका है।

प्रदर्शनी

हिन्दी प्रचार के क्षेत्र में प्रदर्शनियों का बहुत महत्व है। उपर्युक्त दोनों कार्यालयों के प्रकाशनों को लोकप्रिय बनाने और आम तथा प्रबुद्ध जनता में हिन्दी के प्रति फैली गलत फहमियों को दूर करने के लिए अहिन्दी प्रदेशों और हिन्दी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष लगभग 20 ऐसी प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं और हजारों विद्यार्थी, अध्यापकगण, बुद्धिजीवी और अन्य पढ़े लिखे लोग इन्हें देखने आते हैं और यथाशक्य पुस्तकें खरीदते भी हैं।

इस प्रकार निदेशालय अपनी बहुमुखी योजनाओं के माध्यम से राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के महत्वपूर्ण कार्य में सतत् प्रयत्नशील है। □□□

हिन्दी का जनपदीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भ

—डा० रवीन्द्र नाथ श्रीवास्तव

प्रोफेसर, भाषा विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

भाषा अध्ययन की आधुनिक दृष्टि हमें इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाती है कि भाषा की पहचान का आधार उसके प्रयोग एवं व्यवहार के विविध सन्दर्भ होते हैं न कि उसकी संरचना अथवा व्याकरण । इसीलिए अब 'भाषा' की बात को "भाषाई समुदाय" के सन्दर्भ में उठाया जाता है । भाषाई समुदाय के रूप में हिन्दी उन व्यक्तियों का समूह है जो सम्प्रेषण व्यापार के रूप में; हिन्दी के "लिंगुआ फैंक्का " रूप को स्वीकार करते हैं और जिनके लिए हिन्दी सामाजिक अस्मिता का साधन है । विभिन्न बोलियों और सामाजिक शैलियों के वावजूद इस समुदाय के व्यक्ति, एक-दूसरे से अपनी बात कहने में सक्षम हैं । साथ में, अन्य भाषाई समुदायों (जैसे बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु) आदि के प्रति "हम-वे" की प्रवृत्ति का वे परिचय देते हैं । वस्तुतः भाषा व्यवहार की दृष्टि से यह हिन्दी का **जनपदीय सन्दर्भ** है ।

अपने जनपदीय सन्दर्भ में ही हिन्दी भारत के छह प्रादेशिक राज्यों—उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा तथा दो संघ राज्यों—दिल्ली और चण्डीगढ़ की राजभाषा के रूप में स्वीकृत है। इन क्षेत्रों में मातृ-भाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकार करने वालों की संख्या अन्य भाषाओं की तुलना में अधिक है—यथा, राजस्थान (91.73 प्रतिशत), हरियाणा (89.42 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (88.54 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (86.87 प्रतिशत), मध्यप्रदेश (85.3 प्रतिशत), बिहार (70.77 प्रतिशत), दिल्ली (75.97 प्रतिशत) और चण्डीगढ़ (55.96) प्रतिशत) अपने जनपदीय सन्दर्भ में ही हिन्दी अपनी बोलियों यथा, ब्रज, बुन्देली, अवधी, भोजपुरी, मैथिली आदि के बीच सम्पर्क भाषा के रूप में काम करती है । इन बोलियों के बोलने वालों के लिए अगर ये बोलियां "प्रथम मातृभाषा" हैं ; तब "हिन्दी उनके लिए" 'सहयोजित मातृभाषा' है । सहयोजित मातृभाषा के रूप में हिन्दी उनके लिए सामाजिक अस्मिता का सशक्त साधन है ।

अपने व्यापक अर्थ में हिन्दी एक अक्षेत्रीय भाषा है । अक्षेत्रीय भाषा के रूप में ही उसका **राष्ट्रीय संदर्भ** सामने उभरता है । यह ध्यान देने की बात है कि हमारी आजादी की लड़ाई में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने जन-सम्पर्क की इस भाषा को नया अर्थ और नया संस्कार प्रदान किया था । गुजरात शिक्षा सम्मेलन के सभापति पद से बोलते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सन 1917 में यह कहा था कि किसी देश की राष्ट्रभाषा वही भाषा हो सकती है जो सरकारी कर्मचारियों के लिए सहज और सुगम हो ; **जो सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्र में माध्यम भाषा बनने की शक्ति रखती हो, जिसके बोलने वाले बहुसंख्यक हों और जो पूरे देश के लिए सहज रूप में उपलब्ध हो ।** उनके अनुसार बहुभाषा भाषी भारत में हिन्दी ही वह भाषा है जो राष्ट्र भाषा के लिए निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करती है ।

जहां तक हिन्दी भाषा की व्यापकता और व्यवहार क्षमता का प्रश्न है, उसके लिए यही कहा जा सकता है कि न केवल मातृभाषा के रूप में इसके बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है बल्कि अन्य भाषा के रूप में इसे व्यवहार में लाने वालों का अनुपात भी सर्वाधिक है। 1971 की जनगणना के अनुसार भारत की पूरी आबादी 548,195,652 है और मातृ भाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकार करने वालों की संख्या 208,514,005 है । इसके अतिरिक्त संख्या की दृष्टि से अहिन्दी प्रदेशों में हिन्दी पंजाब, पश्चिमी बंगाल, अण्डमान निकोबार में दूसरी प्रमुख भाषा और कम से कम पांच प्रदेशों—जम्मू कश्मीर, आसाम, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं त्रिपुरा में तीसरे स्थान पर है । स्पष्ट है कि भारत की समूची जनसंख्या का एक तिहाई अंश हिन्दी भाषी है और भारत की संपूर्ण द्विभाषी जनसंख्या के चौथाई अंश की यह सम्पर्क भाषा है ।

इस बात पर बल देने की आवश्यकता है कि हिन्दी के जनपदीय सन्दर्भ के आधार पर केवल उसकी विभिन्न बोलियों के प्रयोक्ता ही अपनी सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता का अनुभव नहीं करते, वरन् विभिन्न क्षेत्रीय भाषा भाषियों को भी इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और सर्वसामान्य आचार-विचार का अनुभव प्राप्त होता है। इस प्रकार हिन्दी राष्ट्रीय दृष्टि से अनेकता में एकता की विचारधारा की संवाहिका है । भारत की अन्य भाषाओं के साथ निरन्तर पारस्परिक सम्बन्ध रखने के कारण यह भाषा तीव्र गति से न केवल भारतीय

संस्कृति और सभ्यता का प्रबल आधार बनती जा रही है बल्कि अपने आन्तर-भारती स्वरूप को भी निखारती जा रही है। हिन्दी के इस आन्तर-भारती स्वरूप की विकास दिशा क्या हो, इस सम्बन्ध में हमारी संवैधानिक दृष्टि स्पष्ट है। संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार "हिन्दी भाषा की प्रसार वृद्धि करना, उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए तथा जहां आवश्यक या वांछनीय हो, वहां उसके शब्द भण्डार के लिए मुख्यत: संस्कृत और गौणत: अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा।"

राष्ट्रीय सन्दर्भों में प्रयुक्त होने वाली हिन्दी के दो निश्चित भाषारूप उभर कर हमारे सामने आए हैं। **जनभाषा रूप** में हिन्दी, अहिन्दी क्षेत्रों में रेलवे प्लेटफार्म, अन्तर्राज्यीय बस अड्डे, सांस्कृतिक स्थल जैसे प्रमुख मन्दिर या ऐतिहासिक दर्शनीय स्थानों में प्रयुक्त होती देखी जा सकती है। इधर हिन्दी फिल्मों ने भी अहिन्दी भाषियों के इस जनभाषा रूप को निखारा और संवारा है। वस्तुत: भाषा-प्रयोग के इस जनभाषा रूप का मूल भारतीय समाज की आधारभूत द्विभाषिकता है। इस प्रकार की द्विभाषिकता, सम्प्रेषण व्यवस्था के उस स्तर से संबंध रखती है जो सर्वसाधारण की निजी और दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने का साधन है। राष्ट्रभाषा का एक दूसरा पक्ष भी है जिसे हम हिन्दी के **राजभाषा रूप** में देखते हैं। हिन्दी भारतवर्ष की प्रमुख राजभाषा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार "संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।" राष्ट्र को राजनैतिक एवं आर्थिक दृष्टि से एकता के सूत्र में बांधने वाली प्रशासनिक प्रयोजनों की भाषा को राजभाषा की मान्यता मिलती है। इसका आधार सभ्रांत द्विभाषिकता है, और यही कारण है कि इसके भाषारूप में या तो संस्कृतनिष्ठ पदरचना का बाहूल्य है अथवा अंग्रेजी अनूदित भाषा संस्कार की गहरी छाया।

सम्प्रति स्थिति यह है कि राष्ट्रीय सन्दर्भों में प्रयुक्त होने वाली अक्षेत्रीय हिन्दी के दो भाषा रूपों जनभाषा एवं राजभाषा के बीच एक गहरी खाई आती जा रही है, इन दो भाषा रूपों के संस्कार में वही भेद दिखाई पड़ता है जो संभ्रान्त पर प्रभुता सम्पन्न और सामान्य या प्रताड़ित सामाजिक वर्गों के बीच देखा जाता है और सम्प्रषेयीयता एवं बोधगम्यता के सन्दर्भ में हिन्दी की इन दो भाषाशैलियों में कभी-कभी उतना ही अन्तर मिलता है जितना कि किसी विदेशी भाषा और स्वभाषा में। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि राष्ट्रभाषा हिन्दी के जनभाषा एवं राजभाषा रूपों के बीच की दूरी को भाषा-नियोजन के सुविचारित माध्यम से दूर करें, उनके बीच की खाई को भाषाई संस्कार के सहारे कम करने की कोशिश करें और उच्च (राजभाषा) एवं निम्न (जनभाषा) भाषाशैली की अवधारणा से अपने को मुक्त करते हुए हिन्दी को सर्व-सामान्य के लिए अधिक से अधिक बोधगम्य बनाने के लिए प्रयत्न करें।

जनपदीय और राष्ट्रीय सन्दर्भ के अतिरिक्त हिन्दी व्यवहार का एक तीसरा सन्दर्भ भी है जिसे हम उसका **अन्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भ** कह सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिन्दी के कई रंग और कई पक्ष हैं। मारिशस, फ़िजी, त्रिनिदाद, गुयाना आदि देशों में हिन्दी का व्यापक प्रयोग है। इन देशों के हिन्दी प्रेमी इस भाषा को केवल भाषा के रूप में व्यवहार में नहीं लाते अपितु उसे वे अपनी संस्कृति का एक अंग भी समझते हैं। हिन्दी को वे अपने ऐतिहासिक संबंधों की सांस्कृतिक कड़ी और अपनी भावात्मक एकता का मूल आधार मानते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय संन्दर्भ में हिन्दी "विश्वभाषा" का अपना रूप ग्रहण करती है, पर विश्व भाषा के प्रयोजन एवं रूप के परिप्रेक्ष्य में एक दो बातों पर ध्यान देना आवश्यक है।

विश्व के दृश्य फलक पर हम अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पैनिश, पुर्तगाली आदि भाषाओं को भी विश्वभाषा के रूप में व्यवहृत पाते हैं। पर विश्वभाषा बनने की इनकी प्रक्रिया विश्व भाषा हिन्दी से भिन्न है। ये भाषाएं साम्राज्यवाद की उस नींव के आधार पर फली जो प्रभुता और शक्ति की रक्तरंजित प्रवृत्ति से सींचा गया था। इसके विपरीत विश्व भाषा हिन्दी का आधार रहा है उसके प्रति श्रमजीवियों की श्रद्धा और आत्मीयता। और जैसा कि मारीशस के हिन्दी प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष श्री जयनारायण राम का कहना है हिन्दी, उपनिषद, रामायण, गीता की बेटी बनकर आई है। यह उनके धर्म एवं संस्कृति का अंग बनकर अभी भी जीवित है।

दूसरा तथ्य इस ओर संकेत देता है कि हिन्दी के रंजक एवं सर्जनात्मक साहित्य का एक नया आयाम उसके अन्तर्राष्ट्रीय पक्ष के साथ जुड़ता जा रहा है। इन देशों में हिन्दी के माध्यम से कविता संग्रह, उपन्यास-कहानी, आलोचनात्मक ग्रंथ, ज्ञानात्मक साहित्य का सर्जन काफी संख्या में होता जा रहा है इस विपुल साहित्य में हम पाते हैं---इन देशों की माटी की गंध, वहां की अपनी लोकोक्तियों का निखार, वहां की जिन्दगी का रस। भाषा की व्याकरणिक संरचना की प्रकृति उसी हिन्दी की है जिसे भारतवर्ष में उसके प्रयोक्ता व्यवहार में लाते हैं, पर उसकी बनावट (टैक्स्चर) में इन विभिन्न देशों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना की छाप। यह बात दूसरी है कि हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखन एवं समीक्षात्मक आकलन में हमने इस साहित्य के बारे में अभी तक न तो चर्चा की है और न उनके वैशिष्ट्य का आकलन, पर आज हम इस बात की अवमानना नहीं कर सकते कि विश्वभाषा के रूप में हिन्दी को अब अपनी

सीमा में उस विपुल बहुरंगी साहित्य को भी समेटना चाहिये जो इन देशों में समर्थ साहित्यकारों द्वारा रचा जा रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भ में हिन्दी के दो और प्रयोजनपरक पक्ष हैं। बंगला देश, श्रीलंका, ब्रह्मदेश, इंडोनिशिया, मलेशिया, कम्बोदिया आदि देशों के लिए हिन्दी सामासिक–सांस्कृतिक प्रेरणा प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त अमेरिका, इंग्लैण्ड, सोवियत संघ, फ्राँस, जापान, चेकोस्लोवाकिया आदि देशों में 'विदेशी' भाषा के रूप में इस भाषा के अध्ययन-अध्यापन का कार्य हो रहा है। हिन्दी व्याकरण, हिन्दी शिक्षण सामग्री आदि क्षेत्रों में विदेशी भाषा के रूप में हिन्दी को इन देशों के विद्वान बहुत पहले से समृद्ध करते आए हैं। इधर गत कुछ वर्षों में जर्मन–हिन्दी, रूसी–हिन्दी, हिन्दी-चेक, नेपाली-हिन्दी, नेपाली-हिन्दी, हिन्दी–डच–डच हिन्दी आदि शब्द कोशों का प्रकाशन भी हुआ है। अब तो कुछ देशों में विदेशियों द्वारा हिन्दी की त्रैमासिक एवं मासिक पत्रिकाएं भी प्रकाशित होना शुरू हो गई हैं।

अगर हम हिन्दी व्यवहार के जनपदीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भों पर ध्यान दें और इन तीनों व्यवहार क्षेत्रों की पृष्ठभूमि में हिन्दी प्रयोक्ताओं के भाषाई कोश पर अपनी दृष्टि डालें, तब यह कहने में हमें संकोच नहीं होना चाहिए कि उसका भाषाई रूप अपनी प्रकृति में बहुभाषिकता के रूप-रंग, बहुबोलीपरकता के स्पर्श-गंध और बहुशैलीपरकता के ध्वनि–रस से सिक्त है। आवश्यकता है तो उसके इस बहुआयामी रूप–रंग, स्पर्श, गंध एवं ध्वनि–रस के पहचान और अनुभव की। हिन्दी विद्वानों के लिए आज इसकी पहचान के लक्ष्यों का पता लगाना एक चुनौती है, जिसे भाषाई वास्तविकता के रूप में उन्हें आज नहीं तो कल स्वीकार करना ही है।

□□□

"हिंदी न केवल देश के 20 करोड़ लोगों की साँस्कृतिक भाषा है, बल्कि वह बोलने समझने की संख्या की दृष्टि से दुनिया की तीसरी भाषा है। . . . . भारत के सभी धर्मों और विभिन्न भाषा-भाषियों ने हिंदी के विकास में योगदान दिया है। वह किसी विशिष्ट वर्ग, प्रदेश या समुदाय की भाषा न होकर भारतीय जनता की भाषा है।"

—फादर कामिल बुल्के

हिन्दी : अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर

—हरिबाबू कंसल
ई 9/23, बसन्त विहार, नई दिल्ली

संसार के सभी स्वाधीन देशों के नागरिक परस्पर बोलचाल में तथा अपने आन्तरिक काम-काज में अपनी भाषाओं का प्रयोग सहज और स्वाभाविक रूप में करते हैं और ऐसा करने में गर्व भी अनुभव करते हैं। किन्तु अनेक भारतीय नागरिक और हमारे अधिकारी अपनी पुरानी आदत के कारण अथवा झूठी प्रतिष्ठा के मोह में अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं जिससे विदेशों के लोग हमारी ओर आश्चर्य की दृष्टि से देखते हैं और हमारे इस प्रकार के व्यवहार से राष्ट्र की प्रतिष्ठा को काफी धक्का पहुंचता है। ऐसी परिस्थितियों में सभी स्वाभिमानी भारतीयों को, उनकी मातृभाषा कोई भी हो, वेदना होती है और उनका यह दृढ़ मत बनता है कि भारतीयों को विशेष रूप से विदेशों में परस्पर बातचीत में तथा अन्य कार्य-व्यवहार में अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिये।

अन्तर्राष्ट्रीय वार्ताओं के दौरान अन्य देशों के लोग अंग्रेजी जानते हुये भी अपने विचार जान-बूझ कर अपनी भाषा में रखते हैं, उनके विचारों का भाषान्तर दुभाषिये के द्वारा किया जाता है। इन वार्ताओं के समय अन्य देशों के प्रतिनिधि आपस का परामर्श अपनी भाषाओं में करते हैं जिससे गोपनीयता बनी रहती है और दूसरे पक्ष के सामने अपनी बात सुविचारित रूप से रखने में मदद मिलती है। भारतीय प्रतिनिधि मण्डल उस लाभ से अंग्रेजी के प्रयोग के कारण वंचित रह जाते हैं।

आमतौर से यह समझा जाता है कि हिन्दी का प्रयोग देश के आन्तरिक कामकाज तक ही सीमित रह सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय कार्य व्यवहार में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। अन्य देशों की यह परम्परा है कि जब कभी वे दूसरों के साथ कोई समझौता, करार या संधि करते हैं तो उनसे संबंधित प्रलेख उनकी अपनी भाषा में अवश्य तैयार कराए जाते हैं। एक समय था जब भारत अन्य देशों के साथ करार तथा संधियों के प्रलेख केवल अंग्रेजी में तैयार कराया करता था अथवा दूसरे देश की मांग पर उस प्रलेख का रूपान्तर दूसरे देश की भाषा में भी हुआ करता था। दिसम्बर, 1955 में भारत के राष्ट्रपति के आदेश से यह निर्णय किया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय करारों में हिन्दी का भी प्रयोग किया जाएगा। उस आदेश के पश्चात् धीरे-धीरे विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय करारों के हिन्दी रूपान्तर भी तैयार किये जाने लगे। अब अधिकांश अन्तर्राष्ट्रीय करारों तथा संधियों के हिन्दी रूपान्तर भी साथ-साथ तैयार कराए जाते हैं और उन पर अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषा के रूपान्तर के साथ-साथ दोनों देशों के प्रतिनिधि हस्ताक्षर करते हैं। कुछ विशेष तकनीकी, गोपनीय अथवा बहुत जल्दी के मामलों में हिन्दी रूपान्तर छूट जाता है। यदि प्रयत्न किया जाए तो उस प्रकार के प्रलेख भी हिन्दी में समय से तैयार कराना असम्भव नहीं होगा।

विभिन्न देशों का कुछ विषयों पर अन्य देशों से भी पत्राचार होता है। वह पत्राचार मात्र अंग्रेजी में नहीं होता। भारत के जो राजदूतावास विदेशों में हैं उनके पास उन देशों से जहां वे दूतावास स्थित हैं सारे सरकारी पत्र अंग्रेजी में नहीं आते। इन पंक्तियों का लेखक सन् 1953 से 1957 तक विदेश मंत्रालय की सेवा में रहते हुए भारतीय राजदूतावास अदिसअबाबा तथा भारतीय राजदूतावास काहिरा में था। वहां ईथोपिया सरकार से सारे सरकारी पत्र फ़्रैंच भाषा में आते थे। भारतीय राजदूतावास काहिरा में मिश्र सकार से फ़्रैंच में, लीबिया की सरकार से अरबी में, जार्डन सरकार से अरबी में और लेबनान तथा सीरिया की सरकारों से फ़्रैंच में पत्र प्राप्त होते थे। इसी प्रकार अन्य देशों में हमारे दूतावासों को संबंधित सरकारों से स्पैनिश, जर्मन आदि भाषा में पत्र प्राप्त होना एक स्वाभाविक बात है। इस स्थिति में यदि भारत सरकार दिल्ली स्थित विदेशी दूतावासों को अपने पत्र हिन्दी में भेजे तो वह अनुचित बात नहीं मानी जा सकती। यदि मात्र हिन्दी का प्रयोग करने की बात न सोची जाए तब भी जो परिपत्र भारत के विदेश मंत्रालय से विदेशी राजदूतावासों को जाते हैं वे परिपत्र हिन्दी या अंग्रेजी में, अर्थात् द्विभाषी रूप में उसी प्रकार भेजे जा सकते हैं जिस प्रकार भारत सरकार के अन्य परिपत्र द्विभाषी रूप में जारी होते हैं। वास्तव में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार राजनयिक विषय से संबंधित परिपत्र भी, अन्य परिपत्रों की भांति द्विभाषी रूप में जारी होने ही चाहिएं।

अरब देश अपने नागरिकों के पासपोर्ट अपनी भाषा में बनाते हैं। लगभग सभी देश विदेशियों को वीजा देते समय वीजा की मोहर अपनी भाषा में लगाते हैं। किन्तु भारत के राजदूतावास विदेशियों को भारत में प्रवेश के लिए वीजा देते समय अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। अन्य देशों की पद्धति के अनुसार हम भी वीजा पर हिन्दी का प्रयोग कर सकते हैं। इसे भारत में आने वाला प्रत्येक विदेशी भारत की राजभाषा हिन्दी के विषय में प्रारम्भिक परिचय प्राप्त

कर सकेगा। दि अंग्रेजी का प्रयोग इतना जरूरी समझा जाए तो वह हिन्दी के साथ-साथ किया जाना चाहिए, हिन्दी को छोड़कर या भुलाकर नहीं।

वर्षों से हिन्दी का अध्ययन-अध्यापन विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में होता रहा है। गत वर्ष संसद के प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री जी ने बताया था कि भारत से बाहर के देशों में 90 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाई जाती है। कुछ दिन पूर्व समाचार था कि रूस के एक स्कूल में एक रूसी महिला ने भौतिकी विषय पर अपना व्याख्यान हिन्दी में दिया। इस प्रकार हिन्दी अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर पहले से ही प्रतिष्ठित है। यदि सभी भारतवासी इस बारे में सजग रहें और विदेशों में रहते हुए अथवा विदेशियों से सम्पर्क करते समय यथोचित अवसरों पर हिन्दी के प्रयोग के महत्व को न भुलाएं तो अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर हिन्दी और भी अधिक अच्छा थान प्राप्त कर सकती है।

विदेशों से जो लोग कुछ वर्ष रहने के लिए भारत में आते हैं वे थोड़ी बहुत हिन्दी सीख कर आते रहे हैं। किन्तु यहां आकर जब उनसे भारतवासी अंग्रेजी में ही बात करने लगते हैं तथा जब विदेशियों द्वारा हिन्दी में पूछी गई बातों का उत्तर भी अंग्रेजी में ही मिलता है तो धीरे-धीरे उनका हिन्दी के प्रति उत्साह कम होने लगता है। इस स्थिति में अब विदेशी नवआगन्तुक भारत आने से पूर्व हिन्दी सीखने का प्रयत्न इसलिए नहीं करते कि यहां उनका काम अंग्रेजी में चल ही जाता है। यदि भारतवासी विदेशियों के साथ बातचीत करते समय पहले हिन्दी का प्रयोग करें और आवश्यकता पड़ने पर किसी और भाषा का तो विदेशी राजनयिकों तथा अन्य व्यक्तियों में हिन्दी सीखने की प्रवृत्ति बढ़ेगी।

भारत में जब विदेश से किसी विशिष्ट व्यक्ति का आगमन होता है तो उसके स्वागत समारोह में बहुधा अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। विदेशी अतिथि अंग्रेजी जानते हुए भी, अपना औपचारिक भाषण अपने देश की भाषा में देता है। इन समारोहों का विवरण जब आकाशवाणी द्वारा प्रसारित होता है अथवा दूरदर्शन पर दिखाया जाता है तो सभी लोग यह महसूस करते हैं कि इन अवसरों पर भारत की ओर से हिन्दी का प्रयोग न किया जाना राष्ट्रीय स्वाभिमान की दृष्टि से अच्छा नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी अन्य देशों के व्यक्ति अपने विचार अपने देश की भाषा में रखते हैं। उनके औपचारिक भाषण तो उनके देश की भाषा में होते ही हैं। भारतवासियों की ओर से भी इस दिशा में छुटपुट प्रयास हुए हैं। भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना भाषण हिन्दी में देकर एक अच्छा आदर्श उपस्थित किया था। उससे सभी भारत वासियों को हर्ष हुआ था। इससे पूर्व विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी (सम्भवतः श्री हाशमी) ने भी राष्ट्र संघ की एक संस्था में अपना भाषण हिन्दी में दिया था। यह सही है कि इन दोनों भाषणों का अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर हिन्दी का प्रयोग हुआ यह एक बड़ महत्व की बात थी। इन पंक्तियों के लेखक को सन् 1956 में एक बार अरब देशों के चिकित्सकों के एक सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि के रूप म भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। वहां मैंने अपना भाषण हिन्दी में दिया, हिन्दी भाषण के तुरन्त बाद उसका अनुवाद भी स्वयं अंग्रेजी में प्रस्तुत किया। उस हिन्दी भाषण के प्रति अन्य प्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया बहुत अनुकूल रही। उन्होंने इस प्रयत्न को सराहा, उसकी कोई आलोचना नहीं हुई। ऐसे कई अन्य उदाहरण होंगे जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत के प्रतिनिधियों ने हिन्दी के महत्व को ध्यान में रखा। वास्तव में यदि सभी भारतीय प्रतिनिधि जो मामूली हिन्दी भी जानते हैं और अपने विचार हिन्दी में व्यक्त कर सकते हैं अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर, यथोचित अवसरों पर, अपने विचार हिन्दी में प्रकट करें तो हिन्दी को इस क्षेत्र में अपना स्थान बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर हिन्दी अपना स्थान बना सके और उसके क्षेत्र को व्यापक कर सके इसके लिए यह आवश्यक है कि विदेशों में स्थित भारतीय राजदूतावास अपने कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा दें। उनके जो पत्र भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों तथा कार्यालयों को जाते हैं उन्हें वे यदि हिन्दी में भेजें और भारत स्थित सरकारी कार्यालय भी भारतीय दूतावासों को अपने पत्र हिन्दी में भेजें तो उससे राजदूतावासों के भारतीय अधिकारियों को हिन्दी में काम करने का अभ्यास होने लगेगा। इस समय राजदूतावासों के सभी काम अंग्रेजी में होते हैं। इससे गोपनीयता भंग होने की सम्भावना भी रहती है। हमारे दूतावासों में विदेशी कर्मचारी भी काम करते हैं। यदि हमारे दूतावासों का कामकाज सामान्यतः हिन्दी में होने लगे तो उससे महत्वपूर्ण मामलों की गोपनीयता बनाए रखने में सहायता मिलेगी। अन्य देशों के राजदूतावास अपना आन्तरिक काम अपने देश की भाषाओं में ही करते हैं।

विदेशों में लाखों भारतीय रहते हैं। कुछ देशों में भारतीय मूल के निवासियों की संख्या काफी बड़ी है। उन्हें हिन्दी से प्रेम है। यदि उन्हें हिन्दी पढ़ने पढ़ाने की और सुविधाएं प्रदान की जाएं तथा उनकी हिन्दी के प्रति रुचि बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं तो उनके माध्यम से भी हिन्दी विदेशों में बनी रह सकेगी तथा बढ़ सकेगी।

अनेक देशों में भारत के इंजीनियर, डाक्टर तथा तकनीकी कार्य करने वाले व्यक्ति रोजगार के लिए काफी बड़ी संख्या में जा रहे हैं। यदि विदेशों में जाकर वे अपनी परस्पर बातचीत में तथा अन्य कार्यों में हिन्दी का प्रयोग करते रहें तो उससे भी अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर हिन्दी को प्रतिष्ठित करने में सहायता प्राप्त होगी। □□□

हिन्दी की अन्तर्राष्ट्रीय भूमिका

----डा० ललित मोहन बहुगुणा
केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, नई दिल्ली

कदाचित् यह बात अजीबो-गरीब लगे कि जिस भाषा की राष्ट्रीय भूमिका को लेकर सिर फुटौवल की नौबत आ जाती हैं हम उस भाषा की अन्तर्राष्ट्रीय भूमिका की बात करें। लेकिन हमारे पास बात करने का ठोस आधार है। भारत की विशाल जनसंख्या, उसका राजनैतिक महत्व, उदार राजनैतिक परम्परायें और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत उसे बरबस ही महत्वपूर्ण बना देते हैं और जब समग्र भारत के प्रतिनिधित्व की बात आती है तो सदैव 'मध्यदेश' की भाषा ने ही भारत का प्रतिनिधित्व किया है और आज भी कर रही है। दरअसल भाषा को महज संरचना और व्याकरण के लिए सीखने वाले बहुत थोड़े लोग हैं। अधिकांश भाषा में इसलिए रुचि रखते हैं कि वे उसके बोलने वालों के बारे में, उनके रीति-रिवाज, उनकी परम्परायें, उनका धर्म, उनका दर्शन, उनकी चिन्तन पद्धति ये सब समझें। यही बात हिन्दी के लिए भी लागू होती है। प्राचीनकाल में साम्राज्यवाद और परवर्तीकाल में उपनिवेशवाद भाषा के प्रसार के कारण बनें। धर्म प्रचार ने भी राजनैतिक प्रश्रय पाकर भाषाओं को फैलाया। प्राचीनकाल में रोम साम्राज्य की छत्रछाया में लैटिन और अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी में योरोप के उपनिवेशवाद ने स्पेनिश, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, डच, पुर्तगाली भाषाओं को एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों तक जा फैलाया। धर्म सदैव राजनैतिक छत्रछाया में भाषाओं को जमाने का काम करता रहा। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। धर्म का स्थान विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने ले लिया है। राजनैतिक बल के स्थान पर आर्थिक हित साधन राष्ट्रों का अभिप्रेत बन गया है फल यह हुआ है कि वे भाषायें महत्वपूर्ण हो गई हैं जिनके बोलने वाले विश्व की अर्थनीति को प्रभावित कर सकते हैं, हिन्दी को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। जब हम हिन्दी की इन भाषाओं के साथ तुलना करते हैं तो पाते हैं कि हिन्दी के विकास की प्रक्रिया इनसे एकदम भिन्न रही है, हिन्दी का विकास राष्ट्रीय जागरण से हुआ और हिन्दी भी उसी भांति आक्रांत रही जैसे उपनिवेशवाद से पीड़ित स्वयं भारत। अतः हिन्दी का विकास अपेक्षाकृत एकदम नया है। अठारहवीं सदी के पूर्वार्द्ध तक योरोप भारतीय भाषाओं से अपरिचित था। संस्कृत की खोज वास्तव में भारत की खोज थी। संस्कृत की खोज ने एकाएक भारत को योरोप के समकक्ष खड़ा कर दिया अन्यथा भारत संस्कृतिहीन देश माना जाता था। जिस प्रकार बैजन्टाइन साम्राज्य के पतन के बाद पंद्रहवीं सदी के उत्तरार्द्ध में योरोप का ग्रीक साहित्य से परिचय हुआ और सारा योरोप चौंधिया उठा, लगभग वही हालत संस्कृत भाषा की खोज से हुई। इसके फलस्वरूप योरोप में और विशेष रूप से जर्मनी में प्राच्यविद्या के केंद्र खोले गये। भारतीय दर्शन का अध्ययन आरम्भ हुआ। जर्मनी में भारतीय दर्शन के अनेक विद्वान हुए। श्लेगेल आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार हिन्दी से विदेशियों का अनुराग सीधा नहीं बल्कि संस्कृत के माध्यम से भारतीय दर्शन और रुझान की बात को लेकर है।

हिन्दी के अध्ययन की बात तो स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद आरम्भ होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व मुख्य रूप से अंग्रेज पादरियों और धर्म प्रचारकों ने काम किया।

हिन्दी के प्रति योरोप और अमेरिका में आकर्षण स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पैदा हुआ। जब हम हिन्दी की भूमिका की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय हिन्दी और उर्दू दोनों शैलियों से है। डा० अनूप चंदोला के आंकड़ों से पता चलता है कि अमेरिका में हिन्दी के छात्रों की संख्या 1958 में चौदह थी जो 1974 तक बढ़कर 379 हो गई। यह बात द्रष्टव्य है कि दुनियां का सबसे बड़ा जनतंत्र होने के नाते पश्चिम के प्रजातांत्रिक देशों में ही नहीं बल्कि गुटनिरपेक्ष देशों में भी भारत के प्रति आदर का भाव है। कई देश इसे गुट-निरपेक्ष देशों का अगुआ मानते हैं। ये कुछ कारण हैं जो भारत के महत्व को बढ़ाते हैं और राजनैतिक रूप से महत्व बढ़ने का अर्थ है देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध भाषा को लेकर भीतरी झगड़े जितने भी प्रबल क्यों न हों उससे हिन्दी की अन्तर्राष्ट्रीय भूमिका पर विशेष प्रभाव पड़ने वाला नहीं क्योंकि हिन्दी के प्रति दिलचस्पी का कारण भारत की राजनैतिक परिपक्वता, आर्थिक प्रगति और टेक्नोलोजिकल विकास है, इसके अलावा इस भाषा में

लिखा जाने वाला विपुल साहित्य। यहां जितनी भी भाषायें हों और जितना भी अंतर्विरोध क्यों न हो हिन्दी तो स्वत हीं सम्पर्क भाषा का काम कर रही है। यदि ऐसा न हो तो विदेशों में हिन्दी शिक्षण के इतने केन्द्र न खुलते और हिंदी सीखने वालों की संख्या इतनी न बढ़ती।

मोटे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पाने के लिए हम किसी भाषा के लिए निम्नलिखित शर्तें आवश्यक मानते हैं:

(1) उस भाषा के बोलने वाले संख्या में अधिक हों
(2) वह शासन की भाषा हो या बनने की क्षमता रखती हो।
(3) साहित्य की प्रत्येक विधा पर प्रचुर और उन्नत साहित्य हो।
(4) उसमें वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली हो अथवा बनाने की क्षमता हो।
(5) उस भाषा की स्रोत भाषा पर्याप्त विकसित हो तथा उसमें अनुदित साहित्य हो।
(6) उस भाषा में शिक्षण, अनुवाद, कोशों आदि की पर्याप्त सुविधा हो।

योरोपीय भाषाओं से यदि हम तुलना करें तो हिंदी कुछ बातों में पीछे छूट जाती है। उदाहरण के लिए हिंदी में भाषा शिक्षण अनुवाद और कोश निर्माण (विशेष रूप से द्विभाषिक कोशों के निर्माण में) हिंदी पीछे है। दूसरी बात जो हिंदी के लेखक के प्रति शिकायत है वह है उसका भारतीय भाषाओं से अनभिज्ञ होना या उनके प्रति उदासीन होना। संस्कृत के क्लासिकल साहित्य से वह लेता नहीं विदेशी साहित्य (विशेषकर अंग्रेजी) से लेकर वह हिंदी में खपा नहीं पाता फलत: उच्च कोटि का साहित्य कम निकल पाता है। हमें नहीं लगता प्रेमचंद के बाद कालजयी कोई लेखक हिंदी ने इस बीच पैदा किया। यह दूसरा प्रसंग है किंतु इसकी अनदेखी नहीं कर सकते। हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय महत्व के संदर्भ में यह उपयोगी है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें हिंदी की मोटे तौर पर चार भूमिकायें दिखलाई पड़ती हैं:

(1) भावात्मक
(2) बौद्धिक
(3) प्रयोजननिष्ठ
(4) राजनैतिक

(1) हिंदी की भावात्मक भूमिका को ध्यान में रखते हुए हम विश्व के देशों को चार वर्गों में बांट सकते हैं:

(अ) वे देश जहां भारतीयों के वंशज रहते हैं फिजी, मारिशस, ट्रिनिडाड, गयाना, सुरिनाम इन देशों के निवासियों के लिए हिंदी अपनी पहचान की वस्तु है वह उनके लिए धर्म भी है और वही उनका जातीय इतिहास, हिंदी उनकी सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। इन देशों में हिंदी का पठन-पाठन नैतिक दृष्टि से भारत का कर्त्तव्य हो जाता है जिसका निर्वाह हमारी सरकार करती आ रही है। इन देशों में पठन-पाठन ही नहीं पत्रकारिता, रेडियो, प्रकाशन आदि सभी कामों में हिंदी का प्रशिक्षण देना चाहिए। इससे विश्व मंच यू० एन० ओ० जैसी जगहों पर भारत को राजनैतिक लाभ मिले।

(आ) दूसरी श्रेणी में वे देश आते हैं जिनमें हिन्दू सभ्यता अभी बाकी है। जैसे नेपाल, इंडोनेशिया, जावा, लाओस, कम्बोडिया आदि। सुदूर पूर्व की इन भाषाओं में संस्कृत के शब्द प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं, इन देशों के निवासी सांस्कृतिक तादात्म्य के लिए भारत की ओर देखते हैं। इस आशय के लेख प्राय: समाचार पत्रों में प्रकाशित होते रहते हैं। भारत हिंदी के प्रचार से इन देशों में सांस्कृतिक संबंध ही मजबूत नहीं बना सकता वरन् वहां ठोस आर्थिक आधार भी कायम कर सकता है चूंकि सद्भावना की वहां कमी नहीं।

(इ) तीसरी श्रेणी में बौद्ध सभ्यता वाले देश आते हैं। ये उत्तर में मंगोलिया से लेकर दक्षिण में श्रीलंका और पूर्व में चीन, जापान और कोरिया हैं। इन देशों का औद्योगीकरण तो हुआ है किंतु अफ्रीकी देशों की तरह पूर्ण रूप से पश्चिमीकरण नहीं हुआ है और विशेष बात यह है कि इन देशों की अपनी संस्कृति जीवित है। प्रसन्नता की बात है कि इन देशों में हिंदी के प्रति दिलचस्पी बढ़ रही है। केन्द्रीय हिन्दी संस्थान में आने वाले इन देशों के छात्रों की बढ़ती हुई संख्या इसका प्रमाण है।

(ई) पश्चिम एशिया के देशों में जो काम हिंदी सुदूर पूर्व के देशों में तथा भारतीय मूल के लोगों के देशों में करती है वही भूमिका उर्दू पश्चिम एशिया के देशों में कर सकती है। यों भी तेल के कारण भारतीय इंजीनियरों, तकनीशियनों और अनेक मजदूरों के दल के दल पश्चिम एशिया के देशों में काम कर रहे हैं। इन लोगों में से कई वहीं रह जायेंगे और उनके माध्यम से उर्दू का वहां प्रसार होगा। यों भी पश्चिम एशिया के देश संख्या में बहुत होने से यू०एन०ओ० जैसी संस्थाओं में राजनैतिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं क्यों न इन देशों के साथ भाषाई संबंध और अधिक मज़बूत बनाये जाएं।

(2) **बौद्धिक भूमिका :** योरोप और अमेरिका का हिंदी प्रेमी या तो साहित्य का छात्र होता है या इतिहास, राजनीति, कला आदि का। कहने का तात्पर्य यह है कि इन देशों में हिंदी विश्वविद्यालयों में एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, पोलैंड, रुमानिया, चेकोस्लोवाकिया, रूस आदि देशों में हिंदी

के पठन-पाठन की व्यवस्था है। गत आठ वर्षों से इन देशों से भारत में काफी छात्र हिंदी सीखने आए।

(3) **प्रायोजनिक भूमिका :** हिंदी की आवश्यकता उन विदेशियों को भी है जो भारतीयों के साथ अथवा भारतीय मूल के लोगों के साथ वाणिज्य व्यापार में संलग्न हैं। उदाहरण के लिए यूगान्डा, केन्या, दक्षिण अफ्रीका, तंजानियां आदि देशों में जहां पर्याप्त संख्या में भारतीय मूल के लोग हैं वहां के अफ्रीकी उनकी भाषा में उनसे बातचीत करना चाहते हैं गतवर्ष ही तंजानियां से इसी उद्देश्य से एक छात्र आया था जो वहां बैंक कर्मचारी है और भारतीयों के साथ व्यापार करने के लिए हिंदी सीखने आया।

इंग्लैंड में जहां एशियाई मूल के लोग पर्याप्त संख्या में रहते हैं और विभिन्न भाषायें बोलते हैं उन लोगों के बीच काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्त्ता, उनकी यूनियनों के नेता, आव्रजकों के बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापक-अध्यापिकायें इन सबको हिंदी की आवश्यकता होती है। हमें ज्ञात हुआ कि विभिन्न भारतीय भाषायें बोलने वाले भी हिन्दी को सम्पर्क भाषा के तौर पर व्यवहार करते हैं।

(4) **राजनैतिक भूमिका :** हिन्दी की राजनैतिक भूमिका की बात मौजूदा स्थिति में करना उचित नहीं लगता, देश की आर्थिक शक्ति के बढ़ने पर कुछ आशा की जा सकती है। □□□

"हमारे लिए यह परम सौभाग्य और गर्व की बात है कि भारत में अनेक महान भाषाएं हैं और वे एक-दूसरे से संबंधित हैं। हमें इन सभी भाषाओं को समृद्ध बनाना चाहिए तथा अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के प्रति विरोध की भावना नहीं रखनी चाहिए। सभी भाषाएं युगों-युगों से विकसित होकर भारत की मिट्टी में ही पनपी और बढ़ी हैं। इनमें से किसी एक भाषा की क्षति सारे भारत की क्षति है।"

—जवाहरलाल नेहरू

राजभाषा हिन्दी : अपना रूप अपनी समस्याएं

—डॉ० कृष्ण कुमार गोस्वामी

केन्द्रीय हिंदी संस्थान, नई दिल्ली

किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनता और सरकार के बीच जनभाषा ही संपर्क-भाषा के रूप में सार्थक कार्य कर सकती है। इसीलिए संविधान-निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। हिन्दी को यह सम्मान इसलिए नहीं दिया गया कि इसका साहित्य अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य से श्रेष्ठ है या यह भाषा सबसे पुरानी भाषा है। इससे श्रेष्ठ साहित्य तो तमिल, बंगला, मराठी आदि भाषाओं में मिलता है और अन्य भाषाओं का साहित्य भी इसके साहित्य से कम नहीं है तथा यह बात भी नहीं है कि अन्य भाषाएं पुरानी न हों। वास्तव में यह सम्मान इसको इसलिए दिया गया क्योंकि भारत में इसे बोलने और समझने वाले अन्य सभी भाषाओं से अधिक हैं। इसी कारण इससे यह अपेक्षा की गई थी कि यह राजभाषा के रूप में सभी भारतीय भाषाओं के सहयोग से देश की आर्थिक प्रगति और भावात्मक एकता में सहायक सिद्ध हो सकेगी। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हिन्दी सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में कार्य कर रही है।

यह बात स्पष्ट है कि राजभाषा का कार्य केवल प्रशासन की भाषा तक सीमित नहीं है बल्कि इस का कार्य सरकार की प्रत्येक आवश्यकता को भी देखना है। इसको देश की आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षात्मक आदि कई दृष्टियों से प्रशासन कार्य तो संभालना ही होता है, इसके साथ-साथ देश की सामाजिक सांस्कृतिक, साहित्यिक, शैक्षणिक आदि कई संदर्भों में भी काम करना होता है। इसलिए राजभाषा का दायित्व बहुत बड़ा हो जाता है।

अब प्रश्न उठता है कि राजभाषा हिन्दी का स्वरूप क्या है और यह सामान्य बोलचाल की हिंदी से कैसे अलग जा पड़ती है ? वास्तव में प्रशासनिक साहित्य अन्य साहित्यों से भिन्न होता है। इसलिए इसकी प्रकृति काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, पत्रकारिता आदि से भिन्न होती है। इसकी प्रकृति प्रायः तकनीकी और औपचारिक होती है। जो कुछ कहा जाता है वह बंधे-बंधाए वाक्यों या पारिभाषिक शब्दावली के भीतर कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इसकी अपनी शब्दावली होती है, अपनी संरचना होती है और यही उसका व्याकरण होता है। अपने कार्यक्षेत्र की भाषागत संरचना और शाब्दिक अन्विति इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किंतु यहां इस बात का उल्लेख करना असमीचीन न होगा कि इसकी प्रकृति अन्य साहित्यों से भिन्न तो है किन्तु वैविध्य की दृष्टि से यह अन्य साहित्यों अर्थात् सर्जनात्मक साहित्य से कम नहीं है। जिस प्रकार का सरकारी साहित्य होगा उसी प्रकार भाषा का स्वरूप होगा। मसौदा—टिप्पणी-लेखन, पत्राचार, संसदीय कार्य, प्रतिवेदन-लेखन से लेकर सरकारी नीति संबंधी विवरण तक के साहित्य की भाषा अपने-अपने रूप को लिए होगी। इसलिए इसकी प्रकृति में भी वही विविधता पाई जाती है जिस प्रकार सर्जनात्मक साहित्य में विविधता मिलती है।

प्रत्येक भाषा की अपनी अभिव्यंजना-शक्ति होती है इसमें अभिधा, लक्षणा और व्यंजना की अभिव्यक्ति की अपेक्षा की जाती है। लेकिन कार्यालयी संदर्भ में राजभाषा में मुख्यतः अभिधा का प्रयोग होता है। इसमें यह अपेक्षा रहती है कि इसमें कम-से-कम संदिग्धार्थकता हो। इसकी वाक्य-रचना एकार्थी हो न कि अनेकार्थी। इसलिए प्रशासन में प्रयुक्त भाषा के स्वतः स्पष्ट और स्वतः पूर्ण होने की मांग रहती है। इसी संदर्भ में पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग रहता है। स्वीकृति, अनुमोदन, अनुमति के अलग-अलग संदर्भयुक्त प्रयोग हैं। इसी प्रकार आदेश, निदेश, अनुदेश अपना अलग-अलग आयाम रखते हैं।

प्रत्येक भाषा की शब्द-रचना सामान्यतः समान स्रोतों से होती है और यह स्थिति हिन्दी में भी है। किंतु राजभाषा हिन्दी की शब्द-रचना में विभिन्न स्रोत मिलते हैं। इसका कारण यह है कि इस देश में पहले संस्कृत राजभाषा रही है। बाद में अरबी-फारसी राजकाज की भाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही और इसी कारण अदालतों की भाषा प्रायः अरबी-फ़ारसी प्रधान उर्दू शैली रही है। तत्पश्चात् अंग्रेजी ने राजभाषा का स्थान ले लिया। इन सभी भाषाओं का प्रभाव राजभाषा हिन्दी पर पड़ना स्वाभाविक था। शब्द निर्माण में मुख्य रूप से संस्कृत को आधार बनाया गया क्योंकि यह भाषा की संश्लिष्ट प्रकृति की है। धातु के साथ उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग कर कई शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। यथा, विधि-विधान—संविधान—संविध—प्राविधान—विधायी—

विधेयक – विधायक– विधायिका–वैधानिक–संवैधानिक–सांविधिक आदि । अरबी–फारसी शब्दों का भी पर्याप्त प्रयोग मिलता है । जैसे—दस्तावेज, जमानतनामा, मंजूरी मिसिल, मुचलका । अंग्रेजी के भी कई शब्द अपनाए गए जो इसमें अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं । जैसे—ग्रेड, मेजिस्ट्रेट, गारंटी, काडर, लीयन । इन भाषाओं के अतिरिक्त देशज शब्दों का भी यदा-कदा प्रयोग मिलता है । जैसे—मसौदा, निपटान, बट्टा, रुक्का, डाकघर । इससे राजभाषा हिन्दी में शैली-भेद दिखाई देता है। कहीं संस्कृत प्रधान शब्दावली का प्रयोग मिलता है तो कहीं अंग्रेजी—बहुल भाषा का। कहीं अरबी-फारसी के शब्दों की प्रधानता होती है तो कहीं इन तीनों का समन्वित रूप मिलता है ।

संविधान के अनुच्छेद 351 में यह व्यवस्था की गई है कि हिन्दी का विकास एवं प्रसार इस प्रकार हो कि यह भारत की सामासिक संस्कृति को अभिव्यक्त कर सके । इसलिए राजभाषा हिन्दी में भारतीय शब्दों को भी अपनाने का यथासंभव प्रयास किया गया । जैसे, मराठी से पावती (एक्नालिजमेंट); कनड़ से सौध (एनेक्सी) ।

इसके शब्द-निर्माण में कुछ ऐसे विदेशी शब्द लिए गए जिनकी संकल्पना हिन्दी में नहीं थी । उच्चारण की दृष्टि से हिन्दी की प्रकृति के अनुसार इन शब्दों को ढाल दिया गया । जैसे—तकनीकी (टेक्नीकल), अंतरिम (इंटेरिम), अकादमी (एकेडमी) । न केवल यही, कहीं-कहीं उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी में दो या तीन स्रोतों के मिश्रित शब्द भी मिलते हैं । जैसे—बेबाकी पत्र, आर्थिक सलाहकार, रोजगार अधिकारी, मतदान बूथ, बजट-प्राक्कलन, अपर कलक्टर, उपस्थिति-रजिस्टर, अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट । इस प्रकार राजभाषा हिन्दी में समान स्रोतीय घटकों से शब्द-निर्माण का विशेष बंधन नहीं है । इसमें शब्द निर्माण की प्रक्रिया में कभी-कभी शब्द एक स्रोत के होते हैं और उपसर्ग प्रत्यय आदि दूसरे स्रोत के । उदाहरण के लिए, उपजिला, अरजिस्ट्रीकृत, डिक्रीदार, मुद्राबंद आदि ।

संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी-फारसी का प्रभाव राजभाषा के वाक्यों में एक साथ मिलता है । सामान्य या साहित्यिक भाषा में इस प्रकार के प्रयोग अटपटे से लगते हैं किन्तु राजभाषा में वे अस्वाभाविक नहीं हैं । जैसे (1) आवश्यक मसौदा संलग्न फाइल की पताका 'क' पर रखा है ।

(2) एवजी मिलने पर अर्जित छुट्टी दी जा सकती है ।

उपर्युक्त दोनों वाक्यों में संस्कृत;-अंग्रेजी और अरबी-फारसी शब्दों का एक साथ प्रयोग दिखाई देता है ।

राजभाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए होता है । सरकार अपने-आप में एक व्यक्ति नहीं वरन् एक सामूहिक संस्था है । अतः सरकार का कार्य प्रत्यक्ष रूप से उसके अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा सामूहिक रूप से चलता है । इसी कारण कोई भी अधिकारी या कर्मचारी कर्ता नहीं है कम-से-कम प्रत्यक्ष रूप में नहीं है । सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्राधिकार में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए कर्म-प्रधान और व्यक्ति-निरपेक्ष भाषा का प्रयोग करते हैं । जैसे—राजभाषा हिन्दी में (क) 'श्री रामलाल सहायक को (45 दिन की अर्जित छुट्टी पर जाने की) अनुमति दी जाती है' वाक्य का प्रयोग होगा न कि (2) मैं, मोहनलाल श्री रामलाल को 45 दिन की अर्जित छुट्टी पर जाने की अनुमति देता हूं । वाक्य (2) हिन्दी भाषा का सक्रिय रूप है और यह कर्तृवाच्य है लेकिन सरकारी भाषा में यह रूप प्रायः नहीं चलता । सरकारी भाषा के रूप में तो 'अनुमति दी जाती है' का प्रयोग भी सार्थक माना जाता है । इसी प्रकार अन्य कई उदाहरण दिए जा सकते हैं ।

(1) जरूरी आंकड़े इकट्ठे किए जा चुके हैं ।

(2) श्री रामलाल का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया ।

(3) वित्त मंत्रालय को पत्र भेजा जा चुका है ।

(4) मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दी जाती है ।

(5) सचिव महोदय के आदेशानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ।

उपर्युक्त वाक्यों से हम देखते हैं कि कर्तृवाच्य का प्रयोग प्रायः नहीं होता और सभी वाक्यों में कर्ता का लोप है । व्यक्ति–सापेक्ष वाक्यों का नगण्य सा प्रयोग मिलता है । जैसे—मैं अनुभाग की टिप्पणी से सहमत हूं । इसके अतिरिक्त राजभाषा में करणरूपेण कर्ता का भी लोप मिलता है । उदाहरण के लिए, कार्यालय ज्ञापन की भाषा में किसी कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगते हुए किसी भी अधिकारी का उल्लेख नहीं होता कि अमुक अधिकारी ने उसकी शिकायत की है । उसका प्रारंभ प्रायः इस प्रकार किया जाता है :

"ऐसा पाया गया है (या ऐसी सूचना मिली है या ऐसी रिपोर्ट मिली है) कि श्री राम लाल बिना अनुमति लिए और बिना सूचना दिए कार्यालय देर से आते हैं————" । साथ ही, अधिकारी आदेश देते हुए भी कर्तावत् प्रयोग नहीं करते । उदाहरण के लिए,

(1) मिसिल पर प्रस्तुत करें ।

(2) मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करें ।

(3) इस पत्र का उत्तर अभी रोक दिया जाए ।

इस प्रकार हिन्दी की कर्तृवाच्य की प्रवृत्ति होते हुए भी राजभाषा के रूप में कर्मवाच्य होती है इसमें कथन प्रायः व्यक्ति-सापेक्ष न होकर व्यक्ति निरपेक्ष अर्थात् कर्तृवाच्य विहीन होते हैं ।

वास्तव में सरकारी कामकाज की भाषा होने के नाते राजभाषा हिन्दी ने अपने कार्यक्षेत्र में अपना रूप बना लिया है । इसका विकास कार्यलयी परिसर के वातावरण में हुआ है और यह भाषा लिखित तथा औपचारिक रूप में हमारे सामने आई है । सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द या वाक्य–रचना किसी विशेष विषय-क्षेत्र के लिए रुढ़ हो जाते हैं और इन शब्दों या वाक्यों का प्रयोग इससे बाहर किया जाए तो वे अटपटे से लगते हैं । उदाहरण के लिए, 'संगत कागज-पत्रों के साथ मसौदा

प्रस्तुत किया जाए' कार्यालयीन संदर्भ में तो प्रयुक्त होगा किन्तु 'संगत साग-सब्जी के साथ भोजन प्रस्तुत किया जाए' का घर में प्रयोग निरर्थक और हास्यास्पद होगा। इसीलिए राजभाषा की प्रवृत्ति केन्द्राभिसारी अधिक है जब कि बोलचाल की भाषा की केन्द्रापसारी प्रवृत्ति है।

उपर्युक्त चर्चा के बाद यह कहना असमीचीन न होगा कि अनुवाद के दबाव में हिन्दी अपने सहज, सरल और प्रवाहपूर्ण रूप छोड़ते हुए अंग्रेजी से प्रभावित होती जा रही है। यह सही है कि संक्रमणकालीन स्थिति में अनुवाद की आवश्यकता रहती है किंतु शाब्दिक अनुवाद की नहीं। हिन्दी का यह दुर्भाग्य है कि राजभाषा के रूप में इसका उपयोग शाब्दिक अनुवाद के रूप में रहा है। इसलिए यह अपने प्रकृत स्वभाव को छोड़ कर अंग्रेजी वाक्य-विन्यास और शब्दावली के पीछे मक्खीमार रूप में भटक गई है और इसने ऐसा एक कृत्रिम रूप अपना लिया है जो सर्वजनबोध होना तो दूर रहा स्वयं हिन्दी-भाषियों के लिए भी दुर्बोध बन गया है। इससे हिन्दी के प्रसार-प्रचार को काफी आघात पहुंचा है। इसकी प्रकृति में प्रायः छोटे वाक्यों की मांग रहती है जब कि राजभाषा के रूप में इतने लंबे वाक्य बनाए जाते हैं कि वे अपनी मूल प्रकृति को खो बैठते हैं। अतः यह प्रयास करने की आवश्यकता है कि राजभाषा हिन्दी अपनी मूल प्रकृति को न छोड़े। इसे जितना बोधगम्य और सुगम बनाया जाएगा इसका प्रचार एवं प्रसार उतना ही अधिक होगा।□

"सबको हिन्दी सीखनी चाहिए, उसके द्वारा भाव-विनिमय से सारे भारत को सुविधा होगी।"

—चक्रवर्ती राजगोपालाचारी

विगत यादों के संदर्भ में : दिल्ली में आयोजित तृतीय 'विश्व हिन्दी सम्मेलन'

--शंकर दयाल सिंह

कामता सदन, बोरिंग रोड, पटना

देखते-देखते दिन कैसे बीत जाते हैं। याद है मुझे नागपुर का वह प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन, जिसमें बड़े उत्साह के साथ मैंने भाग लिया और पुनः पोर्टलुई में यानी मारिशस में द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन 1976 में और टालते-टरकाते यह सामने आ खड़ा है तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन 28, 29, 30-1983 को!

स्वाभाविक रूप से आज याद आ रहे हैं पूज्य आचार्य विनोबा, अनन्त गोपाल शेवड़े, श्रीमन्नारायण, सेठ गोविन्ददास जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और फादर कामिल बुल्के-- जो आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इन सबों का कीर्तिमय व्यक्तित्व विश्व हिन्दी सम्मेलनों से जुड़ा रहा है। आचार्य विनोबा इसके प्रेरणा-स्रोत थे तो शेवड़े जी तथा श्रीमन्नारायण जी उस कल्पना को साकार करने वाले कर्मठता की मूर्ति। इसी प्रकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और फादर कामिल बुल्के के अभाव में विश्व हिन्दी सम्मेलन का मंच सूना नजर आयेगा।

किसी भी सम्मेलन अथवा उत्सव महोत्सव की प्रेरणा किसी न किसी व्यक्ति के साथ जुड़ी होती है जैसे प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन की प्रेरणा ही आचाय विनोबा जी से लेकर शेवड़े जी तक रही, उसी भांति द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन मारिशस के तत्कालीन प्रधान मंत्री सर शिव सागर राम गुलाम की निष्ठा का प्रतीक माना जायेगा।

मेरा यहां प्रतिपाद्य विषय कुछ और ही है। एक तो यह कि जितने व्यवस्थित और शानदार ढंग से नागपुर और पोर्टलुई का सम्मेलन हुआ पता नहीं उसी गरिमा के साथ यह तृतीय सम्मेलन होता है या नहीं। वैसे मेरे साथ जो द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन की स्मृति जुड़ी हुई है वह है उसमें शामिल होने वाले उन महान राष्ट्र भाषा प्रहरियों के उद्‌गार जो मैंने उसी समय एयर इंडिया के विमान पर अथवा 'महात्मा गांधी संस्थान, पोर्टलुई' जहां यह सम्मेलन आयोजित था वहीं अपनी डायरी में उनकी लिपि में ही लिये थे।

भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के नेता, सुप्रसिद्ध वक्ता, चिन्तक और सांस्कृतिक मर्यादाओं के अग्रदूत तत्कालीन केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री डा० कर्ण सिंह एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती यशोराज्य लक्ष्मी का विश्वास था कि --

"आज हिन्दी राष्ट्रभाषा से विश्वभाषा बनने जा रही है। मारिशस में द्वितीय विश्व-हिन्दी-सम्मेलन का यही महत्व है। 'गौरीशंकर' की कृपा से हम सब आकाश-मार्ग से उस सुन्दर द्वीप को जा रहे हैं। हमारे संग आकाश में अनेक मेघदूत भी शुभकामना का सन्देश लिए आनन्दपूर्वक भ्रमण कर रहे हैं। यह सुन्दर दृष्य उस शुभ कार्य के मनोरम लक्षण हैं, जिसे निभाने हम सब जा रहे हैं।"

रामकाव्य के विशेषज्ञ, तुलसी के भक्त एवं हिन्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान फादर कामिल बुल्के ने विश्वास प्रकट किया---

"द्वितीय विश्व-हिन्दी-सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह होगी कि मारिशस के हिन्दी भाषी नागरिकों के हिन्दी-प्रेम से भारत के नागरिक प्रेरणा लेंगे और भारत में हिन्दी को पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करेंगे। ऐसा हो जाने पर हिन्दी अवश्य ही विश्व भाषा का गौरव प्राप्त करेगी।"

टोकियो-विश्वविद्यालय, जापान के हिन्दी-विभागाध्यक्ष तथा सुप्रसिद्ध हिन्दी विद्वान श्री के० दोई ने अपना अभिमत दिया---

"जापान में एक विश्वविद्यालय है---'तोक्यो विदेशी भाषा-अनुसंधान-विश्वविद्यालय"। यहां माध्यमिक स्कूल में ही उस विद्यालय के एक स्नातक ने अंग्रेजी पढ़ी और बहुत ही प्रभावित हुआ था। उस समय से उक्त विद्यालय में पढ़ने का निश्चय किया। उसी समय हिन्दुस्तानी विभाग में उर्दू और अंग्रेजी दोनों भाषाएं सीखने के उद्देश्य से प्रवेश पाकर मैंने उर्दू का थोड़ा अध्ययन किया। संयोग से युद्ध के समय में एक तोप-सेना के अफसर की हैसियत से सिंगापुर और बर्मा में दो वर्ष बिता रहा था। उस समय मुझे स्पष्ट मालूम हो गया कि हिन्दी पढ़े बिना भारत को समझ नहीं सकता। बर्मा में बहुत खोजने पर एक पुस्तक मिली--'केम्ब्रिज हिन्दी-व्याकरण' उसे पढ़ते-पढ़ते कुछ हिन्दी का ज्ञान प्राप्त किया। युद्ध के

बाद अपने विद्यालय में उर्दू पढ़ाने का पद मिल गया। अपने गुरु की इच्छा का विरोध करके हिन्दी-विभाग खुलवाया। तभी से मैं हिन्दी-विभाग को संभाल रहा हूं।"

केरल के सुप्रसिद्ध हिन्दी-विद्वान्, लेखक तथा कालिकट विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष डा० मलिक मुहम्मद का कहना था कि —

"हिन्दी-भाषा में अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप धारण करने की विशेषताएं पहले से ही समाहित हैं। जिन उदारचेत्ता महान् साहित्यकारों ने अपने प्रदेश, धर्म, सम्प्रदाय और संस्कृति की सीमाओं को पार कर हिन्दी की सेवा की है, उनकी सेवा से हिन्दी-प्रेमी बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ हिन्दी के प्रति आकृष्ट हैं। मारिशस की हिन्दी-प्रेमी जनता ने द्वितीय-विश्व-हिन्दी सम्मेलन को अपने यहां आयोजित कर यह सिद्ध कर दिया है कि हिन्दी को अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर आरुढ़ होना है। हिन्दी को विश्व में स्वाभाविक रूप से जो महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होना है, मारिशस का सम्मलन उस दिशा में महत्वपूर्ण सशक्त कदम है। इससे भारत की जनता को भी प्रेरणा मिलेगी और भारत के भीतर भी हिन्दी के प्रति उत्साह बढ़ेगा और हिन्दी को सबकी भाषा मानने की भावना उभर सकेगी। हिन्दी में सार्वदेशिकता और सार्वभौमिकता के तत्वों को और भी विकसित करने के प्रयास होंगे। इससे हिन्दी विश्व-भाषा का गौरव शीघ्र ही प्राप्त करेगी।"

स्वीडन की प्रतिनिधि श्रीमती लैनर्ट परसन ने विश्वास प्रकट किया—

"विश्व-हिन्दी-सम्मेलन मित्रता का एक मंच है, जिस पर हम लेखकों और अनेक देशों से आये हुए विद्वानों से मिल सकते हैं। मेरे विचार में यह सम्मेलन का सबसे बड़ा लाभ है। आने वाले सम्मेलनों के लिए मेरा यह प्रस्ताव है कि छोटे दल भी बन जायें, जिनमें और लोगों को विचार-विमर्श करने का अवसर मिले।"

कार्ल मार्क्स-विश्वविद्यालय लाइपजिग (जर्मनी) की डा० मनीत गत्सलफ ने कहा—

"मैं जर्मन जनवादी गणतन्त्र से आई हूं, जो मारिशस से बहुत दूर है। लेकिन, हिन्दी से मुझे बहुत प्रेम है और हिन्दी की, लोगों को जोड़ने वाली शक्ति बहुत बड़ी है।"

तमिलनाडु से विश्व-हिन्दी-सम्मेलन के लिए पधारे श्री टी० आर० एस० राघवाचारी का विश्वास था कि—

"भारत दुनिया में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। हमारे देश की हिन्दी-भाषा को विश्व भाषा बनाने के निमित्त मारिशस देश में सम्मेलन चलाने के कारण हम उसके प्रधानमन्त्री के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।"

सुप्रसिद्ध विद्वान पंडित अनन्त मराल शास्त्री का कहना था—

"भारतवासी अपनी संस्कृति की प्राचीनता एवं व्यापकता के कारण स्वभाव से ही अन्तर्राष्ट्रीयता के प्रतीक हो गये हैं। आप जब हिन्दी को अपनी भावनाओं और प्रतिभा का माध्यम घोषित करके व्यापक रूप से समस्त मानवता को विश्व-बन्धुत्व के सूत्र में बांधने को उद्यत हैं, तब इस परिवेश में विश्व-हिन्दी-सम्मेलन का मारिशस में आयोजन एक अभूत-पूर्व घटना बन गया है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यह हमारा प्रथम सारस्वत महायज्ञ है, जिसे सफल बनाने के लिए हम मारिशस में एकत्र हो रहे हैं। हमारा यह सारस्वत यज्ञ सफल हो।"

हंगरी—बुडापेस्ट की एवा अरादी ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा—

"मैं सोचती हूं कि द्वितीय-विश्व-हिन्दी सम्मेलन बहुत उपयोगी था। हम लोग अलग-अलग देशों में मिल सकते थे और हिन्दी-भाषा के बारे में, हिन्दी-साहित्य के बारे में अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। इसलिए मैं बहुत खुश हुई।"

राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति के अध्यक्ष श्री मधुकर राव चौधरी ने अपनी उत्फुल्लता पद्य में प्रकट की :—

"हिन्दी विश्व की भाषा, विश्वव्यापी बनाने का उत्फुल्ल प्रयास।
जिस धरती के जागत जनजीवन का है विश्वास ।।
लालायित मन उन्हें देखने, मिलने और समझने को।
इन्द्रधनुष की सुन्दरता ने अलंकृत किया है जिसको ।।
मारिशस की मधुर-मधुरता संस्कृति की यह नवधारा।
भारत आत्मा प्रकट करेगी बनकर विश्वात्मा ।।
जिसके निःश्वांसों से निकली विश्वबन्धुता की आवाज।
विश्वजननी को साकार करे विश्व-हिन्दी-सम्मेलन का काज ।।"

बालकवि बैरागी के अपने ही अन्दाज हैं। जब उनसे दैनन्दिनी में कुछ लिखने को कहा, तब उनकी काव्यमयी वाणी इन पंक्तियों में फूट पड़ी—

ओ मारिशस ।।
मेरे लघु भारत ।।
तेरे पूर्वजों
और मेरे वंशजों की मातृभाषा
हिन्दी—
जिसे कि मैं, हम या मुझे जैसे करोड़ों
अभी तक नहीं दे पाये स्थान अपने प्राणों में
उसे तू—
ओ मेरे लघु भारत।
अभी तक नहीं भूल पाया।

तुतलाकर, हकलाकर
बोल रहा है मुझसे बेहतर ।
व्यवहृत करेगा शायद मुझसे भी उत्तम
आसन्न भविष्य में ।
ओ हिन्दी महासागर के मोती ।
हिन्दी का द्वितीय 'सारस्वत यज्ञ'
आहूत करके तूने
अपने आंगन को पूत और प्रणम्य बना लिया ।
एक हूं मैं
जो अपने ही 'अपनों' के बीच
हिन्दी में ठीक-ठीक न तो रो पा रहा हूं; न गा पा रहा हूं ।
मन से कह रहा हूं बन्धु ।
कि अपना दाय चुकाने का
दायित्व-बोध लेने
अब मैं तेरे पास आ रहा हूं ।

उपरोक्त अनुभूतियों के दायरे में आज का विश्व-हिन्दी-सम्मेलन मेरे लिए ही नहीं बल्कि अनेक लोगों के लिए यह एक प्रश्न-चिन्ह है । सम्भव है लोगों को कुछ इससे प्रेरणा मिले और यह भी सम्भव है कि अनेक लोगों को इससे झेंप भी हो । □

"हिन्दी के द्वारा ही सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है ।"

—स्वामी दयानन्द

विश्व में हिन्दी प्रचार की अपूर्व संभावना

—जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी
डी-2/55 काका नगर, नई दिल्ली-110003

तृतीय विश्व-हिन्दी-सम्मेलन के समय एक ऐसा अभूतपूर्व अवसर उपस्थित हुआ है जब हिंदी के प्रचार तथा प्रसार के संबंध में कारगर ढंग से काम किया जा सकता है। अब काल और दूरी का हिंदी प्रचार में बाधा डालने का सवाल नहीं रह गया है। साथ ही हिन्दी के प्रचार के संबंध में भारत का जो दायित्व था वह एक सुनहरा मौका बन गया है न केवल हिन्दी के प्रचार का बल्कि संसार में जहां भी भारतीय हैं या भारतवंशी उनको भारत की सांस्कृतिक धरोहर की गौरवशाली परंपरा से जुड़े रहने का। साथ ही भारत को यह भी अवसर है कि भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को उन देशों तक में प्रचारित और प्रसारित करें जो प्रधान रूप में भारतवंशी तो नहीं हैं परन्तु जहां भारत की संस्कृति से लगाव है और जहां हिंदी को भारत की खोज के माध्यम के रूप में विकसित किया जा रहा है। संसार में इस समय सौ के लगभग, अब संख्या अधिक ही होगी, ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां हिंदी का स्तरीय पठन-पाठन होता है और जहां के प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान या विदेशी सांस्कृतिक अध्ययन केन्द्र भारत का उसकी भाषाओं के माध्यम से विशद अध्ययन कर रहे हैं।

प्रथम विश्व-हिन्दी-सम्मेलन में फीजी ब्राड-कास्टिंग कारपोरेशन के डिप्टी जनरल मैनेजर श्री दिवाकर प्रसाद ने एक प्रस्ताव रखा था कि जहां-जहां प्रवासी भारतवासी या उनके वंशज हैं उनको भारत के तथा भारत को उनके समाचार देने के लिए हिंदी के माध्यम से समाचार समिति संगठित की जाये। संभवतः उस समय की अपूर्व तकनीकी तथा विदेशी मुद्रा संबंधी कठिनाइयों को ध्यान में रखकर इस उपयोगी कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं किया जा सका परन्तु आज इन्सेट-बी के स्थायी धुरी में प्रक्षेपण के बाद यह स्थिति आ गई है कि भारत इस प्रकार की संचार-सेवा की बड़ी आसानी से संचालित कर सकता है और उसका लाभ मारीशस, फीजी, सुरीनाम, त्रिनिदाद व गुयाना जैसे भारतवंशी बहुल देश तो उठा ही सकते हैं आज अमेरिका के दो करोड़ भारतीयों के घरों में, फारस की खाड़ी के देशों के सात लाख घरों में, इंग्लैण्ड के लाखों भारतवासियों के घरों में और सारे संसार के उन समस्त विश्वविद्यालयों, विद्या केन्द्रों, सांस्कृतिक स्थलों तथा संचार-माध्यम केन्द्रों तक जो भारत के ज्ञान के बारे में उत्सुक हों, हम पहुंच सकते हैं। सीधे बिना किसी सरकार को अनुमति मांगे या उनके किसी यंत्र की सहायता लिये। और यही सुविधा हम अपने देश के दूरस्थ केन्द्रों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, जहां आज भी बहुजातीय संपर्क और व्यवहार की भाषा हिंदी है पहुंच सकते हैं। हम पड़ोसी नेपाल में, बर्मा में रहने वाले चार लाख भारतीयों में उनकी सांस्कृतिक भूख को मिटाने में भी मदद कर सकते हैं यदि हम हिंदी के प्रसारणों के माध्यम से भारतीय कला, नाटकों, कथा कहानियों, कविताओं और महान ग्रंथों के उपदेश को उन तक पहुंचायें। आज संसार में उपग्रह द्वारा दूरदर्शन संबंधी कार्यक्रमों, रेडियो कार्यक्रमों आदि के सीधे प्राप्त करने तथा उसे वीडियो कैसेट रिकार्डर, टेप रिकार्डर या टेलीप्रिंटर पर लेने की सुविधा आसान हो गयी है और भारत जो भी ज्ञान प्रसारित करेगा उसे प्राप्त और सुरक्षित किया जा सकता ह और इसलिए जो भी धन या परिश्रम लगगा वह बेकार नहीं जायेगा।

इसके लिए यह आवश्यकता होगी कि जिस प्रकार बी० बी० सी०; वायस आफ अमेरिका, मास्को रेडियो या रेडियो ताशकंद, भारत के लिए विशेष कार्यक्रम प्रसारित करते हैं और आकाशवाणी द्वारा भी विभिन्न देशों के लिए अंग्रेजी हिंदी तथा अन्य भाषाओं में कार्यक्रम तैयार किये जाते हैं वैसे ही कार्यक्रम नयी सुविधा को ध्यान में रखकर किये जाएं। अब भारत को उन प्रसारणों को दूर तक भेजने के लिए अलग से शक्तिशाली ट्रांसमीटरों की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो प्रक्षेपण यंत्र इन्सेट-बी में कार्यक्रम भेजने के लिए सक्षम हों उनसे ही काम लिया जा सकेगा। परन्तु आवश्यकता होगी कि रेडियो तथा दूरदर्शन में हिंदी में समाचार देने और हिंदी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को—जो विदेशों के लिए उपयोगी हों—तैयार करने के लिए विशेष संगठन तैयार किए जाएं। भारत के अन्दरूनी प्रसारण के लिए जो समाचार होते हैं उनमें इनमें फर्क होगा। हम इन प्रसारणों में न केवल भारत के बल्कि भारतवंशियों के तथा भारत प्रेमियों के ऐसे कार्यक्रमों को सम्मिलित करेंगे

जिसकी अपील या जिसका प्रभाव अन्यत्र भी हो। उदाहरण के लिए मारीशस के श्रेष्ठ हिंदी नाटकों के वीडियो कैसेट मारीशस से प्राप्त किये जा सकते हैं और भारतीय प्रक्षेपण केन्द्र की सहायता से सारे विश्व में प्रसारित किये जा सकते हैं। लंदन में या न्यूयार्क और सान फ्रांसिस्को में जो अत्यन्त कला पूर्ण भारतीय प्रदर्शन होते हैं जैसे रामायण का मंचन होता है या उस दृष्टि से मास्को में वर्षों से रामायण का जो मंचन हो रहा है उसे और दर्शकों को भी दिखाया जा सकता है। स्वयं भारत के कलाप्रेमियों के लिए वह अत्यन्त उपयोगी होगा क्योंकि उससे पता लगेगा कि नाटक और ओपेरा के क्षेत्र में सोवियत संघ की कला के जो उच्च मानदंड हैं तथा अभूतपूर्व तकनीकी प्रयोग हैं उनका लाभ अन्यत्र भी कैसे उठाया जा सकता है।

भारत में इस दृष्टि से जो भी कार्य किया जायेगा वह अत्यन्त लाभकारी होगा। संसार में इस समय लगभग तीन चार करोड़ भारतवंशी बिखरे हुए हैं। उनको भारत अपने संपर्क में लाने का एक अनोखा अवसर पायेगा। आज संसार की अनेक संस्कृतियां भारतवंशियों की उपज हैं चाहे इंडोनेशिया हो, श्रीलंका हो, कंबुज हो, थाईलैण्ड हो, वीयतनाम या चंपा हो। जब अंग्रेजों ने बर्मा से पूर्व के क्षेत्र को इंडो-चायना कहा था जर्मनों ने उसका नाम 'हिंटर इंडैन' दिया तो वे वहां की संस्कृति व जनजीवन में भारतीयता के तत्व से परिचित थे बल्कि वही उन्हें वहां की प्रमुख बात दिखी थी। थाईलैंड में आज भी अयोध्या व सुखाबती है और बेंकाक के नगर में बुद्ध की मूर्तियों के मंदिर ही नहीं हैं, विभिन्न राज कार्यालयों में लक्ष्मी, सरस्वती, वरुण और गरुड़ की मूर्तियां भी हमें दिखती हैं। वहां संस्कृत भाषा भी विद्यमान है परन्तु भारत का संपर्क टूट गया और वे हम से वैसे ही अलग-थलग] हो गये जैसे आज पाकिस्तान और बंगलादेश अलग हुए हैं। इसके विपरीत चीनियों ने चीनी भाषा के माध्यम से अपना संपर्क कायम रखा और आज संसार में जितने भी चीनी हैं वे चीन को अपने हृदय में विशेष स्थान देते हैं और चीन भी उनका स्वागत विदेशी की भांति नहीं बल्कि परदेश में गये बेटे के रूप में करता है। अंग्रेज सारी दुनिया में गए परन्तु उन्होंने अपनी भाषा को कायम रखा और आज आस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे दूर दूर के क्षेत्रों में बसे लोग भी अंग्रेजी के माध्यम को बरकरार रखने के कारण अपने को तथा ब्रिटेन को एक विशेष संबंध से बंधा पाते हैं जिससे छोटे से और बेकारी से पीड़ित इंग्लेण्ड आज भी संसार में एक बड़ी शक्ति होने का हौसला रखता है क्योंकि उसकी आवाज का साथ देने वाली आवाजें दूर दूर उठ सकती हैं। भारतवंशियों के साथ हमारे राजनैतिक या कानूनी संबंध क्या हों यह अलग विषय है परन्तु यह निर्विवाद है कि हम सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ा सकते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन की कल्पना इस सिद्धांत का फल है जिसे न केवल भारत बल्कि अन्य भारतीयों, भारतवंशियों और भारत प्रेमियों का समर्थन प्राप्त हुआ है।

अतएव यह अवसर आ गया है कि दिल्ली विश्व हिंदी सम्मेलन के अवसर पर भारत की ओर से यह प्रस्ताव किया जाये कि समाचारों और सांस्कृतिक तथा सामाजिक कार्यक्रमों के रेडियो तथा दूरदर्शन से प्रचार के लिए एक विशेष कार्यकारी दल बनाया जाय और दूरदर्शन का भी एक वैसा ही संगठन हो जैसा आकाशवाणी की बाहरी सेवाओं का है। पर इस कार्यक्रम में सहयोग के लिए हमें मारीशस और फीजी जैसे देशों के सहयोग की आवश्यकता होगी तथा यह भी जरूरी होगा कि हम जानें कि संसार के किन भागों के लोग किस समय किस प्रकार के भारत से संप्रेषित कार्यक्रमों की प्रतीक्षा करेंगे।

विकासशील देशों में यह शिकायत है और इसे यूनेस्को ने भी मान्यता दे दी है कि कुछ विकसित पश्चिमी देशों के समाचार तथा संचार माध्यम उनके ऊपर बाहरी सभ्यता व आचार विचार थोपते हैं जो उनकी मान्यताओं को धक्का देते हैं। भारत में हों या बाहर—और बाहर हिन्दी भाषी भारतीय काफी संख्या में गये हैं, इससे आक्रांत होते हैं। मैंने फीजी व मारीशस में देखा है कि सभी भारतीयों की, चाहे वह किसी प्रांत के क्यों न हों, आपसी बोल चाल की भाषा हिन्दी उसी तरह हो गयी है जैसे सेना में हो गई है तथा भारत की उत्तरी सीमाओं के प्रदेशों में है। जिन कार्यक्रमों के लिए वे अमेरिका या ब्रिटेन की ओर आश्रित रहते हैं उनके स्थान पर यदि भारत उनके जीवन में कुछ भारतीयता का रंग दे सके तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। ब्रिटेन तथा अमेरिका के भारतीय भी साधन संपन्न होने के बाद भी सांस्कृतिक दृष्टि से अपने को कटा-कटा सा अनुभव करते हैं। वे इस प्रकार के कार्यक्रमों का स्वागत करेंगे जो उनके बच्चों को भारत की संस्कृति, आचार-विचार तथा भाषा से परिचित करायें।

ऐसा करने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी को मान्यता दिलाने के प्रश्न में भी सहायता मिलेगी। मारीशस, फीजी, सूरीनाम, लंदन तथा न्यूयार्क व केनेडा में जो हिंदी के पत्र आज चल रहे हैं वे भी लाभान्वित होंगे, स्वयं यह अनुभव भारत की आंतरिक एकता को प्रकट करेगा क्योंकि इस माध्यम से भारत का जो चित्र हम भेजेंगे वह समग्र भारत का होगा—खंडित भारत का नहीं। □□□

हिन्दी—राष्ट्र-भाषा नीति की कसौटी पर

—मुरारी श्याम वर्मा
सहायक सम्पादक, विधि साहित्य-प्रकाशन, विधि मंत्रालय

'राष्ट्रध्वज' और 'राष्ट्रगीत' के समान ही, 'राष्ट्रभाषा' भी प्रत्येक देश की स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता का महत्वपूर्ण प्रतीक है। राष्ट्रभाषा के माध्यम से नागरिकों और राजतन्त्र में तो सम्पर्क बना ही रहता है, देश के विभिन्न भाग भी इसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसीलिए, राष्ट्रभाषा के महत्व पर बल देते हुए गांधी जी ने कहा था कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा होता है। ऐसा लगता है कि हमारे देश में राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर आज तक राष्ट्रीय अथवा शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य में विचार किए जाने की बजाए, मुख्यत: भावनात्मक तथा राजनीतिक दृष्टि से विचार किया गया है। सम्भवतः इसी कारण-वश यह प्रश्न सुलझने में नहीं आ रहा है।

वस्तुतः हमारे देश में राष्ट्रभाषा (अथवा राजभाषा) का प्रश्न बहुत कुछ विरोधाभासपूर्ण स्थिति में रहा है क्योंकि एक ओर तो, **संसार में आज ऐसा कोई देश नहीं है जिसने स्वतन्त्रता प्राप्ति के इतने समय पश्चात् भी अपने पूर्ववर्ती शासकों की ही भाषा को अपनी राष्ट्रभाषा बनाए रखा हो और दूसरी ओर, इतने दिनों की दासता के कारण विदेशी शासकों ने विशेषकर अंग्रेजों ने, हिन्दी या किसी भी भारतीय भाषा को पनपने ही नहीं दिया, जिसके परिणामस्वरूप, जहां तक तकनीकी कार्यों का प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा का कोई समुचित विकल्प नहीं है।** किन्तु साथ ही सामान्य नागरिक भी इस बात को सरलता से नहीं पचा पा रहा है कि अंग्रेजी भाषी अल्पसंख्यक (मुश्किल से 2 प्रतिशत) लोग, अंग्रेजी न जानने वाली शेष बहुसंख्यक जनता पर स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने दिनों के पश्चात् भी शासन करते रहें क्योंकि यह बात स्वतंत्रता और प्रजातंत्र के सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत है। अतः यथासंभव शीघ्र निकट भविष्य में कोई न कोई भारतीय भाषा अंग्रेजी की इसके वर्तमान महत्व और स्थान से पदच्युत कर देगी। संविधान के रचयिताओं ने भी यह नहीं चाहा था कि अंग्रेजी का वर्चस्व यहां सदैव बना रहे; इसीलिए, भारतीय संविधान की अष्ठम् अनुसूची में भी अंग्रेजी भाषा को स्थान नहीं दिया गया है।

स्वर्ण अवसर की भूल

बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि जो हिन्दी भाषा, तिरंगे झण्डे के समान, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व विदेशियों के विरुद्ध सभी भारतीय राजनीतिज्ञों और नागरिकों द्वारा देश में एकता का सबसे बड़ा साधन मानी जाती थी, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् उसे साम्प्रदायिकता का प्रतीक तथा देश की एकता और प्रजातन्त्र के लिए खतरा बताया जाता है। यदि ये आरोप सही हैं तो राजा राम मोहन राय, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, स्वामी दयानन्द सरस्वती, केशव चन्द्र, लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी आदि अहिन्दी राज्यों के महापुरुषों को ही सबसे बड़ा साम्प्रदायिकतावादी और पृथकतावादी माना जाना चाहिए। इन्हीं महापुरुषों ने हिन्दी की सरलता, व्यापकता और सामर्थ्य को देखकर ही राष्ट्रभाषा के रूप में इसका प्रचार और प्रसार किया। प्रथम स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त, 1947 की संध्या को जब बी० बी० सी० के संवाददाता संसार के नाम गांधी जी का सन्देश प्रसारित करने के लिए उनसे इन्टरव्यू के लिए पहुंचे तो गांधी जी ने कागज पर यह लिख कर दे दिया (उस दिन उनका मौनव्रत था)—"संसार से कह दो कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता।"

गांधी जी को इस बात का बराबर खतरा था कि स्वतंत्रता मिलने के पश्चात् मुट्ठी भर अंग्रेजी जानने वाले लोग शक्ति हड़प करके जनता पर शासन करेंगे। इसलिए वे चाहते थे कि अंग्रेज बेशक यहां रह जाएं किन्तु "अंग्रेजियत" यहां से चली जाए। अंग्रेजियत से उनका अर्थ अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी तौर तरीकों के मोह से था।

राष्ट्रभाषा के प्रश्न को निपटाने का स्वर्ण अवसर स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद था जब कि उत्तर और दक्षिण के सभी नेता हिन्दी के समर्थक थे। साथ ही उस समय 'क्षेत्रीयता का भूत' प्रकट नहीं हुआ था तथा भावनात्मक एकता और राष्ट्रीय सहयोग का बोलबाला था। उस समय यदि राष्ट्रभाषा नीति को दृढ़ता से लागू कर दिया जाता तो आज तक इस प्रश्न के लिये यह संदिग्धता नहीं बनी रहती। सरकार ने हिन्दी को राजभाषा के पद पर विधिवत् आरूढ़ करने के लिए 15 वर्ष की अवधि नियत की थी जिसे अब बढ़ा कर अनिश्चित काल जैसी कर दिया गया है क्योंकि स्वर्गीय पं० नेहरू जी ने यह आश्वासन दिया था कि जब तक एक भी अहिन्दी भाषी राज्य को आपत्ति होगी तब तक अंग्रेजी "सम्पर्क भाषा" बनी रहेगी। किन्तु इस आश्वासन को बहुत से लोग अंग्रेजी समर्थकों को दिया गया "निषेधाधिकार" (वीटो) मानते हैं जो

हिन्दी को सम्पूर्ण देश की राष्ट्रभाषा बनाए जाने के रास्ते में अड़चन बनाए रख सकेगा, क्योंकि पं० नेहरू जी के उक्त आश्वासन के इस वास्तविक आशय को नजरअन्दाज किया जा रहा है कि अहिन्दी भाषी प्रदेश भी हिन्दी सीखने का प्रयास करेंगे। वस्तुत: ऐसा हो नहीं रहा है अन्यथा 35 वर्षों (डेढ़ पीढ़ी) की लम्बी अवधि में तो कठिन से कठिन भाषा भी सीखी जा सकती है।

हिन्दी का महत्व और व्यापकता

अब तक के भारतीय साहित्य को ध्यान से देखें तो साफ पता चलता है कि हिन्दी सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक 'विकास द्वार' है क्योंकि प्रादेशिक साहित्य का जितना अनुवाद हिन्दी में हुआ है उतना किसी भी अन्य भारतीय भाषा में नहीं हुआ। बंगाली, उड़िया, कन्नड़, मलयालम, मराठी आदि के जितने भी अच्छे साहित्यकार हुए हैं उन्हें राष्ट्रीय प्रसिद्धि और विशेष सम्मान तभी मिला जब उनकी कृतियों का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हुआ। बंगला के बंकिम चन्द्र चटर्जी और शरद्; मराठी के काका कालेलकर, प्रभाकर माचवे और अनन्त गोपाल शेवडे; तेलुगू के डा० रांगेय राघव और तमिल के आरिग पूडी आदि अहिन्दी भाषी साहित्यकारों की प्रसिद्धि में हिन्दी का बड़ा भारी योगदान है। यही बात नाटक तथा सिनेमा जगत में है। कन्नड के गिरीश करनाड, मराठी के विजय तेन्दूलकर, बंगला के बादल सरकार, मलयालम के 'चो' को राष्ट्रीय ख्याति तभी मिली जब इनके नाटकों के हिन्दी रूपान्तर का मंचन हुआ। जब हम राष्ट्रभाषा के पद के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं की क्षमता पर विचार करते हैं तो हिन्दी का पलड़ा ही बहुत भारी लगता है। इस तथ्य के अतिरिक्त कि आज लगभग 42 प्रतिशत से भी अधिक जनता हिन्दी जानती या समझती है, हिन्दी सभी अन्य भाषाओं की तुलना में, अधिक लोकप्रिय, विकसित और प्रौढ़ भाषा है। देश के लगभग सभी व्यापारिक और औद्योगिक केन्द्रों, तीर्थ स्थानों तथा पर्यटन स्थलों में, जहां भी विभिन्न प्रदेशों के लोग जब आपस में मिलते जुलते और सम्प्रेषण करते हैं, उनकी भाषा का माध्यम हिन्दी ही होता है, चाहे टूटी-फूटी ही क्यों न हो, क्योंकि अंग्रेजी न जानने वालों को, अपनी अपनी मातृभाषा को छोड़कर, हिन्दी भाषा बोलने में अधिक सरल और समझने में अधिक सुगम लगती है।

भारत में ही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भी हिन्दी का आज पर्याप्त प्रसार और महत्व है। आज संसार भर में कुल मिलाकर 22 करोड़ लोग हिन्दी बोलते हैं। हिन्दी की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि संसार के मुख्य रेडियो और टेलीविजन संस्थान—बी०बी० सी०, 'वायस आफ अमरीका', रेडियो मास्को, रेडियो पीकिंग, रेडियो सीलोन, आदि हिन्दी में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से चीनी और अंग्रेजी भाषा के बाद इस समय संसार में हिन्दी भाषियों की संख्या ही अधिकतम है।

आलोचना की समालोचना

हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के बारे में अहिन्दी भाषियों, विशेषकर अंग्रेजी के समर्थकों की मुख्य दलील यह है कि हिन्दी एक पूर्णरूपेण विकसित और समृद्ध भाषा नहीं है। वस्तुत: यह एक बिल्कुल ही मिथ्या धारणा है क्योंकि यदि तर्क की दृष्टि से इसे सही मान भी लिया जाए, तो हिन्दी विरोधियों से यह पूछा जा सकता है कि हिन्दी कब विकसित और कैसे समृद्ध होगी? क्या यह आसमान से टपकेगी या तब विकसित होगी जब कि विदेशी इसका प्रयोग करेंगे? स्पष्ट है कि कोई भी भाषा तभी विकसित और शक्तिशाली बनती है जब जनता द्वारा उसे प्रयुक्त किया जाता है। ऐसी पूर्व शर्त लगाना बड़ी हास्यास्पद सी बात है। जब 'भाषा इन्डोनेशिया', रूसी, जापानी, तुर्की, और हिब्रू आदि को सम्बन्धित देशों ने अपनी-अपनी राष्ट्रभाषा बनाया तो क्या वे पूर्णत: विकसित और समृद्ध भाषाएं थीं? वस्तुत: इन भाषाओं की स्थिति तो हिन्दी से भी बुरी थी। जिस अंग्रेजी की कुछ समर्थक दुहाई देते नहीं अघाते उसे लगभग केवल 300 वर्ष पूर्व इंगलैण्ड में ही विद्वानों की भाषा नहीं समझा जाता था। उस जमाने में 'लैटिन' ही विद्वानों और विचारकों की मान्य भाषा थी और केवल लैटिन भाषा में लिखना ही गौरव समझा जाता था। न्यूटन जैसे अंग्रेजी-भाषी विश्वविश्रुत वैज्ञानिक ने भी अपना अपूर्व ग्रन्थ 'प्रिंसपिया मैथेमेटिका' (1687) लैटिन में ही लिखा था, जिसका अंग्रेजी अनुवाद सन् 1928 में किया गया। अंग्रेजी को सह-भाषा या सम्पर्क भाषा बनाने का तथाकथित दावा कितना हास्यास्पद लगता है क्योंकि 200 वर्षों तक सरकारी छत्रछाया में पलने पर भी भारत में अंग्रेजी भाषियों की संख्या आज भी 2 प्रतिशत से अधिक नहीं हो पाई।

निष्कर्ष

प्राय: सभी विवादास्पद मामलों में हल के लिए "मध्यम मार्ग" ही स्वर्णिम मार्ग कहा गया है और इसीलिए भाषा के संक्रमणकाल में द्विभाषा (हिन्दी-अंग्रेजी) का प्रयोग ही व्यावहारिक प्रतीत होता है। किन्तु इसके लिए एक निश्चित कालावधि नियत करके उसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए अन्यथा जनता इस हल को गम्भीरता से नहीं लेगी। अब तक हिन्दी को केवल 'कमर पर लादने' की बात ही की जा रही है किन्तु जब तक इसे 'पेट के साथ नहीं बांधा' जाता अर्थात् आजीविका के साथ इसका सम्बन्ध नहीं जोड़ा जाएगा तब तक लोगों में गम्भीरता नहीं आएगी। दूसरे, शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी और वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दावली तैयार करते समय, यथासंभव हमें प्रचलित और प्रसिद्ध शब्दों को ही अपनाना चाहिए, चाहे वे किसी भी भाषा के हों, क्योंकि इस प्रकार दूसरी भाषाओं के शब्दों को अपनी भाषा में समा लेना कोई अपमानजनक बात नहीं। स्वयं अंग्रेजी में केवल पन्द्रह प्रतिशत शब्द ही मूल अंग्रेजी के हैं, शेष 85

प्रतिशत शब्द विदेशी भाषाओं के हैं, जिनमें 'लैटिन' और फ्रेंच के लिए अंग्रेजी बहुत आभारी है।

तीसरे, भाषा के बारे में हमें अपनी मनोवृत्ति भी बदलनी होगी और अंग्रेजी का मोह छोड़ना पड़ेगा। हिन्दी शब्दावली को कठिन और अविकसित कह कर उसका प्रयोग स्थगित करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि किसी भाषा का अधिकाधिक प्रयोग और अभ्यास ही उसकी शब्दावली को विकसित और सर्वमान्य तथा भाषा को समर्थ और समृद्ध बना सकता है। जैसे नौसिखिया तैराक पानी से भय खाना छोड़कर ही तैरना सीख सकता है उसी प्रकार हमारा देश इस काल्पनिक भय को कि "हाय अंग्रेजी चली गई तो क्या होगा", तिलांजलि देकर ही भाषा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है; वरना तो आप कभी भी हिन्दी को उसका उचित स्थान नहीं दिला सकते। संक्षेप में, हिन्दी एक जीवित और सबल भाषा है जो शताब्दियों की सरकारी उपेक्षा में भी पनपती रही है। शुद्ध भावनात्मक एवं राष्ट्रीय एकता तथा शैक्षणिक उपयोगिता की दृष्टि से यह राष्ट्रभाषा की कसौटी पर खरी उतरती है। □□□

"मेरे देश में हिन्दी की इज्जत न हो, यह मैं नहीं सह सकता।"

—विनोबा भावे

"हिन्दी विश्व की महान् भाषा है।"

—राहुल सांकृत्यायन

हिन्दी मंदाकिनी : नए गंगासागर की ओर

—गोपाल प्रसाद व्यास

बी-52, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली-110049

हिन्दी कहां है? प्रश्न के उत्तर में प्रश्न—कहां नहीं है? देखने वाली आंख चाहिए। मुंह चुप है आंख बोलती है—हिन्दी राममय है। कोई देखे तो सही। कोई अनुभव तो करे। राम को नकारने वाले के घट में भी वह बैठा है। विश्व के कण-कण में वह व्याप्त है—हिन्दी की ही तरह। वह मेरे छोटे से सूरदासी गांव परासोली से लेकर भारत के सबसे बड़े नगर कलकत्ता तक में छाई हुई है। वह अमृतसर में स्नान कर रही है और कन्याकुमारी की विवेकानन्द शिला पर भी ध्यानावस्थित है। कश्मीर के फूल में उसके रंग खिल रहे हैं और कोणार्क के सूर्य मन्दिर से भी उसी की स्वर्णाभा दसों दिशाओं में अपना मंगल प्रकाश बिखेर रही है।

यह भावोद्रेक नहीं, दृढ़ आस्था है। वह आस्था जो हवाई नहीं, चिरसत्य पर आधारित है। सत्य यह है कि हिन्दी देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली देववाणी संस्कृत की केवल जेठी बेटी ही नहीं महान संस्कृत भाषा की सभी सुसंस्कृत दिव्य उत्तरदायित्वों और पवित्र परम्पराओं का पालन करने वाली है। वह भारत की मात्र राष्ट्रभाषा नहीं, निखिल राष्ट्र के हृदय का जीवंत स्पंदन है। राष्ट्रीय आकांक्षाओं की संपूर्ति है। हिन्दी केवल राजभाषा नहीं, भारत के जन-गण-मन की भाषा है। यह जो भारत का राष्ट्रगीत है वह हिन्दी की मानस-मूर्ति का ही मंगलगान है—

पंजाब, सिन्धु, गुजरात, मराठा,
द्राविड़, उत्कल, बंग,
विन्ध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा,
उच्छल जलधि तरंग
तव शुभनामे जागे,
तब शुभ आशिष माँगे,
गाहे तव जयगाथा।
जन गण मंगलदायक जय है
भारत भाग्य विधाता।

यह भारत भाग्य विधाता कोई और नहीं, हिन्दी ही है। हमारे मन मन्दिर में तो हिन्दी भारत माता की भांति विराजमान है।

भारत को भौगोलिक सीमाओं में आबद्ध करके नहीं जाना जा सकता। सीमाएं तो टूटती रहती हैं और घट-बढ़ भी जाया करती हैं। पहाड़-मैदान, खेत-खलिहान, नदी-समुद्र, उद्योग-व्यापार, समाज और राजतन्त्र तो सभी राष्ट्रों में होते हैं, पर वे उनकी सही पहचान नहीं हुआ करते। किसी राष्ट्र की सही पहचान उसका व्यक्तित्व और संस्कृति हुआ करती है। भारत की पहचान भी उसकी सनातन, प्रेरक, शांतिमयी, कल्याणकारी और विश्वबन्धुत्व की ओर सतत अग्रसर, चिर उदार एवं सहिष्णुता से युक्त समतामयी संस्कृति ही है। देव-प्रासादों से लेकर दरिद्रनारायण की छोटी सी कुटिया तक में इसकी मधुर झंकार सुनी जा सकती है। वेदों से लेकर रामचरित्र मानस' की पंक्ति-पंक्ति में यह संस्कृति मुखरित हुई है। इसकी छाप तब से लेकर अब तक की राजनीति पर भी अंकित है। उद्योग और व्यापार भी इससे अनुदिन अनुप्राणित रहे हैं। व्यष्टि से लेकर समष्टि तक और जड़ से लेकर चेतन तक जो भी पौरूषेय या अपौरूषेय है, वह सब इसी सांस्कृतिक महिमा से मंडित है। हमारी संस्कृति का आधार संस्कृत और हिन्दी का आधार भी हमारी सुसंस्कृत संस्कृत। सहस्रों वर्षों के भारतीय चिन्तन की अवतारणा संस्कृत में हुई है। भारतीय चिन्तन में मनुष्य और विश्व दोनों के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किये गये हैं। इसमें मनुष्य को सर्व श्रेष्ठ प्राणी माना गया है क्योंकि मात्र इसी में धर्मबुद्धि और भले बुरे का विवेक होता है। धर्म के दस लक्षणों—घृति, क्षमा, दम, अस्तेय आदि से युक्त एक सम्पूर्ण मनुष्य की कल्पना भारतीय चिन्तन में की गई है। संस्कृत साहित्य के अनुसार मनुष्य इसलिये भी श्रेष्ठ है कि वह अपने भोग और अर्जन में सभी जीवों को सहभोक्ता बनाता है। हिन्दी इसी विचार सरणी की संवाहिका है। तुलसीदास का 'सिया राममय सब जग जानी, करहुं प्रणाम जोरि जुग पानी' और 'मंगल भवन अमंगल हारी,द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी।' इसी विचारधारा की अनुगूंज है।

भारत की संस्कृति विश्व की मंगल कामना से ओतप्रोत है। उसने कभी किसी दूसरे राष्ट्र पर चढ़ाई नहीं की। जब-जब उसने शस्त्र उठाये हैं तो उनका उद्देश्य साधुओं का परित्राण और दुष्टों का विनाश तथा धर्म की स्थापना ही रहा है। रामकृष्ण से लेकर सम्राट अशोक तक इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। भारत के योद्धाओं ने भारत को एक

ध्वज के नीचे लाने के लिए ही युद्ध किये हैं। उसके बाद सदैव शांति, अहिंसा और युद्ध वर्जन का महत्व प्रतिपादन किया है। हिन्दी को संस्कृत से उत्तराधिकार में यही भारतीय चिंतन प्राप्त हुआ है। इसका पुण्याहवाचन और शांतिपाठ केवल एक व्यक्ति, एक समूह या एक राष्ट्र के लिये नहीं, सम्पूर्ण जगत के लिये है। मानव मात्र के लिये है—

'द्यौः शांतिरन्तरिक्ष शांतिः पृथिवी शान्तिरापः शान्ति-रोषधयः शान्तिवनस्पतयः शान्ति विश्वैदेवाः शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरोधियतोयतः समीदृसै ततो नो अभयं कुरु शंनः कुरु प्रजाभ्यः अभयं नः पशुभ्यः।

अर्थात् आकाश में शांति हो, अन्तरिक्ष में शांति हो, पृथ्वी में शांति हो, जल में शांति हो, औषधिवर्ग में शांति हो वनस्पति वर्ग में शांति हो, संसार के सभी देवताओं को शांति हो, शांति, पूर्ण रूप से शांति हो, हमारे लिए वह शांति प्राप्त हो जो हमें भली भांति अभय कर दे, हमारा कल्याण कर दे, जनता को और हमारे पशुओं को अभय देकर हमें निश्चित करे।

शांति और विश्व कल्याण की इसी उदात्त भावना के कारण युगों-युगों से विश्व हमारी संस्कृति हमारे साहित्य और हमारे विश्वबन्धुत्व की ओर आकर्षित रहा है। इसी से प्रेरित होकर लोग भारत से सम्पर्क बढ़ाने के लिये हमारी राष्ट्रभाषा को सीखते-पढ़ते रहे हैं। उसी का सुफल है कि सोवियत संघ से लेकर अमरीका तक, दक्षिण अफ्रीका से लेकर एशिया तक, यूरोप से लेकर कनाडा तक लाखों लाखों विदेशी भारत प्रेमी लोग आज हिन्दी पढ़-लिख रहे हैं। इसलिये नहीं कि हिन्दी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है, इसलिये भी नहीं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रीय देश है, इसलिये भी अधिक नहीं कि वह निर्गुट राष्ट्रों का एक मुखिया देश है, बल्कि सबसे अधिक इसलिये कि भारत के प्रति समीपता से उन्हें आत्मिक शांति प्राप्त होती है वे भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख होते हैं। वे मनोविकारों से ऊपर उठकर स्वस्थ चिन्तन में प्रवृत्त होते हैं और सबसे अधिक इसलिये कि भौतिक-वाद की जिस कुन्ठा ने उन्हें ग्रसित कर रखा है उससे त्राण पाने का मार्ग उन्हें भारतीय संस्कृति और भारत की वाणी से सहज में ही सुलभ हो जाता है। क्योंकि हिन्दी आक्रांताओं की नहीं, आक्रमणों से मुक्ति पाने का सन्देश है। वह विश्व के साम्राज्यवादियों की भाषा नहीं, उनके द्वारा शोषित, सताए, लूटे और दलित बनाये जाने वाले लोगों की आत्मा की अदमनीय अनुगूंज है। वह समता का सन्देश देती है। वह सहअस्तित्व का पाठ पढ़ाती है। विश्व को युद्धों की विभीषिका से बचाकर उन्हें शांति का कर्त्तव्य बोध कराती है। विश्व के लोगों के लिये हिन्दी वह भाषा है जो उन्हें वही देती है जिसकी वे तलाश में है। इसीलिये हम हिन्दी को भाषा नहीं विचार कहते हैं, संस्कृति कहते हैं और हम उसे मानवता का शांतिपाठ मानते हैं। क्योंकि हिन्दी तलवार के बल पर नहीं, सन्तों के वचनामृत से फैली है। उसने द्वेष और छल से राष्ट्रों और व्यक्तियों का शोषण नहीं किया है। उसके साहित्य की पंक्ति-पंक्ति में प्रेम का सन्देश बिखरा हुआ है। वह प्रेम जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है, राष्ट्र को राष्ट्रों से जोड़ता है, जीव को आत्मा से जोड़ता है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। इसीलिये हिन्दी को हम जोड़ने वाली कड़ी कहते हैं, तोड़ने वाली हथोड़ी या छैनी नहीं। पढ़िये सूर को, तुलसी को, गाइये मीरा को और गुनगुनाइए कबीरा को, सुनिये मैथिली शरण गुप्त को, प्रसाद को, महादेवी या निराला को। इन सभी महात्मा-महाकवियों में आपको मानवीय संवेदना और प्रेम का एक ऐसा मधुर संगीत सुनाई देगा जो आपकी आत्मा को रसविभोर कर देगा। हिन्दी के उदात्त साहित्य में रस है, कामुकता नहीं, बौद्धिकता है, परन्तु जड़ शुष्कता नहीं, आनन्द की अनुभूति है, विरह के आंसू हैं, लेकिन जीवन की दुखान्त परिणति और कलुषित आक्रोश नहीं। हिन्दी अपने इन्हीं गुणों के कारण विश्वमंच पर आज आदर से प्रतिष्ठित है। स्वार्थ और स्वामित्व की कुटिल विश्वनीति कितनी ही उसके मार्ग में बाधाएं उपस्थित करे, उनका कुहासा हिन्दी के दिव्य प्रकाश को फैलने से नहीं रोक सकता। क्योंकि हिन्दी के पीछे अन्य साम्राज्यवादी भाषाओं की तरह परपीड़न और शोषण का इतिहास नहीं है। उसने उप-निवेशों का शोषण करके अपने देश और अपनी भाषा को ज्ञान-विज्ञान के मारक अस्त्र प्रदान नहीं किये। साम्राज्यवादिनी भाषाओं ने औपनेवेशिक देशों की जनता को ही नहीं वहां की संस्कृति, कला और साहित्य को भी दबाया है तथा उनके उत्कर्ष और विकास की खिल्ली उड़ाई है। उनके बुद्धि जीवियों और रचना धर्मियों को सदैव अपने से हीन समझा है। जहां-जहां ये साम्राज्यवादी गए वहां-वहां अपनी संस्कृति और भाषा को थोपते रहे। जब वहां से हटे तो ऐसा कुचक्र रच गये कि वहां के शासक, श्रीमंत और बुद्धिजीवी इस तरह मानसिक दासता के चक्र में फंस गये कि उन्हें अपनी भाषा, कला, साहित्य संस्कृति सब दीन-हीन लगने लगे। लेकिन भारत और अन्य देशों के साम्राज्यशाही चुंगल से छूटने के बाद अब शनैः-शनैः यह व्यामोह छूटने लगा है। राष्ट्रों में स्वाभिमान और स्वावलम्बन की प्रवृत्तियां उभर रही हैं। यह प्रक्रिया भाषा के क्षेत्र में भी प्रारम्भ हुई है। राष्ट्रों में अपनी-अपनी भाषाएं अपना स्थान बना रही हैं और सम्पर्क सूत्र के रूप में अब अंग्रेजी ही नहीं अनेक देशों में विशेषकर तीसरी दुनियां के देशों में हिन्दी की भी छवि निखर कर ऊपर आने लगी है। कुछ तथ्य लीजिए—

आज दुनियां में लगभग 30 देशों के 100 विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाई जाती है। ये देश वे हैं जिनकी मातृभाषाएं हिन्दी से भिन्न हैं और इनमें पढ़ते वे लोग हैं जिनमें हिन्दी के प्रति स्वैच्छिक प्रवृत्ति हैं। वे हिन्दी के माध्यम से भारत को, भारत-विद्या को और भारतीय मनीषा को जानना चाहते

हैं। इनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो केवल बोलचाल या लिखने-पढ़ने के लिये हिन्दी नहीं सीख रहे हैं किन्तु इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो हिन्दी की विविध विधाओं में पारंगत होना चाहते हैं और उनमें अनुसन्धान भी कर रहे हैं। जिन देशों में हिन्दी की विधिवत् शिक्षा दी जाती है वे हैं--अमरीका, जर्मनी, जापान, सोवियत संघ, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, ब्रिटेन, डेनमार्क, बेल्जियम, इटली, स्वीडन, नार्वे, स्विट्जरलैंड, पौलेंड, आस्ट्रिया, हंगरी, यूगोस्लाविया, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल, बर्मा आदि। हिन्दी के प्रति हार्दिक प्रेम के मामले में सोवियत संघ का स्थान सर्वोपरि है। प्रचलन, प्रकाशन और अनुसन्धान की दृष्टि से सोवियत संघ में सर्वाधिक हिन्दी कार्य हुआ है। परन्तु विश्वविद्यालयों में हिन्दी को स्थान देने के मामले में अमरीका का नम्बर सबसे ऊपर है। कभी वहां 33 विश्वविद्यालयों में हिन्दी की शिक्षा-परीक्षा का प्रबन्ध था। लेकिन आज भी वहां के 24 विश्वविद्यालयों में हिन्दी को महत्व मिला हुआ है। दूसरा स्थान जर्मनी का है और तीसरा जापान का। ये सभी देश प्राय: ऐसे हैं जिनकी अपनी समृद्ध राष्ट्रभाषाएं और राजभाषाएं हैं। किन्तु विश्व के अनेक देश ऐसे हैं जिनमें प्रवासी भारतीय बसे हुए हैं और वे अपने साथ हिन्दी को भी विदेशों में ले गये हैं जैसे मारीशस, फीजी, सूरीनाम, ट्रिनीडाड, गुयाना, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, कनाडा, हांगकांग, थाइलैंड, मलेशिया, बर्मा, सिंगापुर, हालैंड आदि। ये प्रवासी भारतीय हिन्दी बोलते-लिखते ही नहीं, हिन्दी में रचनायें भी करते हैं। पत्र-पत्रिकाएं भी निकालते हैं। इनमें से कुछ देशों के रेडियो से हिन्दी के प्रसारण भी होते हैं। इंग्लैंड, अमरीका, सोवियत संघ, चीन, श्रीलंका और नेपाल के रेडियो प्रसारण तो भारत में भी लोगों द्वारा चाव से सुने जाते हैं। नेपाल तो एक प्रकार से हिन्दी का घर ही है। कभी बर्मा की भी ऐसी ही स्थिति थी, लेकिन आज भी बर्मा, श्रीलंका, बैंकाक और हांगकांग में हिन्दी को बोलने-जानने और मानने वालों की संख्या पर्याप्त मात्रा में है।

जब नागपुर में विश्व हिन्दी सम्मेलन हुआ था तो एक अनुमान के अनुसार विश्व में हिन्दी बोलने वालों की संख्या 42 करोड़ आंकी गई थी। आचार्य विनोबा भावे ने कहा था कि जनसंख्या की दृष्टि से हिन्दी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। चीनी भाषा को वह एक नहीं 30-40 भाषाओं का समूह मानते थे। इस आधार पर हिन्दी संयुक्त राष्ट्रसंघ में मान्यता प्राप्त प्रमुख 6 भाषाओं की श्रेणी में बैठने की अधिकारिणी है। विश्व हिन्दी सम्मेलन विश्व संस्था से इन्हीं तथ्यों के बल पर हिन्दी को प्रतिष्ठित करने का आग्रह बार-बार करता रहा है।

हिन्दी देश की राजभाषा कब बनेगी और कब उसे राष्ट्र संघ में स्थान प्राप्त होगा? यह एक अलग और जटिल प्रश्न है। इसकी बाधाओं पर बहुविधि चर्चा हो चुकी है और हम भी उसे बढ़ा-चढ़ा कर यहां दोहरा सकते हैं, लेकिन इस लेख में हमारा अभीष्ट यह नहीं। हम हिन्दी की राजशक्ति से अधिक उसके आंतरिक शक्ति को अधिक महत्व देते हैं। उसकी अन्तरशक्ति, लिपि की वैज्ञानिकता, सहज सुबोधता, और आज के युग में उसकी सार्थकता इतनी प्रबल है कि जिसके समक्ष देखते-देखते सारे तर्क प्रभावहीन हो जाएंगे और बाधाओं के बादल स्वयं फट जाएंगे। हिन्दी कभी राज्य-श्रय के बल पर नहीं बढ़ी। उसके जगन्नाथी रथ को कभी राजाओं के घोड़ों ने नहीं खींचा। वह रथ तो जनता के हाथों से खिचकर मंजिल पर मंजिलें पार करता रहा है। हिन्दी उस अश्वत्थ वृक्ष के समान है जिसके बीज भारी-भारी बाधाओं की शिलाओं के बीच से भी फट पड़ते हैं और सघन होकर वह वृक्ष उन शिलाओं को भी शीतलता प्रदान करते हैं।

हिन्दी की गति पवित्र गंगा के समान प्रवाहमान है। न शिव और शिवालिक उसे रोक पाये और न जन्मु जैसे समर्थ बुद्धिजीवी ऋषि उसे टोक पाये। वह आकाश से उतरी और जन-समुद्र में मिल गई। हिन्दी भी वन प्रांतरों, पहाड़ों और देश-विदेशों की सीमाओं को लांघती हुई एक दिन विश्व मंच पर स्थापित होगी और इसका सबसे बड़ा कारण होगा विश्व के मानवों की उसमें अवगाहन की उत्कृष्ट अभिलाषा और हिन्दी मन्दाकिनी का मानवता के समुद्र में अपने को विसर्जन करने का पुनीत लक्ष्य। मन्द-मन्द गति से लोल लहरें लेती हुई हमारी हिन्दी-गंगा इस नये गंगा सागर की ओर हर्षपुलक से भरी हुई चली जा रही है और चली जा रही है।

□□□

विदेशों में हिन्दी का प्रचार-प्रसार

—नारायण कुमार

हिन्दी अधिकारी, विदेश मंत्रालय

हिन्दी अब सिर्फ भारत की ही भाषा नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाले समस्त भारतवंशियों की भाषा है। भारत से कुली-मजदूर के रूप में विदेशों में गए इन भारतवंशियों ने अपने त्याग और तपस्या से हिन्दी को अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बना दिया है। उन्होंने अपने श्रम एवं साधना के बल पर अन्तर्राष्ट्रीय धरातल पर हिन्दी को जो गरिमा प्रदान की है वह स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य है। मारीशस, फीजी, त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम आदि देशों में जबरन श्रमिक बनाकर भेजे गए लोग सुशिक्षित अथवा सुसंस्कृत नहीं थे लेकिन उन्होंने अपने रक्त से वहां की जमीन को सींचकर उसे उपजाऊ बनाया तथा वे अपनी भाषा एवं संस्कृति की रक्षा के लिए निरन्तर संघर्ष करते रहे। ठीक इसके विपरीत सुशिक्षित वर्ग के जो लोग यानी डाक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर आदि विदेश गए उनमें से अधिकांश अपनी भाषा और संस्कृति तो भूल ही गए, वे अब अपने देश और समाज को भी भूल रहे हैं। सुशिक्षित वर्ग के ऐसे लोग अपनी पहचान खो रहे हैं जबकि भारत से विदेश जाने वाले श्रमिकों ने तमाम विरोधों के बावजूद अपनी नयी पहचान कायम की है जो हिन्दी भाषा तथा भारतीय संस्कृति से सम्बन्ध बनाए रखने के कारण संभव हो सका है।

विदेशों में किसी अन्य देश की भाषा के प्रचलन के मुख्य रूप से दो कारण होते हैं। पहला कि यदि किसी देश में विदेशी सरकार सत्ता में आयी तो सत्ताधारी देश की भाषा उस देश में प्रचलित हो जाती है और दूसरा धर्म-प्रचार का माध्यम बनकर भी एक देश की भाषा दूसरे देशों में फैल जाती है। अंग्रेजी, फ्रेंच, डच आदि भाषाओं के प्रचार-प्रसार के मूल में सत्ता रही है। इसी प्रकार रोमन, त्रिपटिक, फारसी आदि भाषाएं धार्मिक कारणों से विदेशों में पहुंच सकीं। लेकिन हिन्दी तलवार की नोक पर अथवा धर्मोपदेश की भाषा बनकर विदेश नहीं पहुंची तथा शोषण और दासता के विरुद्ध संघर्ष की संवाहिका बनी रही। भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के महान नेताओं ने शर्तबन्दी प्रथा के अन्तर्गत गए गिरमिटिया मजदूरों के संघर्ष का पूर्ण समर्थन किया। महात्मा गांधी ने इन मजदूरों को अपनी भाषा एवं संस्कृति के प्रति स्नेह कायम रखने की प्रेरणा प्रदान की। इस संबंध में काका कालेलकर का यह कथन उल्लेखनीय है कि "हिन्दी बड़े-बड़े युद्ध जीतने वाले राजाओं और बादशाहों की भाषा कभी नहीं रही, यह मानव-जाति की सेवा में सर्वस्व समर्पित करने वाले साधु, संतों, फकीरों की भाषा रही है। कबीर, नानक, दादू, सूर-जैसे संतों ने इसे संवारा है। सारे विश्व को एक दृष्टि से देखने वाले सन्यासी दयानंद ने और सारी मानव-जाति को हृदय से प्यार करने वाले महात्मा गांधी ने इसे सेवा-भावना का पुट दिया है। आजादी की अहिंसात्मक लड़ाई लड़ने वाली यह भाषा सारे संसार को आजादी का संदेश दे सकती है और मानव-अधिकारों के दमन के खिलाफ आवाज उठा सकती है।"

अपनी भाषा एवं संस्कृति से लगाव के कारण ही इन छोटे-छोटे देशों ने अपने राष्ट्र की मुक्ति के लिए संघर्ष शुरू किया और स्वाधीनता प्राप्त की। इन देशों ने स्वाधीनता के बाद अपने-अपने देशों में हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन का क्रम जारी रखा। मारीशस में हिन्दी प्रचार की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए वहां के तत्कालीन प्रधान मंत्री डा० शिव सागर राम गुलाम ने कहा था कि—"हमें इस बात का गर्व है कि बीसवीं सदी के शुरू में भारत में जो सामाजिक जागरण हुआ उसकी रोशनी मारीशस में भी पहुंची। स्वामी दयानन्द ने वेदों के आधार पर आर्यसमाज की स्थापना की और यह आन्दोलन 1920 में मारीशस में पहुंचा। 1935 में हिन्दी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई। साथ-साथ सनातन धर्म सभा, हिन्दू महासभा, सेवा शिविर और त्रिवेणी-जैसी संस्थाओं ने भी हिन्दी के विकास में योगदान दिया। आज मारीशस में न केवल हिन्दी हायर सेकेंडरी में पढ़ाई जाती है बल्कि अनेक लेखक कवि और पत्रकार हिन्दी में रचनाएं भी करते हैं। इन लेखकों की रचनाएं भारत की पत्र-पत्रिकाओं में भी प्रकाशित होती हैं। 1968 से मारीशस की आजादी के बाद हिन्दी के विकास में मारीशस ने जो योग दिया है उस पर हम गर्व कर सकते हैं।"

आज मारीशस में हिन्दी सिर्फ लोकगीतों एवं भजनों तक ही सीमित नहीं है। वहां के सामान्य कामकाज में भोजपुरी मिश्रित हिन्दी का इतना ज्यादा प्रयोग होता है कि मारीशस में रहने वाले गैर-भारतवंशी भी हिन्दी

समझ-बोल लेते हैं। आकाशवाणी, पत्र-पत्रिकाओं तथा अध्ययन-अध्यापन में भी हिन्दी का मर्यादापूर्ण स्थान है। इस समय वहां के हिन्दी-लेखकों और कवियों में सर्वश्री सोमदत्त बखौरी, अभिमन्यु अनत, रामदेव धुरन्धर, दीपचन्द बिहारी, प्रहलाद रामशरण आदि की रचनाओं को भारत के हिन्दी लेखकों के समकक्ष रखा जा सकता है। इसी प्रकार वहां की अनेक संस्थाएं हिन्दी के प्रचार-प्रसार में निःस्वार्थ भाव से काम कर रही हैं। इन संस्थाओं के समक्ष एक नयी चुनौती है कि नयी पीढ़ी में हिन्दी को कैसे लोकप्रिय बनाया जाय और विश्वास है कि वे इस चुनौती का समुचित समाधान खोज लेंगे।

विदेशों में जाने वाले भारतवंशियों के अतिरिक्त विदेशों के जो लोग शासक अथवा पर्यटक बनकर भारत आये उन्हें भी भारत की इस महान भाषा ने बहुत प्रभावित किया और वे इस भाषा की विशेषताओं और विशिष्टताओं से इतने प्रभावित हुए कि हिन्दी सीखना प्रारम्भ कर दिया। इसी वर्ग में वे लोग भी आते हैं जिन्होंने राजकाज अथवा धर्म-प्रचार के कारण स्वतः हिन्दी सीखकर यहां की आम जनता से संपर्क कायम करने की कोशिश की। अक्सर यह देखा गया है कि विभिन्न देशों में यदि कोई विदेशी शासक शासन करने आते हैं तो उस देश में उनकी भाषा का प्रचार-प्रसार होता है लेकिन हिन्दी कहीं भी सत्ता अथवा शासन की भाषा बनकर नहीं गई। ठीक इसके विपरीत हिन्दी ने विदेशी शासकों को इतना प्रभावित और सम्मोहित किया कि अंग्रेज कलैक्टर और आई०सी०एस० अधिकारियों ने हिन्दी का ज्ञान प्राप्त किया और हिन्दी व्याकरण, हिन्दी कोश, हिन्दी साहित्य का इतिहास लिखा तथा हिन्दी कवियों की रचनाओं का मूल्यांकन किया। इस प्रकार के हिन्दी प्रेमियों में जार्ज ग्रियर्सन, ग्राउज, पिंकाट आदि विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हैं।

भारत से जो गिरमिटिया मजदूर मारीशस, फीजी, गुयाना, त्रिनिदाद, सूरीनाम आदि देशों में गये, इन लोगों ने भी अपने-अपने देशों में हिन्दी का व्यापक प्रचार-प्रसार किया। सामान्यतः जब लोग विदेश में जाते हैं तो अपनी संस्कृति भूलकर वहां की संस्कृति को अपना लेते हैं लेकिन इन देशों में जाने वाले कुली-मजदूर अपने साथ गीता और रामायण ले गये। रहीम के दोहे और कबीर की साखी ले गये और पूर्ण मनोयोग से अपनी भाषा तथा संस्कृति की रक्षा में लगे रहे। इन मजदूरों के भाषा-प्रेम के कारण ही आज विश्व के कई देशों में हिन्दी का प्रचार-प्रसार हो रहा है।

विदेशों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए भारत सरकार भी एक योजना चला रही है। इस योजना के क्रियान्वयन में विदेश मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय संयुक्त रूप से प्रयत्नशील हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिन 10 देशों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार का कार्य शुरू किया गया था उनमें फीजी, मारीशस, गुयाना, त्रिनिदाद, श्रीलंका, नेपाल, सूरीनाम आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इन देशों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार में सरकार पूरी अभिरुचि लेती रही हैं। इसके प्रथम चरण के रूप में इन देशों में स्थित भारतीय मिशनों में हिन्दी की पुस्तकें भेजने की व्यवस्था शुरू की गई थी जो निरन्तर चल रही है। इसके अतिरिक्त सरकार ने केन्द्रीय हिन्दी संस्थान में विश्व के विभिन्न देशों के लोगों को हिन्दी के अध्यापन की भी सुविधा प्रदान की है। यहां हिन्दी सीखने वाले लोगों को आने-जाने के खर्च के अतिरिक्त छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। विदेशों में हिन्दी प्रचार-प्रसार के अन्तर्गत सरकार ने त्रिनिदाद, सुरिनाम और गुयाना में हिन्दी प्राध्यापक प्रतिनियुक्त किया है। इनके अतिरिक्त सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत रूमानिया, क्यूबा, जर्मन जनवादी गणतंत्र, बुल्गारिया में हिन्दी प्राध्यापक भेजे गए हैं। श्रीलंका स्थित हमारे हाई कमीशन में दो अंशकालिक हिन्दी प्राध्यापक हिन्दी की कक्षाएं चलाते हैं। विदेशी विद्यालयों तथा गैर-सरकारी संगठनों को सरकार समय-समय पर हिन्दी की पाठ्यपुस्तकें, देवनागरी टाइपराइटर, हिन्दी के लिंग्वाफोन रिकार्ड्स एवं अन्य शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराती है। काठमांडू स्थित भारतीय राजदूतावास के सहयोग से वहां एक हिन्दी का भव्य पुस्तकालय स्थापित किया गया है जिसमें भारत से हिन्दी का एक पुस्तकाध्यक्ष भी भेजा जाता है। सरकार की यह हर संभव कोशिश है कि हिन्दी सीखने के इच्छुक विदेशी राष्ट्रिकों को अध्यापन, प्रशिक्षण और पुस्तकालय की सुविधा प्रदान की जाए।

चूंकि हिन्दी विश्व के एक महानतम् लोकतंत्र की भाषा है, अतः इस भाषा ने विश्व के अनेक देशों को आकर्षित किया है। प्रायः संसार के हर महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में हिन्दी की पढ़ाई होती है और भारतवंशियों द्वारा चलाए जा रहे हिन्दी संस्थाओं के अतिरिक्त लगभग 90 विश्वविद्यालयों में विभिन्न स्तरों पर हिन्दी की पढ़ाई होती है। इनमें से कई विश्वविद्यालयों में हिन्दी में अनुसंधान-कार्य भी होता है। तुलसीदास, सूरदास, प्रेमचन्द, प्रसाद, पंत, निराला आदि की रचनाओं तथा आधुनिक हिन्दी कथा साहित्य ने विदेशी विद्वानों को काफी प्रभावित किया है। रूसी, चीनी, जापानी, अंग्रेजी, जर्मन आदि भाषाओं में इन पुस्तकों के अनुवाद हो चुके हैं। कई विदेशी साहित्यकार हिन्दी में रचनात्मक साहित्य सृजन भी कर रहे हैं। ऐसे विद्वानों में इस समय चेकोस्लोवाकिया के डा० ओदोलेन स्मेकल, जर्मनी के डा० लोथोर लुत्से, फीजी के पंडित कमला प्रसाद मिश्र, श्री विवेकानन्द शर्मा, तथा श्री जे० एस० कंवल आदि और मारीशस के श्री सोमदत्त बखौरी, श्री अभिमन्यु अनत आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन रचनाकारों के अनेक ग्रन्थ भारत में प्रकाशित हो चुके हैं।

विदेशों में हिन्दी प्रचार-प्रसार में हिन्दी पत्रकारिता का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मारीशस, फीजी, सूरीनाम

तथा गुयाना में जब हमारे गिरमिटिया मजदूर गये तो इनमें से अधिकांश देशों में वहां के लोगों में न अपने अन्तर्मन की व्यथा को सम्प्रेषित करने के लिए हस्तलिखित पत्रिकाओं का वितरण शुरू किया। ऐसी पत्रिकाओं में मारीशस से प्रकाशित हिन्दुस्तान, आर्योदय, जनता, फीजी से प्रकाशित शांति दूत, फीजी-वृतांत, जय फीजी आदि के नाम महत्वपूर्ण हैं। मारीशस के महात्मा गांधी संस्थान से "वसन्त" नाम की एक हिन्दी पत्रिका भी प्रकाशित हो रही है। इसी प्रकार फीजी से 'उदयाचल' और 'प्रशांत-समाचार' के कुछ अंक निकले हैं। फीजी सरकार स्वतः "शंख" नामक एक पत्र प्रकाशित करती है जो वहां काफी लोकप्रिय है। मारीशस से प्रकाशित "जनता" का प्रकाशन इस समय दुर्भाग्यवश स्थगित हो गया है लेकिन हम आशा कर सकते हैं कि इसका प्रकाशन शीघ्र ही पुनः आरम्भ हो जाएगा। लंदन से दो हिन्दी की पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। इन दोनों पत्रिकाओं में मुख्य रूप से भारत से प्रकाशित समाचारों को वहां रहने वाले भारत-वंशियों के लिए प्रकाशित किया जाता है। "नवीन वीकली" तथा "अमर दीप" नामक इन पत्रिकाओं के प्रकाशन से वहां हिन्दी के प्रचार-प्रसार को काफी वल मिला है। जापान से हिन्दी प्रेमियों ने "ज्वालामुखी" नामक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया है जिसका मुद्रण भारत में ही होता है। चीन सरकार भी 'सचित्र-चीन" नामक पत्रिका निकालती है। कनाडा के भारतवंशियों ने "विश्व भारती" नामक पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ किया है। इन सभी पत्रिकाओं के प्रकाशन से हिन्दी के प्रति विदेशों में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है।

जैसा कि हम सब जानते हैं हिन्दी के प्रचारक और लेखक विदेशों में अलग-अलग हिन्दी की सेवा कर रहे थे। इन लोगों को एक मंच प्रदान करने में विश्व हिन्दी सम्मेलन ने रचनात्मक भूमिका निभाई है। नागपुर में जनवरी; 1975 में आयोजित प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन तथा पोर्ट लुई (मारीशस) में अगस्त, 1976 में आयोजित द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन से हिन्दी के विभिन्न विद्वानों और हिन्दी प्रेमियों को एक ऐसा मंच मिला जहां वे अपनी सामान्य समस्याओं के बारे में विचार-विमर्श कर सकते हैं। इन सम्मेलनों में अन्तर्राष्ट्रीय धरातल पर हिन्दी के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोनों सम्मेलनों में विश्व-स्तर पर हिन्दी के समक्ष उपस्थित चुनौतियों तथा उनके निराकरण पर गम्भीरतापूर्वक विचार-विमर्श हुए हैं। अब तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन भारत की राजधानी दिल्ली में हो रहा है। इस सम्मेलन में भारत के अतिरिक्त 40 अन्य देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। हमें आशा ही नहीं वरन् पूर्ण विश्वास है कि यह देश-विदेश में हिन्दी के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से एक ऐतिहासिक सम्मेलन सिद्ध होगा। □□□

हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकें : कुछ प्रमुख निर्णय

(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री की अध्यक्षता में 16-7-83 को हुई हिन्दी सलाहकार समिति की दूसरी बैठक हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :—

(1) श्रीमती मोहसिना किदवई
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री —अध्यक्ष

(2) श्री सी० वी० एस० मणि
अपर सचिव,
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय —सदस्य

(3) डा० देश बन्धु विष्ट,
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक —सदस्य

(4) डा० एच० डी० टण्डन,
निदेशक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
नई दिल्ली —सदस्य

(5) श्री इन्द्रदीप सिंह,
संसद सदस्य (राज्य सभा) —सदस्य

(6) श्री हरि शंकर,
सम्पादक, हिन्दी शिक्षक, बम्बई —सदस्य

(7) डा० देवनारायण पाण्डेय,
रीडर, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय —सदस्य

(8) श्री सुभाष शास्त्री,
प्रधान मंत्री हिन्दी साहित्य सम्मेलन,
इलाहाबाद —सदस्य

(9) डा० सुरेन्द्र नाथ गुप्ता,
देहरादून —सदस्य

(10) श्री पन्ना लाल शर्मा,
उप-प्रधान केन्द्रीय सचिवालय,
हिन्दी परिषद् —सदस्य

(11) श्री एस० के० सुधाकर,
संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय —सदस्य सचिव

(12) श्री पी० आर० दासगुप्ता,
संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय —विशेष आमंत्रित

उपस्थित अन्य अधिकारी

(13) श्री वीर कुमार मजोला
निदेशक, राजभाषा विभाग —राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि

(14) डा० बी० सी० घोषाल,
उप महानिदेशक,
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

(15) श्री आई० एस० बिष्ट,
राज्य मंत्री के निजी सचिव

(16) श्री राजमणि तिवारी,
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, राजभाषा विभाग

(17) श्री प्रेम लाल शर्मा,
वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी

(18) श्री बी० एस० बोरा,
हिन्दी अधिकारी
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

(19) श्री सी० बी० शर्मा,
हिन्दी अधिकारी,
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदया ने सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग को महत्वपूर्ण बतलाते हुए कहा कि हिन्दी केन्द्र की राजभाषा है किन्तु इसके प्रयोग में जोर-जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए इसे एक अच्छे और नियोजित ढंग से विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने सदस्यों को विश्वास दिलाया कि मंत्रालय हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए उनके सुझावों का स्वागत करेगा और उन्हें अमल में लाने की पूरी-पूरी कोशिश करेगा।

तीन महीने की अपेक्षा पांच महीने में बैठक किए जाने का कारण स्पष्ट करते हुए अध्यक्ष महोदया ने कहा कि सदस्यों से प्रस्ताव न मिलने के कारण यह बैठक मई में नहीं की जा सकी। मुझे उम्मीद है कि माननीय सदस्य इस समिति के कार्यों में अधिक से अधिक दिलचस्पी लेंगे और उनके प्रस्ताव समय पर मिलते रहेंगे ताकि बैठकें ठीक समय पर की जा सकें।

इसके उपरान्त कार्य सूची पर विचार-विमर्श हुआ ।

सर्व प्रथम 9 फरवरी, 1983 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।

मद संख्या- 1

पिछली बैठक की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही ।

की गई कार्यवाही पर सदस्यों ने आमतौर पर सन्तोष व्यक्त किया । केवल नर्सों और फार्मासिस्टों को हिन्दी में प्रशिक्षण देने सम्बन्धी मद पर सभी सदस्यों ने भारतीय फार्मेसी परिषद् और भारतीय नर्सिंग परिषद् से उत्तर न मिलने पर असन्तोष व्यक्त किया और यह सुझाव दिया कि इस विषय को उच्चतर स्तर पर लिया जाय । सदस्यों ने यह स्वीकार किया कि जहां एम० बी० बी० एस० की शिक्षा का माध्यम फिलहाल अंग्रेजी ही रहने दिया जाए वहां फार्मेसी, नर्सिंग जैसे पैरामेडिकल शिक्षा का माध्यम अनिवार्य रूप से हिन्दी या क्षेत्रीय भाषाएं होनी चाहिएं ।

पाठ्यक्रमों में छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं होते अतः उनका अंग्रेजी का ज्ञान भी अधिक नहीं होता । यह सभी के हित में होगा कि इन विषयों की शिक्षा हिन्दी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से दी जाए । अध्यक्ष महोदया ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि हम इस सम्बन्ध में उक्त परिषदों को लिखेंगे ।

(कार्यवाही—हिन्दी अनुभाग और पी०एम०एस० अनुभाग)

विभिन्न अधीनस्थ कर्यालयों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के कार्यवृत्तों की बैठक में समीक्षा करने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श के बाद यह तय हुआ कि एक बैठक में सभी के कार्यवृत्तों की समीक्षा करना व्यावहारिक न होने के कारण कुछेक कार्यालयों के कार्यवृत्तों की ही समीक्षा कर ली जाए । मंत्रालय निरीक्षण करके यह देखें कि इन बैठकों में लिए गए निर्णयों का पूरा-पूरा पालन हो रहा है या नहीं ।

(कार्यवाही—स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय)

मंत्रालय में हिन्दी के प्रयोग के प्रति पर संतोष व्यक्त करते हुए सदस्यों का विचार था कि अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति पूर्ण सन्तोषजनक नहीं है और वहां पर इस दिशा में बहुत कुछ करना बाकी है । विचार-विमर्श के बाद यह तय हुआ कि इन अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण कर लिया जाये और वहां पर पाई जाने वाली कमियों को दूर किया जाये ।

(कार्यवाही-वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय)

मद संख्या-2

मंत्रालय, उसके सम्बद्ध कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के खाली पड़े पदों को शीघ्र भरना ।

विभागीय टिप्पणी से सन्तुष्ट होते हुए सभी सदस्यों ने यह इच्छा व्यक्त की कि इन पदों को भरने में आगे कोई विलम्ब न होने दिया जाए ।

(कार्यवाही-स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय)

मद संख्या-3 और 4

मंत्रालय और उसके अधीनस्थ कार्यालय आदि में हिन्दी के वर्तमान पद और राजभाषा विभाग के मानदण्डों के अनुसार शेष पदों का सर्जन ।

हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों की सूची और उनमें चैक हिन्दी में लिखने की व्यवस्था ।

सदस्य इन मदों पर दी गई विभागीय टिप्पणी से संतुष्ट थे ।

मद संख्या-5

मंत्रालय, सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, निगमों आदि में ऐसे कौन-कौन से कार्यालय हैं जिनमें 1982 में राजभाषा समितियों की दो से अधिक बैठक हुई ? बैठकें अनियमित होने के क्या कारण हैं ? किन-किन कार्यालयों का हिन्दी के प्रयोग की दृष्टि से अभी तक निरीक्षण नहीं किया गया ?

इस मद पर दी गई विभागीय टिप्पणी से सहमत होते हुए सदस्यों का यह आग्रह था कि यह निरीक्षण शीघ्र पूरा कर लिया जाए और ऐसे सभी कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें नियमित करने की व्यवस्था की जाए । इसे मान लिया गया है ।

(कार्यवाही-वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय)

मद संख्या-6

नर्सों, फार्मेसिस्टों और अन्य प्रशिक्षण कोर्सों में :—

(1) "क" क्षत्रों में हिन्दी माध्यम रखा जाए । साथ ही एक प्रश्न पत्र अंग्रेजी का हो ।

(2) "ख" और "ग" क्षत्रों में हिन्दी-अंग्रेजी के विकल्प की सुविधा दी जाए । अंग्रेजी माध्यम लेने वालों के लिए हिन्दी का एक प्रश्न पत्र अनिवार्य हो ।

मद संख्या–7, 8 और 9

सभी कार्यालयों में हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन कराया जाए तथा जांच बिन्दु स्थापित किए जाएं ।

राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए 1983–84 के कार्यक्रम का अध्ययन तथा उसके अनुपालन का लक्ष्य निर्धारित किया जाए । उपरोक्त कार्यक्रम की लक्ष्यपूर्ति के लिए "निरीक्षण दल" गठित किए जाएं ।

सदस्य कार्यसूची में इन मदों पर दी गई टिप्पणी से सन्तुष्ट थे ।

मद संख्या–10

एक नगर में जहां अनेक छोटे-छोटे कार्यालय हों और उनमें एक-एक दो-दो हिन्दी अधिकारी, हिन्दी अनुवादक, टंकक आदि हों, तो उन सब को एक स्थान पर करके "हिन्दी अनुभाग" स्थापित किया जाए ।

इस सुझाव को समिति ने व्यावहारिक नहीं पाया ।

मद संख्या–11

"क" और "ख" क्षेत्रों के कार्यालयीन कार्यों में अनुवाद की परम्परा को त्यागने पर जोर दिया जाए ।

सदस्यों को बतलाया गया कि मंत्रालय में हिन्दी में आए पत्रों का अंग्रेजी में अनुवाद करने की प्रथा नहीं है । सदस्य इससे संतुष्ट थे ।

मद संख्या–12

पिछली बैठक में विचार-विमर्श होने से रह गई मदों पर विचार किया जाए :

देवनागरी टाइपराइटर :

विचार विमर्श के बाद यह तय हुआ कि मंत्रालय में आवश्यकता समझे जाने पर और देवनागरी टाइपराइटरों की व्यवस्था कर ली जाएगी ।

नकद पुरस्कार योजना को आकर्षक बनाना

पुरस्कार योजना को आकर्षक बनाने के बारे में राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि के इस वक्तव्य पर कि इस सम्बन्ध में वह विभाग कार्यवाही कर रहा है, सदस्यों ने संतोष व्यक्त किया । वे चाहते थे कि इस विषय पर कार्यवाही शीघ्र पूरी कर ली जाए ।

(कार्यवाही–राजभाषा विभाग)

स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा परिवार कल्याण विषयों पर हिन्दी में मूलरूप में लिखी जाने वाली पुस्तकों के लिए नकद पुरस्कार योजना :

स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा परिवार कल्याण सम्बन्धी हिन्दी में उच्च कोटि के मौलिक साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए बनाई गई पुरस्कार योजना के लिए मंत्रालय को बधाई देते हुए सदस्यों का यह आग्रह था कि इस योजना को आगे कोई विलम्ब किए बिना अधिसूचित और विज्ञापित कर दिया जाए । इस सुझाव को मान लिया गया ।

(कार्यवाही–एम० एस० अनुभाग)

हिन्दी अधिकारियों का सम्मेलन बुलाना

हिन्दी अधिकारियों एक सम्मेलन बुलाने के सुझाव पर समिति ने आम सहमति जाहिर की ।

(कार्यवाही–वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी)

शेष मदों पर सदस्य विभागीय टिप्पणी से संतुष्ट थे ।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई ।

(2) वाणिज्य मंत्रालय

वाणिज्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की पांचवीं बैठक दिनांक 27 जुलाई, 1983 को प्रात: 11.00 बजे, कमेटी रूम 'ए' पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी में वाणिज्य तथा पूर्ति मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई ।

इसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :—

1. श्री विश्वनाथ प्रताप सिन्हा, वाणिज्य मंत्री ।	अध्यक्ष
2. श्रीमती राम दुलारी सिन्हा, वाणिज्य राज्य मंत्री ।	उपाध्यक्ष
3. श्री पी० ए० संगमा, वाणिज्य उपमंत्री ।	"
4. श्री आबिद हुसन, वाणिज्य सचिव ।	सदस्य
5. श्री मणि नारायण स्वामी, सचिव (वस्त्र)	"
6. श्री मोहन भाई पटेल, संसद सदस्य (लोक सभा)	"
7. श्री पी० एन० शुकुल, संसद सदस्य (राज्य सभा)	"
8. श्री लाडली मोहन निगम, संसद सदस्य (राज्य सभा)	"
9. श्री राम चन्द्र भारद्वाज, संसद सदस्य (राज्य सभा)	"
10 आचार्य भगवान देव, संसद सदस्य (लोक सभा)	"

11. डा० निर्मला जैन, सदस्य
रीडर तथा हिन्दी विभागाध्यक्ष,
दिल्ली विश्वविद्यालय ।

12. डा० सुशील गौतम, "
सम्पादक, प्रौढ़ शिक्षा, नई दिल्ली ।

13. श्री भगवान सिंह,
लेखक, नई दिल्ली ।

14. श्री डी० सी० मिश्र, "
संयुक्त सचिव,
राजभाषा विभाग, नई दिल्ली ।

15. श्री पी० सी० जैन, "
मुख्य नियन्त्रक, आयात व निर्यात
तथा प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय
वस्त्र निगम, नई दिल्ली ।

16. कु० दीपिका पड्डा, विकास आयुक्त की
संयुक्त विकास आयुक्त प्रतिनिधि
(हथकरघा), नई दिल्ली ।

17. श्री डी० सी० दत्ता, सदस्य
महानिदेशक,
डी० जी० सी० आई० एण्ड एस०,
कलकत्ता ।

18. श्री वी० प्रभाकर, सदस्य
अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक,
एक्सपोर्ट क्रैडिट एण्ड गारंटी का०
बम्बई ।

19. श्री पी० के० दास गुप्त, सदस्य
अध्यक्ष,
राज्य व्यापार निगम,
नई दिल्ली ।

20. श्री पी० आर० एस० सिंघल, चाय बोर्ड के प्रतिनिधि
विशेष अधिकारी, चाय बोर्ड,
नई दिल्ली ।

21. श्री एस० के० वारियर, सदस्य
अध्यक्ष, काफी बोर्ड,
बगलौर ।

22. कु० विन्दू बत्तरा, भारतीय व्यापार मेला
महाप्रबन्धक, प्राधिकरण की प्रतिनिधि
भारतीय व्यापार मेला
प्राधिकरण, नई दिल्ली ।

23. श्री आर० एल० वार्ष्णेय, भारतीय विदेश व्यापार
उप-महा निदेशक, संस्थान के प्रतिनिधि ।
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान,
नई दिल्ली ।

24. श्री विनोद दुग्गल, व्यापार विकास प्राधिकरण के
व्यापार विकास प्रतिनिधि
प्राधिकरण, नई दिल्ली ।

25. श्री डी० सी० मजूमदार, सदस्य
निदेशक,
निर्यात निरीक्षण परिषद्,
नई दिल्ली ।

26. श्री के० एस० काम्बले, विकास आयुक्त (हस्त
संयुक्त निदेशक, शिल्प) के प्रतिनिधि
विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)
का कार्यालय, नई दिल्ली ।

27. श्री एस० राय चौधरी, भारतीय जूट निगम के
सचिव, प्रतिनिधि
भारतीय जूट निगम,
कलकत्ता ।

28. श्री एस० आर० राममूर्ति, सदस्य
वस्त्र आयुक्त,
बम्बई ।

29. श्री एन० एस० कुलकर्णी, सदस्य
अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक,
भारतीय रुई निगम, बम्बई ।

30. श्री ए० सी० बोस, खनिज तथा धातु व्यापार
निदेशक, निगम के प्रतिनिधि
खनिज तथा धातु व्यापार
निगम, नई दिल्ली ।

31. श्री सुरेन्द्र तिवारी, "
महा प्रबन्धक,
खनिज तथा धातु व्यापार
निगम, नई दिल्ली ।

32. श्री जोगिन्द्र सिंह, सदस्य-सचिव
निदेशक,
वाणिज्य मंत्रालय ।

33. श्री डी० एन० कपूर,
संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय,

34. श्री टी० एस० आर० सुब्रामणियन,
संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय ।

35. श्री के० पी० आनन्द,
संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय ।

36. श्री प्रभात कुमार,
संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय ।

37. श्री सुदर्शन सिंह,
संयुक्त निदेशक, वाणिज्य मंत्रालय ।

38. श्री जैन्दर सिंह,
उप-सचिव, वाणिज्य मंत्रालय ।

39. श्रीमती इन्द्रा मान सिंह,
सूचना अधिकारी, वाणिज्य मंत्रालय ।

40. श्रीमती निर्मल भटनागर,
प्रबन्धक (राजभाषा),
राष्ट्रीय वस्त्र निगम, नई दिल्ली ।

41. श्रीमती सुनीता,
हिन्दी अधिकारी,
खनिज तथा धातु व्यापार निगम, नई दिल्ली ।

42. श्रीमती डी० डी० कुमार,
हिन्दी अधिकारी,
विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय,
नई दिल्ली ।

43. श्री एम० एल० गोयल,
उप-निदेशक,
निर्यात निरीक्षण परिषद्, नई दिल्ली ।

44. श्री आर० के० मिश्र,
उप-प्रबन्धक, भारतीय
व्यापार मेला प्राधिकरण, नई दिल्ली ।

45. श्री ए० डी० तनेजा,
भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण,
नई दिल्ली ।

46. श्री पी० सी० सेन,
हिन्दी अधिकारी, राज्य व्यापार निगम,
नई दिल्ली ।

47. श्री एम० पी० दौलतानी,
प्रभारी अधिकारी, काफी बोर्ड,
नई दिल्ली ।

48. श्री ओ० पी० अहूजा,
क्षेत्रीय प्रबन्धक,
ई० सी० जी० सी० नई दिल्ली ।

49. श्री के एल० ढींगरा,
हिंदी अधिकारी,
ई० सी० जी० सी०, नई दिल्ली ।

50. श्री आर० के० गुप्त,
हिन्दी अनुवादक,
विकास आयुक्त (हथकरघा),
नई दिल्ली ।

51. श्री एन० एम० अग्रवाल,
वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी,
वाणिज्य मंत्रालय ।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों और अन्य व्यक्तियों का बैठक में स्वागत किया । अपने भाषण में उन्होंने सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग के बारे में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा की गई प्रगति का संक्षिप्त ब्यौरा दिया । उन्होंने समिति को बताया कि राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी व्यापार करार, जो वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किये जा रहे हैं, वे हिन्दी में भी तैयार किये जाते हैं और हस्ताक्षरित किये जाते हैं और राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत आने वाले सभी कागजात हिन्दी व अंग्रेजी दोनों में जारी किये जा रहे हैं । उन्होंने आगे बताया कि मंत्रालय के बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली स्थित कार्यालयों में सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की प्रगति का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से हिन्दी सलाहकार समिति की चार उप-समितियां बनाई गई हैं, उनमें से दो उप-समितियों ने इस बीच बंगलौर और बम्बई स्थित कार्यालयों का दौरा कर लिया है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं । उन्होंने समिति को यह भी बताया कि विभिन्न कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग की समीक्षा करने के लिए बनाए गए सात निरीक्षण दलों की हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति की समीक्षा करने के लिए जो कार्यालय आवंटित किये गये हैं, उन्होंने उनका दौरा किया है ।

इसके पश्चात्, अध्यक्ष महोदय ने बैठक में भाग लेने के लिए आए सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करते हुए, सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को और बढ़ाने के लिए उनके सुझाव आमंत्रित किये ।

श्री मोहन भाई पटेल, संसद सदस्य ने कहा कि उन्होंने हिन्दी सलाहकार समिति की उप-समिति के सदस्य के रूप में हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय के बम्बई स्थित कार्यालयों का दौरा किया था । उन्होंने कहा कि इन कार्यालयों में अपने दौरे के दौरान उन्हें यह देखकर बहुत खुशी हुई कि एन० टी० सी० ने सप्ताह में बुधवार के दिन को अपना सारा सरकारी कामकाज केवल हिन्दी में करने के लिए निर्धारित किया है । उन्होंने कहा कि यह एक अच्छी प्रथा है और अन्य कार्यालयों को भी इसे अपनाना चाहिए । उन्होंने यह भी कहा कि जैसा कि मैंने बम्बई कार्यालयों के दौरे के दौरान सुझाव दिया था, सभी कार्यालय अपने लैटर-हैडों के नीचे की ओर निम्नलिखित शब्द छपवा सकते हैं : "यदि आप अपना पत्र हिन्दी में लिखेंगे तो उतनी ही जल्दी जवाब मिलेगा जितना कि अंग्रेजी में लिखने से मिलता है ।"

उन्होंने यह भी कहा कि अपने दौरे के दौरान उन्होंने यह देखा कि सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों ने अपनी अलग-अलग प्रोत्साहन योजनाएं बनाई हुई हैं । उन्होंने सुझाव दिया कि सभी कार्यालयों में लागू किये जाने के लिए इस सम्बन्ध में एक समान योजना बनाई जानी चाहिए ।

आचार्य भगवान देव, संसद सदस्य ने सुझाव दिया कि भारत में बने उत्पादों पर अंकित नाम हिन्दी में भी होने चाहिए । उन्होंने कहा कि भारत में बने उत्पादों पर केवल अंग्रेजी में नाम अंकित करना उचित नहीं है । उन्होंने सुझाव दिया कि उन सभी कम्पनियों को, जो निर्यात के लिए उत्पादन कर रही हैं, ऐसे निदेश दिये जाने चाहिए कि वे अपने उत्पादों पर ब्रांड नाम आदि हिन्दी में भी लिखवाएं । उन्होंने जापान, चीन और कोरिया के उदाहरण दिऐ जो अपने उत्पादों पर ब्रांड नाम लिखने के लिए अपनी-अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं ।

आचार्य भगवान देव ने कहा कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए क्योंकि यह एक कानूनी दायित्व है। उन्होंने यह भी कहा कि जैसी कि धारा 3(3) में व्यवस्था है, सभी करार, संविदाएं आदि हिन्दी में भी तैयार की जानी चाहिएं। उन्होंने आगे कहा कि 'क' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में शत-प्रतिशत सरकारी कामकाज हिन्दी में होना चाहिए।

श्री लाडली मोहन निगम, संसद सदस्य ने निम्नलिखित सुझाव दिये :—

1. हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकें जल्दी-जल्दी होनी चाहिए।
2. कर्मचारियों के प्रयोग के लिए और अधिक हिन्दी पुस्तकें खरीदी जानी चाहिए।
3. लैटर-हैडों पर "हिन्दी में लिखे पत्रों का स्वागत है" शब्द छपवाये जाने चाहिए ताकि हिन्दी में पत्र-लेखन को प्रोत्साहन मिले।
4. हिन्दी सलाहकार समिति की किसी भी उप-समिति में हिन्दी सलाहकार समिति के संसद सदस्यों को आमंत्रित किया जा सकता है।
5. सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग का प्रचार करने के लिए आकर्षक पोस्टर तैयार किये जाएं और उन्हें कार्यालयों में उचित स्थान पर लगाया जाए।
6. सप्ताह का एक दिन केवल हिन्दी में सरकारी कामकाज के लिए नियत किया जाये।
7. हिन्दी भाषी क्षेत्रों में विज्ञापन हिन्दी में और अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में विज्ञापन सम्बन्धित क्षेत्रीय भाषा में दिए जाने चाहिए तथा विदेशों में सम्बन्धित देश की भाषा में होने चाहिएं।
8. निर्यात करने वाली कम्पनियों के लिए यह जरूरी कर दिया जाना चाहिए कि वे अपने उत्पादों पर नाम हिन्दी में भी अंकित करें।
9. उन कार्यालयों को, जिनके 80 प्रतिशत या अधिक कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है, अधिसूचित किया जाना चाहिए।
10. हिन्दी के अधिक टाइपराइटर उपलब्ध कराने के लिए, हिन्दी के नए टाइपराइटर खरीदने की बजाए कुछ अंग्रेजी के टाइपराइटरों के की-बोर्डों को बदलवा कर हिन्दी के की-बोर्ड लगवाए जाएं। इससे पैसे की भी बचत होगी और हिन्दी के विकास में मदद मिलेगी।
11. स्टेशनरी की सभी मदें जैसे लैटर-हैड आदि द्विभाषी होनी चाहिएं।
12. मंत्रालय द्वारा भेजे जाने वाले लिफाफों पर पते हिन्दी में लिखे जाने चाहिए।
13. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कर्मचारी हिन्दी कार्यशाला आदि में प्रशिक्षण लेने के बाद अपना सरकारी कार्य हिन्दी में करें।
14. हिन्दी की परीक्षाएं पास करने पर कर्मचारियों को नकद पुरस्कार देने के बजाय अतिरिक्त वेतन-वृद्धि के रूप में प्रोत्साहन दिया जाए ताकि कर्मचारी यह महसूस करें कि उन्हें स्थायी लाभ मिला है।
15. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हिन्दी भाषी राज्यों में शत-प्रतिशत पत्राचार हिन्दी में हो।
16. समूह 'ग' तथा 'घ' के कर्मचारियों की सेवा पुस्तकाएं हिन्दी में भरी जानी चाहिए तथा उनकी गोपनीय रिपोर्टें भी हिन्दी में लिखी जानी चाहिएं।
17. व्यापार संवर्धन के सम्बन्ध में फिल्म और स्लाइड्स आदि हिन्दी में भी दिखाये जाने चाहिएं।
18. हिन्दी अनुवादक के पदनाम को राजभाषा सहायक के रूप में बदला जाना चाहिए ताकि इससे इस बात का पता चल सके कि मूल रूप में भी कार्य हिन्दी में करना होता है न कि केवल अंग्रेजी सामग्री का ही हिन्दी में अनुवाद होता है।

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि मंत्रालय द्वारा ऐसी संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए कि हिन्दी में सरकारी कामकाज करने के उद्देश्य से अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह को क्षेत्र 'क' में माना जाए।

श्री रामचन्द्र भारद्वाज, संसद सदस्य ने सुझाव दिया कि स्टेशनरी की सभी मदें हिन्दी में भी होनी चाहिए तथा हिन्दी के पत्राचार को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए तथा जो हिन्दी में काम करे उन्हें प्रोत्साहन के रूप में एक अतिरिक्त स्थायी वेतन-वृद्धि दी जानी चाहिए।

श्री पी० एन० शुकुल, संसद सदस्य ने निम्नलिखित सुझाव दिये :

1. हिन्दी भाषी राज्यों को भेजे जाने वाले लिफाफों पर पते हिन्दी में लिखे जाने चाहिएं।
2. हिन्दी भाषी राज्यों में अंग्रेजी के प्रश्नपत्र को छोड़कर, विभागीय परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम की अनुमति दी जानी चाहिए।
3. यदि मंत्रालय की 'वाणिज्य भारती' पत्रिका पहले नियमित रूप से नहीं निकाली जा रही हो तो उसे नियमित रूप से निकाला जाना चाहिए।

श्री भगवान सिंह ने सुझाव दिया कि मंत्रालय के विषयों पर हिन्दी में सेमिनार, वाद-विवाद और कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए और रेडियो तथा दूरदर्शन पर हिन्दी में वार्ताएं आयोजित की जानी चाहिएं ताकि हिन्दी जानने वाले लोगों को सरकार की नीतियों की बेहतर जानकारी मिल सके। श्री सिंह ने सुझाव दिया कि इस प्रकार की वार्ताएं भारत सरकार की नई

आयात-निर्यात नीति की घोषणा के समय आयोजित की जा सकती हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि इस मंत्रालय में प्रयोग में आने वाले शब्दों की शब्दावली अंग्रेजी-हिन्दी में तैयार की जानी चाहिए।

डा० निर्मला जैन ने कहा कि इस समिति में लिए गये निर्णयों को तेजी से लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेमीनार आदि आयोजित करने के बारे में पिछली बैठक में लिया गया निर्णय अभी तक क्रियान्वित नहीं हुआ है। डा० निर्मला जैन ने सुझाव दिया कि इस मंत्रालय के विषयों पर अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और निर्यात संवर्धन पर हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने वाले लेखकों को नकद पुरस्कार देने की योजना को हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों तथा सभी विश्वविद्यालयों के हिन्दी विभागों के अध्यक्षों के ध्यान में भी लाया जाना चाहिए ताकि वे भी विश्वविद्यालयों में इस योजना का प्रचार करने में अपना सहयोग दे सकें।

डा० हीरा लाल शुक्ल ने सुझाव दिया कि सरकारी कामकाज में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए कुछ विद्वान भाषाविदों का सहयोग लेना चाहिए क्योंकि इससे सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की प्रगति सुधारने में सहायता मिल सकती है। उन्होंने मंत्रालय के कार्यालयों में हिन्दी के टाइपराइटरों की संख्या बढ़ाने का भी सुझाव दिया।

डा० सुशील गौतम ने हिन्दी सलाहकार समिति की उप-समिति के सदस्य के में रूप इस मंत्रालय के बंगलौर स्थित कार्यालयों के दौरे का जिक्र किया और उन कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग में की गई प्रगति पर खुशी प्रकट की।

संसद सदस्य श्री लाडली मोहन निगम के इस सुझाव के बारे में कि अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह को क्षेत्र 'क' के अन्तर्गत शामिल किया जाए, राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव ने बताया कि राजभाषा विभाग इस सम्बन्ध में पहले ही विचार कर रहा है। समिति को यह भी सूचित किया गया कि राजभाषा विभाग हिन्दी व अंग्रेजी दोनों में काम करने वाले स्टेनोग्राफरों और टाइपिस्टों को प्रति मास क्रमश: 30 रु० और 20 रु० के हिसाब से मानदेय देने की एक योजना की घोषणा करने वाला है।

सदस्यों द्वारा दिये गये विभिन्न सुझावों पर विचार-विमर्श करने के बाद अध्यक्ष महोदय ने कहा कि :

1. मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों में दिये जा रहे नकद पुरस्कारों और अन्य प्रोत्साहनों की योजनाओं में एकरूपता लाने के लिए तत्काल कार्यवाही की जाएगी और इसके लिए वाणिज्य सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि यह कार्यवाही आदेश जारी करके, स्थिति का जायजा लेकर तथा इस उद्देश्य के लिए मानक मार्गदर्शी सिद्धांत अपना कर तत्काल कार्यवाही की जाए।
2. नाम-पट्ट आदि हिन्दी में भी हों इससे सम्बन्धित सुझावों को कार्यान्वित किया जाए और निगमों आदि में सभी साइन-बोर्ड, नाम-पट्ट आदि हिन्दी में भी होने चाहिए।
3. जहां तक अंग्रेजी टाइपराइटरों के 'की' बोर्ड को हिन्दी 'की' बोर्ड में बदलने का सम्बन्ध है, उन्होंने कहा कि यह एक अच्छा सुझाव है और नए हिन्दी टाइपराइटर खरीदने के बजाय इस प्रकार से हिन्दी टाइपराइटर उपलब्ध कराने पर विचार किया जाना चाहिए।
4. हिन्दी भाषी राज्यों के साथ पत्र-व्यवहार, निर्धारित लक्ष्य के अनुसार, शत-प्रतिशत हिन्दी में होना चाहिए। उन्होंने सदस्यों को आश्वासन दिया कि वे इस सम्बन्ध में अभी से स्वयं इस बारे में पहल करेंगे।
5. विज्ञापन हिन्दी में भी दिये जाएंगे।
6. हिन्दी भाषी राज्यों को भेजे जाने वाले लिफाफों पर हिन्दी में पते लिखे जाएंगे।
7. उन्होंने तकनीकी शब्दावली तैयार करने पर जोर दिया और इच्छा व्यक्त की कि शब्दों और संक्षिप्त रूपों की एक तकनीकी शब्दावली अंग्रेजी-हिन्दी में पुस्तिका के रूप में तैयार की जानी चाहिए।
8. इस मंत्रालय के कार्यकलापों विशेषतौर पर कृषि उत्पादों के निर्यात की संभाव्यताएं और सरकार की आयात-निर्यात नीति के सम्बन्ध में हिन्दी में सेमिनारों तथा रेडियो व दूरदर्शन पर हिन्दी में वार्ताओं का आयोजन करने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए जिससे इन विषयों और सरकार की व्यापार से सम्बन्धित अन्य नीतियों के बारे में हिन्दी भाषी समुदाय को बेहतर जानकारी मिल सके। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस प्रकार कम-से-कम एक सेमिनार दो महीने के अन्दर-अन्दर आयोजित किया जाए तथा रेडियो व दूरदर्शन पर वार्ता का भी आयोजन किया जाए।
9. प्रत्येक कार्यालय द्वारा लैटर-हैड के नीचे निम्नलिखित वाक्य छपवाया जाए :—

"यदि आप अपना पत्र हिन्दी में लिखेंगे तो उतनी ही जल्दी जवाब मिलेगा, जितना कि अंग्रेजी में लिखने से मिलता है।"

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद दे कर बैठक समाप्त हुई।

(3) समाज कल्याण मंत्रालय

समाज कल्याण मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की पहली बैठक 20 अगस्त, 1983 को श्रीमती शीला कौल, शिक्षा और समाज कल्याण राज्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :

1. श्रीमती शीला कौल — अध्यक्ष
   शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति
   राज्य मंत्री
2. श्री पी० के० थुंगन — उपाध्यक्ष
   शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति
   उप मंत्री

3. श्री शिवचन्द्र झा — सदस्य
संसद सदस्य

4. श्रीमती विद्या वाजपेयी — सदस्य

5. श्रीमती उषा गुप्ता — सदस्य

6. श्री मगन अवस्थी — सदस्य

7. श्री रत्न चन्द धीर — सदस्य

8. श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव — सदस्य
सचिव, राजभाषा विभाग तथा भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार

9. श्री आर० पी० खोसला — सदस्य
सचिव, समाज कल्याण मंत्रालय

10. श्री वेद मारवा — सदस्य
संयुक्त सचिव, समाज कल्याण मंत्रालय

11. श्री एम० सी० नरसिम्हन — सदस्य
संयुक्त सचिव, समाज कल्याण मंत्रालय

12. श्री रा० या० कुरेशी — सदस्य
उप सचिव, समाज कल्याण मंत्रालय

13. श्री अवधेश कुमार तिवारी — सदस्य
प्रबन्ध निदेशक
भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम,
कानपुर

14. श्री विनोद कुमार — सदस्य
निदेशक,
राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान,
देहरादून

15. डा० हीरा सिंह — सदस्य
निदेशक, समाज रक्षा संस्थान,
नई दिल्ली

16. श्रीमती लीना मजुमदार — सदस्य
प्रिंसिपल, मंद बुद्धि बच्चों के लिए
माडल स्कूल, नई दिल्ली

17. श्री मधुसूदन दयाल — सदस्य-सचिव
संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण मंत्रालय

निम्नलिखित भी बैठक में उपस्थित थे :—

1. श्री वालकृष्ण आहूजा
अतिरिक्त निदेशक,
राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान,
नई दिल्ली ।
(निदेशक के स्थान पर)

2. श्री राकेश जैन
संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड,
नई दिल्ली ।
(कार्यकारी निदेशक के स्थान पर)

3. श्री इन्द्रजीत सूरी
सहायक निदेशक, विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थान, नई दिल्ली ।
(निदेशक के स्थान पर)

4. श्री सी० अशोक राव,
सहायक सूचना अधिकारी

5. श्री एम० एम० साहनी
अवर सचिव, समाज कल्याण मंत्रालय

6. श्री देवराज कपूर,
हिन्दी अधिकारी, समाज कल्याण मंत्रालय

7. श्री राजेन्द्र शर्मा,
हिन्दी अधिकारी, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ।

बैठक की कार्यवाही आरम्भ करते हुए अध्यक्ष महोदया ने सभी सदस्यों का स्वागत किया और कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि माननीय संसद सदस्यों के अलावा अनेक विख्यात विद्वान और वरिष्ठ अधिकारी इस सलाहकार समिति के सदस्य हैं । उन्होंने इस बात पर अफ़सोस प्रकट किया है कि समिति की पहली बैठक काफी विलम्ब से हो रही है । समाज कल्याण मंत्रालय में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में उठाए गए कदमों का ज़िकर करते हुए उन्होंने कहा कि ये कदम कारगर रहे हैं और इनके परिणाम स्वरूप इस मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग बहुत बढ़ गया है । उन्होंने इस बात पर दुख प्रकट किया कि मंत्रालय में अंग्रेजी टाइपराइटरों की तुलना में हिन्दी के टाइपराइटरों की संख्या बहुत कम है और विश्वास दिलाया कि हिन्दी के टाइपराइटरों की संख्या को बढ़ाने के लिए कार्यवाही की जाएगी । मंत्री महोदया ने मंत्रालय के उच्च अधिकारियों को भी कहा कि वे सरकारी काम में हिन्दी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें और नीचे के स्टाफ के लिए मिसाल प्रस्तुत करें । उन्होंने सदस्यों को विश्वास दिलाया कि उनके मूल्यवान सुझावों का स्वागत किया जाएगा तथा इस मंत्रालय में हिन्दी के प्रयोग में जो कुछ कमियां हैं वे उनके मार्गदर्शन से दूर हो जाएंगी ।

मंत्री महोदया के स्वागत भाषण के बाद कार्यसूची के मदों पर विचार-विमर्श आरम्भ हुआ ।

मद संख्या—1 समाज कल्याण मंत्रालय में सरकारी प्रयोजनों के सम्बन्ध में स्थिति पर विचार करना

समाज कल्याण मंत्रालय में हिन्दी के प्रयोग के बारे में सदस्य सचिव द्वारा दिए गए विवरण को सदस्यों ने नोट किया । इस मद पर विचार-विमर्श के दौरान सदस्यों ने इस मंत्रालय में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की आम तौर पर सराहना की तथा जो कमियां रह गई हैं उनकी ओर बैठक का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री शिवचन्द्र झा, संसद सदस्य ने कहा कि मंत्रालय में अंग्रेजी टाइपराइटरों की तुलना में हिन्दी टाइपराइटरों की संख्या बहुत कम है । उन्होंने हिन्दी टाइपराइटरों की संख्या को बढ़ाए जाने पर

जोर दिया। बहुत कम राजपत्रित अधिकारियों द्वारा हिन्दी में काम किए जाने का जिकर करते हुए उन्होंने कहा कि इन अधिकारियों को अक्सर हिन्दी में काम करना चाहिए ताकि नीचे के कर्मचारी उनका अनुसरण करें। अधिकारियों की राजभाषा सम्बन्धी समिति में राजभाषा अधिनियम के अमल की समीक्षा पर भी उन्होंने जोर दिया।

श्रीमती उषा गुप्ता ने भी मंत्रालय में हिन्दी टाइपराइटरों की संख्या को बढ़ाए जाने पर जोर दिया। उन्होंने इस बातका भी उल्लेख किया कि मंत्रालय में बहुत कम स्टेनोग्राफर हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित हैं तथा कहा कि उन्हें प्रशिक्षण दिए जाने के बारे में लक्ष्य निर्धारित किया जाए तथा स्टेनोग्राफरों को क्रमशः प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि हिन्दी टाइपिंग में प्रशिक्षित सभी अवर श्रेणी लिपिकों से हिन्दी टाइपिंग का काम कराया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि हिन्दी के काम की मदें सुनिश्चित की जाएं तथा आगामी बैठक में हिन्दी में प्रवीणता तथा कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या अलग-अलग दिखाई जाए।

श्रीमती विद्या वाजपेयी ने इस बात पर जोर दिया कि सभी अधिकारियों को कुछ न कुछ सरकारी काम अवश्य हिन्दी में करना चाहिए ताकि नीचे के कर्मचारी भी उनका अनुसरण करें।

श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, सचिव, राजभाषा विभाग तथा भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार ने इस मंत्रालय में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति को काफी संतोषजनक बताया। हिन्दी आशुलिपि और हिन्दी टाइपिंग में पाठ्यक्रमों को पूर्णकालिक बनाए जाने के बारे में सुझाव का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा करने से प्रशिक्षण पर भेजे जाने वाले स्टेनोग्राफरों और अवर श्रेणी लिपिकों के स्थान पर प्रशिक्षण की अवधि के लिए एवजी स्टेनोग्राफरों/अवर श्रेणी लिपिकों को नियुक्त करने की समस्या उत्पन्न होगी जिसके लिए वित्त मंत्रालय ने स्वीकृति नहीं दी है। उन्होंने यह भी बतलाया कि पूर्णकालीन प्रशिक्षण में भी लगभग 2 घन्ट प्रतिदिन का ही प्रशिक्षण तथा अभ्यास मिलता है। पहले प्रतिदिन 2 घंटा प्रशिक्षण देने की प्रथा थी किन्तु अब हर तीसरे दिन 2 घंटा प्रशिक्षण देने की प्रथा है। उन्होंने प्रशिक्षित स्टेनोग्राफरों तथा टाइपिस्टों को पर्याप्त अभ्यास देने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि हिन्दी स्टनोग्राफी और हिन्दी टाइपिंग का न्यूनतम निर्धारित काम करने वाले स्टेनोग्राफरों और अवर श्रेणी लिपिकों को क्रमशः 30 रुपए और 20 रुपए प्रति मास का भत्ता दिए जाने के बारे में निर्णय लिया जा चुका है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी में मूल काम करना चाहिए तथा अनुवाद पर अधिक निर्भर नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस मंत्रालय के संस्थानों द्वारा राजभाषा विभाग को हिन्दी के काम की प्रगति की रिपोर्ट भेजनी चाहिए तथा आगामी बैठक में मंत्रालय द्वारा "ग" क्षेत्रों को भेजे गए पत्रों की संख्या भी बतलानी चाहिए।

इस मद पर विचार-विमर्श के दौरान निम्नलिखित निर्णय लिए गए :

1. इस मंत्रालय में हिन्दी टाइपराइटरों की संख्या पर्याप्त रूप से बढ़ाई जाए।
2. अधिक से अधिक स्टेनोग्राफरों और अवर श्रेणी लिपिकों को हिन्दी आशुलिपि/हिन्दी टाइपिंग में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए।
3. हिन्दी आशुलिपि और हिन्दी टाइपिंग में प्रशिक्षित कर्मचारियों को हिन्दी के काम का पर्याप्त अभ्यास दिया जाए।
4. मंत्रालय द्वारा हिन्दी के काम की मदें सुनिश्चित की जाएं।
5. अधिकारी वर्ग हिन्दी में अधिक कार्य करके अन्य स्टाफ के लिए मिसाल प्रस्तुत करें।
6. आगामी बैठक में "ग" क्षेत्रों को भेजे गए पत्रों तथा हिन्दी में प्रवीणता व कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले अधिकारी तथा कर्मचारियों की संख्या का अलग-अलग विवरण दिया जाए।
7. गृह मंत्रालय को अनुरोध किया जाए कि वह स्वागत अधिकारियों को निदेश जारी करें कि आगन्तुकों को पास हिन्दी में जारी किए जाएं।

मद संख्या—2 समाज कल्याण मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों/संगठनों में सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में स्थिति पर विचार करना।

इस मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों/संगठनों में हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में बताई गई स्थिति को सदस्यों ने नोट किया और उस पर असंतोष प्रकट किया। उन्होंने निम्नलिखित कमियों की ओर विशेष रूप ध्यान से आकर्षित किया :

1. अधीनस्थ कार्यालयों/संगठनों से "क" और "ख" क्षेत्रों के राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को बहुत अधिक संख्या में पत्र अंग्रेजी में भेजे जाते हैं।
2. इन कार्यालयों/संगठनों म चैक प्वाइन्ट नहीं है जो यह सुनिश्चित करें कि "क" और "ख" क्षेत्रों के राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को सभी मूल पत्र हिन्दी में अथवा अंग्रेजी में हिन्दी अनुवाद के साथ भेजे जाएं।
3. स्टाफ को हिन्दी, हिन्दी आशुलिपि और हिन्दी टाइपराइटिंग में प्रशिक्षण देने पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है।
4. कुछ कार्यालयों में रबड़ की मोहरें अब तक द्विभाषी रूप में तैयार नहीं कराई गई हैं।

इस मद पर विचार-विमर्श के दौरान निम्नलिखित निर्णय लिए गए :

(1) अधीनस्थ कार्यालयों/संगठनों में चैक प्वाइंट बनाए जाएं जो यह सुनिश्चित करें कि "क" और "ख" क्षेत्र के राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को मूल पत्र

हिन्दी में अथवा अंग्रेजी में हिन्दी अनुवाद के साथ जारी किए जाएं। इन कार्यालयों/संस्थानों द्वारा भेजे गए मूल पत्रों में इस बात पर विशेष जोर दिया जाए।

(2) रबड़ की मोहरों, साइन बोर्डों और नाम पटों को, जो अब तक केवल अंग्रेजी में हैं, तुरन्त द्विभाषी रूप में तैयार करवाया जाए।

(3) हिन्दी, हिन्दी आशुलिपि और हिन्दी टाइपराइटिंग में प्रशिक्षण के लिए अधिक से अधिक कर्मचारियों को भेजा जाए।

(4) जिन कार्यालयों/संगठनों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति नहीं है, वहां इसका तुरन्त गठन किया जाए।

(5) अधीनस्थ कार्यालय/संगठन हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्टों की एक-एक प्रति राजभाषा विभाग को भी भेजा करें।

(6) सभी मैनुअलों, संहिताओं और फार्मों का हिन्दी में अनुवाद करवा लिया जाए। आगामी बैठक में इनका विवरण अलग-अलग दिया जाए।

(7) सभी अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा विभाग के आदेशों के अनुसार हिन्दी सम्बन्धी न्यूनतम पद स्वीकृत किए जाएं।

(8) संस्थानों में राज्यभाषा से सम्बन्धित पदों के बारे में निम्नलिखित सुझावों पर विचार किया जाए :–

(क) संस्थानों के पदों को राज्य भाषा विभाग के सामान्य केडरों में सम्मिलित किया जाए जिससे पदोन्नति का अवकाश रहे।

(ख) किसी हिन्दी जानने वाले अधिकारी को हिन्दी अधिकारी का काम सौंप दिया जाय।

(ग) राज भाषा विभाग द्वारा हिन्दी अधिकारी की नियुक्ति के लिए आग्रह किया जाए।

मद संख्या—3 समाज कल्याण मंत्रालय के सभी कार्यालयों और पत्रों पर एक वाक्य अंकित होना चाहिए — "वसुधैव कुटुम्बकम्"

कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि इस मंत्रालय के पत्र व्यवहार पर "वसुधैव कुटुम्बकम्" अंकित करने के सुझाव को अस्वीकार करने के बजाए इस सुझाव पर फिर से विचार किया जाये।

मद संख्या—4 19 सितम्बर, 1981 के बाद हिन्दी अनुवादक के पदों पर नियुक्त किए गए अनुवादकों को भी राजभाषा विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे केन्द्रीय राजभाषा संवर्ग में शामिल करने के लिए माननीय अध्यक्ष अनुरोध करें।

मद संख्या—5 केन्द्रीय राजभाषा संवर्ग के न बनने से हिन्दी अनुवादकों/हिन्दी अधिकारियों के लिए तरक्की के अवसर नहीं हैं और कई अनुवादक/हिन्दी अधिकारी कई वर्षों से, यहां तक कि पिछले 10–15 वर्षों स तदर्थ आधार पर लगे हुए हैं और उन्हें पदोन्नति नहीं मिल सकी है। राजभाषा विभाग केन्द्रीय हिन्दी संवर्ग को तुरन्त अंतिम रूप दें।

राजभाषा विभाग द्वारा इन मदों के बारे में बताई गई जानकारी को सदस्यों ने नोट किया। सचिव, राजभाषा विभाग तथा भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि केन्द्रीय राजभाषा सेवा के समूह "ग" पदों अर्थात् कनिष्ठ/वरिष्ठ हिन्दी अनुवादकों के पदों के भर्ती नियम अधिसूचित किए जा चुके हैं और इसका आरम्भिक गठन भी पूरा कर लिया है तथा समूह "क" और "ख" पद अर्थात् वरिष्ठ हिन्दी अधिकारियों और हिन्दी अधिकारियों के पदों के भर्ती नियम भी बहुत शीघ्र अधिसूचित कर दिए जाएंगे।

मद संख्या—6 समाज कल्याण मंत्रालय अपने द्वारा प्रकाशित एवं प्रचारार्थ सामग्री में अपनी संस्कृति और सभ्यता को प्रथम स्थान दें।

सदस्यों को बताया गया कि समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण भारतीय संस्कृति मूल सिद्धांत है तथा इस मंत्रालय से प्रकाशित होने वाले "लोक कल्याण" मासिक संवादपत्र में महिलाओं, बच्चों और विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयत्नों के बारे में पर्याप्त सामग्री दी होती है। यह स्वीकार किया गया कि समिति के सदस्यों को "लोक-कल्याण" मासिक संवादपत्र की एक-एक प्रति भेजी जाए ताकि उन्हें इस मंत्रालय में होने वाली गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे।

मद संख्या—7 मंत्रालय और उसके मातहत कार्यालयों और संस्थानों द्वारा भर्ती के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं का विवरण दिया जाए तथा उनमें हिन्दी के विकल्प की सुविधा दी जाए।

मद संख्या—8 मंत्रालय और उसके मातहत कार्यालयों और संस्थानों द्वारा पदोन्नति के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं का विवरण दिया जाए तथा उनमें हिन्दी के विकल्प की सुविधा दी जाए।

सदस्यों ने मंत्रालय द्वारा दिए गए विवरण को नोट किया। कुछ सदस्यों ने कहा कि यह विवरण अप्रैल–जून, 1983 की तिमाही के दरम्यान ली गई परीक्षाओं के बारे में दिए गए हैं अतः आगामी बैठक में इन कार्यालयों/संस्थानों में भर्ती तथा पदोन्नति के नियमों के अनुसार परीक्षाओं के बारे में विवरण दिया जाए।

मद संख्या—9 मंत्रालय और उसके मातहत कार्यालयों और संस्थानों द्वारा चलाए जाने वाले प्रशिक्षण कोर्सों का विवरण दिया जाए और उनमें हिन्दी के माध्यम से भी शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था की जाए।

सदस्यों ने मंत्रालय द्वारा दिए गए विवरण को नोट किया। श्रीमती उषा गुप्ता ने कहा कि विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थान, नई दिल्ली द्वारा चलाए जा रहे भौतिक चिकित्सा पाठ्यक्रम और व्यावसायिक चिकित्सा पाठ्यक्रम तथा भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर द्वारा चलाए जा रहे प्रोस्थेटिक और आर्थोटिक पाठ्यक्रमों के लिए हिन्दी का विकल्प दिया जा सकता है। यह नोट किया गया कि जब तक इन पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में हिन्दी में "टरमिनोलोजी" नहीं बनती तथा पाठ्यपुस्तकें हिन्दी में उपलब्ध नहीं होतीं तब तक इनके लिए हिन्दी का विकल्प नहीं दिया जा सकता। सचिव, राजभाषा विभाग तथा भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय चिकित्सा सम्बन्धी पाठ्य पुस्तकों को हिन्दी में तैयार करवाने पर विचार कर रहा है।

मद संख्या —10 मंत्रालय और उसके हिन्दी भाषी क्षेत्रों तथा "ख" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों और संस्थानों में से प्रत्येक में कितने-कितने अंग्रेजी टाइपराइटर हैं और उनकी तुलना में हिन्दी के कितने प्रतिशत टाइपराइटर हैं। इसकी सूचना दी जाए और इस बात पर भी विचार किया जाए कि हिन्दी में टाइपराइटरों की प्रतिशत किस प्रकार बढ़ाई जाए।

सदस्यों ने मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी को नोट किया तथा हिन्दी के टाइपराइटरों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया।

अन्य मद—11

(क) कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की पत्रिका हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों को भी भेजी जाए।

(ख) कुछ सदस्यों के प्रश्न के उत्तर में राज भाषा विभाग के सचिव ने बताया कि हिन्दी सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य मंत्रालय को समिति में प्रस्तुत विवरण के आधार पर सलाह देना है, तथा सरकारी दफ्तरों या संस्थानों में हिन्दी के काम का निरीक्षण उनका कार्य नहीं है।

अध्यक्ष महोदया को धन्यवाद देकर बैठक समाप्त हो गई।

□□□

"हिन्दी देश की एकता की कड़ी है।"

—डा० ज़ाकिर हुसैन

राजभाषा के बढ़ते चरण

(1) नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लि०, दिल्ली में हिन्दी दिवस समारोह

"हिंदी दिवस" के अवसर पर 14 सितम्बर, 1983 को नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लि०. के केन्द्रीय कार्यालय में निगम के निदेशक (कार्मिक) श्री आई० पी० हाजारिका की अध्यक्षता में हिन्दी दिवस समारोह सम्पन्न हुआ। अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री हाजारिका ने हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए संस्कृत के उन शब्दों को हिंदी में शामिल करने की तरफदारी की जो अहिन्दीभाषी प्रदेशों की भाषाओं में उपलब्ध हैं।

इस समारोह के विशेष वक्ता के रूप में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशक श्री वीर कुमार मजोत्रा ने अन्य बातों के अलावा हिन्दी के प्रचार-प्रसार की अद्यतन स्थिति तथा हिन्दी में काम करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले आर्थिक प्रोत्साहन के बारे में बड़े ही सुलझे शब्दों में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने सलाह दी कि निगम भी इन योजनाओं को अपना सकता है। निगम के केन्द्रीय कार्यालय के जिन कर्मचारियों ने भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत आयोजित प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षाएं उत्तीर्ण की थीं, उन्हें निदेशक (कार्मिक) के कर-कमलों से प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।

इस अवसर पर हिन्दी में एक वाकस्पर्धा प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। प्रतियोगिता में सफल प्रतियोगियों को सुप्रसिद्ध हिन्दी लेखिका चित्रा मुद्गल ने पुरस्कार और प्रशंसा-पत्र प्रदान किये।

निगम को राजभाषा कार्यान्वियन समिति के सदस्य के रूप में श्री आर० वी० शाही, उप महाप्रबन्धक (कार्मिक) ने समारोह के आयोजन के बारे में अपने उद्गार प्रकट किए तथा इस अवसर पर पधारे सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद देकर समारोह का समापन किया।

(2) राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा शील्ड तथा अन्य पुरस्कारों का वितरण समारोह

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार-द्वारा प्रवर्तित 1981-82 के लिए राजभाषा शील्ड तथा अन्य पुरस्कारों का वितरण करते हुए गृह मंत्री माननीय प्रकाशचन्द सेठी ने आशा व्यक्त की कि इससे सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने की प्रेरणा मिलेगी और वे नये उत्साह से हिन्दी में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हिन्दी एक समृद्ध और महत्वपूर्ण भाषा है, इसका इतिहास बहुत पुराना है और यह हमारी मान्यताओं, परम्पराओं, सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई है। यह सम्पर्क और राष्ट्र एकता की भाषा है तथा भारत के संविधान निर्माताओं ने इसे केन्द्रीय सरकार की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। इसका प्रयोग बढ़ाने के लिए भारत सरकार की तरफ से समय-समय पर आदेश ज़ारी होते रहे हैं, जिनके कार्यान्वियन की जिम्मेदारी सभी सचिवों तथा विभागाध्यक्षों पर डाली गई है।

भारत सरकार के आदेशों के कार्यान्वियन के लिए विभिन्न मंत्रालयों, विभागों में कार्यान्वियन समितियां बनाई गई हैं। इसी प्रकार, देश के बड़े-बड़े नगरों में 60 नगर राजभाषा कार्यान्वियन समितियां भी बनाई गई हैं, जो अपने-अपने क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए तत्परता-पूर्वक कार्रवाई कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग तथा कार्यान्वियन का प्रश्न बहुत-ही महत्वपूर्ण है। जैसे हम सरकार के अन्य अधिनियमों तथा नियमों का पालन करते हैं, वैसे ही हमें राजभाषा अधिनियम तथा इसके, अधीन बने नियमों का भी पालन करना चाहिए। हमें हिन्दी के प्रयोग का कार्य राष्ट्रीय दृष्टिकोण से करना चाहिए। यदि हम हिन्दी में काम करने की अपनी झिझक को छोड़ कर कार्य करने लगेंगे तो इसके प्रयोग का मार्ग स्वयं प्रशस्त होता जाएगा।

सरकार की तरफ से हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएं भी लागू की गई हैं और यह भी निर्देश दिए गए हैं कि सरकारी कामकाज की हिन्दी सरल, सहज और सुबोध होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हिन्दी का अन्य किसी भारतीय भाषा से विरोध नहीं है। सभी क्षेत्रीय भाषाएं अपने-अपने क्षेत्र में राजभाषाएं हैं। सरकार उन सभी की समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, किन्तु सभी भाषाओं के बीच हिन्दी को एक सम्पर्क भाषा की भूमिका निभानी है। हिन्दी का कार्य किसी एक मंत्रालय या विभाग का उत्तरदायित्व न हो कर सभी मंत्रालयों/विभागों का है, अतः उन्होंने यह अपील की कि सभी मंत्रालयों विभागों को सरकारी नियमों का दृढ़ता से अनुपालन करना

चाहिए। उन्होंने आशा प्रकट की कि इस कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी और हम शीघ्र ही अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे।

इस अवसर पर माननीय मंत्री जी ने पूर्ति तथा पुनर्वास मंत्रालय को राजभाषा शील्ड तथा खान विभाग और रक्षा मंत्रालय को ट्राफियां प्रदान की। इनके अतिरिक्त पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय, संसदीय कार्य विभाग, विधायी विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय को प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्रदान किए गए, साथ ही इनके संयुक्त सचिवों और अन्य अधिकारियों को भी पुरस्कार दिए गए।

राजभाषा विभाग के सचिव तथा भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव ने मंत्री महोदय तथा अन्य उपस्थित अधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि हिन्दी, सेवा का एक साधन है और इसने भारत की आजादी के पहले और बाद में लगातार देश की महत्वपूर्ण सेवा की है। हमारे संविधान द्वारा हिन्दी को भारत संघ की राजभाषा बनाया गया है, अतः अब हमें संविधान की व्यवस्थाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करना चाहिए। लोकतंत्र की सफलता के लिए अपने देश की ही जीवन्त भाषा हिन्दी का सरकारी कामकाज में प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यद्यपि इस कार्य में काफी प्रगति हुई है, फिर भी अभी हमें पूरे लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सके हैं। अतः राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम आदि में जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उनके पालन के लिए हमें सक्रियता और दृढ़ता से कार्रवाई करनी चाहिए।

(3) सिकन्दराबाद में राजभाषा संगोष्ठी

दिनांक 17–8–83 को प्रधान कार्यालय/सिकन्दराबाद के सभा गृह में सायं 4.00 बजे पं० काशीराम शर्मा, भूतपूर्व निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग के आगमन पर एक साहित्यिक संगोष्ठी आयोजित की गयी।

संगोष्ठी के आरम्भ में श्री विजय कुमार मल्होत्रा, हिंदी अधिकारी, प्रधान कार्यालय ने पं० काशीराम शर्मा जी को माल्यार्पित किया तथा स्वागत भाषण में उनका संक्षिप्त जीवन वृत्त बताते हुए उनके द्वारा की गई राजभाषा की सेवाओं की सराहना भी की। पं० काशीराम शर्मा ने संगोष्ठी में भाषण देते हुए देवनागरी लिपि के मानक संशोधन और परिवर्धन समितियों के निर्णयों का स्पष्टीकरण विस्तृत रूप से सोदाहरण किया। श्री शर्मा जी ने सभी भारतीय भाषाओं को देवनागरी लिपि में लिखने के लिए विशेष जोर दिया। इस संबंध में लखनऊ में गठित समिति के निर्णयों की विस्तृत चर्चा की तथा वहीं से प्रकाशित सामग्री की जानकारी भी दी।

अपने भाषण में श्री शर्मा जी ने संशोधन, परिवर्धन पर उदाहरण देते हुए सारगर्भित भाषण दिया साथ ही श्रोताओं के प्रश्नों का भी समुचित समाधान किया। हिंदी अनुभाग के अधिकारीगण तथा स्टाफ के लिए संगोष्ठी सफल रही जिस से वे बहुत प्रभावित हुए।

श्री विजय कुमार मल्होत्रा हिंदी अधिकारी ने आभार प्रकट करते हुए संगोष्ठी का समापन किया।

(4) इलैक्ट्रानिकी विभाग में द्वितीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन

इलैक्ट्रानिकी विभाग में 24 मार्च, 1983 से 26 मार्च 1983 तक अपराह्न 2.30 बजे से 4.30 बजे तक एक त्रिदिवसीय द्वितीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम इलैक्ट्रानिकी विभाग के संयुक्त सचिव, श्री सानुजित घोष ने सचिव महोदय से कार्यशाला का उद्घाटन करने का अनुरोध किया। इलैक्ट्रानिकी विभाग के सचिव महोदय, डा० प्रेम प्रकाश गुप्त ने कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा कि इलैक्ट्रानिकी विभाग में हम सभी की यह जिम्मेदारी है कि हम राज भाषा हिंदी से संबंधित प्रावधानों को कार्यान्वित करने का भरसक प्रयास करें।

इस अवसर पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकारियों की ओर से अनेक अधिकारियों ने अपने उद्गार व्यक्त किए, जिनमें प्रमुख थे जनशक्ति प्रभाग के प्रो० अशोक चन्द्र और कम्प्यूटर अनुरक्षण निगम के श्री पात्रो। प्रो० अशोक चन्द्र ने ऐसे आयोजनों की सराहना करते हुए यह विश्वास व्यक्त किया कि इससे वरिष्ठ अधिकारियों को हिन्दी में कामकाज करने में आसानी होगी और वे अपने मातहत काम करने वाले कर्मचारियों को भी हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे।

श्री पात्रो ने ऐसे आयोजनों की भूरि-भूरि प्रशंसा की और वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी से अनुरोध किया कि वे ऐसी ही हिन्दी कार्यशाला कम्प्यूटर अनुरक्षण निगम के लिए आयोजित भी करने का प्रबंध करें।

एकीकृत वित्तीय सलाहकार श्री बी० जी० जोशी ने कहा कि प्रयास करने पर हिन्दी में भी सरकारी काम-काज किया जा सकता है और उन्होंने बताया कि वे स्वयं अनेक फाइलों पर कुछ टिप्पणियां हिन्दी में लिखते हैं। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से भी निवेदन किया कि वे अपने सरकारी कामकाज में हिन्दी का यथासंभव प्रयोग करना आरम्भ करें।

तत्पश्चात वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी ने आयोजन के मुख्य-अतिथि, अध्यक्ष तथा कार्यशाला के प्रमुख व्याख्याता श्री हरि-बाबू कंसल और उपस्थित अधिकारियों के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी उनके सहयोग से इसी प्रकार की हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता रहेगा।

□ □ □

आदेश-अनुदेश

इण्डियन डेरी कार्पोरेशन

मुख्यालय के हिन्दी टाइपिंग में प्रशिक्षित सहायकों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार योजना

राजभाषा नियम, 1976 तथा अन्य सरकारी आदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों तथा उनके अधीनस्थ निगमों एवं कम्पनियों आदि के सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को हिन्दी का समुचित ज्ञान होना अनिवार्य है। इसलिए अपने कार्पोरेशन के ऐसे सभी अधिकारियों/कर्मचारियों, जिन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं है, पत्राचार पाठ्यक्रम के द्वारा हिन्दी का वांछित ज्ञान प्राप्त करने का परामर्श दिया गया है और सहायकों को हिन्दी टाइपिंग का प्रशिक्षण दिलवाया गया है और इस समय भी ऐसी अभ्यास कक्षाएं चल रही हैं। लगभग 23 सहायकों ने हिन्दी टाइपिंग का प्रशिक्षण प्राप्त कर परीक्षाएं भी उत्तीर्ण कर ली हैं। हिन्दी टाइपिंग का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके सहायकों की हिन्दी टाइपिंग की गति बराबर बनी रहे और कार्पोरेशन के कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ सके—इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसे सहायकों को प्रोत्साहित करने के लिए इण्डियन डेरी कार्पोरेशन, बड़ौदा की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 30 दिसम्बर, 1981 को हुई बैठक में एक पुरस्कार योजना तैयार करने का निर्णय लिया गया था। योजना की मुख्य-मुख्य ध्यान देने योग्य बातें निम्नानुसार हैं:—

(1) वर्ष की चार पृथक-पृथक तिमाही के अन्त में यथा—**मार्च, जून, सितम्बर और दिसम्बर** के अन्तिम सप्ताह में हिन्दी टाइपिंग की एक परीक्षा आयोजित की जायेगी, इस परीक्षा में बैठने वाले जिन सहायकों की गति 30 शब्द प्रति मिनट पाई जायेगी, उन्हें कार्पोरेशन की ओर से प्रतिमाह 25 रुपए मानदेय के रूप में प्रदान किए जायेंगे।

(2) अगली तिमाही के अन्त में पुनः इन सहायकों तथा अन्य इच्छुक सहायकों की परीक्षा ली जायेगी। इस परीक्षा में भी जिन्होंने अपनी गति कायम रखी है उनका मानदेय चालू रहेगा तथा जिन नए सहायकों ने निर्धारित गति प्राप्त की है उन्हें भी मानदेय दिया जाएगा और जिन पुराने सहायकों की हिन्दी टाइपिंग की गति कम पाई जायेगी उनका मानदेय रोक दिया जाएगा।

(3) इस क्रम में जिन सहायकों की हिन्दी टाइपिंग की गति 40 शब्द प्रति मिनट से आगे हो जायेगी उनके मानदेय में 10 रुपए की वृद्धि और कर दी जायेगी।

(4) कार्पोरेशन के प्रबन्ध निदेशक या अन्य प्राधिकृत वरिष्ठ अधिकारी आवश्यक समझने पर इस योजना में परिवर्तन कर सकेंगे या इसे समाप्त भी कर सकेंगे।

(5) इस प्रयोजनार्थ ली गई हिन्दी टाइपिंग परीक्षा में उत्तीर्ण सहायकों को अपने प्रभाग में किसी भी अधिकारी द्वारा दिए गए हिन्दी टाइपिंग के कार्य को अनिवार्य रूप से यथाशीघ्र पूर्ण करके देना होगा।

(6) मानदेय होने के कारण इस राशि पर आवास-किराया, नगर प्रतिकर भत्ता तथा अन्य कोई सुविधायें देय नहीं होंगी।

□□□

“भारत एक विशाल देश है। यहां अलग-अलग मत-मतान्तरों को मानने वाले और मुख्तलिफ भाषाएं और बोलियों वाले लोग रहते हैं। इन मुख्तलिफ भाषाओं और बोलियों के बावजूद, हमारे देश की आत्मा एक है। भारत की सभी भाषाओं में रचे साहित्य में भारत की सांस्कृतिक एकता और मूल भावना के दर्शन होते हैं। हमारी मिली-जुली संस्कृति की यह एक विशेषता है।

हमारे संविधान में 15 भाषाओं को स्थान दिया गया है। हर एक राज्य की अपनी-अपनी राजभाषाएं हैं। इन भाषाओं का विकास करना इन राज्यों की जिम्मेदारी है।

जहां तक हिन्दी का प्रश्न है, हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे केन्द्र की राजभाषा के रूप में इसलिए चुना कि यह भाषा सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा है और देश के अधिकतर भागों में बोली और समझी जाती है·····।”

राष्ट्रपति श्री जैल सिंह

(दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के 46वें दीक्षान्त भाषण का अंश)

"भारत जैसे संयुक्त परिवार का अच्छा उदाहरण मिलना कठिन है। हमारी प्रत्येक मातृभाषा इस परिवार की पुत्री के समान है। ये सभी भाषाएं भारत की सांस्कृतिक सम्पत्ति की समान उत्तराधिकारी हैं। ये भारत की राष्ट्रभाषाएं हैं और इनमें से हिन्दी भारत की राष्ट्रीय सम्पर्क भाषा है क्योंकि इस भाषा का परिवार सबसे बड़ा है।

.....हम एक ऐसे भारत की कल्पना नहीं करते जहां केवल एक भाषा बोली जाती हो, न ऐसे भारत की जहां एक ही धर्म का बोलबाला हो। हमारा देश बहुधर्मी देश है। हमारा देश बहुभाषी देश है। हमारे यहां अनेकता में एकता है। यह एक सर्वभाषा भारती है। लेकिन मुझे आशा है कि भारत के लोग अधिक से अधिक हिन्दी सीखेंगे।

हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपनी प्रादेशिक संस्कृति, अपनी राष्ट्रीय विरासत और विश्व का ज्ञान अर्जित करें। यह तीन बातें हमें आत्म-सात करनी हैं। आधुनिक युग में अच्छा भारतीय होने के लिए यह आवश्यक है कि हमारा अपने क्षेत्र के जन-जीवन से पूरा परिचय हो और साथ ही हम विश्वनागरिक भी हों।"

श्रीमती इन्दिरा गांधी

प्रधान मंत्री, भारत

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के लिए श्री जयपाल सिंह द्वारा, लोकनायक भवन खान मार्केट, नई दिल्ली से प्रकाशित तथा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित।

पू० इ० गा०, सा०, को० श० ल०,